राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 43 वां दिवस संख्या 1

बृहस्पतिवार

दिनांक 29 फरवरी, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.4 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, पशुपालन, पर्यटक, सामान्य प्रशासन, आयुर्वेद, स्वायत्त शासन, कृषि, गृह, जन स्वास्थ्य, सहकारी व केबिनेट विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री जयनारायण सालोदिया।

रोडवेज की गाड़ियों में शिकायत पुस्तकें

346. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

रोडवेज की गाडियों में रखी जाने वाली शिकायत पुस्तकों में जो शिकायत दर्ज की जाती है, उन पर की जाने वाली कार्यवाही की सूचना शिकायत करने वाले को दी जाती है अथवा नहीं?

उप मंत्री, यातायात (श्री शिवचरणसिंह): शिकायत पुस्तिका में अगर शिकायत करने वाले का पता दिया होता है तो शिकायतकर्त्ता को कार्यवाही की सूचना दी जाती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि मैंने शिकायत पुस्तिका में शिकायत लिखी लेकिन मुझे सूचना नहीं दी गई?

श्री शिवचरणसिंह: शिकायत पुस्तिका में शिकायत करने वाले का पता होता है तो उसको सूचना दे दी जाती है। यदि आपने पता लिखा होगा तो सूचना जरूर दी गई होगी। अगर नहीं मिली है तो इस बारे में कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो शिकायत लिखी जाती है उस सम्बन्ध में आप जांच किस प्रकार करते हैं?

श्री शिवचरणसिंह: शिकायत आती है कम्पलेन्ट बुक के आधार पर उसको डिपो मैनेजर और सम्बन्धित अधिकारी उसकी छानबीन करता है रूल्स के माफिक इन्क्वायरी करता है। उसके बाद जो भी असली चीज होती है उसके सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही होती है उसकी सूचना शिकायतकर्त्ता को दे दी जाती है यदि उसका पता उसमें हो तो।

श्री जयनारायण सालोदिया : शिकायत पुस्तिका में जितनी शिकायतें लिखी जाती है उसी आधार पर आप उनको सूचित करते हैं कि इसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया

Page No. 2

श्री शिवचरणसिंह : आजकल हमने इसके लिये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को मुकर्रर कर दिया है जो इस प्रकार की जितनी शिकायतें आती हैं बाकायदा जांच पडताल होकर उनके द्वारा उत्तर दिया जाता है।

श्री जयनारायण सालेदिया : क्या यह सही है कि सवारियों के मांगने पर कम्पलेन्ट बुक भी नहीं दी जाती है।

श्री शिवचरणसिंह: ऐसा नहीं होना चाहिये अभी हमारे पास कोई शिकायत इस प्रकार की नहीं आयी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): शिकायत लिखें ही किस में जबकि शिकायत पुस्तिका ही नहीं दी जाती।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलुम्बर) : विधायकों द्वारा भी मांगने पर कम्पलेन्ट बुक नहीं दी जाती ।

श्री शिवचरणसिंह: हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई: कितनी ऐसी बसेज हैं जिनमें कम्पलेन्ट बुक जारी ही नहीं की गई ?

श्री शिवचरणसिंह: सभी गाड़ियों के लिये हैं।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे खुद के साथ जब मैं प्रथम सत्र में आया था मेरे साथ बस के कन्डक्टर ने अशिष्ट व्यवहार किया था मैंने कम्पलेन्ट बुक मांगी थी उन्होंने नहीं दी उसने यहां तक कहा कि आपको करना हो कर लेना। उसकी शिकायत मैंने माननीय मंत्री महोदय को की उस समय उन्होंने कहा था कि उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा अभी तक क्या कार्यवाही की गई यह मेरी जानकारी में नहीं है। पहले तो शिकायत बुक देते ही नहीं उल्टा जनता के साथ अशिष्ट व्यवहार करते हैं।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया होगा तो उसके लिए उचित दंड की व्यवस्था की जायेगी।

श्री रोशनलाल : माननीय सदस्य ने यहां पर शिकायत की उसके लिये माननीय मंत्री महोदय ने क्या किया?

श्री शिवचरणसिंह : कार्यवाही हुई होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य स्पेसिफिक इन्स्टान्स बता रहे हैं उसका क्या हुआ?

श्री फतेहसिंह : मैंने नवाब साहब से शिकायत की थी।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन): काफी कहने के बावजूद भी कन्डक्टर शिकायत पुस्तिका नहीं देते?

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री): पहले जो माननीय सदस्य ने शिकायत की थी उसके लिये पिछले मंत्रीजी ने कार्यवाही के लिये आदेश दिये हैं उनके आदेशों को मंगा लूंगा और आपको सूचित कर दूंगा क्या कार्यवाही हुई है।

श्री रोशनलाल : छः महीने तक उस पर मंत्री महोदय कार्यवाही नहीं कर सके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): शिकायत प्राप्त होने के कितने दिन पश्चात् उस पर कार्यवाही हो जाती है?

श्री शिवचरण सिंह : अधिकांश शिकायतें डिपो मैनेजर देखकर, शिकायत करने वाले को लिख देता है कि आप सबूत वगैरह के लिये उनको बुलवाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आप यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि शिकायत प्राप्त होने के दस बारह दिन के अन्दर अन्दर उस पर निर्णय दे देंगे ? यदि ऐसा नहीं कर सकते तो यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है ।

श्री अमृतलाल यादव: इसके लिये अलग से ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। हम लोग जितना जल्दी हो सके दस बारह दिन में कहने की स्थिति में नहीं, उसका निपटारा करने की चेष्टा करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: एक मिनिट में निपटारा हो जाय तो अति उत्तम है दस बारह दिन में भी हो जाय तो कोई बुरी बात नहीं इससे भी अगर ज्यादा दिन लगते हैं तो मैं समझता हूं इसको उचित नहीं कहा जा सकता।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): मेरा यह निवेदन है कि··

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर ! मुझे इतने सारे प्रश्नों का खयाल रखना है जिनके सवाल रह जाते हैं उन माननीय सदस्यों को बड़ा खेद होता है।

श्री देवीदत्त गाडिया: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि विधान सभा के सदस्य बसों में जाते हैं और कम्प्लेन्ट बुक के लिए उनको कह देते हैं कि नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि वह मेरे हित में नहीं कह रहा हूं वह माननीय सदस्यों के हित में कह रहा हूं। चिकित्सा मंत्री महोदय !

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर असनावर की बिल्डिंग

347. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर असनावर की रकम ग्राम पंचायत द्वारा जमा हो चुकी है फिर भी हैल्थ सेन्टर की बिल्डिंग आज तक नहीं बन सकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में पूरा स्टाफ एवं साधन नहीं मिल सके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) जी नहीं । अलबत्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तीन उप-केन्द्रों के लिये पंचायत द्वारा रकम जमा कराई गई है। उबाड नदी पर भीमसागर डैम बनाये जाने हेतु योजना चल रही है एवं इस योजना में कुछ गांव जिसमें असनावर भी सम्मिलित है, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार डूब में आने वाले हैं अत: निर्माण कार्य नहीं किया गया ।

(2) जी नहीं।

श्री रामप्रसाद बोहरा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से मकान न बनाने का ऑर्डर कब हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने अर्ज किया जो सब-सेन्टर हैं वे गरनांडा और डो । में बन चुके हैं और तीसरा सब-सेन्टर मिसरौली

Page No. 4

(श्री दामोदरलाल व्यास)
में बनाने की कार्यवाही की जा रही है। जहां तक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर का सवाल है इसका सर्वे कार्य तो कब हुआ लेकिन बाद में भीमसागर बान्ध में असनावर गांव के डूब में आने का था इसलिए मकान बनाना मुल्तवी कर दिया गया। कब किया गया इसकी तारीख नहीं है मेरे पास।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि पैसे के अभाव में भीमसागर बान्ध की योजना स्थगित कर दी गई है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जब भीमसागर बान्ध का प्रश्न हुआ है कि वह डूब में आयेगा इसलिए यह प्रश्न किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: इसको स्थगित नहीं किया गया है। अभी विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार के पास इस प्रकार की निश्चित जानकारी है कि वह भीमसागर बान्ध को कब तक पूरा करने वाली है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह प्रश्न ईरिगेशन डिपार्टमेंट से पूछिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि जब असनावर के विकास का सवाल आता है तो भीमसागर के बान्ध का बहाना लिया जाता है और जब भीमसागर का प्रश्न आता है तो पैसे के अभाव का बहाना लिया जाता है। अगर भीमसागर का बान्ध नहीं बन रहा है तो असनावर के विकास के लिए जो कुछ काम किये जाने को हैं उनको पूरा कीजिये। सरकार एक निश्चित नीति निर्धारित करे और हर काम उस आधार पर किया जाय। न भीमसागर बान्ध तैयार हो रहा है और न असनावर का विकास हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सवाईमाधोपुर-इन्दरगढ़ सड़क निर्माण कार्य

348. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर से इन्दरगढ़ रोड़ का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया?

(2) यह रोड़ कितनी लम्बी है तथा इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि अब तक व्यय की जा चुकी है?

(3) इस सड़क का कितने मील का काम पूरा हो चुका है और अब कौन कौन सी माइल पर काम कराना शेष है?

(4) यह काम क्यों अधूरा रखा गया और कब तक पूरा करा दिया जायगा?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत की गई थी।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया।

श्री माधोसिंह : (1) यह सडक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत की गई थी।

(2) यह सड़क 20 मील 30 चैन लम्बी है जिस पर 4,41,910 रु. जनवरी, 1968 तक खर्च हुए हैं।

(श्री माधोसिंह)

(3) 16 मीलों में कार्य पूरा हो गया है। मील 12,14 से 16 में कार्य शेष है।

(4) कार्य प्रगति पर है, आशा है यह काम वर्ष 1968-69 में पूरा हो जायेगा।

श्री दुल्लेलाल : अध्यक्ष महोदय, इस सडक का काम कई दिनों से ऐसे ही पडा हुआ है और उसकी सर्वे भी कई दिनों पहले हो चुकी है। गिट्टी जमाने के बाद भी अब तक नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : पूरा हो जायगा काम यह आश्वासन दे दिया है। इससे ज्यादा और क्या देंगे ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : इस कार्य के लिए ठेका किसको दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, 349, पशुपालन मंत्री ! ठेके से क्या मतलब है जब कि आपने विश्वास दे दिया है कि समाप्त हो जायगा।

श्री रावत राम।

बीदासर कस्बे में पशु-चिकित्सालय

349. **श्री रावतराम** (छापर सु.): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा बीदासर (जिला चूरू) में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु सरकार के सामने वहां की जनता ने मांग की है ? यदि हां, तो सरकार कब तक पशु चिकित्सालय खोलेगी ?

(2) क्या यह सही है कि कस्बा बीदासर के आसपास कोई पशु चिकित्सालय नहीं है और इस वजह से वहां के लोगों को बडी परेशानी होती है ? क्या यह भी सही है कि स्थानीय ओसवाल सभा ने पशु चिकित्सालय के लिये उपयुक्त मकान देने की भी ऑफर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार चालू साल में ही उचित निर्णय लेगी ?

उप-मंत्री, पशुपालन (राव श्री हरिसिंह) : (1) जी हां, राज्य के वित्तीय साधनों की।

श्री [illegible]किशन (वैर) : आपकी उमर भी ठीक है और सरकार भी ठीक है, फिर इतना धीमी आवाज क्यों ?

राव श्री हरिसिंह : (1) जी हां। राज्य के वित्तीय साधनों की सीमाओं को देखते हुए फिलहाल वहां पशु चिकित्सालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी हां। ओसवाल सभा ने पशु-चिकित्सालय खोलने हेतु उपयुक्त मकान देने की कोई आफर नहीं दी है, अतः सरकार द्वारा वित्तीय कठिनाइयों के कारण चालू साल में निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रावतराम : सवाल यह है कि वहां की ओसवाल सभा मकान देने के लिए तैयार है तो सरकार क्या वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ?

राव श्री हरिसिंह : उस सभा की तरफ से पत्र जो प्राप्त हुआ था 5–4–67 को इस विषय में तो जहां तक भवन का सवाल है तो उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है। अगर वे अब भी दे देते हैं तो विचार किया जायगा और वहां की जो आवश्यकता होगी उस पर विचार किया जायगा।

श्री रावतराम : सरकार को इस बात की जानकारी है कि वह डेजर्ट एरिया है और वहां के लोग बहुत ज्यादा संख्या में पशु रखते हैं और उस इलाके में आसपास कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। बीदासर ओसवाल सभा ने मकान देने के लिए लिखा है जरा देखें आप कागज। जब वे मकान देने को तैयार हैं और उस एरिया में कोई पशु चिकित्सालय नहीं होने के कारण वहां के लोग बहुत परेशान हैं। उनसे दुबारा यह लिखवाया जा सकता है। अगर वे मकान देने को तैयार हैं तो क्या सरकार औषधालय खोलने का विचार रखती है?

राव श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया है वहां से सुजानगढ़ करीब 18 मील पड़ता है। वहां पर सहायक पशु शल्य चिकित्सक हैं। इसके बाद छापर वहां से 8 मील पडता है तो आपके बीदासर के लोगों को वहां से सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। जहां तक आपने यह कहा कि सरकार इरादा रखती है या नहीं तो पहले मैंने निवेदन कर दिया कि इस वर्ष तो वित्तीय अभाव को देखते हुए सम्भव नहीं है।

श्री रावतराम : आपने फरमाया कि यदि मकान ऑफर करें तो विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : विचार तो कहा है और विचार में दोनों प्रश्न आते हैं।

नेक्स्ट, श्री मनोहरसिंह मेहता!

मिडवाइफ के विरुद्ध शिकायत

350. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सींगोली, तहसील मांडलगढ़ में सब सेन्टर पर मिडवाइफ कितने वर्ष से है?

(2) बार बार शिकायतें होने पर भी उसका सींगोली से इतनी लम्बी अवधि के बाद भी तबादला क्यों नहीं हो रहा है?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) उप स्वास्थ्य केन्द्र सींगोली मांडलगढ़ में मिडवाइफ दिनांक 24–1–63 से नियुक्त है।

(2) उक्त मिडवाइफ के विरुद्ध शिकायतें थीं पर जांच कराने पर वह निराधार पाई गई।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं मिडवाइफ की शिकायत अगर यहां करूं तो मुझे खुद को भी शर्म लगती है।

श्री अध्यक्ष : अब कर देने के बाद क्या है?

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब मिडवाइफ मेडिकल ऑफिसर से अधिक पावरफुल हो जाती है तो यहां शिकायत करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जब वे वहां पर मिडवाइफ बनकर आई तो कांग्रेस के उप-प्रधान से उनके नाजायज सम्बन्ध हुए और बाद में वह मिडवाइफ सच्चे मायने में उनकी वाइफ बन गई। तीन तीन दफा उनके तबादले होते हैं और सरपंच ने काफी शिकायतें कीं और 20–20 आदमियों का डेपुटेशन शिकायत करने गया तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर कहते हैं कि क्या करें आपके नेता लोग बार बार उसका तबादला मुल्तवी करा देते हैं। चार पांच वर्ष से वहां पर है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो यहां पर सदन में सदस्य मौजूद नहीं है उसके खिलाफ इस प्रकार से एलिगेशन्स लगाना मेरे खयाल से ठीक नहीं है और यह एक्सपन्ज होना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एलीगेशन्स अगर गलत साबित हों तो मैं एम.एल.ए. पद छोड़ दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इसको एक्सपन्ज नहीं कराता हूं। आप इसको सब्स्टेन्शियेट करेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी लेना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि क्या मिडवाइफ का हिन्दी अनुवाद हो सकता है, क्योंकि लोगों को "वाइफ" से भ्रम वैसे ही हो जाता है और उससे बड़ा अनर्थ होता है। इसलिए आप इसका हिन्दी अनुवाद करा लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : बाल्मीकि ब्राह्मण करेंगे इसका अनुवाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

पर्यटकों के लिये खरीदी गई गाड़ियों का उपयोग

351. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टूरिस्टों के उपयोग के लिये चार बड़ी गाड़ियां खरीदी गई हैं जो राज्य गैराज के सुपुर्द हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन गाड़ियों का उपयोग मंत्रीगण भी करते हैं ?

(3) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में टूरिस्टों के लिये ये कितने मील चलीं और मंत्रियों के लिये कितने मील चलीं ?

(4) क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान में बनी गाडियों के मुकाबले इनमें पैट्रोल ज्यादा खर्च होता है और पार्ट्स भी विदेशों से आयातित होते हैं ? फिर इन्हें टूरिस्टों के लिये महफूज न रखकर मंत्रियों को क्यों चलाने की इजाजत दी जाती है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) पिछले दो वर्षों में (1-1-66 से 31-12-67 तक) टूरिस्टों के लिये 84343 मील चलीं एवं मंत्रियों के लिये पिछले दो वर्षों में (1-1-66 से 31-12-67 तक) 35143 मील चलीं।

(4) जी हां, मुख्यतः टूरिस्ट गाड़ियां टूरिस्टों की यात्राओं के लिये ही प्रयोग में लाई जाती हैं। जब टूरिस्टों की मांग नहीं होती है और मंत्रीगण इन गाड़ियों की मांग करते हैं तो उन्हें ये गाड़ियां उपलब्ध करदी जाती हैं। जिससे कि इनका उपयोग होता रहे।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : माननीय सदस्य.......

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य, आप भी, आप भी।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : कुर्सी पर बैठने का यह असर होता है।

श्री अध्यक्ष : भ्रम हो जाता है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : चैयर पर बैठकर यह भूल जाती हैं कि वे बाक्स में बैठी हुई हैं। वहां की भाषा प्रयोग करने लगी हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी पड़ौसी हैं, समझाया करिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चण्डावत : क्या राज्य सरकार ने ये चार गाडियां विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए ली हैं या मंत्रियों के लिए अपव्यय करने के लिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विदेशी मुद्राएं इनसे उपार्जित की जाती हैं। उसके लिए मुख्यतः यही ध्येय रखा जाता है। यदि टूरिस्टों की डिमाण्ड नहीं होती है और मिनिस्टरों की डिमाण्ड होती है तो उनके उपयोग में लाई जाती हैं जिससे ओवरहैड एक्सपेन्डीचर कम हो जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि आज कल प्रति दिन 100-100 टूरिस्ट आते हैं औसतन और तीन-चार गाड़ियां ही ठीक चल रही हैं तो ये इनके लिए रिजर्व्ड हैं या मंत्रियों के लिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास अभी तक टूरिस्टों की तरफ से शिकायत नहीं आई है कि उनको गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना) : क्या मुख्य मंत्री महोदय ने टूरिस्ट गाडियों को मंत्रियों के काम में न लाने के लिए कोई आदेश दे रखे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जैसा कहा कि टूरिस्टों के लिए बुकिंग नहीं होता है तो मिनिस्टर्स ले जा सकते हैं, वैसे टूरिस्टों को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री मोहनलाल मोदी : टूरिस्ट कार नं. 122 श्री अमृतलालजी यादव के पास चार महीने तक रही तो क्या उस समय में टूरिस्टों की डिमाण्ड नहीं थी गाड़ी की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे पता नहीं कि चार महीने तक गाड़ी उनके पास रही क्योंकि टूर में यह गाडी ले सकते हैं। जब टूरिस्ट गाड़ियां गैराज में रहती हैं तो दूसरी गाड़ी रखने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि टूरिस्ट गाड़ी का उपयोग श्री अमृतलाल जी यादव ने जो ट्रान्सपोर्ट के मिनिस्टर हैं उन्होंने किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरे पास किस किस मिनिस्टर ने किस किस गाड़ी का उपयोग किया है उसकी सूचना नहीं है। कौनसी गाड़ी कितने मील चली है टूरिस्ट गाड़ी उसकी जानकारी चाही गई थी वही सूचना दी गई है। अगर यह पूछा जाता कि कौनसी टूरिस्ट गाड़ी किसने उपयोग में ली तो उसकी सूचना दी जा सकती थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जैसा कि कहा गया है कि गाड़ी नं. 122 का श्री अमृतलालजी यादव ने उपयोग किया है, यदि इन्होंने उपयोग किया है तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ?

प्रश्न संख्या 352

प्रश्न संख्या 352 श्रीमती शिवकुमारी !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

नीम-का-थाना-पाटन सड़क की मरम्मत

354. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम-का-थाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना पाटन रोड का चार मील का टुकडा खराब हालत में पडा हुआ है ?

(2) यदि हां, तो उक्त खराब टूटे हुए सडक के टुकडे की मरम्मत कब तक कराई जावेगी और अब तक मरम्मत नहीं कराने का क्या कारण है ?

(3) क्या इस नीम-का-थाना-पाटन रोड के 8 मील के टुकडे पर डामर डलवाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये निवेदन करूंगा कि 15 दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय । इसकी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया गया । 15 दिन का प्रश्न नहीं है ।

श्री सहदेव शर्मा !

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 353 बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जवाब दिलवाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : अब मैं आगे बढ चुका हूं, जब लौटूंगा तब देखा जायेगा ।

श्री रामकिशन : इसमें सभी मंत्री भी इन्टरेस्टेड हैं यह ऐसा सवाल है, उसका तो उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : कौनसा ?

श्री रामकिशन : प्रश्न संख्या 353 ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : थ्री, फाइव, थ्री ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको बाद में देखूंगा ।

कई माननीय सदस्य (राजवी श्री रूपसिंह के हाउस में आने पर) : माननीय सदस्य भी आ गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह !

मंत्रियों की कारें

353. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मंत्रियों को सरकार की तरफ से जो कारें दी जाती हैं क्या वे 24 घंटे की ड्यूटी में रहती हैं अथवा ऑफिस टाइम्स के बाद सरकारी मोटर गैरेज में भेज दी जाती हैं ?

(2) जब मंत्री लोग दौरे पर जाते हैं तो सरकारी गाडी जो उनकी ड्यूटी के लिये बंगले पर तनात रहती है वो बंगले पर ही रखी रहती है या मोटर गैरेज में भेज दी जाती है ?

(3) क्या वर्तमान किसी मंत्री ने स्टाफ कार या गैरेज की कोई अन्य गाडी

(राजवी श्री रूपसिंह)

अपने परिवार के उपयोग के लिये नियुक्ति के दिन से 31 दिसम्बर, 1967 तक ली या नहीं ? यदि ली, तो कितने कितने समय के लिये ली और कितना किराया कब भुगतान किया ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) मंत्रियों को सरकार की तरफ से जो गाडियां स्थानीय कार्य हेतु तैनात की जाती हैं, वे 24 घंटे की ड्यूटी में रहती हैं एवं कार्यालय समय के बाद सरकारी मोटर विभाग में वापिस नहीं भेजी जाती हैं।

(2) जब मंत्री लोग दौरे में जाते हैं, तो उनके यहां स्थायी कार्य हेतु तैनात गाडी उन्हीं के बंगले पर रहती हैं और मोटर विभाग को वापिस नहीं आतीं।

(3) वर्तमान मंत्रियों द्वारा अपने निजी कार्य हेतु ली गई गाडियों का वांछित विवरण संलग्न तालिका में अंकित कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखिये)

राजवी श्री रूपसिंह : ये गाडियां जो मंत्री लोगों के मकानों पर रहती हैं, इनके लिये कोई पर्टीक्युलर रूल्स बनाये जा रहे हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कोई नये रूल्स नहीं बनाये जा रहे हैं। रूल्स पहले से ही मौजूद हैं।

श्री रामकिशन (बैर) : आपने कहा कि घरों पर रहती हैं, तो मुख्य मंत्री यह नहीं समझते कि उनका दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए रूल्स बनाने चाहिये, हालांकि अब तक रूल्स नहीं हैं तब तक उसको दुरुपयोग कह सकते।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : रूल्स के मुताबिक ही घर पर रहती हैं।

श्री रामकिशन : जब मंत्री दौरे पर जाते हैं, तो उनके पीछे कौन उसका उपयोग करे इसके लिये रूल्स नहीं बना सकते हैं ? जब रूल्स नहीं हैं तो दुरुपयोग भी नहीं कह सकते, तो इसके लिये रूल्स बनाने चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : दुरुपयोग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो फैसिलिटीज मिनिस्टर्स के लिये प्रोवाइडेड हैं उन्हीं का यह पार्ट है कि गाडी मिनिस्टर के यहां 24 घंटे रहेगी चाहे वे यहां हों या दौरे पर हों।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : खंड (3) के उत्तर में जो आपने सूची सदन की मेज पर रखी है, मैं उन मंत्रियों के नाम जानना चाहूंगा जिन्होंने स्टेट गैरेज से अपने परिवार के उपयोग के लिये कारें लीं, और कितना रुपया उन्होंने जमा कराया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : वह सूची में दिया हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वे लोग कौन हैं जिनके पास स्वयं की गाडी होते हुए भी जिन्होंने परिवार के लिये स्टेट गैरेज से गाडी मंगवाई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : सभी ने पैसे जमा करा दिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन कौन कौन हैं यह तो मालूम पडे। सूची सबके पास थोडे ही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सहदेव ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : नियम तो यह हैं कि मंत्रियों की सुविधा के लिये गाडियां हैं। अब अगर उनके परिवार के लोगों और दूसरे सम्बन्धियों के लिये भी यह सुविधा उपलब्ध करानी है तो ऐसे नियम बनाने चाहिये कि ये ये पांच दस रिश्तेदार भी गाडी का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन नियम तो होने ही चाहिये।

प्रश्न संख्या 355

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। श्री देवीदत्त गाडिया।

नगरपालिका प्रतापगढ़ के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

356. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ नगरपालिका के सदस्यों ने पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध गत आठ दस माह के अन्दर कई बार अविश्वास प्रस्ताव जिलाधीश महोदय के पास भेजा था ?

(2) यदि हां, तो किस किस तारीखों में अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया और उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि अविश्वास का प्रस्ताव रखने वाले नगरपालिका के सदस्य जनसंघ आदि विरोधी दल के सदस्य हैं ?

(4) क्या यह सही है कि अविश्वास का प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों में से कुछ सदस्यों के विरुद्ध स्वायत्त शासन विभाग या जिलाधीश महोदय द्वारा कुछ कार्यवाही की गई थी ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का मसला हाई कोर्ट में पैंडिंग है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा कि हाईकोर्ट में केवल सस्पेन्शन मसला है। जो मेम्बर सस्पेंड किये गये वे उसके अगेन्स्ट रिट लेकर हाईकोर्ट में गये हैं। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का प्रश्न है, रिट से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया गया, कितनी बार उस पर वोट लिया गया, इसका रिट से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री अध्यक्ष : क्या रिट की कापी आपके पास है ? क्या प्रश्न इन्वाल्व्ड है उसमें ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी कापी मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मुझे जानकारी है और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि केवल जो मेम्बर सस्पेंड किये गये उन्होंने सस्पेन्शन के खिलाफ रिट याचिका की है हाईकोर्ट में। यह प्रश्न का केवल एक पार्ट है। बाकी जो पार्ट्स हैं वे अलग हैं, चेयरमैन के खिलाफ कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर वोट कब कब लिया गया, यह रिट से अलग प्रश्न है

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! क्योंकि यह सब-जुडिस कहा जाता है और मेरे पास मैटीरियल भी नहीं है कि किस बात पर रिट प्रस्तुत की गई है, फिर भी क्योंकि रिट प्रस्तुत की गई है, इसलिये मैं एहतियात रखता हूं और माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इसका जवाब तो दे दें, उसके बाद ऐसा कोई प्रश्न आया जिस पर वे प्रिविलेज क्लेम करना चाहें तो उस समय मैं एहतियात बरतना चाहूंगा ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : (1) जी हां, दो बार ।

(2) दिनांक 3 नवम्बर, 1966, 28 जुलाई 1967 व 5 अगस्त 1967 को । दिनांक 3 नवम्बर, 1966 को रखे गये प्रस्ताव के लिये सभाएं 26 नवम्बर व 29 दिसम्बर, 1966 को बुलाई गई थीं किन्तु अपरिहार्य परिस्थितिवश सभा की कार्यवाही नहीं हो सकी । तत्पश्चात् सभा 7 जनवरी, 1967 को बुलाई गई जिसमें प्रस्ताव पारित नहीं हुआ । दिनांक 28 जुलाई, 1967 के प्रस्ताव पर कार्यवाही हो रही थी कि 5 अगस्त, 1967 को एक और प्रस्ताव पेश हो गया । प्रस्ताव पर विचारार्थ बैठक 2 सितम्बर, 1967 को बुलाई गई किन्तु अपरिहार्य परिस्थितिवश उस दिन सभा की कार्यवाही नहीं हो सकी और फिर सभा दिनांक 8 सितम्बर, 1967 को बुलाई गई । उक्त सभा में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ ।

(3) नगरपालिका के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने से विभाग को इसकी जानकारी नहीं है ।

(4) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 63 (4) के अन्तर्गत सर्व श्री चांदमल पालीवाल, गंगाराम बलाई, अम्बालाल राव, बंसीलाल बाहेती व रामनिवास सोनी को निलम्बित किया गया । इनके निलम्बन आदेश रद्द किये जा चुके हैं किन्तु अभी न्यायिक जांच की कार्यवाही विधि परामर्शी के यहां चल रही है । इनके अतिरिक्त सर्व श्री चांदमल सालगिया व चांदमल पालीवाल को निलम्बित किया जाकर सुनवाई की कार्यवाही सरकार के समक्ष चल रही है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू होने के पूर्व अविश्वास का प्रस्ताव चेयरमैन के विरुद्ध लाया गया था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वह तो मैंने उत्तर में तारीख दे दी ।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि 28-7-67 को अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वह अविश्वास के प्रस्ताव की तारीख किन कारणों से नहीं ली गयी और 5-8-67 को फिर से अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था और उस रोज अविश्वास के प्रस्ताव पर मीटिंग क्यों नहीं हुई और किन कारणों से क्यों नहीं हुई यह बताने का कष्ट करें ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने इसको उत्तर में पढकर कहा कि मीटिंग बुलाई गयी लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो सका ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि 28-7-67 को जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था उसके लिए एस॰

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
डी. एम. जब कि फर्स्ट डेट थी वहां पर उपस्थित नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाडिया : प्रश्न यही है। यह जो बार बार तारीखें बदली गयीं ..

श्री अध्यक्ष : हां, वह बदली गयीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि 2-9-67 को जिस समय चैयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया उस समय एस. डी. एम. निश्चित समय पर नहीं पहुंचे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री देवीदत्त गाडिया : किन कारणों से ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : चितौड़गढ़ से वहां पहुंचना था रास्ते में गाड़ी खराब होने से नहीं पहुंच सके।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि 28-7-67, 5-8-67 और 2-9-67 यह जो अविश्वास प्रस्ताव की तारीखें बदली गयीं हैं उस रोज कितने नगरपालिका के सदस्य उसमें उपस्थित थे और किन कारणों से यह अविश्वास के प्रस्ताव पर बैठक नहीं हो सकी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न यही है माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ नगरपालिका जो कि 14 सदस्यों की नगरपालिका है उसमें 9 सदस्य जनसंघ के हैं और 5 सदस्य कांग्रेस के हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के 5 सदस्य होने के नाते वह कैसे बहुमत में हो सकते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि चैयरमैन और मंत्री महोदय को यह विश्वास है कि उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, यह सीधा सा प्रश्न है कि यह अविश्वास का प्रस्ताव किन कारणों से टाला गया और मीटिंग में कितने सदस्य उपस्थित थे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि आरम्भ का जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया और गिरा उसके पूर्व जब जब भी मीटिंग बुलाई गई अविश्वास प्रस्ताव को सुनने के लिए तब बार्ड की सदस्य संख्या 14 थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: जब प्रथम बार अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ उसमें सदस्य संख्या क्या थी ?

श्री अध्यक्ष : यह सारी प्रोसीडिंग्स की बातें हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: प्रश्न यही है। क्या यह सही है कि जब जब चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया •

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को अधूरा छोड़कर दुबारा तैयार होकर आने के लिए कहा जाये।

Page No. 14

श्री देवीदत्त गाडिया: उसमें जनसंघ के 4 सदस्यों को निलंबित किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: निलंबित किया गया यहां तक तो ठीक है। क्यों किया गया? यह हाईकोर्ट के पास है।

श्री देवीदत्त गाडिया: किया गया या नहीं यह ही बता दें।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): जब विरोधियों का बहुमत होता है किसी को सस्पेन्ड कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना): फिर अध्यक्ष कैसे कांग्रेस का चुना गया?

श्री देवीदत्त गाडिया: मैं यह जानना चाहूंगा कि जब अन्तिम बार अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस होनी थी और जो तारीख निश्चित थी उस रोज प्रतापगढ नगरपालिका के सदस्य कितने थे?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: इसकी भी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: इस प्रश्न को स्थगित किया जाये। हर बात में उत्तर दिया जा रहा है कि जानकारी नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या यह प्रस्ताव येनकेन प्रकारेण अविश्वास का नहीं आने देना यह एक पूर्व नियोजित सरकारी षडयंत्र नहीं है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: जी यह सत्य नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया: क्या यह सही है कि नगरपालिका के चुनाव कांग्रेस पार्टी के अलावा स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ पार्टी ने राजनैतिक आधार पर लड़े थे।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: मुझे ज्ञान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, प्लीज! मैं इस प्रश्न को स्थगित करना चाहूंगा यह कब लिया जाये इस प्रश्न को मैं स्वयं देखूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अध्यक्ष महोदय मैं विषयान्तर तो नहीं होना चाहता लेकिन इस प्रश्न पर ही दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर कांग्रेस का कृत्रिम बहुमत होता है उसमें येनकेन प्रकारेण अविश्वास का या विश्वास का प्रस्ताव आये उसको सफल किया जाता है। विरोधी पक्ष की ओर से जब कभी भी ऐसा अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो मेरे ख्याल में इस सरकार की तो यह पूर्व नियोजित योजना सी है प्लान्ड बेसिस पर कि उसको किसी तरह से भी पारित नहीं किया जाये। मेरे ख्याल में यह जनतंत्र की एक मखौल है और कुछ नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री: केन्द्र भी तो समर्थन दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर!

प्रश्न संख्या 357

श्री नन्दलाल

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 358

श्री रामसिंह कुडी।

Page No. 15

(श्री रामसिंह उपस्थित होते हुए भी नहीं उठे)

नैक्स्ट, श्री दौलतराम आगरी 359

ग्राम देसूरी में अस्पताल का भवन

359. श्री दौलतराम आगरी (देसूरी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम देसूरी में अस्पताल के लिये भवन बना हुआ है? यदि हां, तो यह भवन कब बना और क्या वह रहने व मरीजों के ठहरने योग्य है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भवन को गिराकर नया बनाने हेतु तत्कालीन मंत्री महोदय ने अपने निरीक्षण पत्र में लिखा है

(3) अब तक यह भवन नया क्यों नहीं बनाया गया? राज्य सरकार नया भवन बनाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) जी हां, यह भवन 50–60 वर्ष पहले बना है, पुराना भवन होने के कारण असुविधा है।

(2) जी नहीं। मंत्री महोदय ने केवल नया भवन बनाने हेतु लिखा था।

(3) सचिव जिला परिषद् पाली ने सूचित किया है कि जन सहयोग की धनराशि किसी भी हालत में प्राप्त करना सम्भव नहीं है। धनराशि के अभाव के कारण सरकार द्वारा नया भवन नहीं बनाया जा सका।

श्री दौलतराम: यह धन राशि कब तक पूरी होकर नया भवन बनेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास: जब भी माली हालत ठीक होगी।

श्री पृथ्वीसिंह (वाली) : वह दिन कब आयेगा?

श्री दामोदर लाल व्यास : हर साल आता है।

श्री दौलतराम : क्या यह सही है कि भीखाभाई ने अस्पताल का निरीक्षण 20–12–59 को किया था?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, माननीय भीखाभाई ने 20–12–59 को लिखा था कि वहां की जनता के उत्साह को बनाये रखने के लिये जन सहयोग लेकर नया भवन बना दिया जाय। सरकार ने डी.एम.एच. ओ. और जिला परिषद् को लिखा तो उन्होंने उत्तर दिया कि जनता जन सहयोग देने को तैयार नहीं है।

श्री दौलतराम: क्या कभी मीटिंग करके इसके लिये कोशिश की गई थी?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! क्वेश्चन नं 360।

श्री रामसिंह कुडी: प्रश्न संख्या 358 पहले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: इसको मैं बाद में देख लूंगा क्वेश्चन नं 360

सांड व बैलों की खरीद

360. श्री श्रवणलाल (हिंडौन): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार द्वारा अब तक किस किस वर्ष में कितनी कितनी धनराशि के

(श्री श्रवणलाल)
राज्य के बाहर किस किस जगह से कितने कितने सांड व बैल तथा अन्य जानवर खरीदे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य से बाहर जानवरों की खरीद करने के कारण क्या क्या हैं?

उप मंत्री पशुपालन (श्री हरिसिंह): अध्यक्ष महोदय, अभी इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

सुमेरपुर के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

361. श्री पृथ्वी सिंह बालो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली में हुए 171 बोरी बीज के गबन अथवा चोरी के मुकदमे नम्बर 43 सन 10–11–66 यू।एस 409 आई. पी. सी. पी. एस. सुमेरपुर की तफतीश शुरू शुरू में कौन अधिकारी कर रहा था?

(2) क्या यह सही है की उक्त मुकदमा थाना सुमेरपुर से ट्रांसफर कर दिया गया है? अगर हां तो ट्रांसफर क्यों और कहां किया गया है?

क्या यह मुकदमा किसी शिकायत के आधार पर ट्रांसफर किया गया है? अगर हां, तो सुमेरपुर के थानेदार के विरुद्ध क्या शिकायत है और किसने की है क्या शिकायत कि जांच कराई गई है? यदि हां तो उसका क्या नतीजा रहा?

उप मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली में हुई 171 बोरी बीज के गबन के सम्बन्ध में अभियोग क्रमांक 43 दिनांक 10-11-66 धारा 409 ता. हि. थाना सुमेरपुर का अनुसंधान शुरू में श्री भंवरलाल उप निरीक्षक प्रबन्धक थाना सुमेरपुर कर रहे थे।

(2) जी हां। उक्त अभियोग का अनुसंधान थाना सुमेरपुर से श्री बिरदीचन्द अभियुक्त की प्रार्थना पर श्री टी. एन. भार्गव उप अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, सोजत सिटी को दे दिया गया था।

(3) जी हां। श्री बिरदीचन्द छाची सा. सुमेरपुर मुलजिम ने शिकायत की कि प्रबन्धक थाना सुमेरपुर (श्री भंवरलाल उप निरीक्षक) चुन्नीलाल जाट साकिन सुमेरपुर का रिश्तेदार व जाति भाई है जिसके खेत के नजदीक मुलजिम का खेत भी है जिसमें उसके द्वारा फसल का नुकसान कराने के कारण उसकी चुन्नीलाल से रंजिश है इसलिये थानेदार सुमेरपुर उसे (बिरदीचन्द को) उक्त अभियोग में झूंठा फंसाना चाहते हैं। इस शिकायत पर अनुसंधान वृत्त अधिकारी को दी गई थी। शिकायत की जांच कराई गई तो झूंठा पाया गया।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी कह रहे हैं शिकायत की जांच की गई और जांच करने पर शिकायत झूंठी साबित हुई तो पहले किस आधार पर मुकद्दमा ट्रान्सफर किया गया?

श्री खेतसिंह : आधार मैंने बता दिया। बिरदीचन्द ने एक शिकायत होम मिनिस्टर के सामने की कि मुझे ख्वामख्वाह झूंठा फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूं मेरे साथ न्याय होना चाहिये।

श्री पृथ्वीसिंह : आपने कहा कि झूंठी शिकायत हुई तो केस ट्रान्सफर क्यों किया गया ?

श्री खेतसिंह : केस पहले ट्रान्सफर किया गया उसके बाद मालूम हुआ कि शिकायत गलत थी।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या मुकदमा सुमेरपुर से सोजत ट्रान्सफर किया गया था ? सोजत के बीच में सुमेरपुर के पास नजदीक अधिकारी नहीं थे जिनसे जांच कराई जा सकती थी ?

श्री खेतसिंह : वहां के डिप्टी एस. पी. को दिया गया। भार्गव ने चालान कराया।

श्री पृथ्वीसिंह : डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट सुमेरपुर के पास पाली में है और जगह है सोजत से इतनी दूर भेजने का क्या कारण था ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : जांच करके बचत करना।

श्री खेतसिंह : नहीं, नहीं...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नहीं, नहीं क्या हां, हां।

श्री पृथ्वीसिंह : मुकद्दमें का चालान बिरदीचन्द के खिलाफ जरूर हुआ लेकिन उसने माल दूसरी जगह बेच दिया और उस माल को बरामद नहीं किया गया इसका क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह : स्टोर कीपर श्री मदनलाल ने यह गडबडी की थी। उसने यह माल बिरदीचन्द को बेच दिया इसलिये दोनों के खिलाफ 409 और 414 में चालान हुआ है।

श्री पृथ्वीसिंह : चालान जरूर हुआ लेकिन माल बरामद क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : चालान हुआ है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, माल फलां आदमी के पास है इस बात का पता चलने पर भी बरामद क्यों नहीं किया गया मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन केस चालान हो चुका है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या गोलमाल की खेती नीचे से ऊपर आप तक बिल्कुल एक तार में बंधी हुई नहीं है ?

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ। पंचायत समिति सहाडा, उदयपुर में सुमेरपुर का यह माल बिरदीचन्द के नामसे बिका है।

श्री खेतसिंह : गेहूँ की चोरी का सवाल है इसका आइडेन्टिफिकेशन करके पता नहीं कर सकते कि यह सुमेरपुर का है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूँ कि जिस आदमी का नाम इस माल के पीछे है उसके फार्म में, उसके खेत में 171 बोरी गेहूँ किसी भी हालत में उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि उसका खेत छोटा है––

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

(प्रश्न संख्या 362)

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

Page No. 18

भ्रष्टाचार के मामले में सजा

363. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह बात सही है कि फौजदारी मुकदमा संख्या 1 सन् 63 सरकार बनाम जसराज में सेशन्स जज अजमेर ने श्री जसराज को ताजीरात हिन्द की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत दोषी पाकर उसे दिनांक 19-8-64 को एक डेढ़ साल की सख्त सजा का दंड दिया।

(2) क्या यह बात भी सही है कि अभियुक्त श्री जसराज द्वारा उच्च न्यायालय राजस्थान में अपील करने पर उच्च न्यायालय ने भी फौजदारी अपील संख्या 505 सन् 64 में अपने निर्णय दिनांक 6-12-65 के अनुसार अभियुक्त श्री जसराज को दोषी माना और भुगती हुई सजा को पर्याप्त मान कर उन्हें छोडा ?

(3) क्या उन्हीं अभियुक्त श्री जसराज को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया है ?

मुख्य मन्त्री (मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) जी हां।

(2) जी हां। हाई कोर्ट ने अपने जजमेन्ट में यह कहा था:

"I have also given anxious consideration to the applicant's case and as a special case feel inclined to take an indulgent view in the matter of sentence particularly when the appellant has rehabilitated himself in a proper manner. The appeal is partially accepted. Conviction of the appellant is upheld and he is let off with sentence already undergone."

(3) जी हां।

श्री फतेहसिंह : श्री जसराज पर कितनी रिश्वत लेने का आरोप था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 200)

श्री फतेहसिंह : क्या मुख्य मंत्रीजी श्री जसराज के अपराध को अनैतिक अपराध मानते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बारे में अदालत फैसला दे चुकी है। मेरी राय की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन ऑफ ओपीनियन।

श्री फतेहसिंह : क्या मुख्य मंत्रीजी बता सकते हैं ...

श्री अध्यक्ष : फैक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री फतेहसिंह : क्या न्यायालय के फैसले के परिणाम स्वरूप श्री जसराज को नौकरी से डिसमिस किया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि श्री जसराज को डिसमिस किया गया था 1956 से। फैसला 58 में किया गया था लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सन् 56 से डिसमिसल किया गया।

श्री फतेहसिंह : जब दूसरे मुकदमें में चालान किया गया, दंडित किया गया उस तारीख से उनका डिसमिसल माना गया है या 19-8-64 से डिसमिसल हुआ न कि पहले जैसा मुख्य मंत्रीजी कहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। डिसमिसल के ओर्डर 1959 को दिया गया लेकिन उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया था।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या नेशनल मोन्युमैन्ट की तरह इनको म्युजियम में नहीं रखा जाना चाहिये ?

श्री फतेहसिंह: सारे राजस्थान की जनता की निगाह इस ओर है कि सरकार इस बारे में किस तरह की व्यवस्था करती है इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के आरोप में जिस व्यक्ति को सजा होती है वह विधान सभा का सदस्य बन जाता है और···

श्री अध्यक्ष : ओर्डर, ओर्डर प्लीज ! नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री फतेहसिंह : यह बहुत गंभीर बात है सुखाडिया साहब····

श्री अध्यक्ष : ओर्डर प्लीज···

श्री फतेहसिंह : दल बदलाव (शोरगुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ! मैं कुछ कहना चाहता हूँ··

श्री फतेहसिंह: पहले मेरा निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आपका निवेदन पहले नहीं सुनूंगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न मेरे ख़याल से विधान सभा का सत्र आरंभ हुआ तब से यहां बराबर चल रहा है और इस पर जितने प्रश्न हो सकते थे वे सब पूछ लिये गये । कल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से इस सदन में पूछ लिया गया । मैं समझता हूँ अब यह रिपीटिशन है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जिस ओर्डर से श्री जसराज का डिसमिसल किया गया क्या उस ओर्डर की कोपी सदन की मेज पर रखने की मुख्य मंत्रीजी कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरे पास इस वक्त आर्डर की कापी नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तब, अध्यक्ष महोदय, हमें सन्देह है कि अभी तक उस व्यक्ति को बर्खास्त नहीं किया गया है । अगर यह इन्टरप्रीटेशन मुख्य मंत्रीजी का है तो हमारा कहना है कि अभी तक वह बर्खास्त नहीं हुए हैं । बीच में नौकरी से अलग कर दुबारा नौकरी चालू होने पर अभी तक वे सस्पेन्शन में हैं जिसका बार बार हवाला मुख्य मंत्रीजी दे रहे हैं । नौकरी से अलग कर दिया गया है वह आर्डर हम से छिपाना चाहते हैं । वह आर्डर कौनसा है ?

श्री फतेहसिंह : यह कानूनी मसला है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं नहीं चाहता कि इस सम्बन्ध में सदन में कोई भ्रम रहे । इसलिये जो उनके डिसमिसल के लिये जिस डेट के आर्डर हैं उसकी कापी सदन की मेज पर रख दूंगा । हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है । हम कुछ छिपाना नहीं चाहते ।

श्री फतेहसिंह : एक प्रश्न है और गम्भीर प्रश्न है, आपके लिये भी और सदन के लिये भी कि संविधान के आर्टिकल 192 के तहत

"If any question arises whether a member of a House of the legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Article 191...."

Page No. 20

श्री अध्यक्ष : मेरा खयाल है कि कल की डिबेट में आप नहीं थे। परसों की डिबेट में नहीं थे। ये सारे प्रश्न उस समय आ गये थे।

श्री फतेहसिंह : मेरा प्रश्न तो यह है।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न पहले सदन के समक्ष आ चुके हैं और उन पर उत्तर भी मिल चुका है उनको रिपीट न किया जाय।

श्री फतेहसिंह : कान्स्टीट्यूशन का ही यह विषय नहीं है, सदन के भीतर का ही यह विषय नहीं है, बाहर भी यह प्रश्न आता रहेगा ... जब तक ...

श्री अध्यक्ष : बाहर आये भीतर आये पर आप जिसको नवीन और मौलिक प्रश्न समझते हैं उस पर सदन विचार कर चुका है। यह कान्स्टीट्यूशनल पोजीशन यहां उठ चुकी है, आप उस समय नहीं थे। इसलिये मैं आपकी जानकारी के लिये कह रहा हूं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : ऐसे भ्रष्ट आदमी को आप सदन से नहीं निकाल देंगे तब तक ऐसे प्रश्न उठते रहेंगे। मुख्य मंत्रीजी पकड कर निकाल दें ऐसे आदमी को। ये सदन के कलंक हैं और मैं जसराज को मुबारकबाद देता हूँ कि कांग्रेस में आकर उन्होंने उनके काला तिलक लगाया है।

श्री फतेहसिंह : मैं बडे अदब के साथ निवेदन करता हूँ कि क्या मुख्य मंत्रीजी धारा 192 के अन्तर्गत इस प्रश्न को गवर्नर महोदय को रेफर करेंगे कि जसराज सदस्यता के नाते डिसक्वालिफाई हो गया है।

श्री अध्यक्ष : That has already been discussed on the floor of the House.

श्री फतेहसिंह : I want the answer of this question, Sir. This is my question.

श्री अध्यक्ष : This is your question, but this is my order.

श्री फतेहसिंह : राज्य में आज से ही प्रजातन्त्र खतम हो गया।

सांचोर के ग्रामों की माध्यमिक पाठशालाओं के भवनों का चार्ज

364. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में ग्राम गुडहिया, सांकड एवं सांचोर की ढाणी माध्यमिक पाठशालाओं के भवनों का चार्ज अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं लिया गया है?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सम्बन्धित पंचायतों द्वारा इन भवनों को इस विभाग के चार्ज में लेने बाबत कई बार लिखा जा चुका है? अगर हां, तो अब तक इन भवनों को इस विभाग के चार्ज में न लिये जाने के क्या कारण हैं?

(3) अब उपरोक्त भवनों को निर्माण विभाग के चार्ज में कब तक ले लिया जावेगा? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना तो निवेदन किये बगैर नहीं रह सकता। चाहे जो कुछ भी हो लेकिन यदि जसराज विरोधी पक्ष में होते तो कभी से इस असेम्बली से निलम्बित कर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
दिये गये होते । केवल मात्र दल बदल करके मुख्य मंत्रीजी की शरण ले ली, इसलिये मुख्य मंत्रीजी अपना पवित्र या अपवित्र पुनीत या अपुनीत कर्त्तव्य समझते हैं कि उनको हर तरह से बचाया जावे । यह जनतन्त्र की अस्वस्थ परम्परा की पराकाष्ठा है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कान्स्टीट्यूशन की किसी भी धारा के अन्तर्गत अगर वे डिसक्वालिफिकेशन इन्कार करते हैं तो मैं कतई उनको प्रोटेक्ट करना नहीं चाहता । हमारा मानना है कि किसी भी धारा के अन्तर्गत वे क्वालिफाइड हैं ।

श्री फतेहसिंह : Why are you not prepared to refer it to the Governor.

श्री मोहनलाल सुखाडिया : This is not necessary.

श्री अध्यक्ष : निर्माण मन्त्री !

श्री विजयसिंह (मकराना) : इनको मुर्गा बनाकर बिठा दीजिये ताकि ये सवाल ही नहीं कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : जरा जोर से बोलिये मन्त्री महोदय, जोर से बोलिए ।

उप मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां ।

(2) जिला व उप जिला हैडक्वार्टर पर स्थित भवनों के अतिरिक्त मरम्मत की जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं है, इसलिए चार्ज में नहीं ली गई ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या जितनी सरकारी बिल्डिगें हैं उनकी मरम्मत की जिम्मेदारी आपके विभाग की नहीं है ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या आप इन माध्यमिक पाठशालाओं के भवनों को सरकारी भवन नहीं मानते क्या ?

श्री माधोसिंह : ये बिल्डिगें हमारे विभाग में नहीं रहतीं सिर्फ जिला व उप जिला हैडक्वार्टर पर स्थित भवन रहते हैं । बाकी भवनों की मरम्मत सम्बन्धित विभाग खुद कराते हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो जनता के सहयोग से बनाई जाकर राजकीय स्कूलें घोषित करदी गई उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी आप कहते हैं सरकार की नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : जैसा होता है वैसा है ।

श्री माधोसिंह : मैं सरकार की कब कहता हूं, हमारे विभाग की नहीं है, सम्बन्धित विभाग की होगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसी बिल्डिगों की मरम्मत पी. डब्लू. डी. विभाग ही करता है सारे विभागों की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी फिर सोच लीजिये ।

श्री माधोसिंह : मैंने निवेदन किया कि जिला व उप जिला हैडक्वार्टर को छोडकर बाकी भवनों की मरम्मत सम्बन्धित विभाग खुद कराता है । यह स्कूलों के लिये ही अलाऊ कर रहे हैं, और बिल्डिगों के लिये नहीं ।

जिला डूंगरपुर के गांवों में प्राथमिक सब-सेन्टर खोलने की मांग

365. **श्री रतनलाल रोत** (चौरासी सु.) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में काफी गांवों में प्राथमिक सब-सेन्टर खोलने की वहां की पंचायत समितियों ने जिला परिषद् के मार्फत राज्य सरकार से मांग की है और वहां पर उसके लिये भवन भी उपलब्ध है ?

(2) क्या सरकार ऐसे स्थानों में प्राथमिक सब-सेन्टर खोलने की स्थिति में है ?

(3) क्या जिला डूंगरपुर के बिछीपाडा पंचायत समिति के गामडी देवल ग्राम में प्राथमिक सब-सेन्टर के लिये मांग की गई है ? यदि हां,तो वहां सब-सेन्टर खोलने में विशेषतया क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(3) जी हां । कोई कठिनाई नहीं है, ग्राम गामडी देवल में सब-सेन्टर दिनांक 20-7-67 को खोल दिया गया है ।

श्री रतनलाल रोत : और इस पंचायत समिति के अन्दर जितने सब-सेन्टर खोल दिये गये हैं उनमें भवनों का अभाव है क्या उनकी पूर्ति जल्दी की जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां जहां अभाव है उसकी पूर्ति जल्दी करने की कोशिश की जावेगी ।

प्रश्न संख्या 366

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री चुन्नीलाल इंदलिया ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री हरलालसिंह खर्रा ।

जयपुर-बीकानेर तथा जयपुर-लुहारू मार्ग पर रोडवेज की बसें

367. **श्री हरलालसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-बीकानेर व जयपुर-लुहारू मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इन मार्गों पर राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसें भी चालू कर दी गई थीं ? यदि हां, तो कब कितने समय चलीं ?

(3) राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसें इन मार्गों पर बन्द क्यों की गईं ? व क्या अब राज्य सरकार का पुनः चालू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री यातायात (श्री शिवचरणसिंह): (1) जी नहीं । इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था ।

(2) जी हां । माह सितम्बर 1960 में अस्थायी परमिटों के आधार पर करीब 2½ माह जयपुर-बीकानेर मार्ग पर चली थी जयपुर-लुहारू कभी नहीं चली ।

(3) राजस्थान हाई कोर्ट से स्टे आ जाने के कारण बन्द करनी पडी । इन मार्गों

(श्री शिवचरण सिंह)
पर वर्तमान में बसें चलाने की कोई योजना निगम के विचाराधीन नहीं है ।

श्री हरलालसिंह खर्रा : क्या, अब भी पाबन्दी है क्या हाई कोर्ट से, इन मार्गों पर बसें चलाने पर ?

श्री शिवचरण सिंह : अभी फिलहाल यह प्रश्न निगम के विचाराधीन नहीं है । हाई कोर्ट की तो पाबन्दी नहीं है पर जब राष्ट्रीयकरण करने का विचार होगा तब इस पर सोचेंगे ।

श्री हरलालसिंह खर्रा : क्या इस रूट को सरकार फायदेमन्द नहीं सोचती ?

श्री शिवचरण सिंह : जब कभी निगम विचार करेगा कि किन किन मार्गों पर बसों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये तब इसका कार्यक्रम निर्धारित करके सोच विचार करेगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि जो राष्ट्रीयकरण करने का फेज्ड प्रोग्राम बनाया गया था उसके अनुसार इस मार्ग को भी लेने के लिये गजट में विज्ञापन कर दिया गया था ?

श्री शिवचरण सिंह : यह सूचना हमारे पास नहीं है । प्राप्त करके उत्तर दे दिया जावेगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर यह स्टे किस सम्बन्ध में आया था ?

श्री शिवचरण सिंह : आर. टी. ओ. बीकानेर से टेम्परेरी परमिट लिया था पर उस आर. टी. ओ. में नान ऑफीशियल मेम्बर के नहीं होने से दूसरी पार्टियों ने हाई कोर्ट में रिट की कि नान ऑफीशियल मेम्बर नहीं होने से यह वेलिड नहीं है । इस लिये हाई कोर्ट ने स्टे दे दी और इसलिये टेम्परेरी परमिट केन्सिल हो गया और हमारी बसें चलनी बन्द हो गई ।

(12 मध्यान्ह)

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार के द्वारा कोई फेज प्रोग्राम बनाया गया है ?

श्री शिवचरण सिंह : राष्ट्रीयकरण करने के लिए फेज प्रोग्राम बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अभी तक सरकार ने क्या कोई फेज प्रोग्राम नहीं बनाया है ?

श्री शिवचरण सिंह : जी हां । राष्ट्रीयकृत मार्गों पर तो बसेज चल रही हैं लेकिन नये मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का फेज प्रोग्राम है नहीं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह जो फेज प्रोग्राम बनाया गया है उसमें यह रूट शामिल नहीं था ?

श्री शिवचरण सिंह : अब जो फेज प्रोग्राम बनाया जायगा तब इस पर सोचा जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री लाभचन्द वैद !

नगर पालिका क्षेत्र के अन्दर मकानों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन की इजाजत

368. **श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 24

(श्री लाभचन्द वैद)

जिन जिन नगरपालिका में इन्जिनियर या भवन निर्माण विशेषज्ञ की पोस्टें नहीं हैं, उन नगरपालिका क्षेत्रों में क्या सरकार यह छूट देने का विचार रखती है कि चहार दीवारी के अन्दर अपने घर में परिवर्तन व परिवर्द्धन में इजाजत तामीर लेने की आवश्यकता नहीं होगी ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी नहीं। इस सम्बन्ध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 170 की उप-धारा (1) व (2) स्पष्ट हैं।

श्री लाभचन्द वैद : मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जहां पर इन्जिनियर या भवन निर्माण विशेषज्ञ नहीं हैं वहां पर इस कानून का क्या उपयोग है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जो आपने जानकारी चाही वह इस अधिनियम की धारा 170 (1) (2) में स्पष्ट दी हुई है। इसको आप देखेंगे तो पता चल जायगा।

श्री लाभचन्द वैद : उसका उपयोग क्या है जब कि जनता को राय नहीं दे सकते हैं। इस कारण सारी जनता को परेशानी होती है। इसका उपयोग क्या है ?

अध्यक्ष : हां, ऐसा ही है।

नेक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या मंत्री महोदया यह सूचना दे सकती हैं कि राजस्थान में कितनी ऐसी नगरपालिका या परिषदें हैं जहां अभी तक इन्जिनियर्स या भवन निर्माण विशेषज्ञ नहीं हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग से प्रश्न है। आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने प्रश्न के उत्तर में जी हां जवाब दिया है, यह किस सूचना के आधार पर उत्तर दिया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं, मैंने उत्तर दिया है। जी हां, मैंने उत्तर नहीं दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न यह है कि जिन जिन नगरपालिका में इन्जिनियर या भवन निर्माण विशेषज्ञ की पोस्टें नहीं हैं- इसके उत्तर में आपने जी हां कहा है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आप पूरा प्रश्न पढ़िये, उससे स्पष्ट हो जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उन नगरपालिका क्षेत्रों में क्या सरकार यह छूट देने का विचार रखती है कि चहार दीवारी के अन्दर अपने घर में परिवर्तन व परिवर्द्धन में इजाजत तामीर लेने की आवश्यकता नहीं होती ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उस प्रावधान, उस रूल के अन्दर पूरा दिया हुआ है जिसको मैंने कोट किया है आपके सामने।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों से कर्जों की वसूली।

369. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 25

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(1) क्या फसल खराब होने की सूरत में सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों से कर्जा वसूली स्थगित करने या न करने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ? कृपया प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सहकारी समिति की प्रबन्धकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेने पर कि फसल खराब हो जाने के कारण इस फसल पर कर्जे की वसूली न की जाय, सहकारी बैंक वसूली के लिए आग्रह करता है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम शाहपुरा तहसील अलवर की सहकारी समिति की प्रबन्धकारिणी ने दिनांक 6-5-67 को सर्व-सम्मति से फसल खराब होने के कारण कर्जा वसूल न करने का प्रस्ताव पास किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम की कर्जा वसूली रोकी गई ?

(4) क्या यह सही है कि प्रबन्ध-कारिणी ने सहकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों से दुर्व्यवहार करने का प्रस्ताव भी पास किया था ? यदि हां, तो क्या उसकी कोई जांच की गई और कर्मचारियों के विरुद्ध कोई एक्शन लिया गया ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (1) जी हां, नियम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रतिलिपि नहीं मिली अभी तक ।

श्री रामदेव सिंह : (2) प्रबन्धकारिणी द्वारा निर्णय लेने पर भी यदि नियमों के अनुसार सारी कार्यवाही न हुई हो तो सहकारी बैंक द्वारा वसूली के लिये आग्रह किया जाता है ।

(3) जी हां, किन्तु कर्जा वसूली नहीं रोकी गई ।

(4) जी हां, किन्तु कोई एक्शन नहीं लिया गया ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह शिकायत आने के बाद कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री रामदेव सिंह : समिति ने कभी भी यह शिकायत असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को नहीं भेजी, अपने प्रस्ताव की कापी नहीं भेजी इसलिए एक्शन नहीं लिया गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने इस बात की जानकारी समिति से की है इस प्रश्न के आने के बाद कि उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव किया या नहीं ?

श्री रामदेव सिंह : समिति ने प्रस्ताव जरूर पास किया, उसकी कापी भी दी लेकिन सहायक रजिस्ट्रार को नहीं भेजी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको जानकारी में आ गया था कि समिति ने प्रस्ताव भेज दिया है, और दुर्व्यवहार की शिकायत आपकी जानकारी में जिस समय आई उस समय क्या इस चीज की जरूरत नहीं समझी कि दोषी को कोई दण्ड दिया जाय ? क्या इसकी जानकारी की है ?

श्री रामदेव सिंह : इसमें एक शिकायत की है, लेकिन किसी अधिकारी का नाम नहीं है कि किस ने जानकर दुर्व्यवहार किया। दूसरे प्रस्ताव में यह नहीं है कि किस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरिवल्लभ शर्मा !

सवाई माधोपुर में नजूल की जमीन पर दुकानों का निर्माण

370. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गाड़ी कटला बाजार कस्बा सवाई माधोपुर में गलताजी के बाग वाली नजूल जमीन को कल्याण माली नाम के व्यक्ति ने अपनी बतला कर रमजानी लुहार को बेच दिया ?

(2) क्या यह सही है कि रमजानी लुहार ने इस जमीन को कल्याण माली से खरीदी होना बतला कर नगरपालिका से दुकान की इजाजत मांगी ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका में रमजानी के दरख्वास्त देने से पहले श्री रेलूमल सिंघी की एक दरख्वास्त इसी जमीन को नगरपालिका से खरीदने बाबत कई महीने पहिले से दे रखी थी ?

(4) क्या यह सही है कि प्रशासक, नगरपालिका ने बिला टाउन सर्वे के रेकार्ड देखे तथा बिला इस बात की जांच किये कि कल्याण माली जिसने रमजानी को जमीन बेची किस प्रकार इस जमीन का स्वामी हुआ ? रमजानी को बिला नजराना दुकान बनाने की इजाजत दे दी और रेलूमल प्रार्थी को इसका पता तक नहीं लगने दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि यह जमीन लबे सडक मैन मार्केट पर स्थित होने के कारण बहुत कीमती है ?

(6) क्या यह सही है कि रमजानी रजिस्टर्ड फैब्रीकेटर है और टिन शीट्स का कोटा उसको मिलता रहा है ?

(7) रमजानी को इजाजत कब दी गई और उस समय प्रशासक कौन थे ? और राज्य सरकार इस विषय में अब क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या ?

श्री अध्यक्ष : पार्डन।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इसकी एक महीने के अन्दर सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है जब कि यह 18 तारीख को दिया गया प्रश्न ?

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमें इस पर आपत्ति है··

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : (श्री माधोसिंह के खडे होने पर) उत्तर साफ साफ दें।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, आपने बार बार चेअर की तरफ से आदेश दिये मंत्रीगण को कि प्रश्नों के उत्तर सदन के अन्दर दिये जावें लेकिन अब भी वही प्रेक्टिस जारी है। कई प्रश्नों का जवाब आता नहीं हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि अधिकारीगण अपनी कुर्सियों पर बैठे रहते हैं . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह रावत : और मंत्रीगण यहां बैठे रहते हैं। और प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है और एक एक महीने के दिये हुए सवाल भी लेप्स होते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह रावत : यह कौनसी परम्परा को लेकर सरकार चल रही है। पंगु बना कर चल रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

बडा नया गांव एप्रोच रोड का ठेका

371. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी-देवली रोड पर बडा नया गांव एप्रोच रोड का ठेका दिया गया है ? अगर हां, तो कब व क्यों ? व ठेका कितनी राशि में किसके पक्ष में स्वीकृत हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य के लिये कई बार टेन्डर्स आमंत्रित किए गए ? अगर हां, तो कब कब व किस किस के किस किस रेट पर टेन्डर प्राप्त हुए ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी नहीं। पीस एग्रीमेन्ट पर कुछ रोडी मार्च, 1967 में एकत्रित कराई थी।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस एप्रोच रोड के लिए प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में विभाग के द्वारा टेन्डर इन्वाइट किये गये थे, दो बार टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे ?

श्री माधोसिंह : जी हां, टेन्डर इन्वाइट किये गये थे लेकिन बाद में उनको रिजेक्ट कर दिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस एप्रोच रोड को लेकर टेन्डर इन्वाइट किये गये थे, उसके सम्बन्ध में कोई एस्टीमेट तैयार किया गया ? अगर हां, तो एस्टीमेट कितनी रकम का था ?

श्री माधोसिंह : वापिस कहिये।

श्री अध्यक्ष : वापिस प्रश्न करिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस एप्रोच रोड को लेकर दो बार टेन्डर इन्वाइट किये गये और बाद में वियड्रा किये, मैं जानना चाहता हूं कि उस सडक के बारे में, जो सडक बननी थी, क्या कोई एस्टीमेट तैयार हुआ था ? अगर हां, तो एस्टीमेट कितने का था ?

श्री माधोसिंह : जी हां। डेढ़ लाख का।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने का ?

श्री माधोसिंह : डेढ लाख का।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बाद में क्या कारण थे कि सरकार ने टेन्डर विथ्ड्रा कर दिये और सरकार के आधार क्या थे ?

श्री माधोसिंह : अर्थाभाव के कारण किया गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : टेन्डर विथ्ड्रा कर लिये तो क्या कारण है कि सरकारी स्तर पर सरकार ने काम कराया ?

श्री माधोसिंह: जैसा कि मैंने अर्ज कर दिया, पहले टेन्डर इन्वाइट किये, वह बाद में रिजेक्ट कर दिये तो जो कमिट कर दिया था उसके लिए थोडा काम करवा दिया गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस टेन्डर के अनुसार यह सडक कितनी लम्बी बननी चाहिए थी, जो डेढ लाख का एस्टीमेट किया उसके अनुसार कितनी लम्बी सडक का कार्य करना था और कितना गवर्नमेन्ट ने कराया ?

श्री माधोसिंह : 5 मील का टुकड़ा, जो गुढा डेम को जाता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिसके लिए टेन्डर इन्वाइट किये गये और जिसके लिए सरकार ने व्यय किया है वह सडक पंचायत क्षेत्र में आती है ?

श्री माधोसिंह : जी हां, पंचायत क्षेत्र में आती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार ने नियम बना रखा है कि पंचायत क्षेत्र में सरकार अपने पैसे से सडक निर्माण नहीं करेगी, पंचायत को पी. डब्ल्यू. डी. से जो रकम ट्रान्सफर की जायगी उसके आधार पर वह सडक बनायेगी ?

श्री माधोसिंह : आम तौर पर पंचायत बनाती है, लेकिन कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है कि हम नहीं बनायें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस सड़क को सरकार ने अपने हाथ में लिया या पंचायत के हाथ में है ?

श्री अध्यक्ष : छूट गई हाथ से ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन कर दूं कि डेढ लाख का एस्टीमेट तैयार हुआ यह मार्च, 1967 की बात है और यह सड़क तापड़िया फार्म पर जाती है ।

श्री माधोसिंह : गुढा डेम के लिए जाती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तापड़िया फार्म पर जाती है, बांध का नाम लिया है वह भी उधर है, लेकिन मुख्यतया तापड़िया फार्म तक यह सड़क बनाई, ताकि जो कोटा-देवली रोड है मैन रोड, उससे फार्म कनेक्ट हो जाय, इसलिए यह सडक तैयार की है । इसके लिए टेन्डर इन्वाइट कर लिये, उसके बाद में लगभग 10 हजार रुपये खर्च कर दिये गये हैं और जो रुपया इसमें खर्च किया है, वह वेस्ट है, वह किसी काम में नहीं आने वाला है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जानना चाहता हूं कि जितना रुपया खर्च किया गया है, क्या वह उपयोग में आयेगा ?

श्री माधोसिंह : 2300 रुपया खर्च किया है । दस हजार नहीं किया है । 2300 रुपया खर्च हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : सडक किधर जाती है वह बता दीजिये।

श्री भारोंसिंह : यह सडक गुढ़ा डेम को मिलाने के लिए बनाई थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! 372 !

श्री श्रवणलाल : 372 !

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : भैरोंसिंह कहां हैं ?

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : I have received his application.

श्री केशरी सिंह।

स्टेट रोडवेज की बसों का बीमा

373. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) स्टेट रोडवेज की कुल कितनी बसेज हैं, जो रूटों पर चल रही हैं ?

(2) इन बसों का बीमा किस प्रकार का निगम द्वारा लिया जाता है ?

(3) बीमे की कुल रकम सालाना कितनी खर्च होती है ?

(4) किस बीमा कम्पनी द्वारा बीमा कराया जाता है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री शिवचरण सिंह) : (1) इस समय निगम की 226 बसें विभिन्न रूटों पर चल रही हैं ?

(2) निगम की बसों का बीमा कराना आवश्यक नहीं हैं।

(3) निगम में थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स फन्ड बना हुआ है। इस फन्ड में 31-3-67 को 1,08,000) रुपये जमा थे। इसमें से अभी कुछ भी खर्च नहीं हुआ है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केशरीसिंह : जब और बसों को आप बाध्य करते हैं इन्श्योरेन्स कराने के लिये तो फिर क्या कारण है कि राज्य निगम की बसों का इन्श्योरेन्स नहीं होता है ?

श्री शिवचरणसिंह : मैंने निवेदन किया कि हमारे निगम में थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स फण्ड है, हमारे निगम की बसों को कानून के द्वारा इन्श्योरेन्स से एग्जेम्प्शन है। और रूल्स के अनुसार जो फण्ड क्रियेट करना पड़ता है उसमें से मुआवजे के लिये दिये जाने का प्रावधान है।

श्री केशरीसिंह : आज से डेढ साल पहले चन्दवाजी थाना के पास एक युवक की मृत्यु निगम की बस से हुई, उसका अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री शिवचरणसिंह : इस फण्ड से मुआवजा दिया जाना चाहिये था अगर नहीं दिया गया है तो जांच की जायगी। अब तक हमको इसकी जानकारी नहीं है।

श्री केशरीसिंह : क्या आज तक किसी को इस फण्ड से मुआवजा दिया गया है ?

श्री शिवचरणसिंह : नहीं दिया गया है।

श्री केशरीसिंह : आपने कहा कि नहीं दिया गया है तो इसका क्या कारण है कि अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है,

(श्री केशरीसिंह)
क्या किसी की शिकायत आपके पास नहीं आई है या आपको ज्ञान नहीं है। एक्सीडेन्ट से जो मरते हैं आपके निगम की बसेज से तो मुआवजा देना आपका परम कर्तव्य है ?

श्री शिवचरणसिंह : हमारा यह परम कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 374।

श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह रावत !

रोडवेज की बसों का एक्सीडेन्ट

375. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या राज्य परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 8 मास में रोडवेज की बसों के कुल कितने एक्सीडेन्ट हुए हैं ?

(2) जिन बसों के एक्सीडेन्ट्स हुए हैं उनके ड्राइवर रोडवेज के स्थाई कर्मचारी हैं या नहीं ?

(3) इन एक्सीडेन्ट्स में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने जख्मी व अपाहिज हुए ?

(4) इन एक्सीडेन्ट्स के कारण रोडवेज निगम को कितनी हानि हुई है ?

उपमंत्री, राज्य परिवहन (श्री शिवचरण सिंह) : (1) गत 8 माह में निगम की बसों के कुल 67 एक्सीडेन्ट्स हुए।

(2) उपरोक्त एक्सीडेन्ट्स करने वाले चालकों में से 36 चालक स्थायी थे।

(3) इन एक्सीडेन्टों में 16 आदमी, 1 बच्चा व बैल की मृत्यु हुई व 21 व्यक्ति जख्मी हुए।

(4) इन एक्सीडेन्टों के कारण निगम को रु. 33,754.54 पैसे की हानि हुई।

श्री विजयसिंह : क्या सरकार इस बात को मानती है कि निगम की सभी बसों पर स्थायी कर्मचारी रखे जायें।

श्री शिवचरणसिंह : यथा संभव कोशिश की जायगी।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि यथा संभव कोशिश करने का आपने कहा है, फिर भी अस्थायी कर्मचारी निगम की बसों को चलाने के लिये रखे जाते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि स्थाई कर्मचारी रखे जाने चाहियें तो फिर निगम की बसों पर अस्थाई कर्मचारी क्यों रखे जाते हैं ?

श्री शिवचरणसिंह : शुरू में सभी कर्मचारियों की नियुक्ति टेम्परेरी तौर पर होती है, जैसे उनका टाइम बढ़ता है, योग्यता के अनुसार उन्हें स्थायी किया जाता है।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि निगम की जिन बसेज से एक्सीडेन्ट्स में लोगों की मृत्यु हुई है, उन सब बसेज पर पर अस्थायी कर्मचारी थे।

श्री शिवचरणसिंह : यह सही नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी बसेज से लोगों की मौतें हुई हैं, उन नई बसों को तोड़ फोड़ कर कचूमर कर दिया गया है, उन सब पर अस्थायी ड्राइवर थे, उनमें से कई बसेज को तो वे अस्थायी ड्राईवर भी नहीं चला रहे थे बल्कि कन्डक्टर और दूसरे लोग जिनके पास कि लाइसेंस नहीं था ड्राईविंग का ऐसे लोग चला रहे थे । एक तो आपकी बसेज का बीमा नहीं, दूसरे उन पर स्थाई कर्मचारी नहीं, तीसरे ऐसे लोग चलावें जिनके पास लाइसेंस नहीं, कन्डेक्टर चलावें और चौथे वे कन्डेक्टर शराब पिये हुए हों, क्या इस सब को आप दुर्व्यवस्था नहीं मानते ?

श्री शिवचरणसिंह : बिना लाइसेंस के कोई ड्राइवर नहीं रखा जाता मैंने निवेदन किया कि केवल 31 ड्राइवर अस्थाई थे । 36 स्थाई थे ।

एक माननीय सदस्य : क्या आठ महिने में 67 एक्सीडेन्ट्स हो जाना, इसे आप लापरवाही नहीं मानते क्या इसे आप सोचनीय नहीं मानते ? 8 महिने में 67 एक्सीडेन्ट्स हो जायें इस दुर्व्यवस्था और लापरवाही को रोकने के लिये आपने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह एक्सीडेन्ट्स की संख्या आपने कब की बताई है ?

श्री शिवचरणसिंह : 8 महिने की ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसमें जनवरी, 68 भी शामिल है ?

श्री शिवचरणसिंह : नहीं, यह पिछले वर्ष का है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अकेले जनवरी, 68 में 55 एक्सीडेन्ट्स हुए हैं, इनको आपने इसमें शामिल क्यों नहीं किया है ?

श्री शिवचरणसिंह : अगर एक्सीडेन्ट्स हुए होंगे तो प्रिकाशन्स लिये जायेंगे कि एक्सीडेन्ट्स कम हों ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपको यह सूचना राजस्थान परिवहन निगम यूनियन की सूचना के आधार पर दे रहा हूँ कि अकेले जनवरी, 68 में 55 एक्सीडेन्ट्स हुए हैं और ये एक्सीडेन्ट्स आपके द्वारा जो अस्थाई ड्राइवर रखे हुए हैं, डेली वेजेज के ड्राइवर रखे हुए हैं, जिनको ड्राईविंग का अनुभव नहीं है, उनके आधार पर यह 55 एक्सीडेन्ट्स हुए हैं, 67 की संख्या जो आपने बताई है वह गलत है, अकेले जनवरी, 68 में 55 एक्सीडेन्ट्स हुए हैं ।

श्री शिवचरणसिंह : इसकी जानकारी की जायेगी । मैंने निवेदन किया कि शुरू में सभी कर्मचारी अस्थाई रखे जाते हैं, उन्हें फिर बाद में स्थाई किया जाता है ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या जो 16 आदमी मरे हैं और 3 बच्चे मरे हैं, इनका सरकार ने कम्पेन्सेशन दे दिया है ?

श्री शिवचरणसिंह : विचाराधीन है ।

श्री विजयसिंह रावत : आदमी मारे गये, एक्सीडेन्ट्स से ऑन दी स्पोट मर गये, नसीराबाद रोड पर, कन्डक्टर चला रहा था,

Page No. 32

(श्री विजयसिंह रावत)
शराब पिया हुआ था, उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, आपकी बसेज का कोई इन्श्योरेन्स नहीं और आप कहते हैं विचाराधीन है···

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कहा कि कम्पेन्सेशन का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री विजयसिंह रावत : आदमी मर जायें, इन्श्योरेन्स इनकी बसेज का नहीं, उनका कम्पेन्सेशन फौरन तय किया जाना चाहिये ।

श्री देवदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि कोटा से अजमेर चलने वाली रोडवेज की बस का आज से 3 चार महिने पहले एक्सीडेन्ट हुआ, उस बस को ड्राइवर नहीं चला रहा था, ड्राइवर के अलावा दूसरा आदमी चला रहा था ?

श्री शिवचरणसिंह : माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है, उसके लिये धन्यवाद, इसकी जांच कराई जायगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच हो चुकी है और उस जांच रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ड्राइवर बस नहीं चला रहा था, दूसरा आदमी ही बस चला रहा था, उस कारण यह एक्सीडेन्ट हुआ ?

श्री शिवचरणसिंह : माननीय सदस्य को सन्तुष्ट होना चाहिये कि जांच में सत्य चीज सामने आई है, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय महारावल साहब !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि कम्पेन्सेशन का सवाल विचाराधीन है, मुझे दुख होता है इस प्रकार का उत्तर सुन कर । जहां सरकारी बस से एक्सीडेन्ट होकर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फौरन कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये, कोई इन्टेरिम कम्पेन्सेशन की व्यवस्था होनी चाहिये, एक अवधि के अन्दर अन्दर कम्पेन्सेशन देना चाहिये, कम से कम यह संकेत तो करें कि कम्पेन्सेशन के मसले को इतने दिन में तय कर दिया जायगा । सभी विचाराधीन है, इस सरकार के । यह एड-मिनिस्ट्रेशन है या मखौल है ?

राज्य परिवहन मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में कोई पर्टीक्यूलर केस के लिये नहीं पूछा गया है और न यह पूछा गया है कि किसको कितना मुआवजा दिया गया है । इसमें कोई शक नहीं कि एक्सीडेन्ट से जिसकी मृत्यु हुई है, उसके लिये मुआवजे का प्रावधान हो । अलग किसी पर्टीक्यूलर केस के लिये पूछेंगे तो जानकारी करके उत्तर दिया जायगा । बहरहाल मैं यह मानता हूँ कि जिनकी एक्सी-डेन्ट्स से मृत्यु होती है, उनको मुआवजा देना चाहिये यह उचित है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं आपको हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि जो लोग मरते हैं, जिनको क्षति पहुंचती है, कुछ तो करना चाहिए। मुआवजा देना उचित है, यह आप भी कहते हैं, हम भी जानते हैं, पर कब ? आखिरकार कुछ तो करना चाहिये । इस प्रकार का इनएक्शन :

"Inaction thy name is Government of Rajasthan.

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
यह इन एक्शन की पराकाष्ठा है।

श्री अमृतलाल यादव : यह इन्फोर्मेशन पूछी नहीं इसलिये मंगाई नहीं है, यह इन्फोर्मेशन पूछते तो अवश्य दी जाती ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : मंत्री महोदय ने बताया कि 8 महीने में 67 एक्ससीडेन्ट हुए हैं और माननीय सदस्य की सूचना के अनुसार केवल जनवरी 68 में 55 एक्सीडेन्ट्स हुए हैं आखिर इतने एक्सीडेन्ट्स होने का कारण क्या है, क्या इन एक्सीडेन्ट्स के सम्बन्ध में गम्भीर रूप देकर विभाग ने कोई जांच की है या कोई तथ्य इक्ट्ठे किये हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाडिया: क्या यह सही है कि राज्य परिवहन निगम की बस नं. आर.एस. एल. 5694 का जनवरी 68 में कोटा रोड पर नसीराबाद के पास एक्सीडेन्ट हो गया, उस एक्सीडेन्ट में 4 आदमी मर गये और 8 घायल हो गये, उस बस को ड्राइवर नहीं चला रहा था, कन्डक्टर चला रहा था, उस कन्डक्टर ने ब्रेक नहीं दबा कर एक्सीलेटर दबा दिया, नई बस थी एक्सीलेटर दबा देने के कारण एक्सीडेन्ट हुआ जिससे 4 आदमी मर गये और 8 घायल हो गये, उनको न तो किसी प्रकार की प्राथमिक सहायता ही दी गई और न किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन दिया गया है?

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इतनी पर्टीक्यूलर इन्फोर्मेशन थी तो अगर यह पूछ लेते तो हम जवाब देते, अब आपने कहा है तो हम कार्यवाही करेंगे ।.

श्री विजयसिंह रावत : यह जो 16 आदमी मरे हैं और और 3 बच्चे मरे हैं, इनके कम्पेन्सेशन का मसला सरकार के विचाराधीन बताया गया है, यह कितने दिन में निबटा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष: क्या किसी जूडिशियल बोडी के सामने विचाराधीन है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न समाप्त हुए

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एग्जीक्यूटिव एक्शन में इस तरह डिले करते हैं, हद है।

श्री अध्यक्ष: कौन तय करते हैं कम्पेन्सेशन के केसेज ?

श्री अमृतलाल यादव : निगम डील करता है, ओथोरिटी निगम है। मैं समझता हूं इन्टेरिम कम्पेन्सेशन देना चहिये। मैं सदन के माननीय सदस्यों को एश्योर करता हूं कि इन केसेज को जल्दी निबटाया जाय इस प्रकार की व्यवस्था करूंगा।

श्री विजयसिंह रावत : अवधि चाहिए कि कब तक मुआवजा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री विजयसिंह रावत : मुझे आश्वासन चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बहुत आश्वासन दे दिए।

श्री लादूराम सुलानिया : (फागी) कब तक फाइनल हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष: 12.20 हो चुके हैं ।

Page No. 34

श्री रामसिंह कुडी (जायल) : आपने कहा था मेरे सवाल को बाद में देख लिया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मंत्री महोदय के पास कोई चिट पास ऑन हुई है, वह अब बता देने की स्थिति में हो सकते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : इतने आदमी दुर्घटना में मर गए, अब भी विचाराधीन है ?

मेजर फतेहसिंह (ब्यावर) : मंत्रियों की फौज बढ गई है, एक मंत्री को यह काम दिया जाय।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : लीगल पोजीशन है कि वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत।

श्री अध्यक्ष : Not audible to me,

श्री रामानंद अग्रवाल : वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत कारपोरेशन को किसी भी फेटल एक्सीडेंट की सूचना फौरन वर्कमेन कम्पेन्सेशन को देनी है। नाट ओन्ली एम्पलाइमेंट, किसी भी फेटल एक्सीडेंट की उनको आपने सूचना दी है ? आप नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। आर्डर प्लीज। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विजयसिंह रावत : आप जवाब नहीं दे सकते कि दो महीने हो गए एक्सीडेंड को हुए अभी तक मुआवजा नहीं मिला, आप मंत्री किस लिए बने हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत : हम चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : मेरा धैर्य समाप्त होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको विचार करना चाहिए, 16 आदमी मरे हैं, और मंत्री महोदय कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बोलना चाहते हैं

श्री अमृतलाल यादव : इसमें दो मत नहीं हो सकते कि जो लोग मरे हैं उनके साथ सबकी सहानुभूति हमारी सबसे पहले है, उनको मुआवजा मिले इस बात के लिये कोई इनकार नहीं है, यह प्रश्न पूछा नहीं गया था इसलिए परटीक्यूलर इनफोरमेशन नहीं मंगाई अब मैंने माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया है कि उनको मुआवजा निगम दे, इस बात का आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनको दे और किसी प्रकार की असुविधा उनको न हो।

श्री विजयसिंह रावत : कब तक हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं माननीय सदस्य को संकेत करना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि काम्पेन्सेशन के केसेज की लिस्ट यह बताते हुए कि उनकी क्या गति है, क्या प्रगति है, क्या अवशेष है, सारी स्थिति सहित, सदन की मेज पर रख दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है 355 है, उसको लिया जाय

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्री।

आयुर्वेद औषधालय खोलने के आधार

355. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) (महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

(1) आमेर तहसील में 66–67 मे कहां कहां और कब-कब आयुर्वेद औषधालय खोले गए ?

(2) किसी ग्राम में औषधालय खोलने का क्या आधार है ?

(3) प्रत्येक औषधालय में कितनी कितनी कीमत की औषधियों का प्रावधान रखा जाता है ?

(4) नये औषधालय खोलने में यदि ग्राम की जनसंख्या को ही आधार मान लिया जाय तो राज्य सरकार को इसमें क्या आपत्ति है ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): (1) आमेर तहसील में निम्न स्थानों पर वर्ष 66–67 में आयुर्वेद औषधालय खोले गए हैं :—

क्र.सं.	नाम ग्राम	आरंभ दिनांक
1.	मंडामिंडा	1–2–1967
2.	भूतेड़ा	29–1–1967
3.	घिनोई	29–1–1967

(2) किसी भी ग्राम में औषधालय खोलने का आधार उस जिले का जनसंख्या के अनुसार 10,000 की जनसंख्या एवं पिछड़े क्षेत्र में 8000 की जनसंख्या पर एक के अनुपात से औषधालय खोले जाते हैं। औषधालय खोलने के प्रस्ताव प्राय: जिला परिषद् से प्रस्तावित होने के उपरांत उस स्थान के औचित्य का परीक्षण कर खोले जाते हैं।

(3) वर्ष 66–67 में निम्न प्रकार से औषधालयों में औषधियों का बजट प्रावधान था :

ए श्रेणी औषधालय 5 हजार से 25 हजार
बी श्रेणी औषधालय 900 रुपये।
सी श्रेणी औषधालय 600 रुपये।

(4) जी नहीं। इस प्रकार का ही केवल आधार मान लेने से अधिक आबादी वाले ग्राम तो चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर लेंगे किन्तु कम आबादी वाले ग्राम इस सुविधा से वंचित रह जाते इसलिए जिले सामूहिक जनसंख्या के अनुपात से निर्धारित मापदंड तथा 5 मील के क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा को ध्यान में रखते हुए वह सिद्धांत अपनाया हुआ है जो जन हित में अधिक उपयुक्त है।

श्री रामसिंह कुडी: मेरा है 358।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। जो प्रश्न नहीं लिए गए हैं उनके उत्तर लिखित में माननीय सदस्यों को भेजे जायेंगे।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

352. **श्रीमती शिव कुमारी (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—**

(1) खानपुर-दहीखेड़ा-पनवाड-कनवास रोड कब से पक्की करना सरकार के विचाराधीन है और इस पर अब तक किन किन आइटम्स पर कितना खर्च किया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि यह सड़क कोटा स्टेट के टाइम से फेयर वेदर रोड थी व प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही पूरी की जाने वाली थी ? यदि हां, तो इसको योजना में शामिल होते हुए भी अब तक पूरी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(श्रीमती शिव कुमारी)

(3) क्या सरकार इस सडक को शीघ्र पूरा कराने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) तीसरी योजना में इस सड़क को पक्का बनाने की मंजूरी दी गई प्रथम योजना काल की मंजूरी में 16 पुल व खरंजे 1,18,648 रु. की लागत पर कराये गये तथा मिट्टी व बोल्डर पर 7,621 रु. खर्च हुआ है।

(2) जी हां, प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल रोड मंजूर हुई थी जिसके जुमले 16 पुल व खुरंजे बनाये गये हैं अर्थाभाव के कारण पक्की सडक का काम अभी नहीं हो पा रहा है।

(3) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर केलवाड़ा में स्टाफ

357. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील शाहबाद के केलवाडा ग्राम में एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला हुआ है ? यदि हां, तो इस समय इसमें स्टाफ कितना है और किस किस दर पर काम कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि यहां पर 6-7 साल से कोई डाक्टर ही नहीं है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि इसी तहसील के कस्वा थाना गांव में एक डिस्पेन्सरी है ?

उत्तर

(1) जी हां, निम्नलिखित स्टाफ कार्य कर रहा है:—

क्र.	पद	
1.	मेल नर्स श्रेणी प्रथम Compounder	1
2.	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय Compounders	2
3.	मेल नर्स तृतीय Compounder	1
4.	मिडवाइफ	2
5.	स्वास्थय निरीक्षक	1
6.	टीका कार	1
7.	परिवार नियो. कम्प्यूटर	1
8.	महिला परिवार नियोजन शिक्षा प्रसार अधिकारी	1
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5

(2) जी हां, राजस्थान में डाक्टरों की अत्याधिक कमी के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी।

(3) जी हां, इस डिस्पेन्सरी में एक मेल नर्स श्रेणी द्वितीय तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहा है।

एन्टी लोकस्ट आफिसर एवं उनका स्टाफ

358. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि टिड्डियों का आक्रमण कभी कभी होता है एवं कई बार वर्षों तक नहीं होता परन्तु एन्टी लोकस्ट आफिसर एवं उनका स्टाफ हमेशा ही रहता है ? यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार भारत सरकार को इन अधिकारियों को टिड्डियों के आक्रमण नहीं होने के दिनों में प्लान्ट

(श्री रामसिंह कुड़ी)
प्रोटेक्शन मेजर्स या कृषि विभाग के अन्य ऐसे उपयुक्त कामों में काम लगाने हेतु व्यवस्था करने का सुझाव देने के प्रश्न पर विचार कर सकती हैं ?

उत्तर

हां, टिड्डियों का आक्रमण सामूहिक रूप में एक साइकिल (Cycle) में होता है। टिड्डियों एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या होने के कारण इसके नियन्त्रण व पूर्वानुमान के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी है, जिसका भारत भी एक सदस्य है। इसलिए शिड्यूल्ड रेगिस्तानी क्षेत्रों में भारत सरकार को भी अन्य देशों की भांति नियन्त्रण व पूर्वानुमान के लिए एण्टी लोकस्ट स्टाफ रखना होता है, क्योंकि सोलीटरी लोकस्ट क्षेत्रों में हमेशा मौजूद रही है । राजस्थान सरकार भारत सरकार को इन अधिकारियों को टिड्डियों के आक्रमण नहीं होने के दिनों में प्लान्ट प्रोटेक्शन मेजर्स या कृषि विभाग में के अन्य उपयुक्त कामों के लिए सुझाव नही दे सकता है क्योंकि इसमें प्रशासनिक व वितीय समस्यायें खडी होती हैं। परन्तु भारत सरकार ने स्वयं ही ऐसा निर्णय लिया हुआ है कि आवश्यकता पडने पर एण्टी लोकस्ट स्टाफ राज्य सरकार की कीटनाशक कार्यों में सहायता कर सकती है।

वाटर वर्क्स स्टोर तारानगर के भवन का किराया

362. **श्री दौल राम सारण** (डूंगरपुर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तारानगर वाटर वर्क्स स्टोर का किराया सन् 1959 से 65 तक कितना दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया? अब कब तक दे दिया जायगा ?

(2) किराये का कुल कितना रुपया देना बाकी है? किसको देना है?

(3) क्या वहां वाटर वर्क्स का अपना भवन भी है? यदि हां, तो विभाग का अपना भवन होते हुए किराये पर मकान क्यों लिया गया? क्या यह किराये में होने वाला खर्च अनुचित नहीं है?

उत्तर

(1) रु. 1460) दिया गया।

(2) किसी को कुछ भी किराया देना बाकी नहीं है।

(3) जिस वक्त स्टोर किराये पर लिया गया उस वक्त वहां पर जलदाय विभाग का कोई भवन नहीं था अतः किराये पर खर्च होने वाला व्यय अनुचित नहीं था।

पशु-धन विकास योजना

366. **श्री कुम्भाराम इंदलिया** (नोखा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर जिले में पशुधन विकास योजना भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के अन्तर्गत मन्जूरी हुई है? अगर हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने गांव लिये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि कोलायत तहसील व नोखा के पूरे गांव इस योजना में शामिल नहीं किये? यदि हां, तो क्यों नहीं?

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(3) क्या सरकार पूरी नोखा तहसील को इस योजना में शामिल करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, 100 स्टॉकमेन सैन्टर स्थापित किये जावेंगे। जिनके तहत करीब 436 गांव प्रभावित होंगे।

(2) जी हां, कोलायत तहसील के पूरे गांव जो लगभग 100 हैं लिये जावेंगे। परन्तु नोखा तहसील के कोई भी गांव नहीं लिये जावेंगे क्योंकि नोखा तहसील से दिल्ली दुग्ध वितरण योजना दुग्ध इकट्ठा नहीं करती है। इसके अलावा यहां राठी नसल की गायें नहीं पाई जाती और यह योजना सिर्फ राठी गायों की उन्नति के लिए ही भारत सरकार ने स्वीकृत की है।

3. जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रियों को मोटर कार खरीदने के लिए ऋण

372. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में किन किन मंत्रियों, उप-मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों ने मोटर कार खरीदने के लिए राज्य सरकार से कब कब और कितना कितना ऋण लिया है?

(2) इस ऋण की कितनी कितनी किस किस में बकाया है?

(3) किन किन ने यह गाडिया बेच दी हैं?

(4) इन गाडियों का बीमा किस किस कम्पनी से कराया गया है?

(5) क्या ऋण देने में मोटर गाडियों के क्रय के लिये बने हुए नियमों का पूर्ण पालन किया गया है?

उत्तर

(1) जिन जिन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों व उप मंत्रियों को मोटर कार खरीदने के लिये राज्य सरकार द्वारा जो ऋण दिया गया है उसकी राशि व तिथि संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) मंत्रीवार बकाया की सूचना उक्त तालिका के कालम 6 में अंकित है।

(3) श्री हरिदेव जोशी, खनिज मंत्री ने गाड़ी बेच दी है।

(4) बीमा कम्पनियों का नाम उक्त तालिका में उनके समक्ष कालम 7 में अंकित कर दिया है।

(5) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

जिला नागौर में सड़क निर्माण में एक्वायर की गई भूमि का मुआवजा

374. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़क बनाई जाती है वह बिना जमीन को एक्वायर किये ही बना दी जाती है? यदि हां, तो जिला नागौर में ऐसी कौन कौन सी सड़कें हैं जिनकी जमीन को अभी भी एक्वायर नहीं की है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जो सड़कें बनाई जाती हैं बाद में जमीन एक्वायर की जाती है और मुआवजे का भुगतान बहुत

(श्री हरजीराम बुरड़क)
देरी से होता है ? यदि हां, तो सन् 1962 के बाद जिला नागौर में अब तक बनी सड़कों की जमीनें कब कब एक्वायर की गई, मुआवजा कब दिया गया तथा सड़क बनने के बाद कब कब दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने के लिये प्रार्थना की गई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नये आयुर्वेदिक औषधालय

112. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष कितने नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले गए हैं ?

(2) कहां कहां खोले गए हैं ?

(3) क्या गंगानगर जिले की भादरा तहसील के गांव मलसीसर और भानगढ़ में औषधालय खोले गये हैं ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं जब कि लम्बे समय से इनकी मांग की जा रही है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 25 औषधालय खोले गये हैं।

(2) जहां जहां औषधालय खोले गये हैं उनके जिले वाइज नाम निम्न हैं:—

क्र०	नाम औषधालय	नाम जिला
1	2	3
1.	शिहवरानी	अजमेर
2.	रामभवन	जयपुर
3.	दुदया	सीकर
4.	घाटौली	झालावाड
5.	माधविया	,,
6.	करसानों	झालावाड़
7.	कोसीवाडा	उदयपुर
8.	सुन्दरवास	,,
9.	टुकडाकला	,,
10.	लक्कडवास	,,
11.	मोजासर	झुन्झुनूं
12.	छोटी बिजोलिया	भीलवाडा
13.	बडोदा	,,
14.	तिलसवां	,,
15.	जलिन्दरी	,,
16.	सरमथुरा	भरतपुर
17.	बरोनिया	झालावाड
18.	उमेल	,,
19.	मलसीसर	बीकानेर
20.	भीमगढ	चित्तौडगढ़
21.	सावलोदा पिरोहितान	सीकर
22.	दीदारपुरा	,,
23.	पांखडी	अलवर
24.	करणीकोट	अलवर
25.	कीलपुरखेडी	,,

(3) जी नहीं, भादरा तहसील के ग्राम भानगढ़ में औषधालय अभी नहीं खोले गये हैं। परन्तु मलसीसर (बीकानेर) में खोल दिया गया है।

(4) इस वर्ष औषधालय खोलने के लिए सीमित प्रावधान होने के कारण 25 से अधिक औषधालय खोलना संभव नहीं था।

अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ आश्रम ग्राम रटलाई

113. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि रटलाई जिला झालावाड में कोई अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
आश्रम चल रहा है? यदि हां, तो कब से तथा इसके संचालक कौन हैं?

(2) क्या यह सही है कि कुष्ठ जैसे छूत रोग का चिकित्सा केन्द्र बस्ती में बनाये जाने की इजाजत दी गई है?

(3) क्या यह सही है कि इस केन्द्र को राज्य सरकार कोई अनुदान या सहायता देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कितनी?

(4) क्या यह सही है कि इस कुष्ठ आश्रम में अब तक एक भी कुष्ठ रोगी का दाखिला नहीं हुआ है?

उत्तर

(1) विभाग की जानकारी में नहीं है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

भूमि बन्धक बैंक सीकर में कर्जे के लिए एप्लीकेशन्स

114. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूमि बन्धक बैंक, सीकर में जो लोन (कर्जा) किसानों को दिया जाता है वह प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है अथवा अन्य किसी आधार पर? यदि अन्य किसी आधार पर दिया जाता है तो वह आधार क्या है?

(2) अप्रेल, 66 से दिसम्बर, 67 तक किस किस ने कर्जा लेने की एप्लीकेशन उपरोक्त बैंक में दी और किस किस को कितना कितना कर्जा दिया गया? सूची सदन की मेज पर रक्खें और जिन किसानों को कर्जा नहीं दिया गया उसके क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि इस बैंक द्वारा जो कर्जा किसानों को दिया जाता है उनसे 10 प्रतिशत रुपया लिया जाता है?

उत्तर

(1) सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. के सदस्यों को ऋण प्राथमिकता के आधार पर ही दिया जाता है किन्तु यदि किसी ऋण प्रार्थना-पत्र में कोई कमी हो तो वह प्रार्थना-पत्र पूर्ति होने तक विचाराधीन रहता है एवं उससे बाद में प्रार्थना-पत्र पहिले स्वीकृत हो जाता है।

(2) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन किसानों को कर्जा नहीं दिया गया उसके कारण सम्बन्धित किसान के नाम के आगे अंकित हैं।

(3) जी नहीं। उनसे हिस्सा पूंजी के रूप में ऋण का पांच प्रतिशत लिया जाता है एवं बैंक के नियमानुसार शुल्क लिए जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पंचायत समिति क्षेत्र उदयपुर वाटी में बीज व खाद की बकाया की वसूली

115. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति उदयपुर वाटी क्षेत्र में बीज तथा खाद की कितनी कितनी रकम किस किस में बकाया ह तथा कितन अर्से से बकाया पडी है?

(2) उक्त रकम में से पंचायत समिति बनने के बाद की कितनी रकम है तथा पंचायत समिति बनने से पहले की कितनी रकम है?

(श्री शिवनाथसिंह)

(3) अब तक बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

(4) क्या सरकार इसकी वसूली करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक वसूली होने की आशा है ?

उत्तर

1. पंचायत समिति उदयपुर वाटी में खाद व बीज के रु. 59164)80 पैसे की धनराशि बकाया है। यह धनराशि सन् 1957 से 1959 (2-10-1959 पहिले की) तक की है जिसकी सूची पंचायत समिति के पास है।

2. उक्त रकम पंचायत समिति बनने के पहले की है। पंचायत समिति बनने के बाद की बकाया का हिसाब बनाया जा रहा है।

3. खाद व बीज की रकम वसूल करने के लिए विभागीय लेखाकार हिसाब बनाने के लिए जिलों में भेजे गए हैं। कुछ रकम पंचायत समितियों से जमा हो चुकी है तथा बाकी को वसूल करने के लिए पी. डी. आर. के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

4. जी हां। जवाब ऊपर दिया जा चुका है।

वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति, नापासर एवं गजनेर को विद्युत् कर्घों के लिए ऋण

116. **श्री शेशराम** (सादुलपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वस्त्र-उत्पादक सहकारी समिति, नापासर एवं गजनेर को प्रति समिति दस विद्युत् चालित कर्घे खरीदने हेतु ऋण दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि नापासर की उक्त समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ करके साहस पूर्ण कदम उठाया लेकिन पूंजी की कमी के कारण समिति को कपडे की बुनाई बन्द करनी पडी ?

(3) क्या सरकार उक्त समिति को उचित पूंजी मुहैय्या करके एवं अन्य कठिनाइयों को दूर करके वहां के बुनकरों के समक्ष उत्पन्न समस्या को हल करने का प्रयत्न करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि (1) मगरा हाथ कर्घा वस्त्र-उत्पादक सहकारी समिति नापासर एवं (2) परिहार हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति गजनेर को प्रति समिति 10-10 विद्युत् चालित कर्घे खरीदने हेतु ऋण उद्योग विभाग से दिया गया था।

(2) यह बात सही नहीं है कि समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ करके साहसपूर्ण कदम उठाया बल्कि वास्तविकता यह है कि नापासर स्थित मगरा हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सह. समिति ने राज्य सरकार से प्राप्त 42,475) की ऋण एवं अनुदान की राशि में से 33,747)53 पैसे कर्घों की खरीद व लगाने में खर्च कर दिये जब कि खरीद के लिए समिति को 25,000) दिये गये थे। समिति ने अपनी स्वयं की पूंजी नहीं लगाई और जिन कार्यों के लिए समिति को सहायता दी गई उसका अन्य कार्यों में प्रयोग कर लिया। समिति को 10,000) कार्यकारी ऋण भी दिया गया था वह उसमें नहीं लगाया गया। स्कीम के अन्तर्गत यह स्पष्ट था कि यदि समिति को दिये गए ऋण के अलावा और आवश्यकता होगी तो वह स्वयं साधन जुटावेगी। इस प्रकार समिति को स्वयं के साधन जुटाने चाहिए थे।

(सहकारी मंत्री)

(3) राज्य सरकार के पास ऐसी समितियों को और पूंजी मुहैया कराने की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है। यदि सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक निजी पूंजी में से ऋण देने की क्षमता रखता हो तो ऋण दे सकते हैं परन्तु नापासर समिति ने जितने दिन कार्य किया उसमें सदस्यों की अनभिज्ञता के कारण 12,000) रु. की हानि उठानी पडी, अत: ऐसी दशा में ऋण उपलब्ध होना भी सम्भव नहीं है।

सिवाय चक भूमि की मिट्टी का सर्वे

117. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर तहसील में मई, सन् 1967 में जो सॉइल, कन्जर्वेशन एवं कृषि विभाग द्वारा सिवाय चक भूमि की मिट्टी का सर्वे कर सैम्पल लिया गया था उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(2) कितनी भूमि काबिल काश्त सर्वे के आधार पर पाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि हजारों बीघा चरागाह व सिवाय चक ऐसी है जिस पर अगर कृषि की जावे तो लाखों क्विंटल फसल व चारा पैदा किया जा सकता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर गंगापुर तहसील की पडत भूमि की विवरणिका तैयार करली गई है।

(2) 29235 एकड पडत भूमि में सर्वेक्षण किया गया है उसमें से अगर 14789 एकड भूमि पर आवश्यक कृषि सुधार कार्य किया जावे तो यह भूमि काश्त के काम में आ सकती है।

(3) जी हां। सवाई माधोपुर जिले की पडत भूमि का सर्वेक्षण हो जाने के बाद उसका विवरण रेवेन्यू विभाग को प्रस्तुत कर दिया जावेगा ताकि ऐसी भूमि जो कृषि काम में लाई जा सकती है उसका विवरण किया जा सके।

राज्य सतर्कता आयोग

118. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई और अब तक विभिन्न विभागों से कुल कितने मामले उसे निर्दिष्ट किये गये हैं ?

(2) आम जनता से कुल कितने मामले उसे प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर

(1) सन् 1964 में 31 दिसम्बर, 1967 तक 75 मामले।

(2) 6666 दिनांक 31-12-67 तक।

पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरियों पर व्यय

119. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 43

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

(1) राज्य में जो पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटेरियों की नियुक्तियां की गई हैं उनके कर्त्तव्य-भार क्या क्या हैं ? कृपया विगतवार बतायें।

(2) इनके कर्त्तव्यभार का निर्धारण करते समय लोक सभा के पार्लियामेन्ट्री सचिवों के कर्त्तव्यभार एवं सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की गई थी ?

(3) यदि हां, तो वेतन, सवारी, टेलीफोन आदि की वहां क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ?

(4) राज्य के पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटेरियों को राज्य की कारें लेकर जाने की सुविधायें केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रखी गई है अथवा राज्य में अन्यत्र तथा राज्य के बाहर भी ले जाने की सुविधा दी गई है ?

(5) कितनी राशि टेलीफोन पर खर्च करने की पाबन्दी रखी गई है ?

उत्तर

(1) संसदीय सचिवों के कार्य तथा कर्त्तव्यों सम्बन्धित मंत्रि-मंडल सचिवालय की आज्ञा सं. एफ. 12 (4) केब।67, दिनांक 30 जनवरी, 1968, की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां ।

(3) लोक सभा के संसदीय सचिवों के वेतन, सवारी आदि की सूचना निम्न प्रकार से है:—

क–वेतन:—लोक सभा के अन्य सदस्यों के बराबर।

ख–आवासगृह:—निःशुल्क आवासगृह ।

ग–यात्रा भत्ता:—राजकीय कार्य पर दौरे के लिये यात्रा-भत्ता दिया जाता है ।

घ–चिकित्सा सुविधा:—उप-मंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं दी जाती हैं ।

(4) जी नहीं। अन्य मंत्रियों के बराबर राजकीय कार्य पर राज्य की कारें दौरे पर ले जा सकते हैं।

(5) टेलीफोन पर खर्च के लिये 5,000) रुपये की वार्षिक उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

बीकानेर शहर की सडकों की मरम्मत

120. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि शहर बीकानेर में जो सडकें हैं वो बिलकुल टूट-फूट गई हैं एवं उनकी मरम्मत काफी समय से नहीं हुई है इसलिए क्या राजस्थान सरकार नगर परिषद् को कोई कर्ज देकर इनकी मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ।

उत्तर

यह सही है। राज्य सरकार ने बीकानेर की सडकों के सुधार कार्य के लिये 2,00,000) (दो लाख) रुपयों का ऋण स्वीकृत कर दिया है । सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वीकृत राशि का उपयोग दिनांक 30-6-68 तक कर सकेगा।

Page No. 44

राज्य में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए वाटर वर्क्स

121. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में आज तक पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कहां-कहां-किस-किस जिले में वाटर वर्क्स् बना दिये गए हैं और कहां-कहां पर इस समय कार्य चालू है ?

(2) जहां कार्य चालू हैं वहां कब तक कार्य पूरा हो जायेगा ? चालू कार्यों की योजनाएं कितनी-कितनी लागत की हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जहां जहां पर जल प्रदाय योजनायें मार्च, 1967 तक पूर्ण की जा चुकी हैं व जहां जहां पर कार्य चालू हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) यह चालू योजना की सूची में अंकित कर दिया गया है। चालू कार्यों की योजनाओं की लागत उनके सामने लिख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी)

ग्राम बूचावास की जल प्रदाय योजना

122. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तारानगर तहसील के ग्राम बूचावास में जल-प्रदाय योजना हेतु कितनी राशि किस आदेश के तहत स्वीकृत की गई ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

(3) योजना पर अब तक कितना खर्च हो चुका है ? चालू वर्ष में उस पर कितना खर्च होगा और पानी की सप्लाई कब से शुरू करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) 86000) रु. की धनराशि अतिरिक्त सचिव जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के आदेश संख्या एफ. 7 (5) अ. स. (पी. एच.) 66, दिनांक 20-4-67 के द्वारा की गई, आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

इस योजना के लिए गत वर्ष 1966-67 में 2 व 3 सीमेन्ट के पाइप्स की खरीद कर ली गई है जिनकी कि कुल लागत 2235) रु. हैं।

(2) योजना का निर्माण कार्य 5 प्रतिशत जन सहयोग जो कि 4300) रु. होना है। ग्राम पंचायत के द्वारा जमा न कराये जाने के कारण शुरू नहीं किया गया।

(3) योजना पर अब तक कुल 2400) रु. खर्च हो चुका है जिसमें पिछले वर्ष 1966-67 में व्यय की गई राशि सम्मिलित है। चालू वर्ष (1967-68) में 10,000) रु. का प्रावधान किया हुआ है लेकिन कार्य पंचायत द्वारा जन सहयोग की धनराशि जमा कराने पर ही शुरू किया जा सकता है। योजना पर कार्य शुरू होने के बाद और आवश्यक धनराशि एवं सामग्री

Page No. 45

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
की उपलब्धि पर योजना का कार्य 2 से 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

गंगापुर–भाडोती सडक की मरम्मत

123. **श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगापुर से भाडोती रोड की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(2) इस सडक पर पिछले दस साल में कितना रुपया कब-कब खर्च हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान सडक में रोडी वगैरह ऊपर आई हुई है जो मनुष्यों, पशुओं एवं वाहनों के सडक पर चलने में भारी रुकावट है ?

(4) क्या सरकार इस सडक की मरम्मत की व्यवस्था शीघ्र करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने के लिये प्रार्थना की गई)

लिंक रोड्स का निर्माण

124. **श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि—

(1) पिलोदा स्टेशन से वजीरपुर

(2) खंडीय स्टेशन से रायपुर

(3) लालपुर उमरी स्टेशन से उमरी

(4) नारायणपुर टापाडा स्टेशन से मच्छीपुरा तक की लिंक रोड्स अभी तक नहीं बनी हैं ? यदि हां, तो अब उक्त सडकें कब तक तैयार होने की संभावना है ?

उत्तर

जी हां। यह मार्ग तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं थे। अतः स्वीकृति अभाव में सडक निर्माण के बारे में कहा जाना संभव नहीं है।

सरदारशहर–भादासर होकर जाने वाली डिफेन्स रोड में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

125. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरदार शहर (जिला चूरू) से ग्राम सुवाओ छोटी, बडी बन्धनाऊ व भादासर होकर जो डिफेन्स रोड जाती है उसके नीचे, उक्त तीनों गांवों के किन-किन किसानों के कितने-कितने बीघा खेत आये हैं ? कृपया किसानों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन किसानों के खेत सडक के नीचे आये हैं उनको जमीन का मुआवजा चुका दिया है ? यदि हां, तो कितना-कितना मुआवजा किन किन को चुका दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो अब कब तक निश्चित तौर से चुका दिया जायगा ?

Page No. 46

(श्री रावतराम)

(3) उक्त डिफेंस रोड के आस पास दोनों ओर कितने फुट जमीन खाली छोडी गई है और सडक कितने फुट चौडी बनाई गई है ? कुल मिलाकर चौडाई में कितने फुट जमीन कवर की गई है ?

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने के लिये प्रार्थना की गई)

जिला डूंगरपुर की सडकें

126. श्री रतनलाल (चौरासी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला डूंगरपुर में अब तक कितनी सडकें डामर की बन पायी हैं और कितनी सडकें पक्की हैं ?

(2) जिला डूंगरपुर में चौथी पंचवर्षीय योजना में कौनसी सडकें बनाने का प्रावधान है और उसकी लागत क्या है ?

(3) क्या डूंगरपुर में तहसील हैड-क्वार्टर तक पूरी सडकें डामर की बन पायी हैं ? यदि हां, तो उनकी लम्बाई क्या है ?

उत्तर

(1) 1-4-51 से 1-1-68 तक डूंगरपुर जिले में 5 सडक 66 मील लम्बी डामर की तथा 7 सडक 84 मील लम्बी पक्की बनी हैं ।

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का क्या प्रारूप होगा अभी निश्चित नहीं है ।

(3) सागवाडा तक डामर रोड 28 मील है व आसपुर तक डामर सडक केवल 7 मील है तहसील डूंगरपुर जिला हैडक्वार्टर पर स्थित है ।

डिटेक्टिव डॉग्स पर व्यय

127. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गृह विभाग में कितने डिटेक्टिव डोग्स रखे हैं तथा उन पर कितना रुपया मासिक खर्चा आता है ?

(2) इनसे आज तक कितनी चोरियों के तथा अन्य मुकदमों का पता लगाया जा चुका है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) गृह विभाग में कुल पांच कुत्तों की स्वीकृति है । उनमें से चार कुत्ते और एक कुतिया है, तथा उन पर प्रति माह 450) रु. माहवार खर्चा किया जाता है ।

(2) कुत्तों को आज तक कुल 100 अभियोगों में बुलाया गया । जिनमें से 83 चोरियों के और बाकी 17 अन्य अभियोगों में बुलाया गया । उक्त सौ अभियोगों में से 28 अभियोगों का घटनास्थल खराब हो जाने व मौसम की खरावी के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका । बाकी 72 मुकदमों में से 19 अभियोगों में कुत्तों के द्वारा पूर्ण सफलता प्राप्त की गई व बाकी 53 अभियोगों में कुत्तों के द्वारा 'क्लू' पाने में पूर्ण सफल रहे है । उक्त 100 अभियोगों की सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

नगरपालिका रतनगढ़ की ऑडिट रिपोर्ट

128. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 65 में मार्च महिने के बाद से सन् 67 तक नगरपालिका, रतनगढ़ की ऑडिट रिपोर्ट में किस-किस व्यक्ति के खिलाफ ऑडिट एतराज उठाये गये ? तथा वे एतराज क्या क्या थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उन एतराजों पर अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना संलग्न सूची में दे दी गई है।

(विस्तृत सूची के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पुलिस पी. एस. आई., बारां को सरकारी मकान

129. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में पुलिस पी. एस. आई. श्री मकसूद अली एक सरकारी मकान में रहते थे ?

(2) यदि हां, तो कितने समय से किस मकान में रहते थे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पी. एस. आई. ने सरकारी मकान का किराया करीब सात रुपया माहवारी दिया है ? यदि, हां, तो किस कानून के तहत ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वेटरनरी अस्पताल की पहली मंजिल में करीब 2 वर्ष से रहते थे।

(3) जी हां। यह किराया पी. डब्लू. डी. द्वारा अनुमानित राशि के अनुसार चुकाया जाता है।

नगरपालिका रतनगढ़ की भूमि के पट्टे

130. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रतनगढ में नगरपालिका की भूमि पर गरीब जनता बिना पट्टे के निवास करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गरीबों को निश्चित अवधि में रियायती दर पर पट्टा प्रदान कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। नियमानुसार पालिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

बीकानेर एवं लूणकरनसर के ग्रामों में नये बोर या डग-कम-बोर

131. श्री शीशराम (सादुलपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता

(श्री शोभाराम)

में गठित स्थानीय चयन समिति ने बीकानेर एवं लूणकरनसर तहसीलों के निम्न गांवों में नये बोर या डग-कम-बोर देने का निर्णय लिया हुआ है:—

1. ग्राम फूलदेसर तहसील लूणकरनसर—नया बोर

2. ग्राम लूणकरनसर—कालू के बीच 6 मील पर—नया बोर

3. ग्राम खियरा, तहसील लूणकरनसर—डग-कम-बोर

4. घींरंरा, तहसील लूणकरनसर—डग-कम-बोर

5. ग्राम खारी, तहसील लूणकरनसर—डग-कम-बोर

6. ग्राम कुजटी, तहसील लूणकरनसर—डग-कम-बोर

7. ग्राम सहलरासर, तहसील लूणकरनसर—डग-कम-बोर

8. ग्राम गारबदेसर, तहसील लूणकरनसर—डग-कम-बोर

9. ग्राम सेरेरा, तहसील बीकानेर—नया बोर

10. ग्राम कालासर (जगरान तलाई), तहसील बीकानेर—डग-कम-बोर

11. ग्राम मूंडेसर, तहसील बीकानेर—डग-कम-बोर

(2) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि निम्न गांवों में डग-कम-बोर की मांग की गई है:—

1. ग्राम मोटोलाई, तहसील लूणकरनसर

2. ग्राम केला, तहसील लूणकरनसर

3. ग्राम सोडीवाला, तहसील लूणकरनसर

4. ग्राम खिलेरिया, तहसील लूणकरनसर

5. ग्राम कोखराना, तहसील लूणकरनसर

6. ग्राम जैतपुर, तहसील लूणकरनसर

अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां, गारबदेसर व कालासर को छोडकर निर्णय लिया हुआ है।

उपरोक्त निर्णयों को क्रियान्वित नल कूप अन्वेषण संस्था विभाग व राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड करते हैं तथा वे अपनी योजनानुसार कार्य करते हैं।

(2) अभी तक इन स्थानों पर कार्य की प्रगति की कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

(3) जी हां, केवल सोडीवाली को छोड कर उपरोक्त डग-कम-बोर के सम्बन्ध में स्थान-चयन समिति द्वारा Geological Feasibility के लिये Geological Survey of India द्वारा जांच की जावेगी तत्पश्चात् आगे कार्यवाही

डूंगरपुर शहर में भूमि का आवंटन

132. श्री रतनलाल रोत (चौरासी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला डूंगरपुर के डूंगरपुर शहर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को गृह निर्माण हेतु कोई भूमि आवंटित की गई है? यदि हां, तो उसका रकबा कितना है और कितने परिवारों को भूमि आवंटित की गई है?

(2) क्या डूंगरपुर शहर के पास सैनिकों ने भी गृह निर्माण के लिए भूमि की मांग की है? यदि हां, तो ऐसे कितने सैनिकों को भूमि दी गई है?

उत्तर

1. जी हां, 17 प्लाट्स 25×25 के एलॉट किये गये हैं। हरिजन परिवारों की बस्ती बसाने के लिये प्लाट रिजर्व रखे हैं जिनका क्षेत्रफल 40×30 है।

2. जी हां, 3 सैनिकों को भूमि एलॉट की गई है।

(12.25 म.प.)

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मदनसिंह ने दिनांक 22 फरवरी से 3 मार्च तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

कुछ माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं:—

(1) कृषि सहकारी समिति, पालू कलां को आवंटित भूमि की खातेदारी तहसीलदार दूदू द्वारा अन्य व्यक्तियों को दी जाने से सम्बन्धित श्री सुवालाल चौधरी से प्राप्त सूचना;

(2) जैसलमेर–बाडमेर सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी गतिविधियों से संबंधित श्री देवीदत्त गाडिया से प्राप्त सूचना;

(3) कोटा जिले में चम्बल नहर के किसानों को गन्ने के खेतों के लिए पानी न दिए जाने से सम्बन्धित श्री देवीदत्त गाडिया, श्री नंदलाल व श्री वृजवल्लभ बोहरा से प्राप्त सूचना;

(4) बारां परगना अधिकारी द्वारा नगरीय भूमि कर वसूली के लिए नोटिस जारी किए जाने व नगर की भूमि का मूल्यांकन कर टैक्स लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री देवीदत्त गाडिया, श्री वृजवल्लभ बोहरा, श्री नंदलाल व श्री हरलाल सिंह से प्राप्त सूचना;

(5) ग्राम जसवन्तगढ, तहसील लाडनूं जिला नागौर की जल वितरण योजना के कार्य–संचालन में सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यवाही से पीने का पानी

(श्री अध्यक्ष)

उपलब्ध होने में कठिनाई से सम्बन्धित श्री हरजीराम बुरड़क से प्राप्त सूचना ;

उपरोक्त स्थगन-प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाय। इनके अतिरिक्त ये मामले बजट पर होने वाली बहस एवं संबंधित विभागों की मांगों पर होने वाले वाद-विवाद के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिए उठाये जा सकते हैं।

चूंकि संबंधित माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर शीघ्र ही उपलब्ध होने वाला है अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानंद अग्रवाल : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है अलवर में.......

श्री अध्यक्ष : आज उसकी जानकारी आ जायगी, मैं कल या परसों उसको रखूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : मेरा निवेदन है कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है कोटा जिले के अन्दर और चम्बल क्षेत्र को जो गन्ने के सम्बन्ध में पानी नहीं दिया जा रहा है और आपने आदेश दिए हैं, और मैं उनको मानता भी हूं, लेकिन बजट आएगा 8 तारीख को, उसके बाद बहस होगी लेकिन किसान को यदि पानी देने के बारे में सरकार आश्वासन नहीं देती है तो किसान न तो गन्ने का बीज खरीद सकेगा और उस इलाके के अन्दर गुड खांडसारी के कारखाने तीन साल से बेकार पड़े हैं, लाखों रुपए की संपत्ति लगी हुई है, तीन साल से पानी न मिलने के कारण गन्ने की पैदावार नष्ट हो गई है। इसलिए यदि सरकार ने इस समय 2-4 दिन में किसान को आश्वासन नहीं दिया तो···.

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : दूसरा प्रस्ताव है मेरा सीमावर्ती क्षेत्रों में···

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री सांवरमल बगोतिया (नवलगढ) : मेरे प्रस्ताव को भी 6-7 दिन हो गए मैंने सूचना दी है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय कृपया ध्यान दें।

श्री देवीदत्त गाडिया : स्टेटमेंट दिलाया जाय। उस इलाके के अन्दर···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कल मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी कि अलवर के बाजार में गुंडागर्दी करने के सम्बन्ध में····

श्री अध्यक्ष : दोनों कम्बाइन्ड हैं। कल तक मैं व्यवस्था कर दूंगा।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, एक बार मैंने कच्छ के बारे में स्थगन-प्रस्ताव दिया था आपने कुछ समय बाद लेने को

(श्री रामकिशन)
कहा था। उसका क्या हुआ। लोक सभा में बहस हुई है उसके बारे में । राजस्थान का उससे नजदीक का सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष: 2 और 3 बजे के करीब दूसरे माननीय सदस्यों को भी आमंत्रित किया है, तब उस पर निर्णय लूंगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): राष्ट्रीय महत्व का है, अध्यक्ष महोदय!

श्री अध्यक्ष : वह आपके मित्र ने कह दिया है।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : खेतडी के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव था, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामकिशन: मुझे भी ध्यान आकर्षण करना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपका व्यक्तित्व ऊंचा है, आकर्षक और मधुर है। अपने आप ध्यान आकर्षण हो जाता है।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

ग्राम उदयरामसर, तहसील बीकानेर में नल–कूप के अवशिष्ट जल को कृषि कार्य हेतु न दिये जाने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उद्योग मंत्री का वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण किया है इसीलिये तो मैं खडा हो गया हूँ जवाब देने के लिये। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न रखा है कि ग्राम उदयराम सागर में ट्यूब वैल्स के जरिये वहां की नल-योजना शुरू की गई है। उसमें पानी का खर्च इतना कम है कि उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और इसलिये जो खर्च राज्य सरकार ने किया है, उसका पूरा खेती में उपयोग करने के लिहाज से और पीने के पानी के लिहाज से भी नहीं किया गया है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं 2–3 बातों का निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक इस पर्टीक्यूलर स्कीम का सवाल है इसमें दो राय नहीं है कि इस स्कीम के ऊपर लगभग 1 लाख 15 हजार रुपया खर्च हुआ है और जितने भी लोगों ने कनेक्शन के लिये एप्लीकेशन दी हैं उन सबको स्वीकृति दे दी गई है। उस गांव के अन्दर एक प्राईवेट पार्टी को पीने का पानी दूसरे कुये से दिया जा रहा है इसलिये जितने लोगों की एप्लीकेशन आनी चाहिये थी वह नहीं आई है। यह सही है कि आज जितनी केपेसिटी उस पानी की है वह उस ट्यूब वैल से खर्च नहीं होती है। माननीय सदस्य ने जितने भी ट्यूब वैल्स हैं उनका पानी पीने के अलावा सरप्लस केपेसिटी में है, उसको एग्रीकल्चर में देने की बात कही है। मैं जहां तक और जहां तक सिद्धान्त रूप से प्रश्न है, उनसे मेरी असहमति नहीं है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट अपने आप में केवल पीने के पानी के लिये खर्च करता है, और उसके काम का एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को डिस्टर्ब किये बगैर अगर सरप्लस वाटर है, उसको एग्रीकल्चर के लिये दिया जाना चाहिये। जहां तक दूसरे ट्यूब वैल्स का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, ये ट्यूब वैल्स इ.टी.ओ. आर्गेनाईजेशन के मारफत खोदे जाते हैं और वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सुपुर्द किया जाता है। एक आर्गेनाईजेशन वह काम कर रहा है, दूसरा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट अपने आर्गेनाईजेशन के तहत दूसरे कुये खुदवाता है तो उसका सरप्लस

Page No. 52

(श्री हरिदेव जोशी)

पानी पीने के अलावा एग्रीकल्चर को दिया जाय यह एक प्रश्न है। यह बात केवल उदयराम सागर के लिये है, और उसके बाद यह प्रश्न विजयनगर के लिये भी सामने आया है। उस समय भी मैं इस मत का था कि सिंचाई के साधनों में वाटर की नितान्त आवश्यकता है और खेती के लिये ज्यादा से ज्यादा पानी देने की आवश्यकता है। इसलिये राज्य सरकार को इस सिद्धान्त रूप में कोई एतराज नहीं होना चाहिये कि उस पानी को खेती के लिये काम में न लाया जाय। अलबत्ता आबादी के बढ़ने के साथ साथ यह पानी सिंचाई के लिये देना कम करना पड सकता है और उस समय किसान को नुकसान हो सकता है। यह जिम्मेदारी राज्य सरकार के दूसरे विभागों पर पड़ सकती है। इस दृष्टि से सारे काम को कोआर्डिनेट करने की जरूरत है। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि जो सरप्लस वाटर है उसको इरिगेशन के लिये दिया जाय। राज्य सरकार ने वाटर वर्क्स को पूछा है कि उस पानी को किस रेट पर दिया जाय जिससे वह महंगा न हो और उसका दुरुपयोग भी नहीं हो सके। इस लिहाज से उनके सिस्टम को डिस्टर्ब न करते हुये सरप्लस वाटर को इरिगेशन के लिये दिया जाय और उसका जितना उपयोग हो सके उतना किया जाय।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह स्थगन-प्रस्ताव की मंशा को देखते हुये ही कहा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ चला गया। यह इतने दिन से उलझा हुआ है कि इसका निर्णय तत्काल लेना चाहिये। चाहे ई.टी.ओ. का विभाग हो और चाहे वाटर वर्क्स का हो सब सम्बन्धित विभागों को फैसला लेना चाहिये। यह उदयराम सागर तो एक प्रतीक है बाकी राज्य सरकार ने इस प्रकार की पूंजी लगाकर जगह जगह ट्यूब वैल्स खोदे हैं। उदयराम सागर में 27 कुये हैं। इस स्कीम पर करीब 1 लाख 15 हजार के आस-पास खर्चा हुआ है। सरप्लस वाटर है वहां और भी ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं उसका पानी काश्तकारों को दिया जाय। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि आबादी बढने के बाद खेती को पानी नहीं दिया जा सकता है तो यह तब तक ही देंगे जब तक आबादी नहीं बढ जाती है यह ग्रामवासी भी जानते हैं। बेचारे दो-दो साल से सब जगह चक्कर लगा रहे हैं यह फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से, माननीय सिंचाई मंत्री से और जो सम्बन्धित माननीय मंत्री हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसको जल्दी से जल्दी कोआर्डिनेट करके तय करें। सारे राजस्थान में एक करोड रुपया लगा हुआ है। केवल बीकानेर में ही ऐसे 20 कुए हैं जहां सरप्लस वाटर है। पिछले 5–7 सालों में अगर इस पर ध्यान देते तो भारत में इस रेगिस्तान का कल्याण हो सकता था। माननीय मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है, वह आश्वासन केवल कागजी कार्यवाही ही होकर न रहे बल्कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर शीघ्र निर्णय करेंगे, इतना ही मेरा निवेदन है, और यही मेरे स्थगन-प्रस्ताव का मतलब था। माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आज ही चीफ मिनिस्टर साहब को लिखूंगा कि वे सब

(श्री हरिदेव जोशी)
मिनिस्टर्स को कोआर्डिनेट करें और पानी के युटिलाईजेशन के बारे में शीघ्र फैसला दे दें।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : मैं इस बारे में माननीय मंत्री महोदय, एक जानकारी चाहता हूं कि ई.टी.ओ. का विभाग राजस्थान से जा रहा है ऐसी कोई जानकारी है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : यह एकदम दूसरा सवाल है। मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है अतः मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूं। एक स्थगन प्रस्ताव और है।

श्री देवीदत्त पाड़िया : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री हरिदेव जोशी : आपका कोई भी नहीं है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्थगन प्रस्तावों के बण्डल के बण्डल भेजे थे और यहां केवल 4 ही हैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैंने स्टेटमेंट दिलाया है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

ग्राम सारूंडा, तहसील नोखा (बीकानेर) में पीने के पानी की समस्या संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर उद्योग मंत्री का वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, सरान्डा तहसील नोखा का एक और स्थगन प्रस्ताव था। सरान्डा गांव में जो वाटर वर्क्स की स्कीम तैयार की है वह चल रही है या नहीं चल रही है, उसका उपयोग हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है (श्री उप सचिव राजस्थान विधान सभा की ओर मुखोपेक्ष करके) अध्यक्ष महोदय, आपके दफतर के द्वारा कहा जा रहा है यह एजेन्डा में नहीं है तो इसको छोड़ दें।

श्री रामकिशन : नहीं हो जाना चाहिये अब तो।

श्री अध्यक्ष : इसकी व्यवस्था तो मैं दूंगा। चलिये।

श्री रामकिशन : ठीक है, हो जायगा तो अच्छा है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, सिस्टम यह है कि कोई स्कीम तैयार होती है रूरल ऐरिया में तो अगर वहां की ग्राम पंचायत चाहे तो उसको रन कर सकती है और अगर वे यह चाहें कि उनके पास में टैक्निकल पर्सोनल नहीं हैं इसलिये वे रन नहीं कर सकते डिपार्टमेन्ट रन करे। लेकिन डिपार्टमेन्ट यदि उसको रन करता है तो उसके अन्दर कोई घाटा हो तो उसकी पूर्ति ग्राम पंचायत को करनी चाहिये।

ग्राम पंचायत इस बात को जानती है कि डिपार्टमेन्ट द्वारा यह रन होता है तो ज्यादा खर्चा होगा इसलिये वे अपने जरिये से चलायेंगे इसलिये उन्होंने इस स्कीम को चलाया और चलाते रहे। एक बार उन्होंने डिपार्टमेन्ट को एप्रोच किया और कहा कि आप चलाइये तब डिपार्टमेन्ट ने वर्क आउट करके एक हजार रुपया महिना आइल वगैरह का खर्चा होगा अगर गांव वाले उसको देते रहे तो विभाग को चलाने में आपत्ति नहीं है। उसके बाद सरपंच ने जवाब नहीं दिया, विभाग को सूचना नहीं दी कि वे चला रहे हैं या नहीं।

(श्री हरिदेव जोशी)

वहां पर पम्प के चालू हो जाने के बाद भी पानी देना बन्द है। ग्राम पंचायत को फिर कहेंगे कि वे स्वयं चलाना चाहती है तो चलाये अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो विभाग के सुपुर्द कर दें। नियमानुसार उसको लेने में हमें कोई एतराज नहीं होगा।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है वह अधूरी है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति ने आज से काफी अर्से पहले विभाग को लिख दिया था कि ग्राम पंचायत इसको चलाने में सर्वथा असमर्थ है। ग्राम पंचायत के पास टैक्निकल आदमियों की कमी है नहीं, जब से वह पम्प खराब हो गया उसको ठीक कराने में करीब पांच हजार का खर्चा है जिसको ग्राम पंचायत लगाने को तैयार नहीं। आज जिस प्रकार की व्यवस्था है उसके अनुसार उस गांव वालों को नागौर जिले में पानी भरने के लिये जाना पड़ता है। उसके आसपास तीन गांव हैं उनको पानी के लिये नागौर जिले के गांवों में जाना पड़ता है। सब से अधिक अजीब बात यह मालूम होती है कि दिन में वहां की औरतें पानी भरने के लिये दूसरे गांव जाती हैं और उनको रात भर वहां रहना पड़ता है दूसरे दिन वे पानी भर कर लौटती हैं यह कितनी बड़ी विडम्बना है? राज्य सरकार को इसके लिये तो पहले ही तैयार हो जाना चाहिये। जब वे पानी के लिये नागौर जिले में जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि पहले यह हमारा कुआ है अतः पहले हम सब भर लें उसके बाद आपको भरने दिया जायगा। यहां प्रश्न सर्वणों का नहीं। इस बारे में राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिये पंचायत वहां की इसको संचालन नहीं कर सकती।

इसका प्रमुख कारण यह भी है जो टैक्स इसके लिये पंचायत लगाती है उसको कोई अधिकार नहीं कि जो न देना चाहे उससे जबरदस्ती वसूल करे। गांव के कुछ दस बीस आदमी ऐसे मिल ही जाते हैं जो अडंगा लगा ही देते हैं इससे सारी आबादी को कष्ट उठाना पड़ता है। मंत्री महोदय यह भी कहेंगे कि पांच हजार मरम्मत के लगेंगे वह भी देने होंगे। आबादी को दो प्रकार दिक्कतें हो रही हैं एक तो पानी नहीं मिलता दूसरा पम्प जो खराब पड़ा है उसको ठीक नहीं करवा सकते। इसलिये राज्य सरकार को इस बारे में तत्परता से निर्णय लेना चाहिये। यह कष्ट पहले जो कष्ट बताया उससे व्यापक है। पंचायत समिति ने जलदाय विभाग को फिर एप्रोच किया है वहां की पंचायत की दरख्वास्त भी है इस बारे में मंत्री महोदय तत्परता से निर्णय लेकर कोई घोषणा करेंगे। जलदाय विभाग उसको चलाये उसके लिये जो भी टैक्स हो वह वहां से वसूल कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : विभाग को इस को चलाने में एतराज नहीं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि यह पंचायत के हाथ में नहीं रहना चाहिये। थोड़े से मुनाफे को ध्यान में रखकर पंचायत ने इसको अपने हाथ में रखा लेकिन पम्प खराब हो गया उससे कठिनाई उत्पन्न हो गई। पंचायत ने सोचा कि इसको हम रन करेंगे तो थोडी आमदनी होगी लेकिन पम्प जब खराब होगया उसको ठीक करा नहीं पाये। हमें इसको विभाग के द्वारा चलाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो

(श्री हरिदेव जोशी)

रूल्स हैं उनके अनुसार हम उसको लेने को तैयार हैं लेकिन उस पर होने वाले सारे खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों को लेनी होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : खेतड़ी प्रोजेक्ट के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन किया है कि ऑफिस में चल कर मैं पता करूंगा ..

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक मजदूर की उसमें मौत भी हो गई।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसके लिये डेट फिक्स-अप कर दी है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, उस सम्बन्ध में राज्य सभा और लोक सभा में काफी चर्चा चली है..

श्री अध्यक्ष : मैं एडमिट कर रहा हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वैसे ही अध्यक्ष महोदय, हमारा भारत का बोर्डर पहले से ही काफी कमजोर रहा है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.) : मेरे लिये भी आपने कल आश्वासन दिया था मेरा एक प्रस्ताव मूर्तियों की चोरी के बारे में था दूसरा सवाई माधोपुर जिले में लोगों का डाकुओं द्वारा अपहरण हो रहा है इसके बारे में मंत्री महोदय कब जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपको आशा रखनी चाहिये।

श्री फूलचन्द बाफना।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा

जैसलमेर आदि के जैन मन्दिरों की सुरक्षा सम्बन्धी थोड़े समय की चर्चा एवं शासकीय वक्तव्य

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करना चाहता हूं।

राजस्थान में स्थापत्य एवं शिल्प कला की दृष्टि से ऐसे कई जैन एवं अन्य धर्मावलम्बियों के मन्दिर अनुपम कलाकृतियां हैं जिनको सुरक्षित रखना भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास एवं धार्मिक भावनाओं के लिये अत्यंत आवश्यक है, किन्तु खेद है कि सरकार की ओर से ऐसी अमूल्य धरोहरों के प्रति कठोर एवं दारुण उदासीनता अब तक बरती गई है जिसके फलस्वरूप कई मन्दिरों की मूर्तियां एवं शिल्प कला के मन्दिरों के कई प्रमुख भाग विदेशों में बेचे जाते रहे हैं।

मुख्यत: जैसलमेर के उजडे हुए जैन मन्दिरों के कलात्मक पत्थर एवं मूर्तियां लोगों द्वारा चोरी की गई हैं और उसका क्रम अब तक आरम्भ है। अत: यह प्रश्न राजस्थान के अन्य ऐसे ही मन्दिरों की स्थिति के संदर्भ में जन हित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक प्रश्न है।

इसी प्रकार राणकपुर के जैन मन्दिरों की श्रृंखलायें शिल्प एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से विश्व विख्यात है कि जहां की कला को देखकर विदेशों के पर्यटक भी चकित होते हैं।

(श्री फूलचंद बाफना)
उपरोक्त मन्दिरों की कला को देखने के लिये प्रति वर्ष हजारों, लाखों यात्री आते हैं जिनमें सैंकड़ों की संख्या में विदेशों से आये हुए यात्री भी सम्मिलित हैं ।

उपर्युक्त स्थान धार्मिक एवं पर्यटक, आकर्षित एवं रमणीय केन्द्र होते हुए भी सरकार की ओर से उसके विकास के प्रति पूर्ण उदासीनता प्रदर्शित की जा रही है जिसके फलस्वरूप बिजली, पानी आदि सुविधायें प्रदान करने में उपेक्षा की जाती रही है ।

अतः मैं मुख्यतया दोनों ऊपर लिखित जैन मन्दिरों की स्थिति के स्पष्टीकरण करने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता हुआ ऐसे ही अन्य मन्दिरों की कलात्मक कृतियों की सुरक्षा एवं संबन्धित स्थानों पर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

(1) वन विभाग को सजग किया जाय कि वह ऐसा कोई कार्य न करे अथवा होने दे जिससे कि राणकपुर मन्दिर की परिवेष्टित अरावली उपत्यकाओं के वन की सघनता नष्ट हो एवं इसके अलावा मन्दिर के सम्मुख सुगन्धिमय विभिन्न पुष्प वाले वृक्ष लगावें ।

(2) बिजली और जल योजना की सुविधा जल्द प्रदान की जाय ।

(3) उदयपुर–राणकपुर सड़क के निर्माण को तीव्र गति दी जाकर उसे जल्दी पूर्ण करवाई जाय जिससे कि विदेशी पर्यटक उदयपुर हवाई अड्डे से सीधे राणकपुर आ जा सकें ।

(4) विदेशी पर्यटकों के लिये आवास गृह बनाये जायें व विदेशों में इसकी कलाकृति व रमणीयता का विज्ञापन (पब्लिसिटी) किया जाय । यदि सरकार पर्यटक केन्द्र बनाने में अभी अशक्त है तो उद्योगपतियों को आमन्त्रित किया जाय इस विषय पर विचार विमर्श एवं सहयोग देने के सम्बन्ध में ताकि भविष्य में किसी निगम निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) का निर्माण किया जाकर उस क्षेत्र के पर्यटन (टूरिज्म) को विकसित करने का दायित्व उसे सौंपा जा सके ।

(5) जैसलमेर के मन्दिरों की कलाकृति की सुरक्षा कानूनी तरीके से की जाय । नगर को सुरम्य बनाया जाय । इससे माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित होगा ।

श्री शिवचरण माथुर : पढ़ने के बाद कर देते ।

श्री फूलचन्द बाफना : थोड़े से समय की चर्चा है इसलिए थोड़ा सा समय लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : ले लीजिये ।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राचीन काल में सत्ता का मद तो था ही वह आज भी है, भले ही ज्यादा हो गया हो, लेकिन धर्म की ओर भी वे जिज्ञासा रखते थे । उनके शौर्य की गाथाओं से ग्रन्थ भरे पड़े हैं और धर्म प्रेम की ये कलाकृतियां मूर्त रूप में उपस्थित हैं और आज हमारे सामने मन्दिरों के रूप में है । इसलिए आज भी ऐसे अनुपम मन्दिर हैं जो कि दुनियां भर में अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि जैसलमेर के मन्दिर हैं । वहां पर चोरियां हो जाती है मूर्तियों की । यह

(श्री फूलचंद बाफना)
मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसकी सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। वहां पर लोग बाहर से आते हैं तो शहर सुरम्य होना चाहिए, शहर में आकर्षण होना चाहिए। ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिए जिससे आने वाले समझें कि भारतवर्ष में भी एक स्थान रमणीय है, देखने के लायक है। जैसलमेर के मन्दिर व लोद्रवा के मन्दिर बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर के मन्दिरों में बहुत पुराने-पुराने शास्त्र हैं। उनकी सुरक्षा का इन्तजाम होना चाहिए। इसी प्रकार से राणकपुर का मन्दिर है। वह भी बहुत रमणीय 15 वीं शताब्दी का बना हुआ मन्दिर है। उसको पर्यटक केन्द्र बनाना चाहिए। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। बिना प्रचार के ही विदेशों से हजारों यात्री वहां पर आते हैं उससे आकर्षित होकर और कानों कान खबर पाकर, विदेशी मुद्रा अर्जित करने का ध्यान रखकर सरकार को उनके वहां रहने का इन्तजाम करना चाहिए। उससे यह निश्चित है कि उनकी संख्या बढ़ेगी और आपको विदेशी मुद्रा की कठिनाई के हल होने में सहायता मिलेगी और विदेशों में यह प्रचार होगा कि भारतवर्ष में ऐसी ऐसी कलाकृतियां हैं। इससे भारत की सभ्यता का विदेशों में प्रचार होगा कि हिन्दुस्तानी सैंकड़ों वर्षों से सभ्य रहे हैं और यह केवल आज की ही बात नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बड़े बड़े विद्वान् लोग वहां पधारे हैं, और उन्होंने उसके बारे में अपनी अपनी सम्मतियां दी हैं। हमारी विधान सभा के माननीय अध्यक्ष भी वहां पर पधारे थे और उन्होंने जो सम्मति दी है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ···

श्री अध्यक्ष : मेरा मत रखिये, क्योंकि मेरी कोई गति नहीं है। दूसरे जो माननीय विद्वान् हैं उनकी रखिये। मेरा विचार रहने दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी इच्छा है आपके विचार रखने की तो आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए ? नहीं होनी चाहिए।

श्री फूलचन्द बाफना : माननीय अध्यक्ष ने लिखा है वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, केवल इसलिए नहीं कि वे अध्यक्ष हैं इसलिए रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मानवता के नाते।

श्री फूलचन्द बाफना : "अरावली से परिवेष्टित प्राकृतिक छठा से अलंकृत यह सुरम्य स्थान राणकपूर स्वर्गीय आभा-नैसर्गिक सौंदर्य में मौन एवं शान्त--हमारे राष्ट्र का सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य एवं शिल्पकला का तीर्थ है।"

इसमें "सर्वोत्कृष्ट" शब्द महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : आगे चलिये।

श्री फूलचन्द बाफना : "हमारे अतीत का गौरव और हमारी परम्पराओं एवं निष्ठा का यह साधना-स्थल प्रत्येक साधक एवं पर्यटक को आत्मविभोर किये बिना नहीं रहता।

भगवान का मन्दिर--साधना का तो केन्द्र है ही किन्तु कलाकृतियों की आराधना का भी एक अनुपम आश्रम है। यहां के प्रत्येक पत्थर पर मुस्कान, साधना और आराधना--प्रत्येक शिला पर मूर्ति सजीव एवं सरस-भाव मुद्रा

(श्री फूलचंद बाफना)
में-राष्ट्र के अतीत को-इस धरा पर जीवित करने वाली--नृत्य मुद्रा, भाव मुद्रा विविध रूपों में विविधाओं में कैसे अनोखे एवं अद्भुत कला-कृतियों के रूप में यहां प्रदर्शित किया गया है-यह देखते ही बनता है।

यहां आकर नास्तिक भी आस्तिक बनता है और भावनाविहीन सहृदय होकर इस स्थल के ··"

नास्तिकों को वहां जाने की जरूरत है।

"······विशालतम वैचित्रता के सम्मुख नतमस्तक होता है ।

हमारे राष्ट्र का यह अनोखा एवं अमूल्य रत्न न जाने कितनी शताब्दियों से, अनजाने में इस विरक्तावस्था में-अनदेखा पड़ा रहा जिसके फलस्वरूप इसके प्रति हमारी उदासीनता अब अखरने लगी है। लगता है यदि अब भी इस तीर्थ-स्थान की ख्याति, प्रशस्ति का प्रसार राष्ट्र के स्तर पर पर्याप्त नहीं-अन्यथा विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक संख्या में यह आकर्षक केन्द्र हो सकता है। इस तीर्थ का सर्वतोमुखी विकास आवश्यक है--पहाड़ियां पुष्पों से प्रफुल्लित हों-यहां की धरा का विद्युतिकरण हो--एवं अन्य सुविधाऐं यात्रियों के लिए प्राप्त हों-ऐसी कई समस्याओं का हल किया जाना अवशेष है ।"

"पुष्पों से प्रफुल्लित हों" और "विद्युतिकरण हो," ये महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिये हैं जिसके बारे में मैंने निवेदन किया है। मतलब ये सुझाव अविलम्ब कार्यान्वियन मांगते हैं।

"राणकपुर के अतिरिक्त भी राजस्थान की गोद में कई स्थानों पर जैन मन्दिर हैं-जो स्थापत्य एवं शिल्पकला की सजीव कला-कृतियां हैं किन्तु हमारी उदासीनता के कारण वे उजड रहे हैं मुख्यतः जैसलमेर के मन्दिरों की दयनीय दशा हृदय-विदारक है।"

इसमें उन्होंने "उदासीनता" छोड़ने के लिए निवेदन किया है ।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कर दें।

श्री फूलचन्द बाफना : ज्यादा समय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : भावना व्यक्त हो गई।

श्री रामकिशन (वैर) : इनको सुरक्षित करने दें फिर उसमें जो बीज है उसको ये सुरक्षित करेंगे ।

श्री फूलचन्द बाफना : राज्य सरकार के स्तर पर इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार एवं चिन्तन होना अनिवार्य है। यदि ऐसा हो सका तो ये स्थल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक हो सकेंगे ।

"अन्त में मैं कस्तूरभाई की लगन, सेवा एवं साधना का उल्लेख करना उपयुक्त समझता हूँ कि जिनकी सेवा भावना एवं सक्रियता के कारण इस स्थान को सजीवता मिली है एवं जिनसे भविष्य में भी अधिक आशाएं हैं। "हस्ताक्षर निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा।"

श्री अध्यक्ष : होगया। दो मिनट और हैं।

श्री रामकिशन : अब तक आपकी राय व्यक्त की है अब खुद की राय देंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : संक्षेप में और अर्ज कर दूं। यह थोड़े समय की बात है तो थोडे समय की भी कुछ मर्यादा होनी ही चाहिए

(श्री फूलचंद बाफना)

अभी वहां पर पार्लियामेन्ट के कुछ सदस्य आये थे उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। उनको भी आपके सामने रख देता हूं। उसमें मेरे विचार अपने आप शामिल हो जायेंगे। ये पार्लियामेन्ट के मेम्बर दिल्ली से आये थे और अलग अलग प्रान्तों के थे उन्होंने लिखा है:––

"We are astonishingly surprised why neither the Trust Incharge of this noble effort, nor the Government of Rajasthan has made the least possible effort, perhaps to give this great great temple pnblicity it deserves.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब खत्म करें।

श्री फूलचन्द बाफना : इसी तरह से हमारे वन मंत्री महोदय पधारे थे मसूदा राव-साहब। उन्होंने भी कुछ लिखा है उसको भी यहां पढ़कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : पूरा नहीं रेलेवेन्ट पोरशन पढ़ दें।

श्री फूलचन्द बाफना : माननीय वन मंत्री महोदय की सम्मीत भी सुना देता हूं क्योंकि उनके जिम्मे भी यह कार्य है।

"राणकपुर यात्रा एक अत्यन्त पुरानी इच्छा एवं अतीत की धूमिल स्मृति को आल्हादित करने वाली हुई। चैत्यों के स्तम्भ प्रति स्तम्भ अथवा मंडप में कुरी हुई वाद्य, नृत्य समन्वित मूर्तियों की भाव-भंगिमा उस अतीत के अंतराल में स्थित मनोहर अनुमानित स्मृति को सहसा अभिप्राणित कर देती है। उनका सांगोपांग स्वरूप झंकृत होकर मानसपटल में एक बार भी नाच उठता है।

मन्दिर के चारों ओर के हरित वन्य प्रदेश की शोभा आज शायद मानवी जन संख्या के विस्फोट से विकम्पित है फिर भी इस शोभा को स्थिर एवं पल्लवित करने की इच्छा अधिकारगत अवस्था में मेरे हृदय में आलोकित है और आशा है उसे कार्यान्वित कर इस शोभा के प्रति एक दायित्वपूर्ण श्रद्धान्जलि देने में समर्थ एवं सफल हो सकूंगा। यात्रा की पुनरावृति की आकांक्षा सहित नारायणसिंह मसूदा, वन मंत्री, राजस्थान सरकार।"

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री फूलचन्द बाफना : श्री अमृतलालजी यादव ने भी यह कहा है कि यहां पर विद्युतिकरण होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उनके पास कोई यह विभाग नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : इनकी प्रांजल भाषा से आप प्रभावित होते होंगे।

श्री अध्यक्ष : भाषा से कवि प्रभावित होते हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : मेरा निवेदन यह है कि यहां पर वन मंत्री महोदय बिराजे हुए हैं और उन्होंने यह स्वीकार किया है और वे अच्छा समझते हैं तो उसको कार्यान्वित करने की उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने यह भी कहा था कि यहां पर एक सेन्चुरी हो जिससे

(श्री फूलचंद बाफना)

कि सारी व्यवस्था अपने अपने उसके अन्तर्गत हो जाय।

इस तरह से बहुत सारे सुझाव हजारों पर्यटकों के हैं। विदेशी पर्यटक आते हैं और इस देश के भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो इस कलाकृति के आराधना केन्द्र के बारे में सरकार सोचेगी। सरकार के जितने विभाग हैं और जिन जिन मंत्रियों से उनका सम्बन्ध है उनको मैंने पत्र द्वारा भी निवेदन किया था कि उस रोज मैं इस बारे में निवेदन करूंगा तो उस समय आप पधारें, फिर आप यह नहीं फरमावें कि हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए आप सभी इसका प्रवंध करने करवाने की कृपा करेंगे।

(1 म. प.)

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री फूलचन्द जी बाफना ने जैसलमेर और राणकपुर के मन्दिरों के संबंध में और उनके सुरक्षित रखने के बारे में जो चिन्तायें व्यक्त कीं और उसके संबंध में जो सुझाव दिये उनके बारे में मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जो प्रस्ताव उन्होंने ध्याना-आकर्षण करने के लिए सदन के सम्मुख रखा है उस संबंध में उनकी इस बात से सहमति प्रकट करता हूं कि राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे बहुत स्थान हैं जिनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि राजस्थान सरकार इनकी सुरक्षा के लिए जागरुक नहीं है और उदासीन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस संबंध में नियमित रूप से अधिनियम पारित किया है और उस अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के अन्तर्गत करीब 200 और भारत सरकार के अन्तर्गत लगभग 134 ऐसे स्थान हैं जो आज राष्ट्रीय महत्व के हैं जिनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था आज सरकार की तरफ से होती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में प्रत्येक स्थान पर ऐसे राष्ट्रीय महत्व के स्थान मिलेंगे और आज जो धन की कमी है उसको देखते हुए यह सम्भव नहीं हो सकता कि हम इतने बड़े पैमाने पर इन स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए चौकीदार नियुक्त करें। इसलिए मैं इस मामले में यह आवश्यक समझता हूँ कि इन स्थानों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जहां सरकार की है वहां स्थानीय लोगों की भी है और मैं चाहूंगा कि इस बारे में एक आवश्यक वातावरण तैयार किया जाये कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए न केवल सरकार वल्कि वहां के प्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। जहां तक सरकार का सवाल है हमारे विभाग का सवाल है, इस प्रकार की कोई भी बात हमारे ध्यान में आती है उस संबंध में हम कार्यवाही करते हैं और पिछले समय में भी कार्यवाहियां की गयी हैं।

(1.2 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जिन मन्दिरों का यहां पर उल्लेख किया है उन मन्दिरों का संबंध आज ज्यादातर जैन ट्रस्टों से है और उन ट्रस्टों की यह जिम्मेदारी है कि उन मन्दिरों को सुरक्षित रखने के बारे में अपने आप कार्यवाही करें।

Page No. 61

(श्री शिवचरण माथुर)

लेकिन जहां तक हमारा सवाल है हम इससे उऋण नहीं होना चाहते और हमारी तरफ से भी हम उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करते रहते हैं, कार्यवाही करते रहते हैं ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इन स्थानों को सुरक्षित रखने के बारे में हमने नियम बनाये हैं और उनके अभी गजट म पब्लिश होने के बाद में उन पर नियमित रूप से ऐसी कार्यवाही करने वालों के संबंध में कोई न कोई कार्यवाही करना संभव हो जायेगा । आज नियमों के अभाव में बात यह है कि दूसरे जो चोरी करते हैं उन पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती और वह नियम विधान सभा ने पारित कर दिये हैं और वह शीघ्र ही राज-पत्र में प्रकाशित होने के बाद में उनके अन्तर्गत कार्यवाही करना संभव होगा । माननीय सदस्य ने अपने भाषण में और अपने प्रस्ताव में जो भी सुझाव रखे मैं निश्चित रूप से उनका आभारी हूं लेकिन इन सारे सुझावों का संबंध केवल मेरे विभाग से ही नहीं है । इन सुझावों का संबंध वन विभाग और पर्यटन विभाग से भी है और मैं अपनी ओर से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग और पर्यटन विभाग भी सोचे । जहां तक राणकपुर के मन्दिरों को सुरक्षित रखने का या उनमें पर्यटकों की दृष्टि से और सुधार हों इसका सवाल आता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो सुझाव दिये हैं बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी ओर से भी माननीय पर्यटन विभाग के मंत्री जी और वन विभाग के मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बारे में सोचें और ऐसे स्थानों को सुरक्षित रखने के बारे में निश्चित रूप से ऐसी योजना बनायें जिससे हम लोग इन सारे महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा रख सकें और जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है उसकी सुरक्षा हो सके । मैं कह सकता हूं कि आज जिन मन्दिरों में या जो अनुपम कलाकृति वहां मिलती है वह भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और उनको देखने के लिये पर्यटक आते हैं । उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है । मैं अपने विभाग की ओर से माननीय सदस्य का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पर ध्यान आकर्षित करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चोरी का जहां तक संबंध है माननीय सदस्य ने ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं रखा है जिसके बारे में मैं निश्चित रूप से जानकारी दे सकता था । मैंने जैसलमेर के कलेक्टर से जानकारी की कि इन दिनों में कोई चोरी का मामला सामने आया या नहीं । मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा कोई चोरी का मामला सामने नहीं आया है और चोरी-छिपे चोरी होती है तो उसकी जानकारी यदि माननीय सदस्य देंगे तो उस संबंध में हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे । यही मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री फूलचन्द बाफना : वहां की कलाकृति के चित्र हैं यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : मेज पर रख दें ।

श्री फूलचन्द बाफना : मुझे वापिस मिलने चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, माननीय आबकारी मंत्री ।

Page No. 62

विधायी कार्य

राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, 1968

श्री मथुरादास माथुर (आबकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें संशोधन अधिक हैं इसलिये हर एक माननीय सदस्य को 10 मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री रामकिशन।

श्री मूलचन्द डागा : मनोहरसिंह जी को ज्यादा समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, 1968 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने संबंधी प्रस्ताव

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1968 को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जिस संशोधन की सूचना माननीय वित्त मंत्री महोदय ने दी है उस संशोधन का तो मैं स्वागत करता हूं जिस प्रकार का संशोधन वह करना चाहते हैं और मैं यह समझता हूं कि सरकार उस छोटी दृष्टि से सही है लेकिन शायद सही दिशा में बढ़ने का सरकार ने प्रयत्न किया है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार के सारे के सारे कार्यकलापों से यह महसूस नहीं होता कि सरकार कोई बडा कदम उठाने जा रही है। जहां तक आबकारी का संबंध है यह प्रश्न इस मुल्क में जब से इस मुल्क की रचना हुई है, जब से संस्कृति का निर्माण हुआ है हमेशा से ही इस प्रश्न पर चिन्तन और मनन होता रहा है और इस पृष्ठभूमि से हम देखें तो कभी इसकी तादाद बढ़ गयी है और कभी घट गयी है। प्रश्न यही है कि यह दुर्गुण है, अनाचार है, दुराचार है। इस बहस से तरीका बदल सकता है लेकिन समाज में कभी भी किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि शराब अच्छी है और कभी किसी व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन मुझे ऐसा मालूम पडता है कि जिस आन्दोलन को हिन्दुस्तान के समाज ने अपने जीवन के प्रारम्भ से ही अपनाया है और जिसको गांधीजी का स्वतन्त्रता आन्दोलन में समर्थन मिला था बल्कि यह एक नैतिक धर्म बन गया था और गांधीजी की मृत्यु के बाद राज्य सरकारों ने जो गांधीजी की वारिस बनने का दम भरती हैं उन सारी सरकारों ने इस समस्या को केवल इसकी आर्थिक पृष्ठभूमि में देखा और इसकी धर्म और भौतिक तत्वों की अवहेलना की और आज राज्य सरकारें जो इस दिशा में बढने की कोशिश कर रही हैं मैं समझता हूं कि अब उनके अपने आप में एक बहुत बडा झंझट खडा हो गया है। मैं अपने मन से समझता हूं कि आप भी इसके पक्षपाती नहीं हो सकते कि राज्य के नागरिक शराब पीयें आपके खजाने को भरें। यह आपकी इच्छा नहीं होगी, इसको मैं समझता हूं वित्त मंत्री जी, और जो इस प्रकार का आरोप आप पर लगाते हैं वह गलती करते हैं। लेकिन आपकी इच्छा बनी क्यों सवाल इस

(श्री रामकिशन)

बात का है। आप नहीं चाहते हुए भी इस दुष्कर्म को क्यों रख रहे हैं, इस बारे में विचार करना पड़ेगा और कल क्योंकि आप कह चुके थे कि जो विरोधीपक्ष में लोग बैठते हैं वह गीता का उपदेश देते हैं ....

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपके लिये नहीं कहा था। आप तो उपदेशक हैं और उपदेश देते ही रहेंगे।

श्री रामकिशन : इसलिये मैं सोचता हूं कि अब गीता और कुरान से नहीं। इस समय वित्त मंत्री जी राजस्थान के वित्त मंत्री हैं और इस दृष्टि से ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इस शराब के संबंध में चाहे कोई विचार रहा हो, पर आपके सामने केवल एक ही प्रश्न है कि इससे बन्द होने वाली आमदनी की पूर्ती कैसे हो। आपने कदम उठाये हैं कि गुजरात की सीमा के पास इतने एरिया में शराब नहीं पी जावेगी, विद्यार्थी और छोटे बच्चे नहीं पीयेंगे तो इस से यह तो साबित है कि आप पीने को बुरा मानते हैं। पर आपको चिन्ता एक है कि अगर इसे बिलकुल बन्द कर दिया तो आमदनी घटेगी। उसकी पूर्त्ति कैसे की जावेगी। अगर राजस्व की हानि इससे होती है तो मन्त्रियों की संख्या से इसका संबंध कोई बतावे तो आप मानेंगे नहीं। आप तो सीधा जन-मानस के सामने प्रश्न खड़ा करेंगे कि अगर यह आमदनी बन्द हो जायगी तो बान्ध कैसे बनावेंगे, सडकें कैसे बनावेंगे और बिजली घर कैसे तैयार करेंगे। तो असल सवाल इससे दब जावेगा।

आबकारी के साथ आप वित्त मन्त्रालय के भी मंत्री हैं। इससे सात करोड़ के घाटे की पूर्ती करने का सवाल है। आपने कुछ छोटे मोटे कदम उठाये हैं उसके लिये हम आपको सराहना करते हैं। पर पूरी तरह से शराबबन्दी करने में झिझकते हैं। इतना करने से जो बीस लाख का नुकसान हो रहा है वही बहुत है। इसके लिये भी आपने नोट सरकूलेट किया है। गारन्टी सिस्टम को बन्द करने से, गुजरात के आसपास के एरिया में बन्द करने से, 121 मदिरालय बन्द करने से इतना घाटा आपको अभी है। अगर सब को खत्म कर दें तो सात करोड 75 लाख के कम होने की आपको चिन्ता है। हम भी राजस्थान का निर्माण चाहते हैं, यहां सडकें बनें, नहरें खुलें यह सभी चाहते हैं। पर आप केवल शराब पिलाकर यह सब विकास करना चाहते हैं।

डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट दो तरह का नफा नुकसान इससे होता है। एक तरफ तो यह पैसा देता है, पर दूसरी तरफ स्वास्थ्य, नैतिक चरित्र का पतन, अनेक तरह की अन्य बुराइयों को यह जन्म देता है जिनको रोकने के लिये सरकार को काफी खर्चीली व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कुछ तो यह ऐसा ही काम हुआ जैसे कीचड़ में पैर पहले भरो और फिर उसे साफ करने में अपना समय और शक्ति व्यय करो। अगर आप इसे बन्द कर देते हैं तो 1.43 लाख रुपया इससे बच सकता है। मैं नहीं कहता कि व्यवस्था करने वालों को आप निकाल दीजिये। पर उनको प्लान में एड्जस्ट करिए। दुर्भाग्य है यह हिन्दुस्तान में प्लान नाम की चीज आपने अब खत्म कर दी। इसके लिये जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी वाले धन्यवाद देते हैं। यह सही है कि इसमें उनका समर्थन आपको मिल गया।

(श्री रामकिशन)

पर जो एक लाख 43 हजार की बचत है उससे आपके कर्मचारी वंचित हो जावेंगे। यह जरूरी नहीं कि कलम चलाने वाले कर्मचारी हों।

कल इन्जीनियर और डाक्टरों का सवाल खडा होगा। यह प्रवृत्ति ही अगर बनी रही कि केवल वे तो कुर्सी पर बैठकर कलम चलावेंगे तब तो कोई भी सरकार आ जावे उनकी समस्या का समाधान निकालने में समर्थ नहीं हो सकेगी जरूरत इस बात की है कि आप उनको उत्पादक कार्यों में लगावें जो सरप्लस हों।

दस मिनिट का ही समय मुझे दिया गया है, इसलिये अधिक नहीं कहकर इतना ही कह दिया। एक आइटम आपको बताया। आपको समाज के हित की चिन्ता है। आपने अपना जीवन देश की आजादी की लडाई लडने में विताया है इसलिये नहीं चाहता कि आप यहां से हटें। पर दूसरे मुख्य मंत्रीजी से आप कहिये कि आपको यह तो विश्वास है आपकी सरकार गिरेगी नहीं। तो आप अपने बजट में से 37 लाख रुपया बचा सकते हैं वह बचा लीजिए पचास प्रतिशत इन मंत्रियों को कम करके। मैं अधिक के कम करने की बात नहीं कहता। पचास प्रतिशत कम करने की ही बात कहता हूं। इससे सरकार गिरेगी नहीं। क्योंकि यह तो मुख्य मंत्रीजी ने दावा किया है। इतने बडे आदमी हैं। उनके दावे में मैं तो शक नहीं करता। तो अगर ये मंत्री आधे कम हो गये तब भी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। उन लोगों को आपके कल्याणकारी राज पर भरोसा है और जो लोग गये हैं वे भी अपनी निष्ठा के कारण कांग्रेस में गये हैं। इतने निष्ठावानों पर शक करना उनका अपमान करना है। मंत्री रहेंगे तो आपके साथ रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। जोशीजी कांग्रेस छोड देंगे? डिप्टी मिनिस्टरी नहीं रही तो। वे तो कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं।

बुढ़ापे में आपको माथुर साहब छोडने में तो तकलीफ होगी। पर जिनको दो चार महीने ही हुए हैं उनको क्या चस्का लगेगा। तो इस तरह से 37 लाख की बचत आपको इससे हो जावेगी। शराब बन्दी जरुर करें।

तीसरी बात और बता देना चाहता हूं। आपके पास माइन्स की एक बहुत बडी सम्पदा है। बीस साल से आप चल रहे हैं अगर आपकी जगह कोई चैतन्यशील सरकार होती तो इससे काफी साधन जुटा लेती। तरह तरह के टैक्स इस पर लगाती। यह माइन्स की सम्पदा हिन्दुस्तान में बड़े बड़े लोगों के पास होती है। पत्थर के खरीददार वे ही हैं, हीरे-जवाहरात के खरीददार हैं जो समाज का सम्पन्न वर्ग है वही खरीदता है। आज तो आपकी रायल्टी पूरी वसूल नहीं होती। ठेकेदारों को कन्सेशन दे रखें हैं चाहे वे किसी वजह से सही। चुनाव की वजह से दिये हैं तो चाहूंगा कि आप उसे देखें। गीता वाले प्रकरण से मैं बचना चाहूंगा। सम्पन्न वर्ग पर टैक्स लगाना समाजवाद का धर्म है। आदर्श है। आज आपकी माइन्स से जितनी आमदनी होती है उससे दो करोड का घाटा पूरा किया जा सकता है। आप रायल्टी बढ़ा सकते हैं डैडरेन्ट बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद माइन्स पर आधारित उद्योग हैं दूसरे उद्योग हैं तो उन पर आप थोडा टैक्स बढ़ा देते हैं तो आपका घाटा उस से पूरा हो सकता है। इससे राजस्थान को इस शराब की लत से आप छुटकारा दिला पावेंगे। इसके लिये राजस्थान

Page No. 65

(श्री रामकिशन)
के नागरिक अगर धन्यवाद न दें तो भले ही न दें पर मनोहरसिंहजी मेहता अवश्य धन्यवाद देने को खड़े हो जावेंगे कि बीस साल के अन्दर एक काम आपने भला किया ।

एक बात और बताता हूं । आपके अफसर हैं । 15 सौ से ज्यादा अगर सुविधाएं उनको मिलती हैं तो उन पर सीलिंग लगाइये । तनख्वा घटाने की बात मैं नहीं कहता, पर खरचे पर सीमा लगाये वगैर नहीं चल सकते । जो सुविधाओं का उपयोग करते हैं वे 1500 के आसपास करने लग जावें । जब देश की प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी 243 रु. हो तो उस हालत में 1500 की उनके लिये सीमा बान्धना काफी बडी है । वह कम सीमा नहीं है । उसे बान्धने की कोशिश करें तो सत्तर लाख की बचत हो सकती है ।

यह सब तो किया जा सकता है, पर प्रश्न है मन बनाने का । ठेकेदारों को आप छोड़ें नहीं, मन्त्रियों की फौज को कम करें नहीं, तो मैं नहीं समझता राजस्थान में आप शराब-बन्दी कैसे करेंगे ? जो समस्या आज है कल भी वह तो रहेगी ।

इस राज्य सरकार ने शराब बन्दी ही नहीं की, पर हिन्दुस्तान के मुकाबले में यह राजस्थान की सरकार जनतंत्र के सदस्य बोलते रहते हैं खराब है राजस्थान की सरकार । सबसे निकम्मी कहते हैं वे पर एक मामले में मैं उसको बधाई देता हूं । यह हिन्दुस्तान की सबसे बडी और बढिया सरकार है शराब पिलाने में । बदनामी में ही सही । नाम तो है । यह सरकार प्रति व्यक्ति आबकारी का राजस्व सारे हिन्दुस्तान से अधिक वसूल करती है. आपको हर प्रदेश का हिसाब देखने को मिलेगा तो यह जानकारी मिलेगी । आन्ध्र में शराब से राजस्व की आमदनी होती है:—

प्रति व्यक्ति			3.78
आसाम में	..	..	2.09
बिहार में	..	..	1.84
गुजरात में	..	..	0.23
काश्मीर में	..	..	2.50
केरल में	..	..	2.93
मद्रास में	..	..	0.13
पर राजस्थान में यह फिगर है			4.11

पहले पंजाब ज्यादा था । पर विभाजन के बाद वहां के आंकड़े भी आप से पीछे चले गये । कहां गांधीजी का स्वप्न, कहां संविधान का निर्देश, आप तो माथुर साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे । संविधान की धारा 47 में आपको आज्ञा दी है कर्तव्य बताया था कि दिनों दिन शराब कम करो लेकिन इसके बाद इस धारा के तहत प्लानिंग कमीशन ने शराब बन्दी बन्द कैसे हो इसके लिये श्री श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में 54 में एक कमेटी मुकर्रर की । देश शराब के रंग से कैसे छूटे और उसके बन्द होने से आमदनी में होने वाले घाटे की पूर्ति किस तरह की जाय इसके लिये उपाय सुझावें । श्रीमन्नारायजी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे । पंडित नेहरू अध्यक्ष थे । संविधान की याद दिलाते हुए कहा कि राजस्व की कमी करने के लिये कोशिश करिये ।

पर उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि जिस दिन से कमेटी फार्म हुई और सुझाव दिये तब से बजाय घटने के राजस्थान की आमदनी बढ़ती गई । सन् 51-52 में जब कमेटी बैठी तो उससे आमदनी होती थी 3.31 लाख रुपया और कमेटी बिठाने के बाद

(श्री रामकिशन)
कमेटी तो इसलिये बिठाई थी कि शराब बन्दी करें और आबकारी से आमदनी घटावें पर रिपोर्ट आने के बाद 60-61 में वह आमदनी बढ़ गई 4.31 लाख रुपया और 65-66 में यह बढकर हो गई 7.80 लाख रुपया 66-67 में आये तो 8 करोड 30 लाख और 67-68 में 8 करोड 50 लाख का अनुमान लगाया था। वित्त मंत्रीजी मैं आपसे तो अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि राज्य सरकार की यह नीति है लेकिन यह कमीशन किस लिये बैठाया था और श्रीमन्नारायण जी के कमीशन पर 7 लाख रुपये किस लिये खर्च कर दिये ? शायद आप यह कहदें कि वे उस समय बेकार थे उनको काम पर लगाना था इसलिये खर्च कर दिये तब तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आपका दृष्टिकोण समझ में आ जायगा। लेकिन आपका कर्म मना करे, धर्म मना करे इसको आप न भी मानें तो भी हिन्दुस्तान के लोगों का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं तो फिर पीने वालों की संख्या क्यों बढ़ती रही ? वित्त मंत्रीजी कहेंगे कि संख्या इसलिये बढ़ी है कि आबादी बढ़ गई। आबादी बढ़ गई तो पैदा होते ही पीने लगते हैं क्या ? यह बात नहीं है। बात दूसरी ही है। पहले सामन्तों के जमाने में राज काज चलाने वाले बड़े वर्ग के लोग पीते थे। पिछले 15 वर्षों में कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा लेकिन सवर्णों में से कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा किसी तरीके से आ गया इसलिये पीने वालों की संख्या भी बढ़ गई। पुराने जमाने में जो लोग शराब पीते थे वे तो अब धीरे धीरे छोडते जा रहे हैं लेकिन अब नवीन वर्ग और बढ़ गया है। मैं आपको तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप उस तरह के नहीं हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जिनके मां-बाप के पास किसी तरह से धन राशि बढ़ी वे निरंतर शराब पीते जा रहे हैं। पहले जो ठाकुर, राजा महाराजा और दूसरे लोग शराब पीते थे वे लुकछिप कर पीते थे और दूसरों को मालूम होने देना बुरा मानते थे। लेकिन आज क्या हालत पैदा करदी आपने ? गंगानगर की तरफ जाइये तो लोग शराब की बोतलें जेब में लिये फिरते हैं। गंगानगर की तो बात जाने दीजिये। हमारा भरतपुर का इलाका जहां बहुतेरे धार्मिक मन्दिर हैं वहां भी कई लोग शराब की बोतलें जेब में लिये घूमते हैं। यह हालत आपने पिछले 15-20 वर्षों में पैदा करदी है।

आपने गारन्टी नियम बनाया। पहले भी नियम बने हुए थे। पहले राजा महाराजा ये उन्होंने भी नियम बना रखे थे। कौन पियेगा, कैसे पियेगा, कहां पियेगा। दुकानें कहां खुलेंगी, मन्दिर मस्जिदों के पास नहीं खुलेंगी। स्मृतियों में भी इसका जिक्र है। लेकिन राजस्थान में जब से गांधीवादियों ने प्रवेश किया तब से वे अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल गये, आप लोगों ने शराब बंदी की कोशिश नहीं की। आपने शराब की खपत ज्यादा करने की कोशिश की, आपने यह कोशिश की कि विक्री किस तरह से ज्यादा हो और राजस्व ज्यादा बढ़े। आमदनी बढ़ाने की कोशिश पहले भी करते थे। गैर कानूनी भट्टियों में जो शराब बनती थी उनको पकडने की कोशिश करते थे उससे आमदनी बढ़ती थी। आपने महकमे का खर्च तो बढ़ा दिया। जो पहले 40 लाख रु० पर चलता था उसको बढ़ा कर सवा करोड कर दिया। सन् 52-53 में नाजायज शराब की भट्टियां

Page No. 67

(श्री रामकिशन)
पकडने के थे वे आंकडे आज घटते चले जा रहे हैं। राज्य सरकार की ही नीति जब शराब का चलन ज्यादा बढाने की हो तो अफसर लोग नाजायज शराब को पकडने की क्यों तकलीफ करें। सन् 65-66 में जुर्मानों से जो पैसा वसूल हुआ वह 4 लाख 77 हजार रु० हुआ और 66-67 में आपने महकमा बढ़ाया, कर्मचारियों की संख्या बढाई लेकिन जुर्मानों की आमदनी घट गई। पहले 2 लाख 40 हजार, फिर 2 लाख 73 हजार और 2.75 हजार ही रह गई। शराब की बिक्री से राजस्व की आमदनी बढ़ती गई और कर्मचारी लोग भी बढ़ते गये लेकिन जुर्माने से जो आमदनी बढ़ सकती थी और खजाना भर सकता था उसके लिये आपने प्रयत्न नहीं किये इसलिये नहीं किये कि जो शराब के महकमे को संचालित करने वाले अधिकारी हैं उन्होंने यह समझ लिया कि जब राज्य सरकार की नीति ही शराब की खपत ज्यादा करने की है और सरकार की नीति यह है कि सोते हुए को मत जगाओ तो शराब पकडते समय तो उनको सोते से जगाना पडेगा और क्योंकि आप किसी को कष्ट देना नहीं चाहते इसलिये उन्होंने भी लोगों को कष्ट देना ठीक नहीं समझा। मनु ने एक बात कही, और भी कई बातें उन्होंने कहीं लेकिन उन्होंने यह कहा कि किसी को किसी भी सूरत में कष्ट मत दो। आपने चाहे सर्कूलरों में यह प्रसारित नहीं किया हो लेकिन आपकी अंतरआत्मा की तरफ से कोशिश यही रहती है कि ऐसे लोगों को तकलीफ मत दो।

इस राज्य में शराब पीनेवालों की संख्या बढ़ी। मैंने शुरू में जिस तरीके से सरकार कह रही है उसका स्वागत किया। बुराई का तत्काल अंत करदो। यदि बुराई का अंत तत्काल नहीं कर सकते तो उसका अंत हो ही नहीं सकता चाहे अंग्रेजी शराब ले लीजिये या बोली ले लीजिये। अंग्रेजी बोली और शराब का रंग और चस्का व्यापक होता है। इनका चश्का एक बार लगने के बाद मुश्किल से ही छूटता है। आप शुरू में तो कहते रहे कि शराब का प्रचलन बढ़ाओ और राजस्व बढ़ाओ और अब कहते हैं कि घटाओ तो यह कैसे संभव होगा? आप कहते हैं कि 18 वर्ष से अल्प वयस्क लोगों को नहीं पीने देंगे, विद्यार्थियों को नहीं पीने देंगे, मैं इसका स्वागत करता हूँ एक बात आप और कीजिये। इस साल चुनाव भी नहीं है जिससे कि आपको डर हो इस साल ईश्वर की कृपा से फसल भी अच्छी हुई है इसलिये शराब से ज्यादा आय करने का भी सवाल आपके सामने नहीं है। इस साल आप एक झटका लगा दीजिये और यह तय कर लीजिये कि शराब बन्दी समाप्त करते हैं।

श्री मनोहरलाल मेहता : शराब बन्दी नहीं, शराब।

श्री रामकिशन : शराब बंद करने का तय कर लीजिये। आप थोडा साहस करें, हिम्मत करें थोडी आमदनी कम होगी लेकिन लोगों का भला होगा। शराब की भलाई, बुराई आध्यात्मिक बातों की ओर तो मैं नहीं जाना चाहता लेकिन चारवाक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने जो कुछ भी कहा लेकिन एक बात कही कि मनुष्य जन्म हमेशा मिल नहीं सकता। चारवाक ने 5 तरीके बताये। एक तरीका आनन्द मनाने का उसने शराब का बताया। दूसरा तरीका और है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता.

(श्री रामकिशन)

क्योंकि उस वर्ग के लोगों के लिये मेरी सहानुभूति है । मैं यह कहूंगा कि शराब रोकने के लिये कौन कौन से कदम उठाना चाहते हैं ? आपने यह कहा कि गुजरात की सीमा से 25 किलो मीटर तक शराब का चलन बंद कर देंगे । उस तरफ आदिवासी लोग रहते हैं और वे लोग जन्म से आदी थे । आप ज्यादा निर्णय नहीं कर सकें तो इतना जरूर करिये कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं चाहे गुजरात की सीमा से दूर हों, वहां पर शराब को बंद कर दीजिये । आपने तो अभी इसलिये किया कि गुजरात में बंद है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाडा जिलों में पूर्ण शराब बंदी करने का कदम उठावें ।

मुझे एक छोटासा निवेदन और करना है । आपने विद्यार्थियों को रोका है यह अच्छा है लेकिन आपके 20 साल के शासन में औरतों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया है । मैं ऐसी ज्यादा औरतों को तो नहीं जानत लेकिन दो औरतों को मैंने पीते देखा है । यदि मनुष्य बिगड जायगा तो हिन्दुस्तान का ज्यादा नुक्सान नहीं होगा लेकिन यदि मां बिगड जायगी तो सारा राष्ट्र बिगड जायगा इसलिये एक बात आप यह करिये कि औरतों को शराब नहीं पीने दी जायगी । पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए हमारे यहां भी औरतों में शराब पीने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है । औरतें कहती हैं कि हम शराब इसलिये नहीं पीती हैं कि इसमें बहुत अधिक आनन्द आता है लेकिन इसलिये पीती है कि नर पीते हैं । जब नर पीते हैं तो नारी क्यों नहीं पीये ? बराबरी का यह जबर्दस्त तर्क है । मैं एक दिन हवाई जहाज के स्टेशन पर गया था । वहां पर एक विलायती महिला सिगरेट पी रही थी । मेरे पास भी समय काफी था इसलिये मैंने उनको छेडा । वह हिन्दुस्तानी साडी और चूडियां पहने हुई थी । बढिया औरत थी । बढिया इस सूरत में नहीं जैसा माथुर साहब समझते हैं बल्कि विद्वान् थी । पत्र का संपादन करने वाली थीं । मैंने उनसे पूछा आप सिगरेट क्यों पीती हैं ? तो समानता की भावना से उन्होंने कहा जो काम नर करे वह नारी क्यों नहीं करे ? अब मैं ज्यादा विवाद में नहीं पडना चाहता, सिर्फ यह सिद्धान्त बताता हूं कि जो नारियां शराब पीती हैं वह इसलिए पीती हैं कि जब मर्द शराब पीते हैं तो औरतें क्यों न पीयें । मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम की जो हवा चल रही है, पश्चिम के संस्कारों की जो हवा चल रही है, वह हवा और दिन पर दिन बढेगी, इसलिए यह नुकसानदायक क्लॉज नहीं है कि औरतें किसी भी सूरत में शराब नहीं पियें-यह क्लॉज जोड दिया जाय ।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि आपने विद्यार्थियों के लिए रखा है । लेकिन विद्यार्थियों से आपका मतलब क्या है ? कौनसी श्रेणी को आप विद्यार्थी मानते हैं ? आपने उम्र कही है और आपने विद्यार्थी कहा है लेकिन विद्यार्थियों की कई कैटेगरीज होती हैं । उसमें से एक दो मैं आपको बता दूं, एक तो पीपुल ट्यूटर होते हैं, अध्यापक होते हैं · ·

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : आपने कहा कि औरतें पीती हैं । कौनसी औरतों को आपने पीते हुए देखा है ?

श्री रामकिशन : मैं कहता हूं कि दो को मैंने पीते देखा है । नाम बताने से दिक्कत खडी हो जायगी, लेकिन मैंने पीते देखा है और बहस करते देखा है । एक औरत का तो आप नाम सुनना चाहें तो मैं बता दूं.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : नाम बताइये ।

श्री उपाध्यक्ष : नाम किसी का नहीं बतायें ।

श्री रामकिशन : मैं नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन यह बहुत जिद् कर रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आन्ध्र के मंत्री हैं राजू, उनकी पत्नी कुसुम राजू, वह इस पर बहस करती हैं । मैं यह इसलिए बता देता हूँ कि वह कांग्रेस में चले गये हैं । वह उधर चले गये हैं । उन्होंने बहस चलाई थी ऐसी ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : आपने उनको घर में पीते देखा होगा ।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों में आप किस को शामिल करते हैं ? एक अध्यापक जो ट्रेनिंग लेता है, उसको आप विद्यार्थी मानते हैं या अध्यापक मानते हैं ? इस सम्बन्ध में आपकी राय है कि वह अध्यापक है तो मैं निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों की श्रेणी में उसको आप शामिल करें । यह बात ठीक है कि आपका राजस्व बढाने का दिमाग है, केवल आप राजस्व को बढाना चाहते हैं, इसलिए उसको आपने अध्यापक में शामिल किया है । इसके साथ ही जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे एम. एल. ए. हों, सरपंच हों, और ग्राम सभा के सदस्य हों-इन सब पर चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी है । अगर यह सब भी इसमें न जोडें तो यह कर दें कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनमें से कोई भी शराब नहीं पीयेगा । अगर शराब पीयेगा तो उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जायगा । यह जोडते हैं तो हम एक प्रकार से चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी लेते हैं ।

इसके अलावा इसमें आप दो-तीन कैटेगरी और बढा दीजिये . . .

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : आप (महारावल लक्ष्मण सिंह) जवाब दे देना ।

श्री रामकिशन : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस विवाद में नहीं पडना चाहता, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, माथुर साहब कि महारावल साहब तैयार हैं या नहीं ? तो महारावल साहब तो तैयार हैं क्योंकि इनका तो बुढापा है । अगर पांच सात साल शराब नहीं पियेंगे तो पानी पीकर वह अपना काम संभाल लेंगे । लेकिन आप तो अभी जवान हैं, . . .

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मुझे कोई कहे तो मैं छोडने के लिए तैयार हूँ ।

श्री रामकिशन : आपकी तरफ से तो हमें विश्वास है क्योंकि बुढापे में इन चीजों का शौक नहीं रहता है । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे विशेष आग्रह करना है, आपसे यह अर्ज करना है कि आप अभी पूरी तरह से जवान हैं, उम्र से, और सत्ता से, ऐसा नहीं है कि पांच सात साल के अन्दर आपका बुढापा आ जायगा, आपने जवानी में कदम रखा है, और अब युवावस्था से प्रोढावस्था में प्रवेश करने वाले हैं, इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, कम से कम सरपंच और पंच पर नहीं आवें तो विधान सभा के सदस्य और मंत्रियों तक तो आ जायें तो उस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसा कदम तो आप उठायें । वैसे मैंने सम्पूर्ण नशाबन्दी का कार्यक्रम भी आपको बताया, जिससे राजस्व का घाटा भी

(श्री रामकिशन)
नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको आमदनी के जरिये बताये हैं। साथ ही आप इसके नैतिक पक्ष के ऊपर भी विचार करें। जो मैंने नारियों के सम्बन्ध में जानकारी दी है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके सम्बन्ध में आप कदम बढायें।

एक बात मुझे और कहनी है राज्य सरकार से, वह हर दिन पैसे की बात करती है। लेकिन वित्त मंत्री जी, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ कि शराब के ठेकेदारों में आपकी बकाया कितनी है, यह आप हिम्मत से बताने की कृपा करें और साथ ही यह भी बतायें कि इसके कारण क्या हैं कि अजमेर जिले में दस-बारह लाख···

श्री मिर्धा : 12 लाख 56 हजार।

श्री रामकिशन : 12 लाख 56 हजार अजमेर में बकाया है। वह भी शराब के व्यवसायियों में। शराब का व्यवसाय घाटे वाला व्यवसाय नहीं है, उनकी दनादन आमदनी होती है। और विजयसिंह जी ने जैसे सवाल उठाया था कि शराब के व्यवसायी शराब में पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने से तो बहुत ज्यादा आमदनी होती है। फिर किस कारण से आपने उनको छोड रखा है। आपने कहा था कि इसका एक कारण है और वह यह कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में आपने एक कमेटी फार्म की थी, वह इस बात के लिए फार्म की थी कि इनसे कितनी बकाया वसूल की जाये और कितनी बकाया माफ कर दी जाये। और माफ करने के लिए आपने यह तर्क दिया था कि तीन महीने गारन्टी सिस्टम में शराब की सप्लाई नहीं हुई। इस सप्लाई के सवाल पर वित्त सचिव ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, वह सरकार के पास आ गई है और राज्य सरकार ने उस पर विचार कर लिया है तो मैं अब आपसे यह जानना चाहूंगा कि अजमेर जिले के अलावा राजस्थान के अन्य जिलों के शराब के ठेकेदार हैं, उनके अन्दर जो बकाया है उसकी वसूली आप निश्चित रूप से किस तिथि तक करने जा रहे हैं? ऐसा नहीं करते हैं तो राजस्थान के अन्दर एक विकास का वातावरण नहीं बनता है और लोगों के ऊपर भी उसका असर पडता है कि जो छोटे छोटे किसान हैं, उनसे लगान की वसूली होती है, सिंचाई दर की वसूली होती है लेकिन जो मिल ऑनर हैं, जो बडे-बडे व्यापारी हैं और शराब के व्यवसायी हैं इनको आप किस लिए छूट देते चले जा रहे हैं? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह ऑफर सिस्टम है, इसके बारे में भी आप जवाब देंगे। आपका (श्री मथुरादास माथुर) घडी पर ध्यान है, मैं अनुशासित हूँ, इसलिए मुझे भाषण में जल्दी करनी पड रही है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि यह ऑफर सिस्टम क्या है? आपने एलान किया, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की जनता को समझाने के लिए आपने एलान किया कि गारन्टी सिस्टम को बन्द कर दिया है, लेकिन ऑफर सिस्टम में ऐसा क्या नया है? आपने इसमें जो तरीका अपनाया है, उसमें है कि पुराने ठेकेदार ही शराब का व्यवसाय करेंगे। मैं जानता हूँ कि आपकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं हो सकती है। आप मना भी करते हैं कि मेरी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। तो भौतिक दृष्टि में भी आपने ओपन कम्पिटीशन में लोगों को क्यों नहीं आने दिया? जिससे कि आपको ज्यादा आमदनी हो, और जो इस व्यवसाय में एन्टर होना चाहें वह इसमें एन्टर हों। कहीं ऐसा तो नहीं

(श्री रामकिशन)

है, मैं ऐसी बातें कहने का आदी नहीं हूँ, लेकिन पुराने ठेकेदारों से आपके ललित सम्बन्ध तो नहीं हैं जिससे आपकी उन पर कृपा है। मधुर और ललित मिले जुले शब्द होते हैं। इसका आप स्पष्टीकरण कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो यह कदम उठाये हैं, इनका तो मैं स्वागत करता हूँ। अगर इससे आगे बढने की भी राज्य सरकार घोषणा करे तो ठीक होगा। आपने जो 18 साल से कम विद्यार्थियों के लिए रखा है, मैं समझता हूँ कि आप एक आध ही ऐसा बिगडा हुआ और गिरा हुआ विद्यार्थी पायेंगे। तो आपका यह कदम कोई क्रांतिकारी कदम हो ऐसी बात नहीं है। आप सोचिये कि जो बच्चा अपने मां-बाप को सुबह ही बोतल खोल कर पीते हुए पायगा तो क्या वह बच्चा नहीं पीयेगा ? इसलिए आप पहले मां-बाप का इलाज करें, बच्चा तो स्वयं सुधर जायगा। बच्चे के संस्कार होते हैं, बच्चे में सीखने की आदत होती है, बच्चा तो अपने आप सुधर जायगा। आपने सर्वोदयी लोगों को इस प्रकार का कानून रख कर खुश करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि 18 साल से कम के बच्चे शराब नहीं पीते हैं। असल में 18 साल से 35 साल तक के व्यक्ति शराब पीते हैं। 18 साल से कम का तो कोई बहुत बिगडा हुआ हो, गिरा बीता हो और जो सभ्य और शालीन नहीं हो वही पीयेगा। इसलिए आपका यह क्रांतिकारी कदम नहीं है। आप क्रांतिकारी कदम उठाना चाहें तो आप इसमें प्रौढों को रखें, वयस्कों को रखें और उसके बाद में आगे कदम बढावें। इन बातों के साथ में संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री पाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, 1968 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर विचार किया है और लोगों के मत जानने की भी चेष्टा की है। मैंने यह अनुभव किया है कि जो संशोधन इस विधेयक में प्रस्तावित किये जा रहे हैं वह राजस्थान के लिए बिल्कुल ना काफी हैं। राजस्थान में इस बात की आवश्यकता है और समय का तकाजा है कि राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी की जाय। राजस्थान के लिए आपने इस विधेयक में जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं उन पर भी मैंने गौर किया है। प्रस्तावित संशोधन में 18 साल से कम आयु के बच्चे और विद्यार्थियों पर शराब पीने का प्रतिबन्ध लगाया गया है और ऐसा करते हुए पाये जाने पर उन पर मुकदमा चलाये जाने का प्रावधान किया गया है और सजा का प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस बात की जांच की है, मैं लोगों से मिला हूँ और मिलने पर मैंने पाया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 18 साल से कम उम्र के ऐसे लडके इने गिने ही हो सकते हैं, बल्कि मेरी जानकारी में कोई ऐसा नहीं आया है जो 18 साल से कम उम्र का हो और जो शराब पीता हो। और विद्यार्थियों का जहां तक ताल्लुक है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हायर सैकेन्डरी स्कूल तक व्यवस्था है, वहां पर मैंने इस बात को पाया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई विद्यार्थी शराब नहीं पीता है इसलिए

(श्री रामनारायण)
मैंने अपना यह कर्त्तव्य समझा है कि यह जो व्यवस्था की जा रही है शराबबन्दी के नाम पर विद्यार्थियों और नाबालिगों को कहा जा रहा है कि वह शराबी हो गये हैं, शराब पीते हैं, इसलिए इस विधेयक में संशोधन किया जाये और शराब पीने से रोका जाये ऐसी स्थिति है तो मैं महसूस करता हूं कि इसको निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए और विधेयक में ऐसा संशोधन लाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं और आज स्थिति इस प्रकार की है कि ऐसे लोगों को जिनका इस संशोधन विधेयक में जिक्र किया गया है, विद्यार्थियों और 18 साल से कम उम्र के लोगों को शराब पीने से रोका जाये या नहीं। क्योंकि उनके मां-बाप को रोका जाये। उनके मां-बापों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाये कि वह शराब नहीं पियें। मैं आप से निवेदन करूंगा कि जैसा मां-बाप करेंगे तो कुछ न कुछ अवगुण निश्चित रूप से उनमें आयेंगे। यह जो संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है, इनका कोई मूल्य नहीं है। इनकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि राजस्थान में तुरन्त शराब बन्दी लागू की जाये और तुरन्त कदम उठाये जायें।

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : बहुत अच्छा।

श्री **रामनारायण** : अब सवाल उठता है कि आर्थिक संकट है और हमारी सरकार नशाबन्दी करना चाहती है, इसके लिए प्रयत्नशील भी है, इसीलिए तो यह संशोधन लाया जा रहा है लेकिन उनका यह कहना है कि राजस्थान की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारे बजट के अन्दर शराब की बिक्री से होनेवाली आमदनी को कम कर रहे हैं। उसकी हम पूर्ति कैसे करें ? यह एक दलील जो शराबबन्दी नहीं करने के बारे में दी जाती है। इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, सुझाव है आपके माध्यम से। राजस्थान सरकार ने जितने टैक्सेज इस वक्त लगा रखे हैं, उनकी वसूली यदि सचाई से, सख्ती और ईमानदारी से की जावे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी शराब की बिक्री से होने वाली आमदनी है, उसकी आसानी से पूर्ति हो सकती है। आज राजस्थान में बाकी बिक्री टैक्स लगा रहे हैं। बाकी टैक्स जितने लोगों से लिया जाता है उसमें से 25 परसेंट भी खजाने के अन्दर जमा नहीं होता है। हमारा अनुभव है उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ट्रान्सपोर्ट बसेज से जितना टैक्स यात्रियों से लिया जाता है, उसका 20 परसेंट भी आपके खजाने में जमा नहीं होता है। वह पूरा जमा नहीं होता है। इसको वसूल करने की कोशिश करनी चाहिए। टैक्स की वसूली के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। इस अकेली वसूली के बाद इस बात की जरूरत नहीं रहती है और शराब की बिक्री से होने वाली आय का घाटा पूरा हो सकता है। इसके अलावा मेरा एक यह भी सुझाव है कि बजट की पूर्ती के लिये हम टैक्सेज पर ही, टैक्सेज की इन्कम के ऊपर ही अधिक दिन तक निर्भर नहीं रह सकते हैं। टैक्सेज चरम सीमा तक आ गये हैं, इससे ज्यादा टैक्सेज का इन्डेक्स, अब इससे ज्यादा टैक्स आप नहीं लगा सकते। और उनकी रेट घटा भी नहीं सकते। और नये टैक्स आप लगा नहीं सकते। इसके लिये जनता तैयार नहीं है। जनता की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप नये टैक्स लगायें। इस बात पर विचार करना है कि सरकार की आमदनी किस प्रकार से बढ़ाई जावे। सरकार को

(श्री रामनारायण)

नान टैक्स इनकम के करने के अन्दर वह काम हाथ में लेने होंगे जिससे सरकारी खजाने में आमदनी होती हो। और टैक्सों की होने वाली आमदनी की वह पूर्ती हो। उदाहरण के तौर पर सरकार ने ट्रान्सपोर्ट रोडवेज में प्रवेश किया है। और उसके जरिये आमदनी बढाने का सोचा गया है। राजस्थान रोडवेज कारपोरेशन से होने वाली आमदनी जो आज हमारे बजट के अन्दर घाटे के अन्दर दिखाई जाती है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये। क्या वजह है कि सरकारी रोडवेज घाटे में जा रही है ? जब कि हजारों लाखों आदमी बसेज के जरिये से कमाकर खाते हैं। इस तरह से जो व्यवस्था चलती है, जो यह नान टैक्स रेवेन्यू बढाने के लिये जो सरकार की अन्डरटेकिंग है, उनको सतर्कता से, इमानदारी से अपना काम करना है। और सरकार को अपनी मशीनरी गीयरअप करनी है। और उस आमदनी को बढाना है, जिसके जरिये आपको शराब से होने वाली आमदनी के घाटे की पूर्ति करनी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि शराब की आमदनी को खत्म कर दिया जाये तो सरकार को घाटा रह सकता है। सरकार को दूसरा तरीका अपनाना होगा। आप लोगों को शराबी बनाकर और दूसरे तरीकों से होने वाली आमदनी से हम अपना काम चलायें। इस बात पर हमें सोचना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब ने इस सदन में और जहां कहीं हम महत्वपूर्ण पद सम्भालते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान में भी यह निर्देश लिखा है कि देश में शराबबन्दी होनी चाहिये। और देश में शराब का प्रचार बन्द होना चाहिये। मैं समझता हूं कि हम सब इस बात के अन्दर अपराधी हैं और अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं। जो संविधान में निर्देश दिये हैं, उनकी स्वयं अवहेलना कर रहे हैं। मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह सुझाव है कि आबकारी संशोधन विधेयक में जो 18 साल से कम उम्र के और विद्यार्थियों पर शराब बन्दी लागू करने का संशोधन है, वह इस प्रकार से आना चाहिये था और उसकी जरूरत थी आगे बढाने में, समाज की व्यवस्था के लिये सरकार का निर्माण हुआ था और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उस समाज का कैसे निर्माण होता है। कैसे नागरिक बनाये जाते हैं। नागरिकों को अच्छा बनाया जाये। यह समाज के अन्दर सरकार की जिम्मेदारी होती है। वह जिम्मेदारी सरकार तभी निभा सकती है और उस सरकार के निर्देशों का आचरण कर सकती है जब कि समाज के लोगों को यह आभास हो, समाज के लोगों के दिलों में यह छाप हो कि जो लोग हमें निर्देश देते हैं, वह लोग कैसे हैं ? वह कहां तक खरे हैं। कहां तक वह जो कुछ कहते हैं, उसका पालन करते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि इस विधेयक में जहां 18 साल से नीचे के मासूम बच्चों का जिक्र है और विद्यार्थियों का जिक्र है, वहां इस बात का जिक्र होना चाहिये था कि राज्य सरकार से जो फायदा उठाने वाले व्यक्ति, किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिये शराब का पूर्णतया निषेध रहेगा। और शराब नहीं पियेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की जितनी आवश्यकता थी और है कि जिस प्रकार समाज के समुदाय हैं, उन समुदायों के नियम हैं, वह नियम इसलिये हैं कि उसमें समाज के नैतिक मूल्यों का मारल वैल्यूज का समाज में प्रचार करना है। उनको ऊंचा उठाना

(श्री रामनारायण)

चाहिये। इसलिये वह सामाजिक समुदाय अपने अनुयायियों पर लागू करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैन समाज है, व उदाहरण के तौर पर सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, और दूसरे समाज हैं। जिनका यह नियम है कि उस समाज का कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पी सकेगा। मांस नहीं खा सकेगा। आदि आदि बातें सामाजिक तरीके से उनके ऊपर लागू होती हैं। वे लोग हैं··

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अब तो वह परम्परा भी खत्म हुई।

श्री रामनारायण : उस समुदाय में रहने वाले लोग उनका पालन करते हैं। अपने समुदाय के लिये इस प्रकार की अच्छी बातों को प्रीच करते हैं वे लोग खुद उन सारी बातों को पूरी तरह से आचरण में लाते हैं, उन सब पर आचरण करते हैं अगर अपने समुदाय के लोगों में इस बात का विश्वास बैठाते हैं कि हम जिस समुदाय के हैं, उस समुदाय के अगुआ, उस समुदाय का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति उन सब बातों में जिनका वे उपदेश करते हैं पहले ही वे पूर्ण हैं, जो उपदेश देते हैं उनमें उसके विपरीत कोई आचरण नहीं है। और तभी लोग उनका अनुकरण करते हैं और जैसा वे अगुआ प्रवचन देते हैं, उसका उस समुदाय के लोग पालन करते हैं। यदि वे किन्हीं बातों का पूर्णतया पालन नहीं कर सकते हैं तो यह सही है, तथ्य है कि कुछ प्रतिशत में वे उनका अनुकरण करते हैं।

तो हमारी सरकार जो कानून बनाती है और उस कानून का पालन करवाती है, उस सरकार के आदमी, उस सरकार के अधिकारी, उस सरकार से फायदा उठाने वाले लोग जब स्वयं शराब पीवें, शराब पीने वालों को प्रोत्साहन देवें तो मैं यह समझ सकता हूं कि आपके इस कानून की कोई सामाजिक या नैतिक कीमत नहीं होगी। इस दृष्टि से मैं इन संशोधनों का कोई महत्व नहीं समझता। उपाध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों के पास हो जाने से यह लाजिमी होगा कि 18 साल से कम उम्र के मासूम बच्चे अगर किसी गलत सोसायटी में फंस जाने के कारण किसी गलत सौबत के कारण शराब पीते हुए पाये गये तो इस संशोधित विधेयक के माफिक वह अपराधी हो गया, और अपराधी होने के कारण उस पर मुकदमा चलेगा, उसका चालान होगा और उसको अदालत में पेश किया जायगा। इस सारे प्रोसेस के बाद क्या आयेगा? उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रोसेस के बाद हम देखेंगे कि जिस मासूम बच्चे पर, जिस विद्यार्थी पर मुकदमा बनाया गया है, उस पुलिस स्टेशन का सब-इन्स्पेक्टर शराबी मिलेगा और जिस समय वह इन्स्पेक्टर इस मुकदमे की रिपोर्ट लिख रहा होगा उस समय वह शराब में मशगूल मिलेगा, उसके बाद फिर उसे अरेस्ट करने के लिये सिपाही जायेंगे वे सब शराबी होंगे और एक शराबी अफसर उसे किसी काम्पेटेन्ट कोर्ट में ले जाकर पेश करेगा और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, जैसी स्थिति आज राजस्थान में है, उसके अनुसार इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि जो न्याय करने के लिये न्याय की कुर्सी पर जो अधिकारी बैठा हुआ होगा वह अधिकारी भी शराबी मिलेगा, ऐसे बहुत कम केसेज मिलेंगे कि अधिकारी शराब नहीं पीते हों। 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, मासूम

(श्री रामनारायण)
विद्यार्थी हैं, उन पर मुकदमा बनता है, उस मुकदमें की तफतीश एक शराबी अफसर करता है, शरावी कर्मचारी उसको गिरफ्तार करते हैं और जो न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है वह खुद शराबी है। शराबी अफसर ही मुकदमें की तफतीश करने वाला, शरावी ही गिरफ्तार करने वाला और शराबी अफसर मुकदमें का चालान शराबी अधिकारी के पास करेगा, जो न्याय करने की कुर्सी पर बैठा है वह खुद शराबी है, इस प्रकार उस मासूम बच्चे को, उस 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थी को सजा मिले इसमें मैं कोई नैतिकता नहीं समझता। इसमें सरकार के लिये इस प्रकार के संशोधनों के लाने में कोई महत्व की बात नहीं है।

यदि हमारी सरकार कोई क्रान्तिकारी काम करना चाहती थी, यदि कोई महत्वपूर्ण काम करके कोई नेतृत्व राजस्थान को देना चाहती थी तो कुछ समुदाय जिसकी जिम्मेदारी है कि जनता के मोरल को ऊंचा उठायें, जिन समुदायों की जिम्मेदारी है कि समाज का उत्थान करें, समाज में क्राइम्स को रोकें, उन समुदायों पर सरकार कोई इस प्रकार का संशोधन लाकर प्रतिबन्ध लगाती कि राजस्थान राज्य का कोई कर्मचारी शराब नहीं पीयेगा, पूर्ण रूप से शराब का निषेध करेगा, पूर्ण रूप से मद्य निषेध का पालन करेगा तो यह हिन्दुस्तान के अन्दर एक चमत्कार पूर्ण क्रान्तिकारी कदम होता और लोग समझते कि राजस्थान में क्रान्ति हुई है, राजस्थान जाग उठा है। लेकिन इस प्रकार का कोई संशोधन न लाकर इस विधेयक के द्वारा 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों पर इस प्रकार का प्रावधान लाकर व्यवस्था की जा रही है। विद्यार्थियों का कसूर क्या है? विद्यार्थियों की आज जो स्थिति है उससे आप परिचित हैं, आज राजस्थान के 84 प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं, किसान और मजदूर तबके के लोग हैं, उनमें एक प्रतिशत विद्यार्थी भी शराब पीते हुए आपको नजर नहीं आयेंगे। न वे शराब पीते हैं और न शराब पीने की सोचते हैं। उन्हें भर पेट खाने को नहीं मिलता, पूरा कपड़ा नहीं मिलता, पढने के लिये पूरा खर्चा नहीं मिलता, जैसे तैसे जीवन यात्रा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पढने की कोशिश करते हैं, उनके लिये इस कानून का कोई महत्व नहीं है। विद्यार्थी शराब पीने वाले वे ही मिलेंगे जिनके पिता ऊंचे ओहदों पर हैं, उन्हीं में इस शराब का समावेश मिलेगा।

तो मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय इस प्रस्ताव के रखने के पीछे जो दृष्टिकोण हैं उन दृष्टिकोणों को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इस विधेयक पर जनमत जाना जाय, जो निश्चित रूप से इन संशोधनों के खिलाफ आयेगा। हम यह नहीं चाहते कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे शराब पीयें, हकीकत यह है कि वे नहीं पीते हैं, हम नहीं चाहते कि विद्यार्थी शराब पीयें, यह हकीकत है कि विद्यार्थियों के अन्दर शराब पीने वाले नहीं मिलेंगे। ऐसी हालत में इस प्रकार का कानून लाकर हम दुनियां के सामने राजस्थान की यह तस्वीर पेश करना चाहते है कि राजस्थान के अन्दर 18 साल से कम

(श्री रामनारायण)

उम्र के बच्चे, 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थी शराबी हो गये हैं ।

यदि आपको इसमें संशोधन करना था तो कोई महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी संशोधन लाना चाहिये था। जैसे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने सुझाव दिया कि हम जो यहां बैठे हुए हैं या हमारे साथी दूसरी जगह संसद में बैठे हुए हैं, या जो लोग हमारे जिलों में जिला परिषदों में, पंचायत समितियों में, ग्राम पंचायतों में, न्याय पंचायतों में बैठे हैं, उनके लिये इस प्रकार का संशोधन लाना चाहिये, उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि वे शराब न पीयें। मैं यह महसूस करता हूं और मैंने सुझाव दिया है कि सरकारी अधिकारियों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना चाहिये था, उनके लिये इस प्रकार का संशोधन लाना चाहिये था, यदि उनके लिये इस प्रकार का संशोधन आता तो हम उसका स्वागत करते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी समय है, अभी इस विधेयक पर बहस चल रही है, अब भी समय है, इस बात पर सरकार विचार करे और इस प्रकार का संशोधन, इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी चीज इस विधेयक में लायें, जिससे लोग महसूस करें कि राजस्थान के लोगों को शराब से हमारी सरकार बचाना चाहती है, राजस्थान के लोगों को राजस्थान की सरकार शराबी होने से रोकती है, और यह सरकार की वास्तविक मंशा है कि इस प्रकार के कदम उठा कर राजस्थान में पूर्ण मद्य निषेध करना चाहती है।

मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रस्ताव करता हूं कि इस आबकारी संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह !

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी विधेयक में किसी खास उद्देश्य के लिये यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इस संशोधन विधेयक को देखने से पता चलता है और इसके उद्देश्यों में निर्धारित है कि राजस्थान में शराब की खपत कम हो, इस दिशा में राजस्थान सरकार कदम उठाना चाहती है। पर इस संशोधन विधेयक को देखने से पता चलता है कि जिस प्रकार का संशोधन लाया जा रहा है उससे क्या जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह चीज मिलेगी ? इसमें दो ही व्यवस्थायें की गई है। 18 साल से कम उम्र के लड़के या विद्यार्थी हैं, वे शराब नहीं पियेंगे। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि यह राजस्थान सरकार का कदम अच्छा है पर इसके जरिये जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह उद्देश्य हमें प्राप्त नहीं होगा। इसे देखकर मुझे याद आती है एक किस्से की। एक लड़का खड़ा खड़ा पिशाब कर रहा था। उसके पास ही में खड़े एक आदमी ने उस लड़के के पिता के पास शिकायत करने का विचार किया जो स्वयं भी खड़े खड़े तो पिशाब कर ही रहा था पर साथ ही खड़े खड़े पिशाब करते हुए चक्कर भी लगा रहा था ठीक यही हालत इस विधेयक की है।

मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि उसका चालान एक शराबी अफसर करेगा, उसका चालान एक शराबी अफसर के द्वारा एक शराबी मजिस्ट्रेट के पास किया जायगा जो शराब पिया हुआ मिलेगा।

(श्री शिवनाथसिंह)

(2 म. प.)

उसकी शिकायत होगी माता पिता के सामने जो खुद शराब पीए होंगे। जो शिक्षा देने वाला अध्यापक मिलेगा वह भी शराब पिया हुआ मिलेगा। इसलिये यदि हम चाहते हैं कि शराब की खपत कम हो, समाज में सुधार हो तो इन तत्वों को देखना पड़ेगा जिनके माध्यम से समाज में सुधार हो सकता है। हम देखते हैं कि स्कूलों के अध्यापक, कालेजों के प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स हमारे बच्चों में, विद्यार्थियों में बहुत ही गुण ला सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की हालत आपसे छिपी हुई नहीं है, जिस स्कूल का अध्यापक शराब पियेगा, जो दिन भर शराब पीने में व्यस्त रहेगा वह अपने विद्यार्थियों को क्लास में क्या शिक्षा दे सकेगा? कहीं उसके मुंह से निकल जाय कि शराब पीना बुरा है तो विद्यार्थी उसको कहां तक मान सकता है, यह आप समझ सकते हैं।

इसके अलावा आपने इसमें लिखा है कि 18 साल से पहले कोई शराब नहीं पीयेगा, लेकिन 18 साल से पहले उनके बिगडने का खतरा कम होता है। मुझे एक सीनीयर आफिसर से बात करने का अवसर मिला। उसका लड़का 18-20 साल का है। उन्होंने अपनी स्त्री को बच्चे की देखभाल करने के लिये लिखा क्योंकि वह खुद अकेले रहते हैं। मैंने उनसे कहा 18-20 साल के बच्चे की निगरानी करने की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अवस्था बिगडने की यही है 18 और 25 साल के बीच में। 18 साल से पहले तो बच्चे की रखवाली करें या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 साल से पहले कोई लड़का शराब पीता हो, ऐसा कोई लड़का मुझे देहात में नजर नहीं आया, पीयेगा तो भी छिपकर पीयेगा। इसलिये यदि हम रोकना चाहें तो भी पूर्ण तो नहीं रोक सकेंगे। हो सकता है कि राज्य सरकार की अपनी दिक्कतें हों जिनके कारण पूर्ण नशाबन्दी नहीं हो सकती। लेकिन जो आपने सिर्फ 18 वर्ष की उम्र रखी है उससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इस लिये इसे 25 या 30 साल करदें।

दूसरे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि इस कानून के पालन का अधिकार आप देते हैं हमारी सेवाओं को, वे कैसे हैं? मैं यह नहीं कहता कि सभी अधिकारी शराब पीते हैं लेकिन चाहे 10-20 या 50 प्रतिशत भी पीते हों तो क्या कानून का पालन करा सकेंगे? मुझे डर है कि विद्यार्थी या छोटी उम्र वाले लड़के जिन्होंने वास्तव में शराब पी है और उसके माता पिता समझाते हैं कि देखो बच्चों शराब पीना बुरा है तो उस पर असर पड़ता है। लेकिन यदि उस बच्चे को पुलिस को सुपुर्द कर दिया और मजिस्ट्रेट के आगे उपस्थित कर दिया, मजिस्ट्रेट खुद शराब पीने वाला है तो वह बच्चे को छोड़ देगा। तो क्या असर पड़ेगा उनका बच्चे पर? यही पड़ेगा कि गुनाह किया जाय कोई दिक्कत नहीं। तो इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिये।

एक बार एक लड़का गुनाह करता है, दंड यदि उसको मिल जाय तो सुधार हो सकता है लेकिन गुनाह करने के बाद क्योंकि उसका न्याय करने वाला भी ऐसा ही आदमी है जो खुद गुनहगार है, तो उसके बाद बच्चे की हालत क्या होगी?

(श्री शिवनाथसिंह)

ऐसा ही शिक्षा संस्थाओं के लिये है। जिन संस्थाओं के अध्यापक लेक्चरार्स या प्रोफेसर्स शराब पीते हैं वह विद्यार्थी पर क्या अनुशासन ला सकेंगे या शराब के विरुद्ध उसमें क्या विचार उत्पन्न कर सकेंगे। इसलिये दो वर्ग ऐसे हैं जिन पर पाबन्दी लगना बहुत आवश्यक है। यदि इन दोनों वर्गों पर पाबन्दी नहीं लगाते हैं और सिर्फ 18 साल से कम उम्र के लड़कों पर लगायेंगे तो यह सारी मखौल होगी। मैं मानता हूं कि शराबबन्दी नहीं कर सकते, हालांकि सिद्धान्त रूप से यह करनी चाहिये। इस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। जो सिद्धान्त हमने आजादी की लड़ाई के समय अपनाये थे जिनकी बराबर हम दुहाई देते हैं और गांधीजी का नाम लेते हैं, उनके लिये औचित्य का तकाजा है कि उनका पालन करें। अगर पालन नहीं कर सकते तो पालन करने की कोशिश करें। आज हम देखते हैं कि देश में कांग्रेस की सरकारें भी हैं और कांग्रेस के खिलाफ की सरकारें भी हैं। कांग्रेस के खिलाफ सरकारें कोई क्रांतिकारी कदम उठायें यह संभव नहीं है। जन संघ या स्वतन्त्र पार्टी या पी. एस. पी. या एस. एस. पी., या साम्यवादी हों, इनके भरोसे कोई कदम उठाया जाय तो जैसी चरणसिंह की हालत हुई आपके सामने है। उन्होंने इन दलों के भरोसे कुछ कदम उठाये, कांग्रेस को छोड़ा लेकिन 12 महीने भी वे उनका साथ नहीं दे सके। इसलिये इन जमायतों से इन पार्टियों से हम उम्मीद करें कि क्रांतिकारी कदम उठायें, यह सम्भव नहीं है। इसलिये बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम उठाए जो देश के सामने आये। हमारे आबकारी मंत्री तो क्रांतिकारी विचारों के हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अगर हम शराबबन्दी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बढें जिससे देश का भला हो। राजस्थान ने कई मामलों में अगवानी की है। पंचायती राज में की है। तो वह शराबबन्दी के मामले में ऐसे क्रांतिकारी कदम उठायें जिससे लोग हमारा अनुकरण करें। यदि राज्य सरकार के अधिकारियों और शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों पर पाबंदी लगाते तो इसका नतीजा हमारे सामने आता लेकिन जो संशोधन विधेयक में किया गया है, इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं।

मेरा निवेदन है कि यह विधेयक सरकार की नीति से संबंध रखता है। हम चाहते हैं कि शराब बंदी हो लेकिन किस अवस्था में हो, क्या पाबंदी हो, उसके लिए हम क्या दंड कायम करना चाहते हैं और किस तरह की मशीनरी हम कायम करना चाहते हैं और किन किन वर्गों पर कायम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसे जनमत के लिये प्रसारित किया जायेगा तो लोगों की राय मिलेगी। यह ऐसा विधेयक नहीं है कि हम बैठकर कानून बनादें और पालन हो जाये। इसका समाज से संबंध है, इसको समाज द्वारा समझना जरूरी है। हो सकता है हम किसी को दंड दे दें, किसी विद्यार्थी को दंड दे दें, इससे शराब बंदी नहीं होगी। जगह जगह से राय मिलेगी, अलग अलग वर्गों की और संस्थाओं की। यह कोई ऐसा विधेयक नहीं है कि इसको अभी ही पास करना जरूरी है। यहां नीति का सवाल है कि फलाने वर्ग को पाबंद करना चाहते हैं, यह कोई फाइनेन्स बिल नहीं है

(श्री शिवनाथसिंह)

कि इसका जल्दी पास होना जरूरी है। इसलिए इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये ताकि जनता की भावनाएं हमारे सामने आ जायेंगी और उसके बाद ही इस पर विचार किया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक जो यहां पर प्रस्तुत हुआ है उस पर मैंने प्रस्ताव किया है कि, इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये। जैसे अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक यहां पर क्यों प्रस्तुत किया गया है। गत वर्ष जब आबकारी विधेयक के बारे में यहां बहस हुई थी और उसमें हमने भाग लिया था और खास तौर से यह कहा था कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जहां शराब घटने के बजाय दिनों दिन बढता जा रहा है। हम चाहते तो यह हैं कि लोगों को शराब कम पिलाई जाय, आदत उनमें इस प्रकार कैसे सुधारी जाय जिससे कम से कम शराब पीयें या बिल्कुल न पीयें ताकि हमारे समाज में जो गिरावट आ रही है उसको रोक सकें। समाज के सुधार के सम्बन्ध में कुछ न कुछ कर सकें और उसी का यह नतीजा है कि कुछ सुझाव अमेन्डमेन्ट के तौर पर यहां प्रस्तुत किये गये हैं। हालांकि अमेन्डमेन्ट जो यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं उनसे हमारा पूरा मकसद हल नहीं होता है फिर भी जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किये गये हैं, मैं हृदय से उसका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो और बिल इस सम्बन्ध में है, मैं आगे चलकर निवेदन करूंगा-उन मसलों पर भी भविष्य में और विचार किया जाय और इसी अमेन्डमेन्ट बिल में जो यहां प्रस्तुत किया गया है, उसमें शामिल कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। जैसा अभी इस अमेन्डमेन्ट के जरिये से यहां दो प्रश्न सामने आते हैं। एक तो वह जो कम उम्र के हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं जो नाबालिग हैं दूसरे वे जो किसी भी एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। जहां तक इन दोनों का प्रश्न है, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पोतडों से ही यानि शुरू से ही बचपन से ही पड़ जायें वरना बहुत कम लोग ऐसे है जिनको शराब पीने की आदत हो। जो मकसद हमारे सुधार का है वह इस अमेन्डमेन्ट से मेल नहीं खाता है। चाहते तो यह हैं कि जो अमेन्डमेन्ट और भी प्रस्तुत किये गये हैं, जो कई माननीय सदस्यों ने किये हैं और जैसा अभी माननीय रामकिशन जी ने कहा कि हमारे समाज को सुधारने के लिये सबसे आवश्यक बात तो यह है कि हमारे समाज में जो ऊंचे दरजे के लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, चाहे वे अधिकारी हो या चाहे चुने हुए लोग हों, चाहे पंचायत में हों, पंचायत समितियों में हों, जिला परिषदों में हों, चाहे असेम्बली का मेम्बर हो और चाहे वह पार्लियामेन्ट का मेम्बर हो हर एक को बन्द करें, क्योंकि ये तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के नेता हैं अगर ये लोग शराब पीते हैं तो उससे जनता पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा इसलिये इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट आवश्यक हैं। आज जनता के पास यह रिपोर्ट जाती है कि ये बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी शराब पीकर मदहोश रहते हैं तो उसका जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है और जनता को कई बातों से समझाया जाता है लेकिन उनके समझ में नहीं बैठता है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके लिये भी इसमें

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रावधान रखना चाहिये कि जो जनता के प्रतिनिधि शराब पीते हैं, उनमें भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाय या इलेक्शन रूल्स में व्यवस्था की जाय कि जो शराब पीते हैं, उनको चुनाव में खड़ा न किया जाय। इससे लोगों में इस प्रकार की आदत कम पड़े, माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोले हैं उन्होंने कहा है कि आज गवर्नमेन्ट में जितने अधिकारी हैं, मैं नहीं कहता कि शतप्रतिशत ही हों जो शराब पीते हैं किन्तु काफी मात्रा में बड़े अधिकारी हैं जो शराब पीते हैं। जनता के सामने उनकी चर्चा जाती है तो बहुत बुरा लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, शराब की वजह से जो व्यक्तियों को फैसला मिलना चाहिये वह नहीं मिलता, जो न्याय मिलना चाहिये वह नहीं मिलता बल्कि अन्याय हो जाता है। इस ओर खास तौर से तवज्जह करनी चाहिये कि जो सरकार के अधिकारी हैं, उन पर पाबन्दी अवश्य लगनी चाहिये कि वह शराब न पीवें और अगर वे पीते हैं तो उनक लिये कोई सजा भी तजवीज की जाय ताकि उन पर छाप पड़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्साफ मिले। इस प्रकार की तब्दीली की जाय, उपाध्यक्ष महोदय। बहुत से लोग रिश्वत नहीं लेते हैं, किन्तु एन्टरटेनमेंट में फंस जाते हैं। इससे भी कई लोग बिगड़ जाते हैं। बहुत भारी खराबियां आज इस देश के अन्दर आ गई हैं। इस प्रकार की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे तभी जाकर लोगों को सुधार सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। उनके सामने अच्छे आदर्श उपस्थित कर सकते हैं इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसमें इस प्रकार की बातें और जोड़ी जायें जिससे हमारे सरकारी प्रतिनिधि और चुने हुये प्रतिनिधि को शराब पीने की मुमानियत हो। एक बात और कही गई है यहां पर, मैं चाहता हूँ उस सम्बन्ध में भी कुछ प्रतिबन्ध लगना चाहिये। महिलाओं के अन्दर हमारे हिन्दुस्तान में शुरू से परम्परा रही है। महिलायें जो हमारी मातायें और बहिनें होती हैं। हमारे घर में काम करने वाली स्त्री के रूप में रहती हैं, उनके अन्दर अगर जो बुराइयां होंगी तो जो उनसे पैदा होने वाली सन्तानें हैं उन पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। शुरू से स्त्री शराब पीती है तो छोटे छोटे बच्चों पर जब से वे समझने लगते ह उन पर कुप्रभाव पड़ता है और आगे चलकर जिस प्रकार का आचरण और जिस प्रकार का उनका चरित्र निर्माण करना चाहिये, वह नहीं कर पायेंगे। कम से कम ये 3-4 बातें और एड की जानी चाहिये। हम लोगों का जो आज आचरण सुधारना चाहते हैं और जो पथ-भ्रष्ट हो गये हैं उनको सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं तो उनको तभी चला सकते हैं जब उन पर प्रतिबन्ध लगायें तभी जाकर कुछ न कुछ सुधार हो सकता है। वैसे चाहता तो यह था कि राजस्थान के अन्दर शराब पीने की पूर्णतया पाबन्दी हो, मगर दूसरे प्रान्तों की हालत देखता हूँ—गुजरात आदि के मजदूरों को देखता हूँ वे चुपचाप राजस्थान के अन्दर आकर शराब पीते हैं और राजस्थान की आबकारी को बढ़ाते हैं। उन लोगों को देखते हुये कम से कम यह बात तो खयाल में रखनी चाहिये कि गरीब मजदूरों का पैसा शराब के अन्दर किस प्रकार नष्ट होता है। बुरे तरीके से सरकार की आय बढ़े, यह हम नहीं चाहते हैं। उसका खराब असर लोगों पर पड़ता है। इन बातों को सख्ती से रोकें तो हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है और जो

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कार्यक्रम आप अपनाना चाहते हैं उसमें भी तीव्र गति आ सकती है। इसलिये इस खराब आय को सरकार के खजाने से निकाला जाय। इसके बजाय तो अगर हम चाहें तो और जरिये से ज्यादा टैक्स वसूल करके लोगों को सम्पन्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह आपको मालूम होगा कि आज हमारे देश में गरीब मजदूर लोगों को जिनको 100 रुपये, 80 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती है। मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी मजदूर रहा हूं, जो मिल कारखानों में काम करते हैं उसका दसवां रोज भी निकालना मुश्किल हो जाता है। 20 दिन उसके बाल-बच्चों को भूखों मरना पड़ता है और उसकी सारी हैसियत बरबाद हो जाती है। इसी तरह से और लोगों के सम्बन्ध में भी यही बात है चाहे वह करोड़पति हो और चाहे वह कितना ही पूंजीपति हो उसके उदाहरण हमारे देश में प्रस्तुत हुये हैं। कुछ धन्ना सेठों का भी उदाहरण है। सभी श्रेणी के उदाहरण इस देश में मौजूद हैं। बड़े से बडा आदमी जो शराब के धन्धे लग जाता है, वह चौपट हो जाता है। यह हमारी संस्कृति और इतिहास बताता है। यहां पर जब 200 साल तक अंग्रेज लोग रह गये, उनके राज्य में इस कुप्रथा को और भी मजबूती मिली और इस प्रथा ने और भी जोर पाया। जिस तरह से अंग्रेजों के यहां काकटेल पार्टीज होती थीं, उनमें हमारे हिन्दुस्तानी भी शामिल होने लग गये और उनके यहां भी इस तरह की पार्टीज होने लगीं और वे इसमें अपनी शान शौकत समझने लगे। इस तरह अंग्रेजी राज्य के अन्दर शराब पीने की आदत पडी। लेकिन आज जब हम लोगों को उन अंग्रेजों से आजादी मिल गई है तो इस प्रकार की कुप्रथा को देश से निकाल देने के लिये हमको प्रयत्न करना चाहिये और ऐसी बातों को लाना चाहिये जिससे हमारा समाज और देश ज्यादा से ज्यादा मजबूत बन सके। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमको इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना है और शराब पीने पर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगाना है। मैं चाहता हूं कि कानून के जरिये इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि कोई भी आदमी शराब पीकर रास्ते में नहीं फिरे। कोई अगर शौक मजे के लिये पीना भी चाहे तो उस पर इतनी पाबंदी होनी चाहिये कि वह घर जाकर पीये। होटल और बार में पीने की कतई मनाई होनी चाहिये, बल्कि होटल्स में बार स्थापित नहीं होने चाहिये जिसमें अंग्रेजी या देशी शराब मिले। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जो बड़े लोग हैं और जो शौक और मौज के लिये बार और कैफे में जाते हैं उन पर भी पूरी तरह से पाबन्दी लग जाये जिससे हमारे समाज के दूसरे लोग, जिनको हम छोटी श्रेणी के लोग कहा करते हैं या समझते हैं उन पर भी यह कुप्रभाव न पड़े कि बड़े बड़े लोग इस तरह से पिया करते हैं इसलिये हमको भी ऐसे ही पीना चाहिये। यदि इस तरह की व्यवस्था हमारे यहां न हुई तो छोटे से छोटे लोगों पर असर पड़ सकता है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि हमको इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपको मालूम होगा कि जिस वक्त हमको आजादी मिली उस वक्त हमारे राजस्थान में कितनी शराब की दुकानें थीं और आज हमारे यहां कितनी दुकानें हैं। तो आपको शराब की प्रगति साफ तौर से मालूम होगी। राज्य सरकार ने नशाबन्दी की रिपोर्ट यहां पेश की कि हम नशाबन्दी करेंगे लेकिन धीरे धीरे। पर आपको इसके बावजूद

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
भी यह साफ तौर से पता चलेगा कि शराब की दुकानें घटने के बजाय बढ़ रही हैं। तो राज्य सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया नशाबन्दी के लिये ? आपको इसकी आमदनी से भी साफ तौर से मालूम हो जायेगा कि शराब की बिक्री बढ़ रही है। जहां आजादी के बाद एक या डेढ़ करोड रुपये की आमदनी होती थी वहां आज नौ दस करोड़ की आमदनी हो गई है। यह शराब की आमदनी इस प्रकार से सालोंसाल बढती जा रही है। इसके अलावा गांवों में तो जो लोग शराब पीने वाले हैं उनके यहां घर के अन्दर ही नाजायज शराब बनती है, जो सरकारी दुकानों से बिकने वाली शराब से अलग है और उसको रोकने में सरकार असमर्थ है। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकी जिससे कि गांव के अन्दर जो घर घर में नाजायज शराब की भट्टी बनी हुई है और नाजायज शराबकसी होती है उसको बन्द कर सके।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने प्रिवेन्टिव मेजर्स भी लिये, प्रिवेन्टिव फोर्स भी रखा और उसका खर्चा भी बढता ही जा रहा है दिन प्रति दिन लेकिन आपके नाजायज शराबकसी के चालान कम से कम होते जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट अपना कर्त्तव्य पालन करने में नाकाम रहा। उसने ऐसे लोगों को, जो नाजायज शराब बनाते हैं, उनको पकडने और सजा दिलाने में पूरी तरह से कोशिश नहीं की। तो मुझे निवेदन करना है कि हमें राजस्थान के अन्दर शराब बन्दी का पूरी तरह से पालन करना चाहिये और हमें दिन प्रति दिन इस रास्ते की तरफ बढना चाहिये जिससे कि एक दिन ऐसा आये कि राजस्थान देश के लिये आदर्श बन जाये और जैसा हमारे नेता लोग कहा करते हैं, हिन्दुस्तान के गरीब लोग इस शराब से छूट कर अपने बच्चों को भर पेट खिला सकें, और हर आदमी को रोटी, रोजी और मकान उपलब्ध हो जायें। अगर हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हर एक को अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो बातें मैंने रखीं शराब के सम्बन्ध में और सुधार के सम्बन्ध में· · ·

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कहा वह रिकार्ड हो गया, दोहराने की जरूरत नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कि इस सम्बन्ध में कानून की व्यवस्था होनी चाहिये और इस बिल को जनमत जानने हेतु भेजने के लिये जो मैंने प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1968 चल रहा है उस पर मेरा प्रस्ताव था कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में काफी सुझाव दिये और सरकार की आय के दुरुपयोग के बारे में भी काफी प्रकाश डाला है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शराब का मसला है वह बहुत ही गम्भीर है। हमारी सरकार शराब को आय का मुख्य साधन बना कर चल रही है। नशाबन्दी को कम करने के लिये सरकार ने जो कमेटी मुकर्रर की थी· · ·

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : नशाबन्दी को कम करने के लिये नहीं, नशे को कम करने के लिये।

श्री श्रवणलाल : उसके जो सुझाव थे वे इस बिल में आप लाये हैं जैसे 25 किलोमीटर की एरिया के अन्दर गुजरात बार्डर पर उन्होंने नशाबन्दी को लगाया है।

इसके अलावा 18 साल से कम आयु वालों के लिये भी इस बिल में प्रावधान किया गया है और विद्यार्थियों के लिये भी इसमें प्रावधान रखा गया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस बात को देखा जाये और इस बात को सोचा जाये तो कोई ऐसा समझेगा कि जैसे हमारे राजस्थान के अन्दर जो विद्यार्थी हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं उनको शराब पीने की आदत है। इस तरह उन पर एक बहुत बड़ा कलंक लगाया गया है कि 18 साल से कम आयु वाले विद्यार्थी शराब पीते हैं। मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। 18 साल के विद्यार्थी शराब पीते हैं मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों का एक बहुत ही सरल और सीधा जीवन है और उसके साथ विद्यार्थी अनेक प्रकार की अपनी जानकारी के अनुसार विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के अनुसार वह ऐसा काम कभी भी करने को प्रोत्साहित नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है कि जिसका सम्बन्ध आय से है तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि इसके अन्दर कई प्रकार के घोटाले होते हैं। आज इस ठेके की प्रणाली से गांव-गांव में उसकी गली-गली में आपने शराब पहुंचा दी है। जिन लोगों ने उसको देखने की कसमें खा रखी थीं आज उनके मोहल्लों में, उनकी गलियों में, उनके बाजारों में, उनके मन्दिरों के सामने, उनके स्कूल-भवन के सामने इस प्रकार से दुकानें खडी करके हमारी सरकार ने पीने वालों की संख्या दुगुनी नहीं, तिगुनी नहीं, आठ गुनी तक पहुंचा दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मेरे से पूर्व वक्ता इस बात के लिए कह रहे थे कि इसमें किस प्रकार से घोटाले होते हैं, उसका एक नमूना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज राजस्थान के मंत्रि-मंडल में एक वरिष्ठ मंत्री हैं उनके द्वारा हमारी इस आय के अन्दर किस प्रकार से घोटाले किये गये हैं, राजस्थान की आय को उन्होंने किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है 13 हजार की रिश्वत लेकर व्यापारी लोगों से सांठ-गांठ कर, उन्होंने इसका फायदा पहुंचाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक आरोप-पत्र के द्वारा यह उल्लेख करूंगा कि किस प्रकार से राज्य कोष को 1 करोड का घाटा पहुंचाया गया है, और वह किस लिए पहुंचाया गया है और किस आधार पर पहुंचाया गया है। उसमें हमारे मंत्री महोदय का हाथ था। मंत्रीजी ने ठेकेदारों से सांठगांठ कर भूतपूर्व जोधपुर राज्य में 13 हजार रुपये लेकर आदेश बदल दिये। जिनका ठेका होने जा रहा था उनके आदेश 13 हजार की रिश्वत लेकर बदल दिये, रद्द कर दिये। इस तरह से वहां पर अधिकृत रूप से यह ज्ञात हुआ है कि जिस प्रकार से शराब के ठेके के देने से संबंधित गलत नीति और मंत्रियों के द्वारा ठेकेदारों को अनुचित संरक्षण दिये जाने के कारण राजस्थान सरकार को एक करोड का घाटा लगने का अनुमान है। यह बताया जाता है कि ठेकेदार के बारे में···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आप असंगत बात कह रहे हैं। जो इस संशोधन के

(श्री उपाध्यक्ष)

सिद्धान्त हैं उन्हीं के ऊपर आप कह सकते हैं। इसका संबंध इस बात से नहीं है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उन तथ्यों के ऊपर जा रहा हूं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि सरकार की आय···

श्री उपाध्यक्ष : इस संशोधन से आय का कोई प्रश्न नहीं है। इन संशोधनों को आप पढ़लें और उनके ऊपर कहना चाहें तो कहें।

श्री श्रवणलाल : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : आय से इसका सम्बन्ध नहीं है। जो कुछ कह दिया है वह ठीक है आगे दूसरी बात कहें।

श्री श्रवणलाल : मैं तथ्य ही रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और किसी वक्त में बजट पर वाद-विवाद हो तो कह दें। यह बात इस वक्त संगत नहीं है इसलिए आपका ध्यान आकर्षित किया गया था।

श्री श्रवणलाल : मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक मामला सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में पहुंचा और उसमें इस प्रकार की बात आई जो कि समाजवाद का ढोल पीटते हैं, उसके बारे में इस बात का आरोप लगाया गया कि मंत्री महोदय ने 13 हजार की रिश्वत लेकर उनको फायदा पहुंचाया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : Very serious Charge.

श्री श्रवणलाल : यह अखबार की कटिंग है, आपके जरिये मैं···

श्री उपाध्यक्ष : इसका इससे सम्बन्ध नहीं है इसलिए मैंने कहा है कि और किसी अवसर पर रख दें टेबिल यहीं पर है, लेकिन किसी अन्य मौके पर।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि किस प्रकार से आय के अन्दर घोटाले किये जाते हैं।

दूसरा जो संशोधन का प्रस्ताव था तो कहने का यह था कि आज उन्होंने किस प्रकार से इसके लिए मखौलबाजी बनाकर हमारे विद्यार्थीगणों पर कुठाराघात किया है। आज जाकर देखिये कि देहातों में 20 वर्ष नहीं, मेरा अनुभव है कि 25 नहीं 50 वर्षों से देहातों के अन्दर शराब नहीं पीते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि विद्यार्थियों को और जो 18 साल के नीचे की अवस्था के हैं उनको इस प्रकार से इस बिल के द्वारा नाजायज तौर से बांध कर उन पर एक प्रकार से कुठाराघात कर रहे हैं। आज कोई विद्यार्थी छोटी उम्र वाला पकड़ा जाय किसी भी कारण से जो कि शराब के नशे में नहीं हो सकता है, भंग पीकर आजाय तो इस प्रकार से ऑफिसरों के लिए रास्ता खोलना ठीक नहीं है। चाहे जिस विद्यार्थी के लिए, चाहे जिस व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के झूठे मुकद्दमें बनाकर उनको कोर्ट में खड़ा किया जायगा। इस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मुकद्दमें के अन्दर अनेक विद्यार्थी कोर्ट में जायेंगे जो कि यह काम नहीं करते हैं उनमें वह भावना पैदा होगी। हमारी सरकार के द्वारा इस प्रकार का बिल लाकर उनको मौका दिया जा रहा है कि विद्यार्थियों के चरित्र के ऊपर कलंक लगाया जाय।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : चरित्र-निर्माण का कार्य है यह।

श्री श्रवणलाल : चरित्र-निर्माण का कार्य होता तो इस प्रकार से नहीं करते। इसके साथ-साथ सदन यह मान ले कि नशाबन्दी नियमित रूप से करदी जाय तो यह ज्यादा अच्छा हो। उपाध्यक्ष महोदय, आज क्या है कि अधिकतर लोग जो मजदूर पेशा करने वाले हैं और फैक्ट्रियों और मिलों में काम करते हैं उनकी हालत को देखिये। लेकिन आजकल शराब गारन्टी सिस्टम के कारण सब्जी की तरह टोकरी या डलियों में गली गली में पहुंचा दी गई है। आज उसके कारण गरीब और मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते थे और मेहनत से कमाई करके शाम को घर पर लौट कर जाते थे उनको आज हरी हरी बोतलें जगह जगह नजर आती हैं और जब लगातार लोगों को पीता देखते हैं तो वे भी इच्छा करते हैं और जो कमाई सुबह से शाम तक मजदूरी करके ला रहे थे उसको उसी जगह पर छोड देते हैं और उस रंग में मस्त हो जाते हैं। जो ऐसा गरीब तबका है वह आज अत्यधिक शराब के प्रचार के कारण दिन दिन दबता चला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह था कि जिस प्रकार से यह संशोधन लाया जा रहा है उसी प्रकार से इस प्रकार का नियम बनाते कि विधान सभा के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, तथा अन्य जो पदाधिकारी हैं वे अगर शराब पिये हुए मिल जायें तो उनको फौरन ही इस एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए रोका जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई नियम नहीं लाकर छोटे बच्चों के ऊपर इस प्रकार का नियम लाते हैं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

मैं यह कहूंगा कि ऑफिसरों में शराब का तो इतना प्रचलन हो गया है कि ऑफिसरों के बारे में लोगों की यह धारणा बन गई है कि वे इस बात को कहते हैं कि यह ऑफिसर शराब पीने वाला तो नहीं है, इसकी इच्छा क्या है, यह खाने-पीने वाला तो नहीं है, यह ऑफिसर किस सोसाइटी में बैठने वाला है। अगर वह शराब यूज करता है तो इसको शराब पिलाकर अपना काम निकाला जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यह बिल लाया गया है उसी लाइन के अन्दर जैसा कि मैंने कहा कि यह बात लाई जाती कि जो चुने हुए नुमायन्दे हैं उनके लिए बनाया जाता तो अच्छा था।

इस प्रकार मैं आपके द्वारा यह प्रस्ताव रखता हूँ कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाय ताकि पूर्ण रूप से जनता के अन्दर जाकर जनता की भावना को पूर्ण तरीके बतलायें, तब तक इस बिल को पास नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !
(अनुपस्थित)।

श्री जयनारायण सालोदिया !
(अनुपस्थित)।

श्री केशर सिंह हाडा (हिन्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1968 को 3 माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज 20-21 सालों में इस कांग्रेस की सरकार को यह सूझा कि हम भारत की जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए नशाबन्दी की ओर कदम बढायें और जो इनके पूर्व नेता थे वह स्वतंत्रता से पूर्व

(श्री केशरीसिंह हाडा)

जनता को सही मार्ग दिखाने के लिए बराबर भाषण किया करते थे कि हम लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा लाने के लिए यह जो खराब प्रवृत्तियां हममें पड गयी हैं उनको हटा देना चाहिये जैसे शराब पीना, नुक्ता इत्यादि 2 कुरीतियां हमारे अन्दर जो पैदा होती गयी हैं उनको बन्द करें। मगर आज 21 वर्ष के राज्य के अन्दर अब तक इन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जब कि जनता का मत यह होने लगा कि नशाबन्दी होनी चाहिये, एक जनमानस बनाया गया तो सरकार की नींद खुली और सरकार ने करवट ली और अंगडाई लेकर यह कहा कि हम इसके ऊपर भी कुछ रुकावटें डालने के लिए प्रयत्नशील हैं। वह भी एक मामूली रुकावट का इन्होंने उल्लेख किया है। उसके अन्दर यह है कि कोई विद्यार्थी को नहीं पीने दिया जाये और जो भी इसको पीयेगा उसके लिए यह दण्डनीय होगा। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक जो शराब की दुकानें गली-कूचों में हुआ करती थीं और ऐसी गन्दी जगह पर हुआ करती थीं कि जहां पर भला आदमी जाना पसन्द नहीं कर सकता था। मगर इनके राज्य के पश्चात् यह दुकानें आम बाजारों में आ गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, बाजारों में ही नहीं आईं मगर उन पर बडे बडे साइन बोर्ड्स लग गये देशी शराब की दुकानें और इसके अलावा प्रचार के साधन जैसे रंग-बिरंगी बोतलें हरी, लाल, पीली उनके अन्दर बल्ब जलाये जायें और दूर से ही ऐसा चकाचौंध कर दिया जाय कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने कोई शराब नहीं पी हो, जाति में शराब पीने से उसके ऊपर कोई लांछन लगता हो उनकी भी इच्छा हो जाये कि देखें हम भी पीकर देखें कैसा आनन्द अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि चुनावों के अन्दर इन शराब की दुकानों और कलालों ने हमारी कांग्रेस पार्टी को पैसे से, साधनों से, और हर तरह से इनका सहयोग किया है और हमें चुनाव के दौरान में यह भी देखने को मिला कि शराब की दुकानों के ऊपर पार्टीध्वज था और बहुत से साथियों ने भी देखा। इसका उल्लेख पहले भी हो चुका है कि इस माफिक शराब की दुकानों के ऊपर पार्टी के झन्डे लगाये गये। इससे साबित होता है कि इस पार्टी से इन कलालों का काफी हद तक सहयोग रहा है। मगर अब इन लोगों को यह ख्वाब आया कि हम जनता के हित में इसको बन्द करें और जो भी इसकी प्रक्रिया हुई उस प्रक्रिया के कारण यह विधेयक लाया गया।

इसके अतिरिक्त जो ठेके पहले हुआ करते थे उस ठेके की प्रणाली को बदला और ठेके के बाद टेन्डर की प्रथा लाई गई और टेन्डर के बाद ऑफर सिस्टम लाया गया। जिसकी सारे राजस्थान में तो नहीं लेकिन कोटा में जिस प्रकार की कार्यवाही हुई और किस माफिक इस सरकार की आय बढी उसका उल्लेख करना जरूरी समझता हूं। 1965-66 में कोटा के अन्दर 16 करोड 20 हजार की आय थी, 1966-67 में 23 करोड की आय हुई और बाद में ऑफर सिस्टम में उसी 23 करोड के अन्दर उन्हीं ठेकेदारों को यह शराब का ठेका दे दिया गया। सारे राजस्थान में जहां शराब की दुकानें हजारों की तादाद में होंगी मगर उपाध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में विदेशी शराब की दुकानें 133 हैं। इसके अतिरिक्त इस

Page No. 87

(श्री केशरीसिंह द्वारा)

यहां तक प्रचार बढ गया है कि जो देशी शराब पीते थे वह अंग्रेजी शराब पीने लग गये। जो लोग शराब नहीं पिया करते थे उन लोगों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया क्योंकि जातिपांति के अन्दर आज यह विवेचन नहीं रहा कि तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, तू मांस खाता है, शराब पीता है इसलिए तुम्हारा बहिष्कार कर दिया जायेगा। जाति से बाहर निकाल दिया जायेगा। इसका भय उनके दिल से निकल गया और उसी के कारण उनकी प्रवृत्ति हुई कि हम शराब पीयें, मांस खायें हमें कोई जाति से बाहर नहीं निकाल सकेगा। तो जो लोग अब तक शराब नहीं पीते थे वह लोग भी शराब पीने लग गये और मेरे ख्याल में राजस्थान में राज्य की शराब से आय काफी बढी। मगर मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने इस ओर कदम बढाया तो सही। मगर मैं इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर और सम्पूर्ण भारत में जिस तरह से इन्होंने अपने नारों की पूर्ति की है उसी तरह से इसकी पूर्ति करें तभी उनको सही माने में कांग्रेस के और गांधीजी के चेले समझ सकते हैं वर्ना इनका कहना कि हम गांधीजी के चेले हैं यह सरासर बुरा है और जो कि आत्मा से कम से कम और निष्ठा से सदैव पवित्र थे आज वही लोग इसका उपयोग करते हैं। बहुत से माननीय मंत्री महोदय मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं उन्होंने शराब का ठेका लिया है। वह जानते हैं कैसे शराब पिलाई जाती है, कैसे शराब में एडल्ट्रेशन किया जाता है और कैसे उसमें पानी मिलाया जाता है और तरह के बुरे बुरे काम किये हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम वह नहीं पियें और दूसरों को भी नहीं पीने दें। जो सरकार होती है वह दर्पण होती है। यथा राजा तथा प्रजा जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। अगर राजा चोर है तो प्रजा भी चोरी करेगी। राजा ईमानदार है तो प्रजा भी ईमानदार होगी इसलिये सर्वप्रथम हमारे मंत्रि मण्डल के मंत्री इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हम शराब और मांस को कभी भी काम में नहीं लेंगे उसके बाद में हम विधान सभा के सदस्यों को भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम भी शराब कभी नहीं लेंगे और जितने भी चुने हुए सदस्य हैं इस प्रजातंत्र के अन्दर उनको कटिबद्ध होकर कहना चाहिए कि हम शराब नहीं पियेंगे तभी उपाध्यक्ष महोदय, देश का सुधार होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश का सुधार होना असम्भव है। मैं यही कहकर इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये, अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ!

श्री केदारनाथ (गंगानगर): मान्यवर, शराब एक मादक बुराई ही नहीं आज एक राष्ट्रीय समस्या है। हमारे देश में सबसे पहले समाज की बुराइयां कैसे दूर हों तो हमारे समाज पर पहले जाति का असर था कभी बिरादरी की पंचायतों का असर था और कभी कभी सोशियल कस्टम्स का भी असर रहा। मगर हम कैसे व्यक्तियों के टैस्ट और हैबिट्स को बदलें इसके बारे में बहुत बडी हिस्ट्री है। इसलिए मैं उसमें न जाते हुए यही अर्ज करना चाहता हूं कि समाज में तब्दीली लायें। आदतों को बनायें या बिगाडें एक ही तरीका है। या तो यह कानून बनायें या समाज में ऐसी ताकत पैदा करें जो कि समाज पर हावी हो जाय और

Page No. 88

(श्री केदारनाथ)

उस पर प्रभाव न हो। आज हमारे समाज में ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी एजेन्सी प्राइवेट नहीं है, न कोई कैम्पेन कर सकता है, न इतनी हिम्मत ही है लोगों की कि समाज में इसकी तब्दीली ले आयें और यह ठीक बात है कि प्रजातंत्र के युग में जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं वह यह मानकर चलते हैं कि केवल कानून से ही तब्दीली नहीं लायें बल्कि लोगों को साथ लें और कानून बनाने से पहले उसका असर कम करने के पहले उसका एटमास्फीयर तैयार करें। समाज में ऐसा वातावरण पैदा करें और ऐसा माहौल पैदा करें जिससे कानून कारगर साबित हो सके।

मेरा यह निवेदन है कि जिन बॉडीज या जिन कार्यकर्ताओं का असर समाज को बनाने-बिगाड़ने में है उन पर इसके लिये लाजिमी बन्धन लगाना चाहिये। चाहे वे पंच हों, एम. एल. ए. हों, एम. पी. हों, मन्त्री हों, तो इन राज्य के बनाने बिगाड़ने में जिनका हाथ है उन पर यह भार डालना चाहिये।

इसमें स्टूडेन्ट्स ही की फोर्स अकेली नहीं है। मैं मानता हूं कि उस फोर्स का भी हाथ एक सीमा तक है। तो इसलिये जितने मेम्बर हैं समाज और राज्य को बनाने बिगाड़ने में उन पर लाजिमी तौर पर बन्धन लगाना चाहिये अगर वास्तव में सरकार की नियत शराब को बन्द करने की है तो।

जिस इलाके से मैं आया हूं वहां के निवासी आहिस्ता आहिस्ता 80 फी सदी शराब पीने लग गये हैं। आप ताज्जुब करेंगे कोई ऐसा तबका या बिरादरी नहीं, व्यक्ति नहीं जिस पर इसका असर न पड़ा हो। जितने पंचायतों के हैं, जनरल हैं, जिन्होंने इलेक्शन देखें हैं या लड़े हैं, वे जानते हैं कि किस तरह से इस शराब ने जहरीला दिमाग लोगों का कर दिया है। चुनावों के तौर तरीके बदल गये हैं। तो अगर सच्चे चुनाव हों, बड़ी शालीनता से हों, नीतियों पर हों तो आप उन पर शराब की पाबन्दी पहले लगाइये ताकि नये सियासी मोरेल पैदा कर सकें, ठीक कर सकें, ठीक प्रजातन्त्र कायम कर सकें।

इसका पहला प्रयोग गंगानगर से शुरू होना चाहिये। वे अपने आप मेन्युफेक्चर भी करते हैं। यह बहुत बड़ी एक होम इन्डस्ट्री बन गई है। आज सरकार की मशीनरी उसे रोक नहीं सकती। उसे तो पैसे से जब मरजी हो खरीद लो। फिर अदालतों तक को हम जानते हैं वहां कैसे इन्साफ होता है।

एक ही दलील देता हूं अगर आप इस पाबन्दी को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो या तो समाज की एजेन्सी की मार्फत या राज्य को बनाने बिगाड़ने वाली एजेन्सी के मार्फत इसमें तब्दीली आ सकती है वरना बड़ा धोखा होगा। जिस इलाके में आम शराब पीते हैं लोग जो वहां का मोड ओफ लिविंग बन गया। कल्चर का एक हिस्सा बन गया। क्लब और पार्टी में बैठकर सारे गांव में बड़े बड़े त्यौहारों में बैठकर आम लोग जब शराब पीते हैं तो बच्चे और दूसरे स्कूल और कालेजों में जावेंगे तो ऐसे वातावरण में आपकी उन पर पाबन्दी कारगर सिद्ध हो सकती है? तो एक फेक्टर को आइसोलेट करके आप समाज में तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपका यह साइन्टिफिक बेसिस

Page No. 89

(श्री केदारनाथ)

नहीं है। आपका बेस ही गलत है। इस तरह से तो बन्द होगा ही नहीं। आप जब तक माहौल पैदा न करें, वातावरण तैयार न करें जो पब्लिक को मोल्ड करते हैं पब्लिक की ओपीनियन बनाते हैं समाज में उन पर पाबन्दी नहीं लगावें तब तक केवल छात्रों पर लगाने से काम नहीं चलेगा। यह हथियार आप का कारगर सिद्ध नहीं होगा।

इसलिये अगर आप वास्तव में शराब बन्दी करना चाहते हैं तो प्रभावशाली तबके से यह प्रारम्भ करिये। आज पोलिटिकल पार्टियां वही काम करती हैं जो पहले के युग में धार्मिक या सामाजिक नेता लोग करते थे।

मैं समझता हूं मेरी बात को आप सही समझ कर स्वीकार करेंगे।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान आबकारी कर संशोधन, विधेयक 1968 को एक माह के लिये जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का मैं प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस पर अपने अपने विचार प्रकट किये। इसमें कई एक विचार तो ऐसे हैं जिनको तुरन्त सरकार को मानकर उस पर एक्ट बना देना चाहिये।

आज मांग की जा रही है कि हमारे राजस्थान में सम्पूर्ण नशाबन्दी हो। मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि नशा बन्दी होनी चाहिये लेकिन जो वर्षों से लत चली आ रही है उसको किसी भी सरकार के लिये एक दिन में कानून बनाकर बन्द कर देना सम्भव नहीं है। इसके लिये काफी कुछ सोचना पड़ेगा। चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे अन्य किसी की।

पर जिस तरह से चुनावों के टाइम में एक टैम्पो बनाकर चुनाव जीतने की नियत से ढिंढोरा किसी चीज का पीटा जाता है उसी प्रकार से एक 18 वर्ष से ऊपर के बालकों पर पाबन्दी लगाकर या अन्य दो चार बातें संशोधित रूप में इस विधेयक के रूप में लाकर यह सरकार केवल सस्ती ख्याति मात्र प्राप्त करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में नशाबन्दी सम्पूर्ण रूप से लागू की जावे और इसके लिये किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर चलना है उन सब पर सोच कर कानून बनाऐंगे तो एक दिन ऐसा आवेगा जब बिना प्रयत्न किये ही यह शराब बन्दी लागू हो जावेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल अमूमन देखने में आता है कि राजस्थान में उन्हीं वर्गों के अन्दर और उन्हीं इलाकों में इस शराब को अधिक प्रयोग में लिया जाता है जहां पर लोग अधिकतर मजदूर और पिछड़े वर्ग के होते हैं। वहां पर यदि सरकार यह नियम बना दे कि वहां पर शराब नहीं पीने दी जायगी। उन इलाकों में शराब की दुकाने हैं उनका नम्बर कम किया जाय और दूसरी चीज जहां पर अमूमन शराब बिकती है वहां मेरा सुझाव है कि दुकानों की संख्या कम करदें। राजस्थान में शराब की 123 दुकाने बताई हैं, इस साल सरकार उनकी संख्या में कमी करे। इस तरह कम करते करते बिलकुल कम हो जायेंगी। इसके अलावा शराब में इन्टोक्सिकेशन की जो शक्ति है उसको हर साल घटाते जावें तो एक दिन ऐसा आवेगा कि शराब के आदी

(श्री विजयसिंह रावत)

लोग भी शराब से घृणा करने लगेंगे। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति यह है कि यदि नियम से किसी चीज पर पाबन्दी लगाते हैं तो उसका प्रतिकार होता है। मेरा प्रेक्टिकल अनुभव है बोम्बे राज्य का जहां काफी अरसे तक रहा हूं। वहां पर नशाबन्दी लागू है लेकिन वहां पर घर घर में अवैध शराब बनती है और अवैध तरीके से बिकती है। उसमें जो एक तरह का पदार्थ होता है उससे पीनेवाले के पेट में अलसर हो जाता है और उसका स्वास्थ्य गिरता जाता है और बिना उपचार के वह व्यक्ति मर जाता है। हम यह नहीं चाहते कि पूर्ण बंदी करदी जाय और उसका असर उल्टा पडे हविश ज्यादा बढे और बाद में करप्शन ज्यादा बढे that becomes scope of corruption. इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि कुछ मेरे सुझाव हैं उनको सरकार अपनावे यदि सरकार उनको अपनावेगी तो मैं निश्चित मानकर चलने वाला हूं कि 5 वर्षों में इसका बहुत कुछ असर पड सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है, जैसा कि पहले बोलने वाले कुछ व्यक्तियों ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिये नियम बनावें कि वे शराब न पीयें। लेकिन जो जवान फौज में हैं, मैं भी नेफा में गया हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप तो नेवी में थे नेफा कैसे गये ?

श्री रघुनाथ विनोद : मिलिटरी वालों के लिये तो खुला है।

श्री विजयसिंह रावत : मैं पहले नेवी में था फिर डेपूटेशन पर वहां गया। जो कानून बनेगा वह सबके लिये लागू होगा। एक फौजी जवान जो छुट्टी पर राजस्थान में आयेगा वह नहीं पीयेगा तो मरेगा। कई बातें गवर्नमेन्ट करती है तो पहले सोचने समझने की आवश्यकता होती है। कानून बनाया जा रहा है वह कितना प्रेक्टिकेबल हो सकता है यह सोचना पडेगा। सरकारी अधिकारियों के लिये बात कही गई कि सरकारी अधिकारियों को बाध्य किया जाय कि वे शराब नहीं पियें। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि सरकारी अधिकारियों के लिये यह नियम बनाया जाय कि वे ड्यूटी पर शराब पीकर नहीं आवें। यदि वे शराब पीकर ड्यूटी पर आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि होटलों पर, बाग बगीचों में पिक्निक स्पोट्स पर खुले आम शराब पी जाती है तो उसका असर 18 वर्ष के नीचे वालों पर और न पीने वालों पर बुरा पडता है और उनकी मनोवृत्ति इस ओर आकृष्ट होती है। इसलिये खुले रूप में होटलों पर, रेस्टोरां पर और प्राइवेट बाग-बगीचों में कोकटेल पार्टी के रूप में शराब नहीं पी जाय इसके लिये नियम बनाया जाय यह मेरा सुझाव है।

तीसरी बात यह है कि ठेके की दुकानें रात को 12 बजे तक खुली रहती हैं और ठेकेदार लोगों को इस तरह की सुविधा देते हैं कि वे ठेके पर बैठकर शराब पीवें और इसके लिये उनको हर तरह की सुविधा देते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की पाबन्दी लगादी जाय कि कोई ठेके पर बैठ कर शराब नहीं पी सकता। ठेके की दुकान से सीलबन्द शराब लेकर घर पर जाकर पीये। यदि ऐसा होगा तो वह

Page No. 91

(श्री विजयसिंह रावत)
मजदूर जो 2) कमाता है थकान के कारण यह महसूस करता है कि ठेके पर जाकर शराब 1) की पीले वह ठेके पर न जाकर अपने घर जायगा और 2) रुपये अपनी पत्नि को देगा। यह नियम बनाना जरूरी है।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि दुकानों की संख्या में कमी की जाय ताकि दुकानें काफी दूरी पर हों। पिछड़े वर्ग के और आदिवासी लोग दूर जाकर खरीद क लायेंगे तो उनको 10 मील जाना पड़ेगा। जिनको पाव या आधा पव्वा की जरूरत है वह इतनी दूर जाकर नहीं खरीदेगा और कम शराब पीने वाले रुक जायेंगे।

मेरा पांचवां सुझाव है कि दुकान खोलने का समय नियुक्त किया जाय। मैंने देखा है कि यूरोप के देशों में शराब की दुकानें खोलने का टाइम होता है। उस टाइम के अलावा एक मिनिट भी अधिक दुकान खुली नहीं रह सकती लेकिन यहां पर चौबीसों घंटा दुकान खुली रहती है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि विद्यार्थी शराब नहीं पीवें और दूसरी तरफ इतनी देर तक दुकानें खुली रखते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि दुकानें शाम को 6 बजे तक ही खुली रखी जावें और इससे अधिक समय तक खुली रखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय एक्ट के तहत। इससे क्या होगा कि 6 बजे के बाद दुकान खुली नहीं रहेगी तो मजदूर दुकान पर जाकर शराब नहीं पी सकेगा।

मेरा सातवां सुझाव यह है कि राजस्थान में बैसाख के महीने में आखातीज पर सावे होते हैं और उस मौके पर अधिक से अधिक शराब बिकती है उस वक्त इस शराब को कम से कम 6 दिन के लिये बन्द कर दिया जाय। खास करके जिस इलाके से मैं आता हूं उसमें गूजर और रावत राजपूत रहते हैं वे शराब ज्यादा काम में लेते हैं। उनके यहां शादी नहीं बरबादी होती है इसलिये मैं चाहता हूं कि सावे के मौके पर शराब बन्द की जाय ताकि उनको नहीं मिल सके।

मेरा आठवां सुझाव यह है कि कार्तिक सुदी 11 से 15 तक पुष्कर का मेला लगता है उस वक्त वहां पर शराब काफी बिकती है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयन्ती के रोज बसंत पंचमी के रोज शराब बन्द की जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि पुष्कर का मेला धार्मिक स्थान है वहां पर लोग स्नान करने के लिये आते हैं।.....

श्री विजयसिंह रावत : मैं वहां पर उन दिनों में शराब बन्द करने के पक्ष में हूं। 11 से 15 पूर्णिमा तक मेले का टाइम है उस समय शराब वहां पर बन्द करदी जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वहां पर हैं क्या दुकानें ?

(3.08 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

श्री विजयसिंह रावत : वहां पर दुकानें हैं टेन्ट लगते हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं सभानेत्री महोदया, पुष्कर के मेले में ये ठेकेदार अपनी गारन्टी पूरी करने के लिये टेन्ट लगाते हैं और शराब बेचते हैं वह बन्द की जाय। पुष्कर का मेला ग्यारस को शुरू

Page No. 92

(श्री विजयसिंह रावत)
होकर पूर्णमासी को समाप्त होता है इन 6 दिनों तक शराब बन्द कर दिया जाय।

इनके अलावा जितनी बातों का मैंने सुझाव दिया है उनको यदि सरकार मानल और एक्ट में प्रावधान करदे तो अगले 5 वर्षों में बहुत कुछ असर पड़ेगा। सरकार के लिये और जनता के लिये दोनों के लिये फायदेबन्द होगी और नशा बन्दी करने में हमको काफी सहायता मिलेगी।

यह कहा गया है कि राजा महाराजाओं के टाइम में भी शराब पीते थे मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं राजा महाराजा लोग शराब पीते हैं लेकिन वे आचरण जिस प्रकार का करते हैं वे सब माननीय सदस्य जानते हैं। दूसरी तरफ आज के मंत्रीगण जो राजा महाराजा आज के हैं उनमें तो यह शौक सा हो गया है शराब पीने का।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): ये राजा महाराजा कब हो गये ? ये तो जनसेवक हैं।

श्री विजयसिंह रावत: नाम परिवर्तन हुआ है। इनके आचरण राजा महाराजा से कम थोड़े ही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): राजा महाराजा की कहां बातें करने लग गये आप तो साधारण आदमी की बात करें।

श्री विजयसिंह रावत : राजपूत लोग शराब को काम में लेते थे लेकिन आज तो ब्राह्मण और अन्य कौम भी पीने लग गयी। आज महिलायें भी इसको पीना फैशन समझती है। शराब पीये बिना वे मार्केटिंग नहीं कर सकती। जननी जो जन्म देती है उसकी अगर यह हालत हो तो देश का भविष्य क्या होगा। जो मनुष्य का खेत है जो ऐसे पौधे पैदा करती है जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है। अगर खेती ही खराब हो जाती है तो फिर पौधों की क्या हालत होगी यह सभी जानते हैं। केन्द्रीय सरकार भी नशाबन्दी में विश्वास करती है, सर्वोदयी लीडर इस सरकार को बाध्य करें कि वे देश में शीघ्र नशाबन्दी लागू करें। जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया औरतों के लिये भी यह होना चाहिये कि कोई भी औरत यदि शराब पीये हुए मिलती है तो उसके साथ भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये। यह मैं मानता हूं कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिये लेकिन जिस प्रकार के अधिकार से मानव जाति का मनोबल गिर जाय वे अधिकार कभी भी नहीं मिलने चाहिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार मेरे इन सुझावों के साथ आखिरी सुझाव यह भी है कि महिलाओं को कानून के अन्दर सजा देने की व्यवस्था होनी चाहिये और नशाबन्दी पूर्णतया राजस्थान में लागू की जानी चाहिये। इससे गरीब मजदूर को, किसान को सहूलियत मिल सकेगी जनता में भ्रष्टाचार की मात्रा में भी कमी होगी। इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरा संशोधन है इस विधेयक को जनमत जानने के लिये एक महीने के समय के लिये प्रसारित किया जाय और जनता की राय जानने के बाद उनके सुझावों के मुताबिक पूर्ण नशाबन्दी करने की ओर सरकार कदम बढ़ायेगी इन्हीं शब्दों के साथ में जनमत जानने हेतु प्रस्ताव करता हूं।

श्री घुना [illegible]: सभानेत्री महोदया, सदन में जो विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
उसके बारे में मैं वित्त मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि आर्थिक संकट की वजह से पूर्ण शराबबन्दी लागू नहीं कर रहे हैं हालांकि सरकार यह महसूस करती है कि शराबबन्दी पूर्णतया लागू हो···

एक माननीय सदस्य : कथनी और करनी में अन्तर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस वर्ष आंशिक रूप से गुजरात से मिलते हुए बोर्डर 25 किलोमीटर तक प्रोहिबिशन रखा है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता।

इसके अलावा ऐसे इलाकों में जहां पर पूर्ण रूप से शराब का स्मगलिंग होता है, दूसरे प्रान्तों में जाता है, सरकार की ओर से पाबन्दी कर दी गई है फिर भी यह बीमारी मिटी नहीं है। राज्य सरकार को इसको पूरी तरह से बन्द करने की ओर प्रयत्न करना चाहिये। हमेशा इस बारे में प्रस्ताव आते हैं और उसमें यह माना जाता है कि यहां पर पूर्ण रूप से शराबबन्दी होनी चाहिये। इसको सब लोग महसूस करते हैं। शराब से कितने घर बरबाद होते हैं, इससे कितना पाप, जुर्म बढ़ता है, इसको सब जानते हैं। अभी श्री केदारनाथ जी बता रहे थे गंगानगर में शराब पीने वाले अत्यधिक हैं जो खुले रूप से शराब पीते हैं, बाजार में खड़े होकर पीते हैं इसका कारण यह है कि वहां की उपज अच्छी है, वहां की आर्थिक हालत अच्छी है उसी इलाके से सरकार को सब से ज्यादा आमदनी होती है इसका कारण यह है कि वहां लोग ज्यादा तादाद में शराब पीते हैं। उनके देखा देखी लोगों की पीने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। इसी कारण आबकारी मंत्रीजी ने यह सोचा कि छोटे जो नाबालिग लड़के हैं उन पर तो कम से कम कानूनी तौर पर शराब बन्दी लागू की जाय इसी मन्शा से यह संशोधन विधेयक लाया गया है। लेकिन केवल शराब नहीं पीने का कानून बनाकर ही इसका पालन नहीं करवाया जा सकता यह एक सामाजिक बीमारी है इसके लिये लोगों में यह वातावरण पैदा किया जाना चाहिये केवल कानून के जरिये यह बीमारी बन्द नहीं होगी। हमें इस बात में जाना होगा कि विद्यार्थी शराब पीने के लिये आदी क्यों होते हैं उसके घर में यदि कोई पीता होगा तो उसका असर उसमें जरूर आ सकता है। वह देखादेखी पीना सीख जाता है शिक्षण संस्थाओं में जैसे अध्यापक होंगे उनका भी असर छात्र पर पड़ेगा। इसके बारे में जब तक रिपोर्ट उपस्थित नहीं होती कि कितने परसेन्टेज हैं विद्यार्थियों का जो शराब पीते हैं, यह परसेन्टेज क्यों बढ़ रहा है? क्या इसके बारे में सरकार के सामने जनता के रिप्रेजेन्टेशन या शिक्षण संस्थाओं के रिप्रेजेन्टेशन आये हैं जिसके आधार पर मंत्री महोदय को यह विधेयक लाना पड़ा। उसके बारे में हम मंत्री महोदय से आंकड़े चाहेंगे। केवल कानून साधारण बात समझकर ही ले आये हैं और इसे पास भी कर दिया गया तो इससे यह बीमारी मिट नहीं सकती। नाबालिग बच्चों में अगर विद्यार्थी लोग शराब पीने के आदी हैं तो कानून बन जाने के बाद भी उनमें और ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ेगी, शिक्षा के अन्दर कमी होगी तभी जाकर उनमें यह प्रवृत्ति बढ़ी है या तो यह मानना होगा हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा। कानून के जरिये शराबबन्दी लागू करते हैं, शासन के जरिये उनको सुधारना चाहते हैं तो यह बीमारी मिटने वाली नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हैं । आज शिक्षण संस्थाओं में भी उनकी पालियामेन्ट होती है उसके बाकायदा चुनाव होते हैं । वैसी हालत में मौका आने पर स्कूल में पार्टीबाजी की वजह से भी चालान हो सकता है । सजा हो गई तो और भी विध्वंसक कार्यवाही हो जायगी । वैसे ही छात्रों में अनुशासनहीनता है ही, अगर उनमें यही प्रवृत्ति रही और कानून का सहारा लेकर यदि हमने कोई कार्यवाही की तो उसका बुरा असर पड़ सकता है । जहां इलेक्शन का मामला आजाता है वहां कई तरह से झूठे सच्चे इल्जाम भी लोग लगा देते हैं । इसके लिये राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा और इससे पहले आंकड़े बताने होंगे यह कानून लाना क्यों आवश्यक हो गया । हमें तो यह विश्वास है कि यह प्रवृत्ति ज्यादा नहीं बढ़ी है । पिछले सालों में यह कितनी बढ़ी है यह बताना होगा । वरना कानून लागू होते ही बदले की भावना से झूठे केस रजिस्टर होंगे, झूठे चालान होंगे और अनुशासन भंग होगा । आज भी छात्रों में अपने भविष्य को अन्धकार मय मानते हुए काफी असन्तोष है । इससे और बढ़ नहीं जाय-यह ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके अलावा मासूम बच्चे हैं और नाबालिग हैं उनमें कितने प्रतिशत में शराब पीने की आदत पड़ती है । यह आप बतायें । मैं मानता हूं कि यह एक सामाजिक बुराई हो सकती है । यदि राज्य सरकार वास्तव में इस बुराई को मिटाना चाहती है तो आप जानते हैं कि कहां शराब बन्दी है। आप उस शराब के बनने को बन्द क्यों नहीं करते हैं ? इस बुराई को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता है ? तब तक आप इस बुराई को खत्म नहीं कर सकते है जब तक जो सरकारी नौकर-चाकर हैं और बड़े बड़े लोग हैं वह लोग शराब शान से पीते हैं । आज स्थिति यह है कि मान लीजिये कि देशी शराब नहीं मिलती है तो वह लोग इंगलिश और अच्छी शराब पीयेंगे । इस तरह की हरकत हम देखते हैं । इसके अलावा जो चुने हुए सदस्य हैं, वार्ड पंच हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति के प्रधान हैं, और विधायक हैं, या और कोई नेता है, जो कि प्रजातंत्र के अन्दर स्वस्थ प्रशासन चाहते हैं-उनको और राज्य सरकार के जो नौकर हैं उनको शराबबन्दी के अन्दर लाना पड़ेगा यदि वास्तव में सरकार इस बीमारी को खत्म करना चाहती है और प्रशासन में स्वच्छता लाना चाहती है । हमें यह अनुभव है कि सरकारी सेवाओं के लोगों में शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ गई है । यह भी एक कारण है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके ध्यान में यह आता है और बड़े सरकारी नौकरों को पीते हुए देखते हैं तो वह सोचते हैं कि हम भी शराब पीयें, नहीं तो हम पीछे रह जायेंगे और हमको सरकारी सर्विस नहीं मिलेगी । आज यह वातावरण हमको देखने को मिलता है कि जो नेता पीता नहीं है, उसको कहा जाता है कि तुम पूर्ण नेता नहीं हो । जब कि आज सरकारी नौकर शराब पीता है । तो इस तरह का वातावरण बनाया जाता है, क्योंकि मेजोरिटी दूसरी तरफ है, इसलिए कहा जाता है कि यह मोडर्न नेता नहीं है . . .

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मोडर्न मिनिस्टर की क्या क्वालिफिकेशन है ? यह डागा साहब से पूछिये ।

श्री [illegible] अग्रवाल (अलवर) : क्या इस तरह के कांग्रेसी नेताओं को ताने मिलते हैं कि तुम पूरे नेता नहीं हो ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई: पूर्ण नेता का सवाल नहीं है, वातावरण का सवाल है। आज जनता में इस प्रकार की भावना बनती है। इस भावना को यदि मिटाना है और वास्तव में शराब मंत्री इस शराब की बीमारी को मिटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सक्रिय कदम उठाना पड़ेगा। नाबालिग और मासूम बच्चों के लिए यह कानून लाकर इस बीमारी को आप खत्म नहीं कर सकते। इसके साथ ही यदि आप महसूस करते हैं कि यह बीमारी मासूम बच्चों को नुकसान कर सकती है इसके कारण उनका जीवन अन्धकारमय हो सकता है, तो इसके साथ साथ जो सरकारी सेवक हैं, जिनका जनता से सीधा सम्बन्ध पड़ता है, तो उन सरकारी नौकरों और अधिकारियों को भी शराबबन्दी के कानून के नीचे लाना चाहिए। इसके अलावा जो निर्वाचित और चुने हुए सदस्य हैं, चाहे वह किसी पार्टीज के हों, कोई हों उनको भी इस कानून के नीचे लाने की आवश्यकता है। वरना इस मुद्दे को ही लेकर शराब की बढ़ती हुई हालत है और बुराई है इसको इन बच्चों तक ही सीमित रखना चाहते हैं तो यह आपका सक्रिय और कारगर कानून साबित नहीं होगा। आगे भविष्य में जो लड़के देश का काम करने जा रहे हैं वह सब जगह पर शराब पीने की बीमारी को देखते हैं तो देखा देखी उनकी आदत पड़ सकती है। अगर किसी पर्टीक्यूलर विद्यार्थी की शराब पीने की आदत पड़ गई है और उसके संरक्षक की तरफ से आपके पास कोई रिप्रेजेन्टेशन आना चाहिए, शिक्षक संघ की तरफ से कोई रिप्रेजेन्टेशन आना चाहिए, जिसकी वजह से वास्तव में हमें यह महसूस होना चाहिए कि इस बीमारी को बन्द करना है। मैं समझता हूँ कि ऐसा वातावरण सरकार के सामने नहीं होगा। अगर अपनी मर्जी से ही कानून को पास करके लागू कर दिया जायगा तो ऐसे कानून को पास करने से समाज में असर नहीं होगा। पहले आपने मौसर बन्दी का, कानून बन्दी का कानून पास किया लेकिन मौसर बन्द नहीं हुआ पहले एक मौसर करना पड़ता था लेकिन अब दो तीन मौसर करने पड़ते हैं क्योंकि आज सामाजिक बन्धन इतने हैं, सामाजिक बन्धनों से लोग इतने जकड़े हुए हैं कि वह उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। हर एक आदमी, जनता का मुंह बन्द करने की कोशिश करता है, बड़े-बूढ़ों को समझाने की कोशिश करता है कि सामाजिक बन्धनों से आदमी इतना जकड़ा हुआ है, कि वातावरण के कारण वह उसको बन्द करने की हिम्मत नहीं कर सकता और कानून की खिलाफत करके भी मौसर होते हैं। यह राजस्थान में ही नहीं, बल्कि सब जगह कुरीति चलती आ रही है और अभी तक बन्द नहीं हुई है। पहले जब ऐसे कानून की यह हालत की जा चुकी है और उसके बाद में सीलिंग कानून पास किया, लेकिन पास करने के बाद भी पिछले दस सालों में जो उसकी हालत हुई है वैसी स्थिति में मौजूदा इस कानून को पास करें तो कहीं इसकी आड़ लेकर फायदा होने के बनिस्पत नुकसान नहीं होने लगे। पर्टीक्यूलर्ली यह जरा सा कानून लाकर इस सदन से पारित करवा कर इसको लागू किया जायगा तो मेरे विचार से यह उपयुक्त नहीं होगा। इसके साथ ही इस बात के लिए अगर ईमानदारी से सोचा है कि बच्चों में शराब की बीमारी नहीं लगे तो जिस विद्यार्थी में यह आदत पड़ गई है उसको सजा दी जायगी तो सजा भुगतने के बाद में यह बीमारी उसमें और बढ़ जायगी। तो वास्तव में यह बीमारी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उसमें खत्म नहीं होगी जब तक उसको किसी रिफार्मेट्री सिस्टम से, शिक्षण पद्धति से सुधारा नहीं जाय । इस तरह से ही शराबबन्दी की जा सकती है । इसके अलावा जो शराब पीता नहीं है उसके सामने कितने ही प्रलोभन हों, भले ही वह विदेश में चला जाय तब भी वह नहीं पीयेगा । गांधीजी ने सारी दुनियां का भ्रमण किया तब भी उन्होंने शराब नहीं पी । लेकिन आज ऐसा वातावरण बन गया है कि किसी को विदेश जाना हो तो वह ऐसा विचार करते हैं कि फारिन में जायेंगे तो वहां पर सब लोग शराब पीते हैं, तो मैं भी पीने लग जाऊं, नहीं तो वहां पर मैं फिट नहीं बैठूंगा । विदेशों के प्रभाव के कारण ही स्त्रियों में भी शराब पीने की आदत पिछले वर्षों में घुस गई है । सामाजिक बन्धन होने के बाद भी और हममें प्रगतिशील होने की भावना होने पर भी दूसरे देशों की देखा देखी हमारे यहां के लोगों की आदत बिगड़ रही है । मैं समझता हूँ कि इसके बारे में राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा, पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि जो हमारे यहां पर सामाजिक बन्धन थे, वह अब ढीले पड़ गये हैं, इसलिए उनको मजबूत करने की आवश्यकता है । हमारे यहां जो सामाजिक बन्धन थे, उनका आज अर्थ नहीं रह गया है और वह ढीले पड़ गये हैं तो उसके लिए राज्य सरकार को कानून लाना पड़ेगा । हमारे यहां सब धर्मों के अन्दर पुराने समय से कुछ बन्धन चलते आये हैं लेकिन आज उनका प्रभाव कम पड़ गया है, तो उनको राज्य सरकार को कानूनी रूप देना पड़ेगा ताकि समाज का भला हो सके ऐसे बन्धन समाज और समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छे थे, ऐसे बन्धनों के लिए अब कानून बनाने की आवश्यकता है । वरना पर्टीक्यूलर सेक्शन तक, नाबालिग बच्चों तक इसको सीमित करना मौजूदा वातावरण को देखते हुए उपयुक्त नहीं होगा । इसलिए, सभापति महोदय, मेरा मकसद इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का एक ही है, मेरी मन्शा है कि यदि अधिकारी मंत्री इस शराबबन्दी के लिए सक्रिय रूप से कोई कदम बढ़ाना चाहती हैं और कदम उठाने के साथ साथ जो बीमारी मासूम बच्चों में और विद्यार्थियों में दिनों दिन फैलती जा रही है इसको खत्म करना चाहते हैं वास्तव में इस कानून के जरिये, तो इस कानून में जो कमियां और खामियां हैं उन पर भी विचार करना पड़ेगा । मैं समझता हूँ कि इसको सरकारी सेवाओं पर भी लागू करना चाहिए, और यह बन्दिश होनी चाहिए कि जो भी शराब पीयेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी । इसके साथ साथ में नियमों में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी, तभी इसका बच्चों पर असर पड़ेगा और वह सोचेंगे कि मुझ में इसकी आदत पड़ गई तो आगे मुझको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और मेरा भविष्य अन्धकारमय हो जायगा । इसलिए सरकारी सेवाओं से सम्बन्धित नियम हैं उनमें भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता है तभी सोशियल रिफार्म की भावना आयेगी और जो देखा देखी यह चीज बढ़ती है उसको भविष्य में बढ़ावा नहीं मिलेगा और वास्तव में आपका जो कानून है इसको आप सक्रिय रूप में अमल में ला सकेंगे । इसके साथ साथ जो दूसरे निर्वाचित सदस्य हैं, या ऐसे नेता हैं जो सार्वजनिक रूप से समाज को लीड देना चाहते हैं, जो सार्वजनिक जीवन में ऊंचे उठ कर दुनियां को और समाज को आगे लेजाना चाहते हैं, उनके लिए भी ऐसा कानून हो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्योंकि उनमें से किन्हीं में ऐसी आदत है उन पर बन्धन लगाने की या कानूनन पाबन्दी की आवश्यकता नहीं समझी गई तो ऐसे लोगों का बच्चों पर खराब असर पड़ सकता है उनकी देखा देखी । इसके साथ ही विद्यार्थियों की जबान से यह बात भी उठ सकती है कि आपने यह कानून हमारे ऊपर तो लागू कर दिया है लेकिन आपको निर्वाचित सदस्यों की और जनता के नेताओं की यह कमजोरी नजर नहीं आई ? तो आपके विरोध में यह आवाज उठ सकती है और इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा । इसलिए ऐसा जवाब देने के लिए इसमें निर्वाचित सदस्य, चाहे पंचायत के हों, चाहे पंचायत समिति के हों, चाहे विधान सभा के हों या पालियामेन्ट के हों, इन सब को इस कानून में जोड़ा जाय और पालियामेन्ट में भी यह आवाज पहुंचाई जाय कि वास्तव में इस कानून को सक्रिय रूप में लागू करना चाहते हैं । जो जिन एलीमेन्ट्स के लिए कानून को लाने की आवश्यकता है, उनके लिए यह लाया जाय । इसके अलावा शराब-बन्दी की बात है, अब शराब बनना ही बन्द होगा तब यह सारी बीमारी मिटेगी । न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी । तभी आपका यह विचार कार्य रूप में परिणत हो सकेगा । लेकिन मौजूदा राज्य के आर्थिक संकट को देखते हुए इस कानून को इतना विस्तृत रूप नहीं दे सकते । तो सोशियल ईविल को खत्म करने की बात करते हैं तो इसके साथ साथ जो कमी रह गई हैं कानून में इनको लाने के लिए कुछ सदस्यों की सलेक्ट कमेटी बना दी जाय और कानून में जो कमियां हैं उनको एक्जामिन कराया जाय । वह यह भी एक्जामिन कर ले कि नाबालिग बच्चों के संरक्षकों की ओर से, विद्यार्थी संघों की ओर से, शिक्षण संस्थाओं की ओर से, शिक्षक संघों की ओर से और सामाजिक संगठनों की ओर से सरकार के पास कितने रिप्रेजेंटेशन आये हैं । आप इस कानून को पास करवाना चाहते हैं तो वह सारी चीजें आप सलेक्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर दें और इन सब चीजों को एक्जामिन करके कानून की अवश्यकतानुसार दुबारा इसमें कुछ प्रावीजन्स करके इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे कि यह सदन द्वारा पास किया जा सके । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है । सभानेत्री महोदया, मुझे आशा है कि इस भावना को देखते हुए और कानूनी कमियों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जरूर मेरे संशोधन को मंजूर करेगी ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री वृद्धिचन्द जैन ।

राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक 1968 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभानेत्री महोदया, राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, 1968 को एक प्रवर समिति के निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे यह प्रश्न मैंने सदन के सामने रखा है ।

अपने राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी, जिनका नाम सारे विश्व में विख्यात है उन राष्ट्रपिता को जो हमने कितना सम्मान दिया है ? महात्मा गांधी जी के सिद्धान्तों का, उनके जो हम पुत्र हैं, हम कितना अनुकरण करते हैं, उनके सिद्धान्तों का हम कितना पालन करते है --इस पर हमें गौर करना है । महात्मा गांधी जी ने मद्यनिषेध के बारे में विशेष तौर से

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जोर दिया करते थे और अपने देश की आजादी की लड़ाई के दिनों में उन्होंने इस मद्यनिषेध पर बहुत बल दिया था। हमने हमारे देश की आजादी प्राप्त करली जिसको कि 21 साल हो गये हैं और उस आजादी प्राप्त करने के बाद, 21 साल के बाद में भी हम जहां थे वहीं इस सम्बन्ध में रहे हैं और कोई भी प्रगति नहीं की है। अब हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो वह कदम ऐसा विचित्र है जिससे कोई भी ज्यादा प्रगति नहीं कर सकता है। अब हमने विद्यार्थियों के बारे में यह कदम उठाया है और संशोधन विधेयक लाये हैं कि विद्यार्थी जो भी शराब पीयेगा, जो अठारह वर्ष का बच्चा शराब पीयेगा, तो वह एक जुर्म साबित होगा और उसको उसकी सजा दी जायगी। इस छोटे से कदम को, इस तरमीम को कोई भी प्रगति का कदम हम कह नहीं सकते। यह मद्य निषेध के बारे में जो बहुत जोर दिया महात्मा गांधी जी ने, अपने देश के बड़े बड़े कर्णधारों ने और कांग्रेस ने यह नीति अपनाई–यह सोच समझ कर नीति अपनाई। हमारे देश की जनता के लिए शराब पीना अनुकूल नहीं है, हमारे यहां की जलवायु के लिए यह शराब पीना अनुकूल नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए भी यह शराब पीना अनुकूल नहीं है। यह सब चीजों को सोच कर यह नीति अपनाई। इसके अलावा हमारे देश में गरीबी है, और उस गरीबी को मिटाना है तो हमें शराब को तिलांजली देनी होगी। इन सब मुद्दों को मद्दे-नजर रखते हुए इस मद्य निषेध पर विशेष बल दिया था। परन्तु इसके सम्बन्ध में हम अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी, जो धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार रखे थे तो उस समय भी कहा था और अभी भी मैं विशेष तौर से इस बात पर बल दे रहा हूँ कि हम महात्मा गांधीजी की शताब्दी मना रहे हैं उस शताब्दी के अवसर पर अगर हम मद्य निषेध नहीं करते हैं तो यह...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कोरम नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो कदम है इससे हम अपने उस सिद्धान्त पर चलने के अपने को दावेदार नहीं कह सकते। इसलिए हमें कदम अब मजबूती के साथ उठाना पड़ेगा और मजबूती के साथ कदम नहीं उठाया गया और हमने इस दिशा में प्रगति नहीं की, तो अभी जो डागा जी बोल रहे थे और कल जब मैं इनका भाषण सुन रहा था तो मुझे अफसोस हो रहा था...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हंसो मत, डागाजी कह रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह खुद नैतिकता के बारे में कह रहे थे। वैसे मैंने खुद ने जज किया है कि वास्तव में वह नैतिकता का पालन करते हैं। परन्तु वह कहते हैं कि राजनीति में नैतिकता की आवश्यकता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि राजनीति में जितनी नैतिकता की आवश्यकता है उतनी किसी में नहीं है। अगर देश की बरबादी करेंगे तो वह राजनीतिज्ञ जो नैतिकता को सर्वोपरि नहीं समझते हैं। वह इस देश को सर्वनाश की ओर ले जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डागाजी जैसे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह परम्परा बनाई और पोलिटिक्स, राजनीति में यह चीज रखी कि नैतिकता का कोई महत्व नहीं है तो हम प्रजातंत्र को खतरे में डाल देंगे और प्रजातंत्र टुकड़े टुकड़े हो जायगा। यह मैं स्पष्ट तौर से

Page No. 99

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कह देना चाहता हूं। तो इस शराबबन्दी के लिए हम विशेष तौर से जोर दे रहे हैं वह इसलिए कि इसके नतिकता का प्रश्न है। आज अगर शराब पीने वालों को प्रोत्साहन देते हैं तो हम व्यभिचार को प्रोत्साहन देते हैं और जूए को प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि शराब पीने से जुर्म बढ़ते हैं, लोग रिश्वत खाते हैं, अनर्थ करते हैं। इसलिए मद्य निषेध के बारे में मैं विशेष तौर से जोर देता हूँ। वास्तव में चरित्र निर्माण का कार्य करना है तो मद्य निषेध सम्पूर्ण रूप से करिये। इससे चरित्र निर्माण कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। चुनावों के समय में हमें बड़ी कठिनाई महसूस होती हैं। क्योंकि हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं, तो अधिकांश जनता को, अभी भी जनता को शराब पिला कर वोट प्राप्त कर लेते हैं और अनुचित तरीके से वोट प्राप्त करके प्रजातंत्र को धोखे में डालते हैं उसको कमजोर करते हैं...

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : बहुत अच्छे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसलिए मद्य निषेध होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए जल्दी से जल्दी कदम बढाना चाहिए। यह छोटा सा कदम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों का शराब पीना बन्द कर दिया है। यदि शिक्षक पीते रहे तो विद्यार्थियों पर बुरा असर पड़ेगा। वह उनसे शिक्षा लेते हैं, इसी प्रकार से मां-बाप से शिक्षा लेते हैं। विद्यार्थी जब शिक्षकों से शिक्षा लेते हैं तो उनका अनुकरण करेंगे ही जब कि वह शराब पीने वाले हैं। तो मैं विशेष तौर से आपसे और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को जनमत भी जानना चाहिए। मैं कहता हूं कि जनमत के अन्दर मद्य निषेध के बारे में 90 पर्सेन्ट वोट देंगे, और उनके विरुद्ध अधिक से अधिक इस प्रकार के दस पर्सेन्ट मत होंगे, यह मैं डर के मारे कह रहा हूँ। दस पर्सेन्ट वोट भी मद्य निषेध के विरोध में नहीं हो सकेंगे। इसलिए कि जनता नहीं चाहती है जनता के प्रतिनिधि भी नहीं चाहते हैं। कांग्रेस की नीति है कि महात्मा गान्धी के बतलाये हुए रास्ते पर जाना आवश्यक है तो इन सब दृष्टिकोणों की नीति अपना कर हम को चलना आवश्यक है। इस सब दृष्टिकोण को लेकर चलना है। कांग्रेस ने 18 वर्ष पहले से यह नीति अपनाने की घोषणा की थी और अभी भी कार्यान्वित नहीं कर रही है, यह मैं उचित नहीं समझता। इन शब्दों के साथ संक्षेप में ही मैं अपने विचार रखूंगा क्योंकि दूसरे सदस्य भी इस पर अपने विचार रखेंगे। इसलिए इस पर अधिक न कह कर यह चाहूंगा कि यह मामला प्रवर समिति के सामने रख दिया जाये और प्रवर समिति गौर करके इस पर निश्चय करके सदन के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करे और यह कोशिश की जाये कि मद्य निषेध सर्वथा राजस्थान के अन्दर लागू किया जाये। जय हिन्द...

श्रीमती सभानेत्री : श्री मूलचन्द डागा :

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभानेत्री जी, राष्ट्र के निर्माण के लिए केवल यह आवश्यक नहीं है कि कल और कारखानों का ही निर्माण करें। सवाल यह है कि जो पीछे बैठने वाले लोग हैं, कल कारखानों में उनके चरित्र का निर्माण होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। आज किसान, मजदूर जो उपजाते हैं, उससे देश ऊपर

(श्री मूलचन्द डांगा)

उठता है। देश का किसान और मजदूर उठ जाता है तो वह इस अभिशाप से दूर होता है। तो खेत खलिहानों में पैदावार ज्यादा होती है। गान्धी जी ने कहा, गान्धी जी ने जो शब्द कहे थे वह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था:--

"मैं शराबखोरी को चोरी और व्यभिचार से अधिक निन्दनीय समझता हूँ क्योंकि यह दोनों की जननी होती है। मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि आप शराब की दूकानें उठा देने में देश का साथ दीजिए। अगर मुझे एक घण्टे के लिए सारे भारत का तानाशाह बना दिया जाये तो पहला काम मैं यह करूंगा कि सारे देश से शराब की दूकानें मुआविजा दिये बिना ही बन्द कर दूंगा।"

यह महात्मा गान्धी के शब्द थे। उन्होंने यह भी कहा था:--

"अगर वह यह बात कहते हैं कि इस प्रकार शराब बन्दी से सरकार को घाटा होगा तो मैं उसको जरा भी महत्व नहीं देता।"

तो मैं कहता हूँ कि गान्धी जी ने यह कहा था। इसके अलावा आर्टिकिल 47 संविधान का यह कहना है:

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as amongst primry units and, in particular, the State shall endeavour to bring about Prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

तो यह हमारी आर्टिकिल 47 भी यह इन्डायरेक्टिव प्रिंस्पिल हुआ और संविधान में इस बात की हमें चेतावनी दी गई है। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के ऊपर पाकिस्तान और चीन के विदेशी हमले हुए तो सारा देश एक हुआ। अपनी गाढ़ी कमाई की दौलत को आक्रमणकारियों को हटाने के लिए लगा दी। कई काम बन्द कर दिये गये। उन आक्रमणकारियों को हटाने के लिए सारी दौलत लगा दी। हम यह नहीं समझते कि हमारे घर में घुसा हुआ शत्रु शराब है जो सबसे भंयकर और खतरनाक शत्रु है, उस शत्रु को हटाने के लिये क्या हम दौलत इकट्ठा नहीं कर सकते? यह शराब हमारे दूसरे सब शत्रुओं से ज्यादा भयकर शत्रु है जो हमारे मजदूरों को नहीं उठने देता, जो दफ्तरों में काम करने वाले बाबुओं में शक्ति पैदा नहीं होने देता, यह बहुत बड़ा भंयकर शत्रु हमारे घर में बैठा हुआ है। जब करोड़ों की दौलत हमने देश की बाहरी शत्रुओं को देश से निकालने के लिये लगा दी यह सबसे बड़ा दुश्मन शराब हमारे घर में घुसा हुआ बैठा है, उसको निकालने के लिये हम करोड़ों की दौलत नहीं लगा सकते।

(3:41 म. प.)

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

हमारे देश के मजदूर, किसान हमारे देश को ऊपर उठा सकते हैं, पर शराब ने उन्हें गिरा दिया है। हमारे घर के अन्दर घुसे हुए इस शत्रु शराब को बाहर निकालने से हमारे किसान, मजदूर ऊपर उठ सकते हैं और हमारे देश को भी ऊंचा उठा सकते हैं।

(श्री मूलचन्द डागा)

तो मैं समझता हूं जो आज शराब बन्दी के लिये इस प्रकार का बहाना लिया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, शराब बन्दी से हमारी आमदनी खत्म हो जायगी, तो यह केवल बहाना मात्र है, जब इरादे मजबूत हैं तो सफलता मिलती है, जब तक ठोस और मजबूत कदम आपके नहीं होते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा से उठाये हुए कदम ही कारगर होते हैं। धीरे धीरे, हल्के हल्के चलने वाला आदमी मंजिल पर नहीं पहुंचता। हमारे दुश्मन चीन में जब अफीम को रोका गया तो सख्ती से आर्डर दिया कि अफीम लेने वालों को गोली से उड़ा दो और अफीम लेने वालों को गोली से उड़ा दिया गया। अफीम के स्मगलर्स को गोली से उड़ा दिया गया और आज हम 20 साल की आजादी के बाद कहते हैं कि हम धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं मैं कहता हूं कि हिन्दी में ये धीरे धीरे, थोड़े थोड़े और कुछ कुछ शब्द इस प्रकार के खतरनाक हैं कि थोड़े थोड़े और कुछ कुछ का मतलब कमजोरी है, और कमजोरी से कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कमजोरी से किसी देश को आगे नहीं बढाया जा सकता।

ग्लेडेस्टन ने कहा है कि यह एक सोशियल ईविल है, हमारे संविधान ने मान लिया, गांधीजी ने मान लिया कि यह सोशियल ईविल है, तो इस सोशियल ईविल को मजबूती के साथ ठोस कदम उठाकर एकदम खत्म करना चाहिये। जैसा कि पहले वक्ता ने कहा, धर्म के द्वारा उपदेशों के द्वारा इस ईवल को नहीं हटा सकते तो हमें कानून के द्वारा इस ईविल को हटाना होगा। ग्लेडेस्टन ने कहा था कि इस बीमारी को दूर करने का एक ही तरीका है :

It is the promise of the Government. English Statesmen Mr. Gladstone said, it was the promise of the Government to make it easy for man to do right and difficult for them to do wrong. What is right and what is wrong, public welfare is the supreme.

आप क्या चाहते हैं? सारा देश कहता है कि शराब एक अभिशाप है, हम सब जानते है कि यह एक बहुत बुरी चीज है, उसको नहीं मिटाने का कारण यह है कि हम लोगों में कमजोरी है, गवर्नमेंट समझती है कि हमारी आमदनी खत्म हो जायगी। मैं समझता हूं जितनी शादियां होती हैं, उन पर टैक्स लगा दिया जाय, कितनी शादियां हमारे देश में प्रति वर्ष होती हैं। पर आप एक बहाना करते हैं, बहाने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप एक इस तरह का कानून लाना चाहते हैं, मैं कहता हूं धीरे धीरे चलने वाला आगे नहीं बढ़ सकता, यह मेरी निश्चित धारणा है। सेक्शन 22 रखा है, आप बड़े कुशल हैं, राजनैतिक दृष्टिकोण फिर यहां रखा है। सर्वोदय संघ वाले घूमते रहें और कहते रहें कि नशाबन्दी करो, हमारे मनोहरसिंह मेहता का उसूल है कि सारे देश में शराब बन्द हो, शराब को बन्द करो पर जब शराब बन्दी उपदेशों से और ग्रन्थों से नहीं होती तो शराब बन्दी का कानून बनाना होगा। राजस्थान एक्साइज एक्ट की सेक्शन 22 में आपने क्या किया है :

No licence vendor and no person in the employ on his behalf shall sell or deliver any

(श्री मूलचन्द डागा)
liquor or intoxicating public liquor to any person under the age of 18 years.

दफा 22 यह कहती है कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को लाइसेंस वाला भी शराब नहीं देगा, अब आपने इसमें रख दिया है कि वह पीयेगा भी नहीं, जो 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा शराब पियेगा उसको रोकेंगे। मैंने अभी चीन का दृष्टान्त रखा जो चीन हम पर हमला करके आया, उसने अपने देश में आर्डर दिया कि कोई भी अफीम पीता है तो उसको गोली मार दो। पहले के कानून में है कि 18 वर्ष से नीचे वाली उम्र का बच्चा शराब या नशीली चीज नहीं लायेगा, अब आप संशोधन लाये हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि शराब पीयेगा तो उसको हम सजा देंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बोम्बे में यह कानून पास हुआ तो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसीक्यूशन पर नहीं, उसी आदमी पर रखा जिसने कि अपराध किया है। अगर आपको इसमें संशोधन करना ही था तो इस प्रकार का संशोधन करते कि जो लड़का शराब पीता है, जो आदमी एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन में शराब पीते हैं उन पर यह कानून लगाना था, उन पर बर्डन ऑफ प्रूफ रखना था कि तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुमने गल्ती नहीं की है।

तो आज यह हाल है कि कोई कसूर करे, वह माफ है, हर एक को माफी मिलेगी। आप कहेंगे कि कुछ तो मिला पर मैं कहता हूं कि कुछ कुछ और थोड़ा थोड़ा, यह एक खतरनाक चीज है, जो भी आप करना चाहते हैं पूरी तरह से करिये और दृढ़ता के साथ करिये, कुछ कुछ और थोड़ा थोड़ा ऐसे खतरनाक शब्द हैं कि देश इस तरह कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा।

मैंने इसमें कुछ संशोधन रखे हैं प्रवर समिति को क्यों सुपुर्द किया जाय, जितने एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, हमारा संविधान कहता है कि विनोबाजी कहते हैं वहां शराब बन्दी होनी चाहिये। अभी वित्त मंत्री जी बोलेंगे तो बड़ा सुन्दर भाषण देंगे, कहेंगे शराब बन्दी पूरी शुरू कर देंगे, पर जब इम्प्लीमेंटेशन का कहते हैं तो कहते हैं कि आर्थिक समस्या का प्रश्न पैदा होता है। तो इससे आपका इरादा मजबूत नहीं नजर आता।

लाखों एकड़ जमीन बंजर पडी है, उसको किसानों को कृषि करने के लिये दे दीजिये, इससे आपको लाखों की आमदनी होगी जो जमीन पडी हुई है उसको कल्टिवेशन के नीचे दे दीजिये, उससे आपको बहुत बड़ी मात्रा में आमदनी हो सकती है।

तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप इसके लिये जो कदम उठायें दृढ़ता से उठायें मजबूती से उठायें। नहीं तो गांधीजी की आत्मा क्या कहती होगी।

एक माननीय सदस्य: रोती है।

श्री अध्यक्ष : अब बहुत हो गया। वित्त मंत्रीजी।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : अध्यक्ष महोदय, इस पर मुझे बोलना है, अपने विचार तो मैं रखूंगा ही, मुझे अपने विचार रखने हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके विचार संशोधन पर रख सकेंगे। माननीय वित्त मंत्री, आपका संशोधन आयेगा तब देख लेंगे, लिबरली अपने विचार रख सकेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय ... आप पहले बोलना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : Please continue.

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे पहले रखने दीजिये, मैं अपने विचार रख दूं, उनका उत्तर वित्त मंत्री जी दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : थर्ड रीडिंग में और है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): इस स्टेज पर भी इन्हें बोलने दीजिये। अभी और भी बोलना चाहते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अभी तो मैं एक दफा बोलना चाहता हूं। मेरे तो जीवन-मरण का सवाल है शराब बन्दी।

श्री अध्यक्ष : आप दीर्घायु हों ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : नहीं साहब यह तो मेरे जीवन-मरण का सवाल है

श्री अध्यक्ष : शुरू रखिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि आजादी के 20 वर्ष बाद भी शराब बन्दी के लिए यहां बोलना होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और वित्त मंत्रीजी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं इस बात के लिये कि चाहे छोटा सा ही कदम उठाया हो पर उठाया तो सही कि 25 किलोमीटर तक जो सीमा गुजरात से लगी है, वहां सरकार ने शराब बन्द किया है, गारन्टी सिस्टम बन्द किया है, इसके लिये मैं बधाई देता हूं क्योंकि सरकारें चाहे कांग्रेसी हो, चाहे गैर कांग्रेसी एक एक करके शराब बन्दी से पीछे हटी हैं। पर मद्रास सरकार जिसने गांधी का नाम नहीं लिया वहां के मुख्य मंत्री अन्नादुराई ने कहा कि चाहे कितना ही आर्थिक नुकसान हो, पर आथिक नुकसान के मुकबले में नैतिक समृद्धि बहुत बडी चीज है, इसलिये शराब बन्दी हर कीमत पर लागू रहेगी। जिन जिन राज्यों ने शराब बन्दी नहीं की वे सब एक एक करके समाप्त हो गये। यू.पी. के मुख्य मंत्री जी पधार गये और बंगाल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश सब समाप्त हो गये। वे कहते थे, हम शराब बन्दी नहीं करेंगे, पधार गये। जो बन्द करने में विश्वास रखते थे, लेकिन कर नहीं पाये वे भी गये।

एक माननीय सदस्य : कहां गये!

श्री रामकिशन (वैर) : गद्दी छोड गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : राजस्थान के वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्रीजी को मैं बधाई देता हूं। लेकिन आज जो यह आ रहा है कि 18 वर्ष का, उसका पढ़कर मेरे दिल में आग लग गई, बहुत पीडा हुई। क्या यह सरकार इन 20 वर्षों में यह स्थिति ले आई है कि 18 वर्ष के लडके को भी शराब पीनी पड रही है। यह हमारा बहुत बडा दुर्भाग्य है। 18 वर्ष के बच्चे के लिये शराब बन्दी वैसा ही है जैसा एक गुलाब का पौधा है, उसकी कलियां खिल रही हैं और उसकी निगरानी के लिये एक आदमी को रखा है कि कहीं बकरी न खा जाय। लेकिन जडों पर गरम गरम तेल डाला गया तो उस पौधे की क्या हालत होगी? अध्यक्ष महोदय, आप

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

ही बतावें वह तो गिरने वाला ही है। मास्टर शराब पीयेंगे, पिता और राज्य कर्मचारी, शराब पीयेंगे, राजनैतिक नेता शराब पीयेंगे, तब शराब कैसे हट सकती है? बच्चों पर प्रतिबन्ध है लेकिन आखिर वह देखेगा कि उसके गुरु को क्या करना पड़ता है तो बच्चे भी वही करेंगे। एक बच्चे को गुड़ खाने की आदत थी, उसके बहुत डिसेन्टरी रहती थी। उसकी माता उसके गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी ने कहा इसको एक महीने बाद लाना जब वह एक महीने बाद फिर बच्चे को गुरुजी के पास ले गई तो गुरुजी ने कहा बच्चे गुड़ खाना छोड दो। उसकी माता ने कहा कि यह बात तो आप एक महीने पहले भी कह सकते थे। गुरूजी ने कहा मैं कैसे कह सकता था, उस समय में स्वयं गुड़ ज्यादा खाता था। पहले मैं अपने को सुधारूं, जब मैंने एक महीने में गुड़ का त्याग कर दिया तभी तो बच्चे को शिक्षा दे सकता था। बच्चा अपने आप ठीक हो गया। राज्य में नोकरी करने वाले पीते हैं, मां–बाप पीते हैं, स्कूलों और कालेजों के प्राफेसर पीते हैं, राज्य के बड़े बड़े नेता पीते हैं तो बच्चों से हम कैसे आशा रखें कि वे शराब पीना बन्द करेंगे। यह बिलकुल असम्भव बात है। कई लोग यह कहते हैं कि कानून से कुछ नहीं होगा। भगवान बौद्ध ने कहा है : (मनुष्यों तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत न होना वह पराक्रम की परीक्षा है। तुम तलवार के नीचे सर झुकाने से भयभीत न होना, वह बलिदान की कसौटी है। तुम पर्वतशिखर से पाताल में कूद पड़ना वह तप की साधना है। तुम बढ़ती हुई ज्वाला से विचलित न होना, वह स्वर्ण परिक्षा है। पर शराब से सदा भयभीत रहना क्योंकि वह पाप और अनाचार की जननी है)। जाने दीजिये यह तो ढाई हजार वर्ष पुरानी बात है। जिसने आजादी दिलाई उन महात्मा गान्धी जी ने कहा है चाहे मुझे बच्चों को शिक्षा देना बन्द करना पड़े, तब भी मैं शराब बन्द करूंगा। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि हम बन्द कर देंगे तो लोग नाजायज शराब पीयेंगे। मैं कहता हूं आपको व्यसन का व्यापार करने का क्या अधिकार है। मान लीजिये मुझे डायबिटीज की बिमारी है और मैं जीना चाहता हूं। डाक्टर ने कहा कि आप शक्कर नहीं खायेंगे तो मुझे उस जीने के लिये शक्कर का त्याग करना पड़ेगा। उसी प्रकार मान लो डाक्टर ने ब्लड प्रेशर के कारण नमक बन्द कर रखा है अब अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो नमक को बन्द करना पड़ेगा। आप शराब को बिलकुल बन्द करिये। सख्त कानून बना दीजिये। फांसी से बढ़कर कोई सजा नहीं हो सकती है फांसी पर कई लोग झूलते हैं लेकिन इसके उपरान्त भी कत्ल होते हैं, यह बात सत्य है लेकिन उनकी संख्या अवश्य कम होगी। इसी तरह से आप रेल में सफर करते हैं, कई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आपके साथ बैठे होते हैं। सबके पास टिकट होते हैं चैकिंग होता है, इसके उपरान्त भी कुछ व्यक्ति बिना टिकट के सफर करते हैं। आप यह चाहें कि बिलकुल बन्द हो जाय तो यह सम्भव नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कडाई से उसका पालन करवायें, और आप व्यापार बन्द करदें तो बहुत फर्क पड़ेगा।

शराब बन्दी से कितनी हालत सुधरती है। गुजरात में आप जाइये, वहां लोग अब खुशहाल नजर आते हैं। सेल्स टैक्स की भी वहां आमदनी बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
महोदय, मैं आपकी मार्फत मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर आप थोड़ी झिझक निकाल दीजिये। शराब सब पापाचार, दुराचार, अनाचार, की जननी है। अत्याचार कम होगा। ये सब बातें कम होने वाली हैं (लाल बत्ती के बार बार जलने पर) केवल 5 मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहिये।

श्री मनोहरसिंह : भारत में किसी बात की कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो वह नैतिकता की। नैतिकता जब तक भारत में नहीं होगी भारत की हालत नहीं सुधरेगी। भारत की हालत बहुत खराब है। जब चीनियों ने अफीम खाना छोड़ दिया तब उनकी हालत सुधरी।

कीनी धरती आपणी, चीनी छोड़ अफीम।
बावड सी खोई चकी, मदिरा छोड़या सीम॥

श्री अध्यक्ष : ये मदिरा को हटाने के दोहे आपके स्वयं के हैं या क्या ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे मित्र ने मेरे लिये बनाये हैं और मुझे तत्काल याद हो जाते हैं। विनोबा ने कहा है चीनियों ने जब अफीम खाना छोड दिया तो भारत को भी किसी तरह जो इतने आदी नहीं है तत्काल छोड देना चाहिये।

देखो तो या राजकी, सूझ कहूँ कल भूल।
एक ओर मदिरा चले, एक ओर इसकूल॥

यह अब आपको और हमें सोचना होगा इसलिये कृपा कर इस आमदनी के मोह को छोड दीजिये। इन रंग-रेलियों को रोकिये एक तरफ स्कूल चलते हैं दूसरी तरफ मदिरा चलती है। ये दोनों बातें कैसे चलेंगी ? एक तरफ गान्धी जी की शताब्दी मनाने जा रहे हैं तो मैं कहता हूँ शराब के रहते उनकी शताब्दी नहीं मनाई जा सकती है। हो सकता है कि आपके अंगूर की खेती बहुत हो रही हो, उस वक्त यह स्थिति आ जाय कि अंगूर से खूब शराब बनाओ और दो अक्टूबर के दिन महात्मा गान्धी की मूर्ति पर आप शराब लगायें, उनको पिलायें और उस शराब से मूर्तियों का प्रक्षालन करें।

श्री अध्यक्ष : ये क्या बातें आप महात्मा गान्धी के सम्बन्ध में कहते हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : और फिर कहें बूढे अंगूर की शराब बहुत अच्छी है। तेरे बाप दादों ने भी ऐसी अंगूर की शराब नहीं पी होगी।

श्री अध्यक्ष : आप यह सुझाव मत दीजिये, कोई अंगीकार कर लेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कोई अंगीकार कर लेगा तो हम छुडा सकते हैं। यह सरकार तो झुकती है तब जब कोई इनको शक्ति बताई जाय। हमारे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी बड़े कुशल हैं। यह जरूर है कि उनमें विश्वास और हिम्मत भरने की बात है। शराब की आमदनी से आपको आठ करोड का फायदा है। मैं कहता हूँ इतनी आमदनी और इससे भी ज्यादा आमदनी के साधन मैं बताता हूं। 232 पंचायत समितियां चल रही हैं। 232 जीपों में किस तरह की रंग रेलियां होती हैं, अध्यक्ष महोदय, यह आप देखें। समाज कल्याण को बन्द करिये। कई रास्ते हैं आमदनी बढाने के लेकिन जहां

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
चाहे होती है वहां रास्ते तो हो सकते हैं। इसलिये छोटी छोटी बातें न उठायें। हिम्मत भरें, सारा हिन्दुस्तान आपका स्वागत करेगा। दो अक्टूबर से शराब बन्द करो। जिस दिन से आप ऐसा कर लेंगे, उसी दिन राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस का राज्य स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। उस शुभ दिन की हम प्रतीक्षा करेंगे। शराब की आदत से बच्चों और रुपयों पर सबसे अधिक चोट पड़ती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : शुभ दिन तो आज ही है। इसी शुभ घडी से बन्द होनी चाहिये।

श्री विजयसिंह (मकराना) : डागा जी को बिना पिये ही नशा रहता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सबसे ज्यादा दुख उस समय होता है जब दिवाली आती है। हमारे बच्चों को मिठाईयां मिलती हैं लेकिन उस शराबी के घर उस दिन बच्चे भूख से रोते हैं। उस शराबी के घर रोटी तक उन मासूम बच्चों को नसीब नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, वे मासूम बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, भूख से तडफडाते हैं और उनका बाप कहीं मदहोश पडा रहता है।

त्योहार के दिन बच्चे क्यों तरसते हैं? इसका कारण यह है कि उस दिन वे शराब सबसे अधिक पीते हैं। नशे में झूमता हुआ शराबी जब घर आता है जब बच्चे उसको कहते हैं बाबा आज तो हम लपसी और चांवल खायेंगे। वह तो नशे में धुत्त होता है तीन चार तमाचे उन बच्चों को मारता है। जब माता उसको बचाने के लिये जाती है तो उसकी पीठ पर घुम्मे लगाता है। यह हालत आज मजदूर की है इस शराब के कारण, आप जाकर देखिये बच्चे उनके कुम्हला रहे हैं, गरीबी में तो वह पहले से ही डूबा हुआ है। इस तरह से उसके घर में त्योहार मनाये जाते हैं।

कई लोग कहा करते हैं गुजरात में शराब बन्दी हो गई तो क्या हुआ गुजरात के लोग उदयपुर में शराब पीने के लिये आते हैं। मजदूर तो नहीं आते हैं जो रईस हैं वे आते होंगे। क्या आपने इसीलिये यहां चालू कर रखा है? बंबई में शराब बन्दी हो गई लेकिन केवल कानून बना देने से शराबबन्दी होने वाली नहीं यह बात सही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कानून न बनाया जाय। बापू ने कहा था कि "सुधारक भले ही कितनी कोशिश करें सरकार यदि शराब खोरी को इजाजत और सुविधा देती रहेगी तो सुधारकों को सफलता मिल ही नहीं सकती।" हरी बोतल में टेम्पटेशन होता है।

मैं बीस साल तक डिस्टिलरी ऑफिसर के पद पर रहा हूँ लेकिन कभी शराब को छुआ नहीं लेकिन आज हम देखते हैं अधिकारी वर्ग शराब पीना गर्व भरी बात मानते हैं। मेरे पूर्वज बड़े बड़े ओहदे पर रहे शराब पीने की आदत थी लेकिन मैंने डिस्टिलरी में रहते हुए भी शराब कभी नहीं पिया। आज हम देखते हैं यह धन्धा किसी जाति विशेष का नहीं रहा पहले कहा जाता था "ओछी जात कलाल की" लेकिन आज हम बाजारों में देखते हैं, "गुप्ता वाइन स्टोर" "शर्मा वाइन स्टोर" यह सब आप लोगों की कृपा का फल है। आप कृपा करके इन पर बन्दिश लगाइये कोई भी राज्य कर्मचारी पीते हुए पाया जाय तो उसको नौकरी से बरखास्त किया जायगा यह आदेश होने चाहिये। चुनाव में जो खड़े हों चाहे पंच हो या सरपंच या विधान सभा सदस्य या एम.

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
पी. या एम. एल. ए. जो शराब पीता हो उसको टिकट न दिया जाय यह कानून बना दिया जाना चाहिये । मैं आपका स्वागत करूंगा इसी हाउस में फूल मालाओं से स्वागत करूंगा ...

श्री अध्यक्ष : इसके लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री मथुरादास माथुर (आबकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरे इस छोटे से बिल के ऊपर दो प्रस्ताव आये हैं एक तो यह कि इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाय और दूसरा इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय । इन बातों को लेकर माननीय सदस्यों ने बडी भावना भरी हुई तकरीर दी हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के इस ओर और उस ओर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने तकरीरों में हिस्सा लिया और सब ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी हो उसका उन्होंने पुरजोर शब्दों में समर्थन किया । राज्य सरकार आप सब माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करती है । राज्य सरकार ने पहले से ही यह घोषणा कर रखी है राज्य सरकार नशाबन्दी में पूर्ण विश्वास रखती है उसके अलावा हमारे यहां पर इस सदन में या सदन से बाहर हमने इस बात की घोषणा की है । इसके बाद में जब गत साल मैंने बजट स्पीच दी उस वक्त भी मैंने हमारी इस नीति की घोषणा की थी । उस वक्त भी मनोहरसिंह जी मेहता ने तकरीर की थी उस पर भी मैंने कहा था कि आने वाले महिनों में बहुत सारे प्रोहिबिशन के बारे में राज्य सरकार निर्णय लेगी उस समय से हम लगातार कोशिश करते रहे और उस और हमने कदम भी बढ़ाया । उसके बाद में हमने गत 2 अक्टूबर को दो तीन बातों का एलान किया एक यह कि राजस्थान के अन्दर 18 वर्ष से कम आयु के लडके या लडकी या और कोई विद्यार्थी जो इस उम्र के हैं जो सार्वजनिक शिक्षण संस्था में पढ़ते हैं शराब नहीं पीयेंगे अगर पीये हुए पाये जांय तो उनको सजा दी जाय ।

श्री रामचन्द्र आर्य (खण्डेला) : यह विद्यार्थी शराब पीते ही नहीं फिर उनके लिये शराब बन्दी क्यों लागू कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह नहीं कहना चाहता कुछ विद्यार्थियों के बारे में जो कुछ आज उनकी स्थिति है उनको सामने रखते हुए राज्य सरकार ने इस बात का फैसला किया है ।

इसके अलावा हमने 25 किलोमीटर गुजरात से लगे इलाके में शराब बन्दी लागू की है । इसके अलावा हमने भारत सरकार ने जो टेकचन्द कमिटी बिठायी थी जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके आधार पर हमने कार्यवाही शुरू की है । हमने उस रिपोर्ट के अनुसार शराब की जो खपत थी उस खपत को कम करना शुरू किया । हमारे यहां पर कई किस्म की शराब बनती थी हमने उस रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार उनको कम करना शुरू किया यह हमारा इस दिशा में पहला कदम था । जिस वक्त देश के अन्दर सिवाय मद्रास को छोडकर पार्शल प्रोहिबिशन था उसको हटा दिया वापिस उन्होंने शराब बिकवाना शुरू किया । इस वातावरण में यह हमें करते करते हमारी आमदनी में कमी आयगी लेकिन नशाबन्दी के बाद जनता का जो मानस बनेगा उससे हम आशा करके चलते हैं धीरे धीरे उसका घाटा हमें पूरा

(श्री मथुरादास माथुर)

हो जायेगा । जब लोगों की आदत सुधर जायगी तो उनकी परचेजिग कैपेसिटी बढ़ेगी उससे राज्य को आमदनी होगी यह मैं मानता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को मानते हुए शराबवन्दी में राज्य सरकार विश्वास रखती है फिर भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ कानून बन जाने से समाज के अन्दर सामाजिक सुधार नहीं हो सकता । कानून बनाने से ही यह हो जाता तो आपके सामने शारदा एक्ट है जो 1932 में बना था । छोटे बच्चे और बच्चियों की शादी को मना किया गया है लेकिन आप देखते हैं अक्षय तृतीय को हजारों की संख्या में छोटे उम्र के बच्चों की शादियां हो जाती हैं । आज उस कानून को लागू हुए 35 साल हो गये इन सालों में करोडों ऐसी शादियां हो गई होंगी । यह मैं मानता हूँ कानून अपने आप में एक ताकत रखता है लेकिन समाज भी चाहे तो अपने समाज को एक रास्ते पर लेजाने के लिये बाध्य कर सकता है । असामाजिक तत्व भी अपनी ताकत रखते हैं उन असामाजिक तत्वों से समाज की रक्षा कानून कर सकता है । समाज का काफी बडा तबका जब तक इस सामाजिक सुधार की ओर ध्यान नहीं देता इसको मन्जूर नहीं करता तब तक केवल कानून से उसका पालन नहीं करवाया जा सकता । मैं यह कानून बनाने के पक्ष में नहीं हूँ मैं यह मानता हूँ कि इस प्रकार का कानून बन जाने से समाज के लोगों में नई नई बीमारियां पैदा होंगी । मिसाल इसमें मैं दूसरे राज्यों की देना नहीं चाहता इसके और भी कई कारण हो सकते हैं ।

बम्बई में प्रोहिबिशन चालू हुआ बडी तेजी से चालू हुआ उसको चलाने वाले हमारे उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री श्री मुरारजी देसाई थे । उन्होंने बडी तेजी से इसको चलाया उनकी बावजूद कोशिशों के वे पूरा नहीं कर सके । पूरा इरादा होते हुए भी जब तक कि सोशल आदमी नहीं होंगे तब तक वह पूरी तरह से कामयाब भी नहीं हो सकते । आपने देखा होगा बम्बई के मुख्य मंत्री ने बयान निकाला है आपने अखबारों में पढ़ा होगा । वह प्रोहिबिशन से वापिस एक कदम पीछे हटने का उनके बयान से मालूम होता है । 5 परसेन्ट उन्होंने खुली की और भी कई बातें वह सोचते हैं । खैर, मैं दूसरी रियासतों की नीतियों के बारे में टीका टिप्पणी क्यों करूं । और भी कई ऐसे इन्डस्ट्रियल टाउन्स के अन्दर और कई बड़े बड़े शहरों में हमने यह देखा··

एक माननीय सदस्य : गांधी जी ने क्या कहा था ?

श्री मथुरादास माथुर : वह मैं बता दूंगा । क्योंकि मेरी हैसियत गांधीजी को कोट करके अपनी दलील को मजबूत करने की नहीं है ।

मेरा यह निवेदन है कि मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरी दलील इसलिए नहीं है कि मैं कानून नहीं बनाना चाहता हूँ । मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कानून बनाने की जवाबदारी है इस धारा सभा की लेकिन कानून बनाने से देश में प्रोहिबिशन हो जायेगा इस बात को हमारे समाज सेवी, हमारे सुधारवादी या सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह यदि स्वेच्छू बनकर रहेंगे तो यह सुधार लंगडा रह जायेगा । इसलिए उस ओर भी सोचने की आवश्यकता है । इसलिए 2 अक्टूबर के बाद में जब जयपुर

(श्री मथुरादास माथुर)

के अन्दर नशाबन्दी समिति के कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन हुआ था उस समय मैंने नम्र निवेदन किया था कि राज्य सरकार इसलिए तैयार है कि ऐसे कार्यकर्त्ता जो नशाबन्दी के लिए प्रचार करें, लोगों में भावनायें पैदा करें, इसके दुरुपयोग को बतायें और लगातार ईमानदारी से काम करते रहें तो उनको भी सहयोग देने के लिए अर्थ की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार देगी। क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि प्राहीबीशन का कानून ही नहीं बने प्राहीबीशन का कानून बनाने के के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा लेकिन उस कानून से लोगों को साथ लेना और आगे बढना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए माननीय मनोहरसिंह जी मेहता के भाषण को मैंने बड़े भावपूर्ण ढंग से सुना। जब वह कहते हैं तो हर आदमी पर उसका असर होता है क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि कम से कम जो भी बोले हैं वह पूर्ण विश्वास रखते हैं कि नशाबन्दी हो और इसको देश में अमल में लाना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो हमने किया उस ओर कदम बढायें। मेरा यह भी निवेदन है कि इस ओर भी हमारी राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए कहा जाये उसके साथ ही साथ एक आर्मी समाज सेविकों की इस काम में लगे वर्ना यह कानून लंगडा कानून रह जायेगा क्योंकि कानून बन जाने के बाद सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग एक फोर्स बनायेगा और लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। आप कहते हैं कि जुर्म कम हो जायेंगे मैं कहता हूँ कि जुर्म तो और भी संख्या में बढ़ जायेंगे क्योंकि लोगों के चालान होंगे नतीजा यह होगा कि जो आप समझते हैं कि कमी आयेगी वह नहीं आकर ज्यादा जुर्म बढेंगे उसके लिए काफी स्टाफ रखना पड़ेगा और ज्यादा खर्चा हो जायेगा।

श्री राम ... आर्य : आपकी तो आमदनी होगी। गलत कानून बनाने से कोई लाभ नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जरा मेरी भावनाओं को पहले समझने की कोशिश करें। यह चांदमारी करने की कोशिश नहीं करें।

श्री ... सिंह ... (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, क्या कहा इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं कहा। स्थान गृहण करें।

श्री मथुरादास माथुर : उसका दूसरा पहलू भी हमें समझकर चलना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह कानून के जरिये से प्राहीबीशन और नशाबन्दी की बात हम करते हैं उसके साथ ही साथ हम अपने दूसरे फर्जों को भी नहीं भूलें यह मैंने नम्रता से निवेदन किया है। यह इसलिये किया है कि सही माने में जैसे आप विश्वास रखते हैं राज्य सरकार भी विश्वास रखती है कि नशाबन्दी हो और जो कुछ भी हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्य सरकार के अन्दर इतने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की कमी हो जायेगी। यह तभी हो सकता है जब कि सही माने में इस कानून के बनाने से कानून की अवहेलना करने वाले बहुत कम हों तब तो कमी हो जायेगी और कानून बनने के बाद अवहेलना करने वाले ज्यादा ही होंगे जैसे बाम्बे प्रान्त में बहुत हो गये थे। इसलिए दोनों बातों का

(श्री मथुरादास माथुर)
समन्वय करके इसको असली जामा पहनाने के लिए आगे बढ़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहीं पर मैं खत्म नहीं करता हूँ। मैं इसी सदन में और इसी सैशन के अन्दर प्राहीबीशन एक्ट लेकर आपके सामने आ रहा हूँ और वह कानून करीब करीब बन चुका है और वह कानून आपके सामने इसी सदन में रख दिया जायेगा···

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : तो इसको आप विथड्रा क्यों नहीं कर लेते ?

श्री मथुरादास माथुर : फिर यह रिडन्डेन्ट हो जायेगा। यह टेम्पोरेरी लैजिस्लेशन है। क्योंकि अक्टूबर के महीने में मैंने कह दिया था। जब वह प्राहीबीशन का बिल आ जायेगा तब यह अपने आप रिडन्डेन्ट हो जायेगा क्योंकि उसमें बहुत क्लॉजेज होंगे वह हमने गुजरात, बाम्बे और मद्रास के कानूनों को देखकर बनाया है। इतना बडा कानून है उसमें समय लगेगा। हो सकता है उसका सलेक्ट कमेटी में रेफरेन्स हो उसमें समय लगे इसलिए यह जरूरी था।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : नशाबन्दी समिति ने एक आन्दोलन चलाया था उनको खुश करने के लिए और आसुओं को पोंछने के लिए बनाया है यह कानून ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा मतलब यह है कि वह खुश हैं या नहीं इसका मुझे शक है। मैं नहीं मानता कि वह खुश हैं। यह तो कोई आदमी किसी प्रक्रिया में काम करता है तो वह लेजिस्लेशन बनाना पडता है। माननीय सदस्य जो कि नशाबन्दी समिति के सदस्य नहीं हैं उन्होंने भी विचार इस पर रखे हैं इसलिए यह तो आज के हालात को देखते हुए हमारे लक्ष्य को सामने रखते हुए एक कदम है। दूसरा कदम प्राहीबीशन एक्ट जो इस सदन में ला रहे हैं उससे यह रिडन्डेन्ट हो जायेगा और फिर इसका कानून बन जायेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने यह घोषणा की है कि हम एल्कोहल की मात्रा और स्ट्रेन्थ में कमी कर रहे हैं उस आधार पर किस प्रकार से आप प्राहीबीशन को बढ़ावा देने में सफल हो पायेंगे, यह हम जानना चाहते हैं। जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसमें रुकावट आये उसमें कैसे सफल होंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, टेकचन्द कमेटी ने सिफारिश किया था कि ज्योंही एल्कोहल में स्ट्रेन्थ में कमी होगी और उसकी हलके हलके स्ट्रेन्थ कम कर दी जायेगी तो आखिर में जाकर उसी रंग का पानी पिला देगें तो वह आदमी जिन्दा रह सकता है, मरेगा नहीं। आप टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट को पढिये। उन्होंने बहुत सुझाव दिये हैं। श्री टेकचन्द जी खुद जब यहां आये थे तो हम भी उनसे मिले थे। उनका मत था कि जब कन्सन्ट्रेशन कम कर दिया जायेगा तो उसका असर कम होगा और इसकी वजह से लोगों को शराब के छोडने में मदद मिलेगी।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : एक प्रश्न थोडा सा जो मौलिक है वह यह है कि आपके महकमे के द्वारा यह आज्ञायें पंचायतों के पास पहुंची हैं कि वह पंचायतें शराब पर टैक्स लगायें। अब जो टैक्स आपका विभाग वसूल करता था वह सीधे सीधे उस टैक्स को पंचायतें वसूल करेंगी शराब पर···

श्री मथुरादास माथुर : मैंने नहीं कहा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं पंचायत समिति की बैठक में से 20 तारीख को हो कर आया हूं और आपका सरकुलर मैंने देखा है और यदि आप चाहें तो दो रोज बाद उस सरकुलर को लाकर इस टेबल पर रख सकता हूं। अब प्रश्न यह रहता है कि जब आपके इस महकमे से ऐसा सरकुलर जाये कि बिक्री पर सरचार्ज लगायें तो धीरे धीरे पंचायतों की यह प्रवृत्ति बढेगी कि शराब पर चुंगी या सरचार्ज लगायें। ऐसी सूरत में स्थिति यह होगी. . .

श्री मथुरादास माथुर : जो आपकी बुनियादी चीज है वही गलत है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप अपने विभाग को टटोल लें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा विभाग तो मेरे पास है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं बिना आधार के नहीं कह रहा हूं। पंचायत डिपार्टमेंट से गया है। पंचायत समितियों के पास गया है। आपके विभाग से है। जो कि विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि सन् 33 में जब कांग्रेस का मंत्रीमण्डल बना अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय का ध्यान युक्ति की तरफ लाना चाहता हूं. . मैं उनका ध्यान सन् 37 में जब मन्त्रीमण्डल बना 35 के विधान के अनुसार तब प्रोहिबिशन की मांग आई थी लोकप्रिय मन्त्री मण्डलों के सामने। उस समय एक व्यवस्था कर रक्खी थी कि शराब से होने वाली आमदनी एजुकेशन पर खर्च हो। तो समस्या सामने आई कि शराब बन्दी करना चाहते हैं तो शिक्षा बन्द करनी पडेगी तो मैं निवेदन करूं कि उस वक्त गांधीजी ने कहा . . .

श्री अध्यक्ष : यह बात तो कई बार कह दी गई। आप संक्षेप में कह दीजिये। भाषण नहीं करने दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दौरान बहस यह बात कही गई कि हमारे आबकारी विभाग से इस तरह का कोई सरकूलर निकाला है यह बिलकुल गलत है।

पंचायतों में शराब पर कर लगाया और उन्होंने हमें यह कहा कि आप अपनी एक्साइज डूयूटी के साथ इसे वसूल करके हमें दें। वह फाइल मेरे पास आई। हम वसूल करना नहीं चाहते। पंचायत टैक्स लगाना चाहती है तो खुद वसूल करें। इस तरह की बात चलती है। पर यह कहना कि हमने कहा है,

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह है सरकूलर मैं बताता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मथुरादास माथुर : फिर भी ऐसा सरक्लूर है जो आबकारी विभाग ने निकाला हो तो कृपया मुझे दिखा दीजिये। मेरी नोलेज में नहीं है और नोलेज से बाहर मेरे विभाग में कुछ होता नहीं। इसलिये आप अपना भ्रम ठीक कर लें।

मैं निवेदन कर रहा था कि प्राहिबिशन एक्ट लाने की बात कही वह भी कानून आवेगा।

तीसरी बात अभी कई सुझाव रखे किसी ने महिलाओं को भी कम्पलीट नशाबन्दी में शुमार करने के लिये कहा माता-पिता के नाम पर युवकों के अन्दर प्रेरणा दी जाने

(श्री मथुरादास माथुर)

की बात कही। बहुत सों ने कई तरह के सुझाव रक्खे कि सरकारी नौकरों को कम्पलीट प्रोहिबिशन में लेलें।

नौकरों से जहां तक सम्बन्धित है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में यह है कि नशे की हालत में अफसर देखा गया तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है बिलकुल कतई पीवे नहीं इसका प्रावधान नहीं है।

श्री विजयसिंह राठौड़ : बहुत से नशा करके दफ्तरों में आये तो · · ·

श्री मथुरादास माथुर : नशा करके आयें तो आप शिकायत करें। हम कार्यवाही करेंगे।

मेरा यह निवेदन था कि इतना कानून तो यह है। कम्पलीट नशाबन्दी की बात इसमें नहीं है।

यह भी कहा गया कि एम.एल.ए., एम.पी. वगैरह चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों को इसमें लेना चाहिये। इसमें कोई बहुत बड़े मतभेद की बात नहीं है।

मैंने निवेदन किया कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमारे एम.एल.ए., एम.पी., प्रमुख या प्रधान शराब पीये। यह सब जवाबदारी राज सरकार पर है कि कानून के जरिये से पीने वाले को सजा दी जावे। पीपल्स रिप्रेजेन्टेटिव एक्ट में जो कुछ भी है इसमें यह बात नहीं है तो उसका वैधानिक दृष्टिकोण भी देखना पडेगा। अगर यह कहें कि कोई भी शराब पीने वाला हो वह चुनाव के लिये खड़ा ही नहीं हो सके तो फिर फण्डामेन्टल कानून में तबदीली लानी पड़ेगी। पर मैं इस समय इस तर्क में पडना नहीं चाहता।

हमें और भी चिन्तन के लिये मसाला मिला है। आपकी नजर सब तरफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 18 वर्ष की आयु वालों पर अगर बन्धन डाला और वे नशाबन्दी में न पड़े तो कम से कम आने वाली नस्ल इस देश की शराबखोरी में न पड़े इस दिशा में यह कानून हमने बनाया है। फिर रुकावट तो इसमें उनको भी क्या हो सकती है। चोरी के लिये रुकावट है पर फिर भी चोरी होती है पकड़े जाते हैं। कतल के केस होते हैं कानून है फिर भी मर्डर होता है। तो कानून की ताकत होती है पर वह भी समाज को एक सीमा तक बान्ध सकता है। पर इसके बाद समाज के लोगों में स्वतः ही इसकी धारणा जब तक न हो जावे जब तक कानून लंगड़ा ही रहता है।

तो 18 वर्ष के विद्यार्थियों के लिये कानून बनाना है इस नुकते निगाह से जो भविष्य में हिन्दुस्तान के स्तम्भ बनने वाले हैं उन को कानून का भय रहे इसलिये यह बनाया है। अब अगर चोरी से पीवेंगे तो पकड़े गये तो सजा पावेंगे। नहीं पकड़े जावेंगे तो पी कर सो जावेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह जो कानून बनाया गया है यह सरकार का एक इन्टेरिम लेजिस्लेशन है। जब पूरा प्राहिबिशन का लाज लावेंगे तब उस में जो भी सुझाव देंगे उस पर और विचार किया जावेगा पूरा चिन्तन और चर्चा की जावेगी और सदन की जो मंशा होगी वही कानून बनेगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

यह भी निवेदन है कि हम बराबर घोषणा करते रहे हैं कि दो अक्टूबर को घोषणा की और इसके बाद कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि जब मैं आपके सामने 1968 का बजट लेकर आऊंगा 8 तारीख को तो उस वक्त और भी कुछ कदम बढ़ाना चाहते हैं इस दिशा में भी वह भी अर्ज करूंगा इसलिये आज के दिन यह छोटा सा लेजिस्लेशन मेरा है जो लेकर मैं यहां आया हूं और भी जो कुछ कहना चाहूंगा 8 तारीख को निवेदन करूंगा। वह अपने आप में खतम नहीं होने वाला है। आपके सहयोग से इस दिशा में हम आगे ही बढ़ते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपके दरबार में आये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : और अध्यक्ष महोदय, मेरा यह नम्र निवेदन है कि हमें हर कदम आगे ले जावेगा और आपके सहयोग से चाहे हिन्दुस्तान में आवहवा नशाबन्दी के खिलाफ पैदा हो गई हो, राजस्थान में ऐसा जैसे मेहता साहब ने कहा कई राज्य बने और बिगड गये। नशाबन्दी के कारण यह हुआ वह हुआ, और भी कुछ कह दें वे तो कम था। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह नम्र निवेदन है कि उन्होंने जो कुछ किया अपनी हालत को देखकर किया। हम अपनी हालत को देखते हुए कर लगाते हैं, करों की छूट करते हैं, समाज की हालत देखकर कानून बनाते हैं एक ही प्रोटा टाइप कानून सब जगह बनते नहीं हैं। हम तो अपनी हालत देखते हुए जो मानसिक चेतना हमारे यहां है उसको मद्देनजर रखते हुए, अपनी नीतियों को सामने रखते हुए, सब के विचारों को सुनते हुए बराबर आगे बढने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इस बात के लिये जोर नहीं देंगे। यह कानून तो जो कुछ दो अक्टूबर को हमने कहा उसको पूरा करने के लिये हैं। आगे भी कई कदम अभी उठाये जावेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह रावत : मुझे टाइम दे दें, मुझे जानकारी करनी है, आगे संशोधन है।

श्री अध्यक्ष : अभी थर्ड रीडिंग है।

श्री विजयसिंह रावत : आप बतायें तो सही कि मेरे सुझावों पर सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये। थोडी सी शान्ति से बैठिये।

श्री विजयसिंह रावत : स्पीच देने नहीं खडा हुआ हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये। मेरी बात सुनिये। मुझे भी विश्वास है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं इजाजत दूंगा पर आसन खडा है तब तो कुछ शालीनता रखिये। मैं आगे समय दूंगा।

श्री विजयसिंह रावत : मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं। दो प्रस्ताव हैं। संशोधन भी नहीं होंगे तो...

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहेंगे तो मैं अवकाश दूंगा। इसके बाद थर्ड रीडिंग है पहले दो प्रश्नों को तो चलने दीजिये। और

(श्री अध्यक्ष)
समय 41, 41। हो गया है। कम से कम एक विधेयक तो खतम होना चाहिये।

श्री विजयसिंह रावत : मैं यह पूछना चाहता हूं। बार बार आसन की ओर से यह कहा जाता है कि जब भी किसी विधेयक पर बहस हो तो कन्सर्न्ड मन्त्री सीट पर होता नहीं है और नतीजा यह होता है कि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। प्रश्न यह पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्रीजी, यह बताने की कृपा करें। जो मुद्दे मैंने बुनियादी तौर पर रखे, 8–9 मुद्दे रखे, उनके बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप समझते हैं कि सरकार के लिए इस नशाबन्दी को पूरी तरह लागू करने के लिए, आपकी नजर में और सरकार के दिमाग में ये ठीक जचते हैं? आप कुछ प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष : थर्ड रीडिंग के समय प्रकाश डालेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : भगवान राम ने दक्षिण पर हमला किया था जब अत्याचार बढ गए थे और महाभारत का युद्ध तब हुआ था ...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लें।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : वित्तमंत्री को समझा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को प्रेरणा इसलिए दी थी कि कौरवों के अत्याचार बढ चुके थे तो मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि आप जो यह कानून ला रहे हैं क्या 18 साल के नीचे के बच्चे इतनी तादाद में शराब पीने लग गए कि बेकाबू हो गए कि कानून को लाने की जरूरत पड रही है, यह सूचना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह थर्ड रीडिंग पर पूछ लें।

श्री देवीदत्त गाडिया : वित्त मंत्रीजी ने पिछले सदन में यह कहा था कि जिस क्षेत्र के अन्दर मजदूरों की झोपडियां हैं, जहां मजदूर रहते हैं उस जगह पर शराब नहीं बेची जायेगी लेकिन कोटा जिले के अन्दर शाहबाद एक आदिवासी इलाका है, आदिवासी मजदूर रहते हैं उनकी एक एक झोंपडी में वहां पर शराब के ठेके लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : इसे मंत्री महोदय देख लें।

श्री देवीदत्त गाडिया : राजस्थान सरकार ने इस तरह का पैक्ट कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : थर्ड रीडिंग पर बोल लें। प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, 1968 जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव श्री रामकिशन, श्री रामनाराण चौधरी, श्री शिवनाथ सिंह, श्री गिरधारीलाल व्यास, श्री श्रवणलाल आदि ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मुझे विथ्ड्रा करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री रघुनाथ बिश्नोई, श्री वृद्धिचन्द जैन व श्री मूलचन्द डागा ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द) : मैंने एक संशोधन रखा है।

श्री अध्यक्ष : Chair is on its legs. आर्डर प्लीज।

(स्वीकृत)

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है ....

श्री अध्यक्ष : विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं बोलना चाहूंगा।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1968, खंड 32 पर विचार-विमर्श

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ तो हो गया। अब प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाय

(स्वीकृत)

खंड 2 स्वीकार किया गया।

खंड 3 श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, 1968, में मैंने अपना संशोधन पेश किया है। वैसे जैसे इस सदन के अन्दर विभिन्न प्रकार की राय आई कि राजस्थान में संपूर्ण नशाबन्दी आवश्यक है परन्तु यदि इसी विधेयक को इस रूप में पारित करने की इच्छा है तो मैंने क्लॉज 3 के अन्दर संशोधन रखा है। आज इस कानून के पास करने की मन्शा यह है कि जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन पर पाबन्दी होगी। मैंने प्रस्ताव रखा है कि 18 की जगह 25 वर्ष किये जायें। उसका कारण यह है कि 19 वर्ष की उम्र के लडके जैसे श्री रामनारायणजी ने कहा था शराब पीते हों यह हमारे नजर में नहीं आया। यह बात ठीक नहीं है कि 18 वर्ष से कम वालों के लिए कोई कानून बनाया जाये और वातावरण बनाया जाय कि राजस्थान में 18 वर्ष से कम उम्र वाले लडके शराब पीते हैं। इसलिये अगर आप पावन्दी लगाना चाहते हैं तो कम से कम 25 वर्ष के उम्र वालों पर लगाइये। 25 वर्ष के ऊपर के लोग ही शराब पीते हैं इसलिए 18 वर्ष से कम वालों पर पाबन्दी लगाना वास्तव में तथ्य-हीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। और इसको पास करने से कोई उपयोग नहीं होगा। दूसरा मेरा संशोधन है कि शिक्षा संस्था के छात्र पर पावन्दी लगाई है कि वे शराब नहीं पीयें लेकिन अगर हम शिक्षा क्षेत्र के अन्दर शराबबन्दी लाना चाहते हैं तो केवल छात्रों पर प्रतिबंध लगाने से कार्य नहीं चलेगा इसलिए इस प्रकार का संशोधन मैंने रखा है कि शिक्षा संस्थाओं के जो अध्यापक हैं। प्रोफेसर्स व लेक्चरर्स हैं या एजूकेशनिस्ट्स हैं या उस संस्था के पदाधिकारी हैं या उसमें काम करने वाले और व्यक्ति हैं, सब पर पाबंदी लगाई जाये यह सही है कि सरकार कहती है कि पूरी नशाबन्दी लागू नहीं कर सकते लेकिन इस समय जब एक वर्ग के अन्दर शिक्षा क्षेत्र के अन्दर लगाते है और दूसरे वर्ग वाले जैसे अध्यापक हैं जो उनके गुरू हैं उन पर पावन्दी नहीं

(श्री शंकरलाल)

लगाते तो यह विधेयक कोई मन्शा नहीं रखता तो मैंने संशोधन रखा है कि यह जो कानून है वह केवल छात्रों पर नहीं बल्कि शिक्षा संस्थाओं के तमाम लेक्चरर्स और प्राफेसर्स पर भी लागू किया जाय।

तीसरे इसके अन्दर जो सजा देने का सवाल है इसमें लिखा है कि 6 महीने की संजा हो सकती है अथवा जुर्माना जो 500) तक हो सकता है। अगर आप कानून को कारगर बनाना चाहते हैं तो आप "अथवा" शब्द को हटा दें। इसलिए मैंने संशोधन रखा है। जिस प्रकार मेरे माननीय साथी श्री मूलचन्द जी डागा ने कहा था यदि आपको कानून को कारगर बनाना है तो उसको स्ट्रिक्ट करना होगा। वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि केवल कानून से समाज सुधार नहीं होता। मैं मानता हूं कि केवल कानून से समाज सुधार नहीं होता लेकिन कानून नहीं बनाया जाय यह भी बात उपयुक्त नहीं होती। यह बात सत्य है कि समाज सुधार इस क्षेत्र में हो। यह भी संभव नहीं है कि शराब की बीमारी या रोग जड़ मूल से चला जायगा। राजस्थान में यह बीमारी इतनी बढ गई है और भयंकर हो गई है कि यह केवल समाज सुधार का नाम लेकर नहीं मिटाई जा सकती। जब बीमारी बढ जाती है तो कारगर और मजबूती से कदम उठाना पडता है इसलिये मैंने कहा कि केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि जुर्माने के साथ सजा भी होनी चाहिये, दोनों ही हों, इसलिये मैंने इस प्रकार का संशोधन रखा है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी ने संकेत दिया है कि हम और संशोधन लाने वाले हैं जैसे चुने हुए आदमी चाहे वे एसेम्बली के मेम्बर हों मिनिस्टर हों, वार्ड सरपंच हों या जिला परिषद का सदस्य हो उनके लिये भी लाना चाहते हैं और साथ ही यह कहा कि गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स पर भी लगा सकते हैं यदि इस प्रकार की मंशा है तो क्या वजह है कि अध्यापकों पर इसे लागू करना मंजूर न करें, जरूर मंजूर करेंगे। मैं याद दिलाऊंगा मंत्रीजी जब जोधपुर रियासत में शिक्षा मंत्री थे वहां पर आज्ञा जारी की थी कि शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक अथवा टीचर कोई शराब नहीं पीयेंगे। क्या आप 20 साल के बाद पीछे जाना चाहते हैं और केवल विद्यार्थियों पर ही लगाना चाहते हैं ? होना यह चाहिये था कि पूरे गवर्नमेन्ट सरवैन्ट्स पर लागू हो मैं समझता हूं कि जो बातें कही हैं वे वास्तव में आवश्यक हैं। इसे कारगर बनाना है तो वित्त मंत्रीजी मेरे संशोधन स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मेहता संक्षेप में।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माडलगढ): अध्यक्ष महोदय मैंने भी यही निवेदन किया था एक तो 18 साल है वहां पर 25 साल किया जाय। दूसरा यह किया था कि सजा और जुर्माना दोनों किया जाय। तीसरा यह है कि यदि यह स्कूल मास्टरों और सरकारी नोकरों को साथ में नहीं लिया जाता है तो इसके कोई माने ही नहीं होते। 18 साल के लडकों पर लगाने से मतलब क्या होगा। मंत्रीजी ने कहा कि बम्बई में क्या हुआ और यह भी कहा कि सदस्यों को कोशिश करनी चाहिये। निश्चित रूप से हमसे जो बनेगा वह करेंगे। हमसे भी ज्यादा तो जैन मुनी करते हैं लेकिन इसमें कानून का सहारा होना अत्यन्त जरूरी है। कानून का सहारा होगा तभी

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
कारगर होगा। बम्बई में जितना सहारा चाहिये था उतना नहीं मिला । इसका कारण यह था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सहयोग नहीं दिया। उल्टा वे तो इल्लीसिट शराब बनाने वालों को कहते थे कि 10 बोतल हमारे लिये भी खींचिये जैसा आई. ए. एस. लोग यहां करते हैं····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मनोहरसिंह मेहता: विकास के लिये हम लोग क्यू में खडे हैं। कानून राज्य कर्मचारी और समाज सेवी तीनों ही मिलकर करेंगे तभी होगा। अभी सुनने को मिला था कि 52 प्रतिशत एलकोहल तक की शराब वहां पर खुली की है। पंचायतों में जैसा बाहर हैं वैसा यहां पर भी कर दिया तो बहुत बुरा हाल होगा। मैंने पूज्य मूरारजी भाई को चिट्ठी लिखी थी। अभी तो राज्य सरकार से ही लडाई लडनी पड रही है फिर पंचायतों से भी लडना पडेगा। यह क्या कर रहे हैं। शराबबन्दी करेंगे तो कृपा करेंगे । मैं यह चाहता हूं कि पंचायतों को इस प्रकार के अधिकार नहीं मिले । आप इसको किसी तरह से पास करते हैं तो ठीक नहीं है। बहुमत के आधार पर आप पास कर सकते हैं लेकिन मैं इसको गलत मानता हूं। 18 वर्ष के लिये लागू नहीं किया जाय

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! श्री डागा।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा): क्लॉज 2 में मेरे दो संशोधन हैं। पहला यह है कि 18 साल के बच्चों पर और स्टूडेन्ट्स पर पाबन्दी लगाई है उसके साथ साथ गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स पर भी लगानी पडेगी और साथ ही साथ टीचर्स पर भी पाबन्दी लगाई जाये। इसके लिये मैं शराब मंत्रीजी से कहूंगा····

श्री अध्यक्ष: कौनसे मंत्रीजी से ?

श्री शिवनाथसिंह: माफ कीजिये आबकारी मंत्रीजी से।

श्री केसरीसिंह: शराबी मंत्री जी या शराब के मंत्री ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री शिवनाथसिंह: सरविसेज के लिये यह पाबन्दी होना जरूरी है। जहां पर माथुर साहब जाते हैं वहां सरविसेज को कंट्रोल में करते हैं। जितनी गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स में बुरी आदत है शराब पीने की उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मार्फत चलाना चाहते हैं तो यह उचित नहीं है। 18 साल के विद्यार्थियों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, वे ओफेन्स करते हैं तो उनको आप किनके द्वारा ठीक करना चाहते हैं । पुलिस अधिकारियों और दूसरे अधिकारियों की मार्फत आप कानून की पाबन्दी करना चाहते हैं लेकिन जब तक स्वयं उन पर पाबन्दी नहीं लगेगी, उनका आचरण ठीक नहीं होगा तब तक आपका यह कानून लंगडा रहेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सर्विसेज से न डरते हुए इसे सरविसेज पर जरूर लागू किया जाय। इनके साथ साथ टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स को भी लेना पडेगा क्योंकि लडकों के अध्यापक अपना आचरण ठीक नहीं करेंगे तो उनका प्रभाव लडकों पर पडे बिना

(श्री शिवनाथ सिंह)
नहीं रहेगा इसलिये इन पर भी पाबन्दी लगानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं अमेन्डमेन्ट राख्यो है कि 18 साल री उमर रे बजाय 21 साल राख दी जाय। इण संशोधन ने तो राख दियो फिर भी शंका है कि मौजूदा कानून बणायो जारयो है उणमें तथ्य है या नहीं। उणसूं फायदो है या नहीं। कानून एक नहीं सैकडों बणाया शारदा कानून वणियो, मौसर कानून बणायो लेकिन बणरो असर हुओ नहीं। दूसरा सवाल है कि 18 साल का लडका है वांके वास्ते कानून बणवा की जरूरत क्यूं आई। आप कानून बणाते वक्त सामाजिक पहलू ने सोचियो नहीं। अगर एणतरह रो कानून बणायों तो एक लडको जो अच्छो होशियार, अच्छे माइन्डवालो है, मेहनती और ऊंचे दर्जेरो होशियार है लेकिन कदई शराब पी लीवी और स्कूलों में भी पार्टी बाजी और ग्रुप बाजी आजकल चले है उणकरण किणी उणने बेवकूफ बनाकर उणाने शराब पिलादी तो उणारे करेक्टर पर कितरो असर पडेलो। उणरो केरियर खराब हो जावेलो। आगे जाकर उणने जिन्दगी में सरविस मलिनी मुश्किल हो जावेली। यदि उणने सजा मिली या जुर्मानों हो गया तो वो समाजरी नजर सूं गिरजावेलो और तरक्की नहीं कर सकेलो। इणतरेरो जो कानून बणायो है वह हक में नहीं है बल्कि मोरल गिरावण रो सवाल है, टाबरने बिगाडन वालो है। आज इणतरेरो कानून बणाकर टाबरों ने बिगाडनो ठीक नहीं। मैं अर्ज करूं कि आप प्रचार करो वातावरण इण तरह बणावो कि लोगों री समझ में आवे कि इणरो सुधार किण तरह सूं कियो जावे। अपांरे सामने नजीर सोवियट रूस की है। 40 साल पहले रूस में क्रान्ति हुई उणरे बाद धीरे धीरे इतरो हुओ अगर रूस रो लिट्रेचर पढां तो अपांरे सामने चीज आवे कि पहले मजदूरों री हालत किण तरह री ही, परिवार में कितनी अशान्ति और किण तरह रा झगडा हा लेकिन क्रान्ति रे बाद आजादी आणे रे बाद शराब रो प्रचलन तेजी रे साथ साल दर साल कम होतो गयो मगर कानून री सत्ता नहीं ही। इणरो प्रचार हुआ मोहल्ले मोहल्ले में कमेटियां वणी। जो आदमी गलती करे उणने समाज रे सामने दबणो पडे मोहल्ले रा आदमी फैसलो करे इण तरह सूं कोशिश बठे की गई। आपने भी मनोवैज्ञानिक ढंग सूं सोचना पडेगा। एन्टरटेन्मेन्ट रा साधन वणों रे वास्ते उपलब्ध करणा पडेला। एन्टरटेन्मेन्ट साधन ढठा वगत एक मात्र सिनेमा है और दूसरी भी साधन ढूंढणा पडेला। खाली कानून बढावणसूं ही इतनी सफलता नहीं मिलेगी आज या काटेज इन्डसट्री बन गई। आपनें जो पकडवाने कानून वना राख्यो है वा कानून आज कान नी आरहयों है, वी के अन्तर्गत किसी आदमी ने गिरफ्तार नहीं किया जा रह्यो है :.

श्री अध्यक्ष: आपस में बात मत करिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मौजूदा कानून जो है वी को परिपालन हो जाय तो काफी है। पण अफसोस यो है कि नया नया कानून बनता जा रह्या है और पुराना कानून को पूरा परिपालन नहीं

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
हो पावे है। आपने कानून बनाना है तो वह लागू आप 18 साल की उम्र की बजाय 21 साल से कर दो।

श्री अध्यक्ष : केसरी सिंह हाडा।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह शराब की बात··

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। स्थान ग्रहण करिये।

श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) : धारा तीन में मेरा संशोधन है कि 18 साल के स्थान पर 25 वर्ष कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि सारा दोषारोपण छात्रों पर कर दिया गया है। छात्र क्योंकि शराब पी लेते हैं इसलिए यह कानून बनाया गया। मगर यह सरासर अनुचित और अव्यवहारिक है। जो छात्र बहुत ही जबरेल होगा वही पीता होगा। कोई छात्र ही पीता होगा और वह भी 18 वर्ष तक कोई नहीं पीता। युवावस्था की एज पर पहुंचने पर एसी चीज आवे तो उसको आप सुधारिये। जो एज ऑफ चेंज कहलाती है वह 18 से 25 वर्ष तक है, जितना भी आदमी में सुधार और बिगाड होता है वह इस उम्र में ही होता है···

श्री अमीनुद्दीन (मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : यह सही है।

श्री केसरसिंह : इसके बाद में नहीं होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि 18 के स्थान पर 25 कर दिया जाय।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि खण्ड एक नवीन जोडा जाय धारा में (सी) जिसके अन्दर समस्त राज्य कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाय क्योंकि जब तक राज्य कर्मचारियों के ऊपर इस बात का प्रतिबन्ध नहीं लगेगा, जब तक उनके ऊपर इस प्रकार का अंकुश नहीं होगा तब तक न तो प्रशासन में सुधार आने वाला है, न उनका कार्य कुशल रूप से चल सकेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन करना है कि राज्य कर्मचारियों को इसके अन्दर सम्मिलित किया जाय। उसके अन्दर सब कैडर के राज्य कर्मचारियों को होना चाहिए न कि एक तरह के। यह दो मेरे संशोधन हैं, जिन पर, समझता हूँ, माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे और मंजूर करेंगे।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : आप थोडा स्थान ग्रहण करें, और माननीय सदस्य हैं बोलने वाले। आप इनको समझा दीजिये।

माननीय मंत्री जी।

श्री रामनाथ विश्नोई : इनको चांस दे दीजिये।

एक माननीय सदस्य : थोडा समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बोलिये, बोलिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें निवेदन करना है··

श्री अध्यक्ष : बुजुर्ग बोल रहे हैं।

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह शराबबन्दी की बात आज सदन में हो रही है और इसके लिए नियम बना रहे हैं लेकिन जो स्वयं पीछे हैं

(श्री जगन्नाथ)
उनमें से किसी ने अपना उदाहरण नहीं दिया है · ·

श्री अध्यक्ष : आगे चलिये ।

श्री जगन्नाथ : कि इसकी हरकत क्या थी। मैंने जब पी थी तब पी थी। इसमें यहां पर अभी कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र के बजाय 25 साल की उम्र कर दी जाय और छः महीने की सजा, और पांच सौ रुपये रख दिये जायें, और सरकारी कर्मचारियों को भी पाबन्द कर दिया जाये । इसके सम्बन्ध में मेरे दिमाग में तो विचार यह है कि जो 18 साल के बच्चों के लिए कह रहे हैं, उनमें शराबबन्दी के लिए कह रहे हैं तो उसके बजाय 18 साल के बच्चों तक उनके मां बाप को पाबन्द कर दिया जाय कि वह अपने बच्चों को शराब नहीं पीने दें · · ·

कई माननीय सदस्य : बोल गिर्राज महाराज की जै ।

श्री अध्यक्ष : आप शुरू रखिये, अच्छा सुझाव है ।

श्री जगन्नाथ : इसके बाद में कर्मचारी साहबान के लिए यह कहा जाता है कि शराब न पीयें · ·

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छे ।

श्री जगन्नाथ : मेरा सुझाव यह है कि इसके बजाय कर दिया जाय कि शराबबन्दी उनके लिए तब तक कर दी जाय, यह पाबन्दी तब तक कर दी जाय जब तक वह ड्यूटी पर हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह क्या ?

श्री जगन्नाथ : इसके बाद अगर कोई सरकारी कर्मचारी पीता है तो पीये · · ·

श्री अध्यक्ष : और सुझाव दीजिये । दूसरा सुझाव दीजिये ।

श्री जगन्नाथ : इसके बाद में जो छः महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना का रखा है, यह बडी भारी और जबर्दस्त है । यह जुर्माना और सजा बहुत ज्यादा है । मेरी मांग है कि इससे थोडी सजा दे दी जाय क्योंकि अभी यदि पकडते थे, तो हमारी पुलिस पकड कर उसकी डाक्टरी कराती थी और उसके बाद में 24 घंटे जेल में रख कर छोड देती थी । अब उसे ज्यादा किया जाय तो 24 घंटे के बजाय 48 घंटे रख दिये जायें और 500 रुपये के जुर्माने के बजाय पांच रुपये रख दिये जायं · ·

श्री अध्यक्ष : यह भी अच्छा है ।

श्री नाथीसिंह : यह तो बन्दर वाली बात है ।

श्री अध्यक्ष : और कुछ फर्माइये ।

कई माननीय सदस्य : बोल गिर्राज महाराज की जय ।

श्री जगन्नाथ : मैं बोलूंगा, आप फिक्र मत करिये । इसके बाद जो छः महिने की सजा रखी गई है, उसके लिए मेरा सुझाव है कि इस पर सजा कुछ नहीं रखी जाय, केवल जुर्माना रखा जाय, पांच रुपये के जुर्माने से नसीहत लेंगे और आयन्दा चल कर अपने में कुछ सुधार कर लेंगे । इसके लिए पहले जो नियम बने हुए हैं उनमें एकदम जुर्माना और सजा बढ़ायें तो यह एकदम आक्रमण करने जैसा

(श्री जगन्नाथ)

होगा। आप चाहें कि एकदम कोई हिमालय पहाड़ पर चढ़ जाय तो वह कभी चढ़ सकता है?

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें। बिराजो।

चूंकि सदन का समय समाप्त होने वाला है इसलिए जब तक विधेयक समाप्त नहीं हो तब तक के लिए, मैं सदन से आज्ञा चाहूंगा, समय बढाया जाय।

(स्वीकृत)

इस विधेयक के पास होने तक के लिए समय बढाया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक अमेन्डमेन्ट और है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : आज पेश किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपसे एप्रूवल लेकर पेश किया है।

श्री अध्यक्ष : समय कम लेंगे, एप्रूवल भी विशेष परिस्थिति में दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समय कम लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज तीन में एक तीसरा क्लॉज यह जोड़ा जाय

If he is an elected member of a Panchayat, Municipality, Legislative Assembly or Parliament.

जिसके बारे में बहस में माननीय सदस्यों ने यह कहा है उसके अनुसार यह पाबन्दी शुरू अगर करनी है तो इसके अन्दर 'ए' और 'बी' में जो रखा है, उसमें मैं जो संशोधन पेश कर रहा हूँ वह और जोड़ दिया जाय। जो समाज के नेता हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो वह समाज के सामने कोई आदर्श पेश करें। पालियामेन्ट के मेम्बर, एम. एल. एज. पंचायत और म्युनीसिपैलिटीज के चुने हुए सदस्य हैं उन पर भी यह पाबन्दी लागू कर देनी चाहिए कि कोई शराब पीयेगा तो उसको सजा मिलेगी। हम लोग अपने पर पाबन्दी शुरू करें और फिर दूसरों को कहें तो सही होगा। वरना मैं समझता हूँ कि गलत होगा। विद्यार्थियों और 18 साल के बच्चों के बारे में तो मैं जब तृतीय वाचन होगा तब कहना चाहूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ, इस प्रकार की बात कह कर, विद्यार्थियों और छोटे बच्चों के लिए, 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए कह कर आप अनावश्यक तौर पर हमारे होनहार लोगों के ऊपर आप लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वह हमारे समाज की नीव हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम अपने ऊपर वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, अपने को दण्डित नहीं करना चाहते हैं। हम जिनके पैरेन्ट्स हैं उनको हम समझा सकते हैं। 18 वर्ष के बच्चों के लिए हम पैरेन्ट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन हम इस विधेयक के जरिये मानते हैं कि हम नालायक पैरेन्ट्स हैं और बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। हम मानते हैं · ·

एक माननीय सदस्य : इधर बैठने वाले पहले पकडे जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कि कानून के अन्दर यह आये तो मैं कहता हूँ यह करना है तो इसकी शुरुआत एम. एल. एज., एम. पीज. और दूसरे लोगों से करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री।

(5 म. प.)

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो तरमीम रखी गई हैं उन तरमीमात का जवाब देने के पहले मैं खास तौर से नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव रखा था और जो एक प्रश्न उठाया था और उन्होंने ड्राईडेज के लिए कुछ तारीखें, कुछ त्यौहार बताए थे, उनकी सूचना के लिए अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए इत्तिला करना चाहता हूँ कि राजस्थान में इस वक्त 9 दिन ड्राईडेज हैं : रिपब्लिकन डे, इण्डिपैण्डेंस डे, हरिजन दिवस, मुहम्मद बर्थ डे, गुरु नानक बर्थ डे, लार्ड क्राइस्ट बर्थ डे, महावीर जयन्ती, महात्मा गान्धी जयन्ती, वसन्त पंचमी। यह 9 दिन पहले से ही हैं। आपकी लिस्ट में से 3।4।5 तो कॉमन निकल जाते हैं और बाकी संक्रान्ति, बसन्त पंचमी, दीपावली होली··

श्री विजयसिंह: दिवाली और पुष्कर मेला।

श्री मथुरादास माथुर : दिवाली और होली के बारे में बताया है। इनके बारे में विचार करेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी) : कंजम्पशन भी फरमा दें। कंजम्पशन में क्या क्या चैंजेज आयी हैं? पिछले दो चार साल में कंजम्पशन बढ़ा है या घटा है, यही बता दें।

श्री अध्यक्ष : That will bo very big.

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह भी बड़ी भ्रान्ति है, जो हमारी आमदनी बढ़ती है उसको देखकर तो हमारे यहां प्रपोरशनेटली पहले से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। राजस्थान के अन्दर आज के दिन 9/10 तो एक्साइज ड्यूटी है और 1/10 कास्ट ऑफ लिकर है। पिछले तीन चार साल के आंकडे पढ़ रहे थे माननीय सदस्य भरतपुर से आने वाले और कह रहे थे कि 3/4 करोड की आमदनी भी वह अब 7।8 करोड की हो गई ह। इसके अन्दर जो प्रपोरशन ऑफ कास्ट ऑफ लिकर और एक्साइज ड्यूटी है, यह 1/10 और 9/10 है। यह पिछले 3–4 साल में हुआ है। उसके पहले एक्साइज ड्यूटी और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्रपोरशन 50/50 था या उससे कम था। अब आमदनी को बढ़ते हुए लिकर के कंजम्पशन को ज्यादा समझ लिया जाए तो यह मेरा नम्र निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैंने अपने बजट भाषण में यह कहा था और मुझ से पूछा गया प्रश्न उसके लिए मैंने कहा था कि मिल एरिया में और फैक्टरी एरिया में शराब की दूकानें नहीं रहने दी जाएंगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो मजदूरों की बस्ती है, वहां पर भी ?

श्री मथुरादास माथुर: जरा सब्र रखिये। मैं निवेदन कर रहा हूँ। उस वक्त रूल्स थे कानून था उनके अन्दर टैक्सटाइल मिल ही था। क्योंकि शुरू शुरू के अन्दर हमारे यहां टैक्सटाइल मिलें ही थीं। उसके बाद में अमेंडमेंट और तरमीम के बाद जोड करके ऑल फैक्टरीज को इन्क्लूड कर लिया। अब यह जो फैक्टरी के एरिया में जहां जहां दूकानें हैं उनकी विसिनिटी में उनके अन्दर उन दूकानों को वहां से हटा देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने मील में ?

श्री मथुरादास माथुर : हलके हलके हटा दी जाएंगी।

Page No. 123

श्री विजयसिंह : कितने मील, 100 गज, दो सौ गज ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करता हूँ कि वह सिचुएशन पर डिपैण्ड करता है। यदि सिटी के अन्दर फैक्टरी एरिया इस किनारे है तो दो मील दूर हो जाएगी। यदि गांव छोटा है तो दो फर्लांग दूर हो जाएगी फैक्टरी एरिया के आस पास दूकानें नहीं रखी जाएंगी। जिससे कि फैक्टरी से निकल कर पच्चीस पचास फीट गये और शराब ले ली। इसके लिए पहले प्रावधान था उसके अन्दर इन्क्लयूड कर लिया है। यह क्यों कि प्रश्न पूछा, उसके लिए मैंने कहा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : एक बात मैं कहना चाहता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर : जरा सब्र रखिए।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इसके अन्दर जसराज की वर्थ डे को भी शामिल कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको कुछ नहीं कह सकता।

श्री फतेहसिंह : वह सबसे बड़े आदमी हैं। वह गान्धी जी से कम हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा उनसे ऐसा सम्बन्ध है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता।

आपने होटल पर निषेध का कहा। आज भी राजस्थान का कोई भी होटल जब तक राजस्थान सरकार से आज्ञा नहीं ले, कि बार रूम हो या टूरिस्टों के लिए तब तक लिकर नहीं दे सकता। होटल और पब्लिक प्लेसेज में आज भी इसकी मुमानियत है। हमने शराब की दूकानें इस वर्ष काफी कम की है। और, लगातार कम होंगी। और ता. 8 को सुन लीजिए कि कितनी कम होंगी।

श्री मोहनलाल मोदी : इन पर शॉप एक्ट लागू हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : Why do you entertain in terruptions ?

श्री मथुरादास माथुर : यह पूछते हैं तो मैं क्या करूं ?

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखिए।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे आरम्भ रखने का आदेश है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज भी शराब की दूकान किस वक्त खुलें और किस वक्त बन्द हों इसके लिए आज भी एक्साइज कमिश्नर को पावर हैं कि वह इसको रेगुलेट करें। आज हमारे यहां सुबह 8 वजे से पहले शराब नहीं बिक सकती और रात में 10 वजे बाद नहीं बिक सकती। यह आर्डर गवर्नमेन्ट का है। और एक्साइज कमिश्नर को पावर हैं। आपका सुझाव है कि सुबह आठ, नौ दस बजे खुलने का समय होना चाहिए और शाम को पांच छ: बजे बन्द हो जानी चाहिए। इस पर हम विचार करेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री विजयसिंह रावत : ठेके पर बैठ कर जो दारू पीते हैं . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मथुरादास माथुर : एक प्रश्न और था।

श्री अध्यक्ष : आप इसी पर चले आइये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उसी पर आ रहा हूँ। आपकी आज्ञा से। जो तरमीमात रखी गई हैं वह दो तीन तरह की है। कुछ तरमीमात ऐसी हैं कि 18 वर्ष के बजाय 21 वर्ष कर दिये जायें। 21 वर्ष से 25 वर्ष कर दिये जायें। कुछ इस तरह की तरमीमात हैं कि इसमें स्कूल मास्टर और टीचर्स को जोड़ दिया जाए। कुछ ऐसी तरमीमात आयी हैं कि एम. एल. ए., एम.-पीज. को भी जोड़ दिया जाए। कुछ ऐसी तरमीमात हैं कि इस सेक्शन में विद्यार्थी और 18 साल के बच्चों के अलावा कुछ और लोगों को शामिल करने की तरमीमें आयी हैं।

श्री विजय सिंह रावत : महिलाओं को क्यों छोड़ रहे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : वह तरमीम अच्छी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा, बच्चों पर विश्वास नहीं रखते हैं। हर एक बाप अपने बच्चों पर विश्वास रखता है और विश्वास से ही कुनबा चलता है। मैं यह भी निवेदन कर दूँ कि बाप पीता भी हो लेकिन बच्चे को पीने के लिए मजबूर नहीं करता है और बच्चा अगर पीता हो तो वह उसको रोकता है।

एक माननीय सदस्य : रुकेगा नहीं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात सुनिये, रुकता नहीं है वह प्रश्न अलग है। वैसे बाप नहीं पियें और बच्चा पीना सीख जाता है और रुकता नहीं है तो वह अलग प्रश्न है। मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि मां-बाप नहीं पियें तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं। हर कोई कहता है कि मां-बाप को नहीं पीनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का जो 2 अक्टूबर का अनाउन्समेन्ट था उसको लीगलाइज करना था। पूरा प्रोहीबिशन आये तो हमें किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए। कई कहते हैं कि कम्पलीट प्रोहिबिशन करें। कई एम. एल. एज. और एम. पीज. के लिए कहते हैं। कई सरकारी कर्मचारियों के लिए कहते हैं। कई औरतों के लिए कहते हैं। कई टीचर्स के लिए कहते हैं। समाज के जितने तबके हैं उसमें मजदूरों पर भी होना चाहिए और किसानों पर भी होना चाहिए। तो हम पूरे प्रोहिबिशन को करें। वह बात हम कर सकते हैं तो हम जिस वक्त करेंगे उस चीज को भी करेंगे। आज की स्थिति में राजस्थान सरकार जो कदम उठाकर चली है तो आज के कानून का स्कोप उससे मेल नहीं खाता है। फिर भी जो सुझाव आये हैं उत्साह दिया है, इस ओर से उस ओर से, उनको सुनकर लगता है कि एक बड़े पैमाने पर हमें सोचना चाहिए। तो राज्य सरकार आपके विचारों को ध्यान में रखेगी और उनके अनुसार आगे कदम बढ़ायेगी।

श्री विजयसिंह रावत : स्त्रियों के प्रश्न को आप क्यों टाल रहे हैं? कई माननीय सदस्य इस पर बोले हैं। इसके लिए कुछ कहना है?

श्री मथुरादास माथुर : स्त्री-वर्ग, पुरुष वर्ग, सब पीते हैं। पीने वाले की कोई कौम नहीं होती, वर्ग नहीं होता, जाति नहीं होती। न नारी होती है न मर्द होता है।

श्री विजयसिंह रावत : इसका मतलब है कि आप इस पक्ष में हैं कि वे शराब पियें ?

श्री मथुरादास माथुर : शराबी तो शराबी है । उसमें औरत आदमी का क्या फर्क ? आप महिलाओं को रोकना चाहते हैं तो पुरुषों को क्यों नहीं रोकते ?

श्री विजयसिंह रावत : इसका मतलब है कि आप सार्टिफिकेट दे रहे हैं कि राजस्थान में महिलाऐं भी पीती हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है कि जिस स्कीम ऑफ थिंग्स से बिल लाया हूँ उसको देखते हुए यह उससे मेल नहीं खाते । वक्तन फवक्तन आप लोगों के विचार सुने उनको ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढाएंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद निवेदन ही आता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक सैकिण्ड ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शंकर लाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री मनोहर सिंह ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मनोहर सिंह ··

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं ।

आसन खड़ा है ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इससे पहले कि आप हां, नां कहलायें ·· (विराम)

आप खडे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? मैं वोट पर रख रहा हूँ ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आप वोट पर रख रहे हैं । हारेंगे हम ही लोग । क्योंकि इसमें 18 वर्ष का रखा है तो मुझे इसकी पीडा है । इससे बेहतर है कि हां, नां कहें उससे पहले मैं बहिर्गमन कर जाऊं ।

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : आप वाक् आउट करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

जो संशोधन श्री मनोहर सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा, sorry, श्री शिवनाथ सिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत··

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की इजाजत प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं अपना संशोधन वापिस लेती हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाड़ा··

प्रश्न यह है कि श्री केशरीसिंह हाडा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 प्रस्तावना और नाम इत्यादि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, प्रस्तावना, नाम इत्यादि स्वीकार किये गये।

राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, 1968 के तृतीय वाचन पर विचार-विमर्श

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक, 1968 को पारित किया जाय।

(श्री कृष्णकुमार गोयल और श्री रामनारायण चौधरी बोलने के लिये खडे हुए)

श्री अध्यक्ष : Yes on my right side.

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने संशोधनों को अस्वीकार करते समय जो दलीलें दी हैं, मैंने उन दलीलों को सुना, पर मुझे कतई संतोष नहीं हुआ।

(विरोधी पक्ष की ओर से हीयर, हीयर की ध्वनि)

मैंने आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से दो बातें जाननी चाही थीं, उन बातों का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। सरकार को कानून के जरिये हथियार उठाने का अवसर तब आता है जब वह स्थिति पराकाष्ठा

(श्री रामनारायण)

पर पहुंच जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है, राजस्थान के निवासियों की मान्यता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत कम शराब पीते हैं, मैं समझता हूँ इससे एक परसेंट भी नहीं बनता है। मेरा दावा है कि स्टुडेन्ट्स में, विद्यार्थियों में शराब का प्रचार नहीं है। यदि कोई लुकछुप कर पीता है तो माननीय वित्त मंत्री महोदय जो संशोधन लाते हैं, उसके जरिये, उनको रोक नहीं सकते। उनके इस विधेयक में और उनके हाथ में इतनी शक्ति नहीं है कि वे यूनिवर्सिटी के अन्दर जाकर, उनकी पुलिस या, आबकारी वाले वहां रेड करें और वहां उनको पकड़ कर उन पर मुकदमा चलायें, उनमें इतना साहस नहीं, ताकत नहीं, इसलिये मैं आपके जरिये वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि या तो आप बतायें कि 18 वर्ष से कम उम्र के कितने लोग शराब पीते हैं, यदिद इसके आंकडे आपके पास हों तो बतायें, यि आपके पास इस प्रकार के फीगर्स नहीं हैं तो कोई जरूरत नहीं थी कि यह संशोधन आप यहां लाते। विद्यार्थियों के सम्बन्ध में आप थानों से, एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स से मालूम करें कि कितने विद्यार्थियों के खिलाफ शिकायतें आई हैं, एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के हैड्स से आप मालूम करिये आपको उत्तर मिलेगा नेगेटिव में। इसलिये मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उनका महत्व है। पर वित्त मंत्री जी ने संक्षेप में संकेत दिया है कि 8 तारीख को उनका बजट भाषण सुना जाय और तब तक धैर्य रखें और शान्तिपूर्वक उनका समर्थन करें और उनके बिल को पास करें। निश्चय ही हम आपके बजट भाषण की प्रतिक्षा में हैं, 8 तारीख को आपकी महत्वपूर्ण घोषणा इस सम्बन्ध में होगी जो हिन्दुस्तान के लिये अनुकरणीय होगी और राजस्थान में एक प्रेरणादायक होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक में जो भी संशोधन प्रस्तुत किये गये थे उन संशोधनों को नामंजूर कर देने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि यह विधेयक एक शराब बन्दी का विधेयक नहीं रहा, बल्कि समाज में उन मासूम बच्चों और समाज में विद्यार्थी वर्ग पर जबरदस्त लांछन लगाकर उनको आज हमारी जैसी पुलिस है, उसके हाथ में उनको सौंप कर उन पर झूठे मुकदमें बनाने का, एक शिकंजा हम तैयार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात पर विचार करें, यह सदन गम्भीरता से विचार करे कि कई माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा कि यह ऐसी चीज है समाज में जो केवल कानून से ठीक नहीं हो सकती, समाज सुधार से, परस्युएशन से, सुधर सकती है। यदि यह दलील सही है तो जिन वर्गों के लिये यह कानून बनाया जा रहा है, विद्यार्थी वर्ग और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वर्ग के लिये यह दलील ज्यादा सही है।

(5.17 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन):

इन लोगों के लिये कानून की बजाय परस्युएशन का तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा। कानून बनाने की आवश्यकता है तो उन लोगों के लिये है जो एडिक्ट्स हैं, सुधर नहीं सकते, सामान्य परस्युएशन से सुधर नहीं सकते, उनके लिये पीनल, प्रावधान रख कर, कानून लाकर, सजा देकर, जेल भेज कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सुधारने की कोशिश की जाती है। वह ऐसे वर्गों के लिये की जाती है जिसके लिये हमने हार मान ली हो कि वे ऐसे तरीकों से सुधर नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बडी उपहासजनक बात है कि आई.पी.सी. के तहत छोटे बच्चों को, सामान्य तौर से यदि वे और गुनाह भी करदें तो कानून के अन्दर भी प्रोवीजन है, उनको रिफोरमेटरी में भेजते हैं, छोटे बच्चों को माफ भी कर दिया जाता है, वहां आप यहां यह कानून बनाने जा रहे हैं कि यह उनके लिये गुनाह है और इसके लिये आप उन्हें दण्ड देना चाहते हैं, 18 साल के ज्यादा उम्र के लोग शराब पियें तो कोई गुनाह नहीं और 18 साल से कम उम्र के पियें तो उनके लिये 6 महीने की सजा और 500 रुपया जुर्माना, इस प्रकार की सजा का प्रावधान आप छोटे बच्चों के लिये करने जा रहे हैं। क्या इस प्रकार हमारे समाज के तमाम वर्गों का मूल्यांकन करना सही होगा कि नौजवानों को इन 18 साल से कम उम्र के बच्चों को और विद्यार्थियों को चुन कर निकालें, उन्हें सारे दोषों का कारण बतायें और उनके लिये इस प्रकार के संगीन कानून बना कर, इस तरह की सजायें उनके लिये तय करें, उन विद्यार्थियों के लिये जिन्हें आज अपनी मांगों को मनवाने के लिये आन्दोलन करने पड़ते हैं, अपनी मांगें स्कूलों और कालेजों में उठानी पड़ती हैं, क्या आप इस तरह आसानी से एक संगीन हथियार विद्यार्थियों के दमन के लिये पुलिस के हाथ में दे रहे हैं कि वे उन पर इल्जाम लगायें कि यह शराब पिये हुए थे, जो कुछ घंटों बाद सबूत दे नहीं सकते कि शराब पी या नहीं पी। इस प्रकार पुलिस वालों को एक बड़ा हथियार मिल जायगा उन मासूम बच्चों को फंसाने के लिये मैं कहता हूं कि आप स्टुडेन्ट कोम्युनिटी को प्रोवोक कर रहे हैं, स्टुडेन्ट काम्युनिटी के नौजवान लोग जिनकी समस्याओं का, बेरोजगार की समस्या का यह सरकार हल नहीं कर पा रही है, उसके लिये आज वे लोग आन्दोलन उठा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, उनसे बदला लेने के लिये सरकार इस प्रकार का कानून बना रही है, जिससे कि आपकी पुलिस जिसे चाहे उठा कर जेल में डाल सके, इस तरह के जुर्म में फंसा सके, सजा दिलवा सके। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गम्भीर तरीके की बात आप आसानी से प्रोहिबिशन के नाम पर, जिस प्रोहिबिशन को सब लोग चाहते हैं, इस तरह की बात आप करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी यह चाहते हैं, लोग शराब न पीयें शराब पीने की बुरी आदत लोगों की छूटे। जिसके पास रिक्रियेशन के और कोई साधन नहीं हैं, जिसको समाज ने रिक्रियेशन के और साधन नहीं दिये हैं वे थोड़े समय में अपनी थकान को दूर करने के लिए मजबूरी में या रिक्रीएशन के तौर पर शराब पीकर, जहर पीकर अपनी थकान दूर करने की कोशिश करते हैं। वह इस वर्ग में हैं जो काम नहीं कर पाते हैं और अपना समय बिताने के लिए शराब पीते है। यह विडंबना है कि एक वर्ग तो अपनी थकान को दूर करने के लिए शराब पीते हैं एक तरफ वे निकम्मे हैं जिनको काम नहीं है अपना समय बिताने के लिए शराब पीते हैं। आपको ईमानदारी से सोचना पड़ेगा, अगर शराब बन्द करना है तो सामाजि आधार बनाना पड़ेगा कि उनकी थकान को भुलाने के लिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनके लिए साधन पैदा करने पड़ेंगे और जो निकम्मे हैं, सारा समय नष्ट करते हैं और इसलिए शराब पीते हैं वे अपने अधिकार को सुरक्षित किए बैठे हैं, उनको काम न करने का अधिकार है, उनकी यह स्वतंत्रता छीननी पड़ेगी। जो काम नहीं करते हैं उनको रोटी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को आप इस कानून के जरिए बचाना चाहते हैं। आप अपने हाथ उन पर नहीं पहुंचाना चाहते और जो नौजवान हैं जो आपकी गलत नीतियों के कारण बगावत के लिए खड़े हैं उन पर यह तलवार खड़ी करना चाहते हैं। अगर आपके अन्दर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप इन नौजवानों को प्रोवोक मत करें। उन पर लांछन लगाते हैं कि वे शराब पीते हैं जब कि वास्तविकता यह है कि यह जो कानून ला रहे हैं उन पर यह जुर्म लगायें तो लग सकता है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि यह बिल प्रोहिबिशन की दिशा में नहीं है। मैं मनोहरसिंहजी से भी कहना चाहता हूं कि सरकार की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्होंने सरकार को फूलमालायें पहना दीं, विद्यार्थियों में आप दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं और इस बिना पर अगर आप वास्तव में शराबबन्दी लाना चाहते हैं जैसा माननीय सदस्यों ने कहा दूसरे समाजवादी देशों में इस तरह के परसूएशन के तरीके हैं जिनसे उन्होंने इस चीज को खतम किया है, वैश्यावृति को खतम किया है। उन्होंने अपने यहां सी.आई.डी. लगाई हर मोहल्ले में कि कौन वैश्या के पास जाता है, रिपोर्ट लिखी कि मिस्टर एक्स वैश्या के यहां गया, सारे मोहल्ले की मीटिंग होगी बीबी भी आयेगी बच्चे भी आयेंगे और सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके उसको बुलायेंगे और पूछेंगे कि आप बतायें कि फलानी जगह पर गये थे। अब सारे मोहल्ले में बदनामी हो गई, बीबी बच्चों से माफी मांगी, कसम खाई कि मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से मास परसूएशन के जरिए ईविल्स को खत्म किया है। आप साधन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। समाज की मजबूरी को समझते नहीं और ऊपर से डंडा लगाना चाहते हैं ताकि जो ऊपर का वर्ग जो दुराचार फैलाता है, उनकी तरफ आपकी आंख नहीं जाये। इसलिए मैं इस विधेयक का तीव्र विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री मनोहरसिंहजी के खड़े होने पर): आपने तो हिस्सा ले लिया।

श्री मनोहरसिंह: तीसरे वाचन पर बोलना पड़ेगा।

श्री नाथूलाल (जमवारामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के आज 20 वर्ष के बाद वित्त मंत्री महोदय द्वारा, इस बिल द्वारा राजस्थान के गरीब विद्यार्थियों पर जो लांछन लगाया जा रहा है, यह अनुचित है। उपाध्यक्ष महोदय, जबसे इस विधान सभा में मैं आया हूं तब से मेरी मांग है कि शराब सारे राजस्थान में बन्द कर देना चाहिए। राज्य की माली हालत को देखते हुए सारे राजस्थान में बन्द न करें तो कम से कम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां तो बन्द करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक प्रस्तुत करते समय आंकड़े बताने चाहिए थे कि कितने विद्यार्थी शराब पीते हैं आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो ऐसा बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज जो लोग शराब पीते हैं, जो आचरण से गिरे हुए हैं उनके लिए कोई कानून नहीं और इन छोटे

Page No. 130

(श्री नाथूराम)
विद्यार्थियों पर आप लांछन लगा रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। हमारे जो माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किए थे उनको स्वीकार कर लेना चाहिये था। अगर संशोधन को स्वीकार नहीं करते तो इस बिल को वापस विथड्रा कर लेना चाहिए। कानून लाना चाहिए कि राजस्थान में शराबबन्दी बिल्कुल लागू हो जाना चाहिये।

मैं निवेदन करता हूं कि मैं बचपन से ही शराब नहीं पीता हूं। मैं आदिवासी हूं लेकिन एक घूंट भी शराब की नहीं पी है। जो विधान सभा के माननीय सदस्य व संसद सदस्य है और जो नेतागण भी हैं उनको सबसे पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए और समाज में प्रचार करके कानून लाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में सामाजिक सुधार से शराब बन्द किया है और आदिवासी लोग कम से कम 60-80 प्रतिशत शराब नहीं पीते हैं। शराब वे पीते हैं जिनके पास पैसा है, ऐशोआराम में रहते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यह जो विधेयक लाए हैं उसको वापस लें और राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी का बिल लाना चाहिए, हम उसका स्वागत करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र पास कर देंगे। अगर आप समझते हैं कि शराब बन्द कर देने से आर्थिक स्थिति गिर जायगी, तो आपके पास और साधन हैं जिनसे आप आमदनी बढ़ा सकते हैं वह करें लेकिन विद्यार्थियों के आचरण को गिराना ठीक नहीं है इसलिए इसे वापस लें और जल्दी से जल्दी शराबबन्दी के लिये बिल लावें ताकि सदन द्वारा पास हो जावे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अभी मन्त्री महोदय ने जो हमारे संशोधनों के जवाब में उत्तर दिए उनसे सदन के किसी सदस्य को संतोष नहीं हुआ। हमारा खास तौर से कहना यह था कि इस प्रकार विद्यार्थियों पर यह कानून लागू हो जाने से उनके कैरियर पर धब्बा आएगा, सर्विस में उनको दिक्कत आएगी, इससे उनका डीमारलाइजेशन होगा, उसके लिए आपने क्या सोचा? इसके लिए मैं चाहूंगी कि संशोधन जो आये हैं उस विषय में आप उत्तर दें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आज विद्यार्थी वर्ग में फस्ट्रेशन और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और जो आप कदम उठाने जा रहे हैं, मुझे डर है कि उससे फस्ट्रेशन में बढ़ोतरी होगी, जो बेकारी विद्यार्थियों के सामने है उसमें यह सही रास्ता नहीं है। आज जरूरत है कि उनको रोजी दिलायें। हम उन्हें स्नेह के साथ समझायें, उनका उचित मार्गदर्शन करें न कि उन पर जुर्माना करें, उनको सुधारें। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे को कोमल उम्र में ही 17-18 साल की उम्र में ही समाज में पुलिस रिपोर्ट लिखें उस पर इलजाम लगायें। इससे वह समाज में गिर जायेगा। एक बार यदि बच्चा नीचे गिर गया तो फिर उसका उत्थान नहीं हो सकेगा। इसलिए इस कानून द्वारा जो आपने पाबन्दी लगाई है, वह बच्चों पर जुल्म है, कोई भी माता पिता इस बात का अंदाजा लगायेगा तो दिल कांप उठेगा। छोटी उम्र में जब वे अपना भला बुरा नहीं समझते तब उनके साथ राज्य के द्वारा यह बर्ताव हो, यह उचित नहीं। सभी यह चाहते हैं कि बच्चे शराब न पीयें लेकिन इसको रोकने का तरीका कानून द्वारा सजा नहीं हो सकता। उचित मार्ग प्रदर्शन करें। और इधर उधर गलत रास्ते पर न जाने दें

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
उसको गलत रास्ते पर जाने का मौका ही न दें। इसलिये मैं मां की ममता के नाते निवेदन करती हूं कि ऐसा कानून न बनायें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोहर सिंह।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ) : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इससे रत्ती भर भी लाभ होने वाला नहीं है। कृपा कर इसको उस वक्त तक नहीं लगायेंगे जब तक पूरे राज्य कर्मचारियों पर, स्कूलों और कालेज के प्रोफेसरों पर, राजनैतिक नेताओं पर, सब पर लागू न करें तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है । माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि पहले हमको सुधार करना चाहिये । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं 18 साल, 20 साल का था तभी से मैंने यह काम (नशा बन्दी) शुरू किया है। आज करीब 35 वर्ष इस काम को करते करते हो गये । जहां शराब पीने वाले लोग होते हैं वहां मैं अवश्य जाता हूं चाहे वह खटीक हों, कोली हों चमार हों, उनमें अगर कोई मर जाता है तो उसके दाह संस्कार में भी जाता हूं इसलिये जाता हूं कि उनको अन्तिम श्रद्धांजली देते समय मैं अपनी शराब बन्दी की बात करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे कहने से कोई सुधार होने वाला नहीं है क्योंकि इसके लिये पहले कानून जरूरी है। कृपा कर इस कानून को सब पर लागू करना न भूलें।

युद्ध, दुर्भिक्ष और महामारी इन तीनों ने मनुष्य जाति को इतना नुक्सान नहीं पहुंचाया है जितना इस मदिरा ने पहुंचाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, गान्धी जी ने अपने शरीर पर गोली चलाने वाले को भी माफ किया था लेकिन उन्होंने शराब बन्दी के बारे में क्या कहा कि अगर कोई धधकती हुई भट्टी की ओर जाता है तो बल प्रयोग करके रोको, अगर कोई धधकती हुई ज्वाला की तरफ जाता है तो उसको भी बल प्रयोग करके रोको और उसको माफ कर दो लेकिन अगर कोई शराब की भट्टी की ओर जाता है तो कभी माफ मत करो और सख्ती से उस पर कार्यवाही करो। क्योंकि, भट्टी और नदी से केवल उसका शरीर ही नाश होगा किन्तु शराब से उसका शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है। ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले सब लोग आज शराब बन्दी चाहते हैं । इधर और उधर बैठने वाले सब चाहते हैं कि शराब बन्द हो। मैं समझता हूं कि दो अक्टूबर के दिन आप 'शराब बन्दी दिवस' मनायेंगे इसमें दो राय नहीं है। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि 2 अक्टूबर की घोषणा वे अपने 8 तारीख के बजट भाषण में करेंगे। कृपा कर आप इसको इस समय वापिस ले लीजिये चूंकि मेरे लिये शराब बन्दी जीवन-मरण का प्रश्न है। मुझे असेम्बली में आने का लाभ नजर आता है तो केवल यही है। आज इतने सारे लोगों को मैं जब अपनी तरफ देखता हूं तो मुझे खुशी होती है कि इन सब लोगों का प्यार मुझे मिला है। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिये और कोई नहीं हो सकती है। वित्त मंत्री जी उस दिन मैं आपको गुलाब के पुष्पों की माला पहनाऊंगा, आपके पुष्प ही पुष्प चढाऊंगा । आपके माथे पर तिलक लगाऊंगा। बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोयल

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): इस विधेयक के सम्बन्ध में अनेक विचार आये और सब माननीय सदस्यों ने अपने अपने

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

विचार प्रकट किये हैं वह एक ही हैं कि राजस्थान के अन्दर शराब बन्दी हो। स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी ने इस प्रश्न को, कहा है, समाज आज इस बात को कह रहा है सरकार की ओर बैठने वाले , नीति का निर्धारण करने वाले इस बात को कह रहे हैं कि शराब बन्दी हो। इसके पश्चात् आखिर प्रश्न यह पैदा होता है शराब क्यों चल रही है, इसको रोका क्यों नहीं जाता है ? इसके जिम्मेदार कौन हैं? क्या सरकार इस प्रकार की घोषणा कर रही है कि शराब बन्दी हम चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, स्वयं वित्त मंत्री जी और आबकारी मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि उनके विभागों ने संक्षिप्त टिप्पणी वितरित की है, क्या वे हम लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि राजस्थान की सरकार शराब बन्दी करने जा रही है जो इस प्रकार की टिप्पणी प्रस्तुत की है। स्वयम् मंत्री महोदय ने लिखा है कि वे राजस्थान के अन्दर स्प्रिट की जो कमी है उसके उत्पादन के अन्दर वृद्धि करने जा रहे हैं। एक ओर तो शराब के अन्दर कमी करने जा रहे हैं, उसको छुडाना चाहते हैं, शराब की आदत को छुडाना चाहते हैं और दूसरी ओर वही विभाग राजस्थान के अन्दर घोषणा करता है कि स्प्रिट का उत्पादन बढावें, आज राजस्थान के अन्दर स्प्रिट के उत्पादन को बढावा देना चाहती है, ये दोनों बातें कैसे सम्भव हैं? मैं राजस्थान की सरकार से जानना चाहूंगा कि आज सारा प्रदेश इस बात की मांग कर रहा है कि शराब बन्द हो तो फिर क्या कारण है कि शराब की बन्दी नहीं हो रही है। शराब की आमदनी को क्या सरकार घटाना चाहती है? हम वित्त मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं कि शराब से पौने 8 करोड की आमदनी होती है, क्या वे हमको विश्वास दिलायेंगे कि वह आमदनी पौने 8 करोड की न रहकर 7 करोड, 6 करोड की कर दी जायगी। लेकिन ऐसी स्थिति नजर नहीं आती बल्कि यह दिखता है कि उसकी आमदनी अधिक से अधिक बढाई जाये केवल इसलिये कि देश के अन्दर..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज जब देश में इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है और उस वातावरण के अन्दर एक नशा बन्दी समिति बनी हुई है। माननीय मनोहरसिंह जी मेहता उसके सक्रिय सदस्य हैं, उन्होंने इस बात के कदम उठाये हैं कि राजस्थान में पूर्ण नशा बन्दी हो । वे कांग्रेस के कर्णधार नेता रह चुके हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस नशा बन्दी के मामले में त्याग किया है। वे आज इस समिति के पीछे दृढता पूर्वक खडे हुये हैं। वे इस बात का आन्दोलन करते हैं और नशा बन्दी के सक्रिय कदम उठायें हैं और उठायेंगे । आन्दोलन चलेगा, वे सत्याग्रह करेंगे, वे गिरफ्तार करेंगे उन लोगों को जो शराब पीते हैं। जब इस प्रकार समिति के कार्यक्रम की घोषणा होती है तब राज्य सरकार भी घोषणा करती है कि हम राजस्थान के अन्दर शराब बन्दी करने के लिये धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं और उसे बिल के रूप में ले आये हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण प्राप्त करने जाते हैं, वे शराब पीते हैं तो उनको सजा दी जायगी । वित्त मंत्री जी ने कानून का वार केवल 18 साल से जो

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

कम हैं, उन पर किया है। जिनके ऊपर आज देश का भविष्य निर्भर करता है चाहे वे शिक्षण संस्था में हों, चाहे बाहर हों। ये सारे बच्चे देश के कर्णधार हैं। देश के अन्दर और चाहे देश के बाहर हों बच्चे देश के निर्मात होते हैं। हिन्दुस्तान में खास कर राजस्थान के रहने वाले बच्चे जो 18 साल से कम के हैं जो शिक्षण संस्था में पढ़ते हैं वह शराब पीने लग जाय तो क्या इस प्रकार का कानून मैं समझता हूं संसार के किसी देश में होगा? मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि इस प्रकार का कानून किसी भी देश में नहीं बनेगा। वे मुल्क क्या प्रगति कर पायेंगे, यह मेरी समझ के बाहर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब वित्त मंत्री जी यह घोषणा कर रहे हैं कि उन्होंने शराब बन्दी करने के लिये कोई रूपरेखा तैयार कर ली है, थोड़े समय बाद विधान सभा में वे उस बिल को लेकर आने वाले हैं। विस्तृत रूप से उन्होंने विद्यार्थी वर्ग पर अंकुश लगाया है, उन पर आघात किया है।

जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा कि आज शराब और जो दूसरी खराबियां हैं, वे कानून से बन्द नहीं की जा सकती हैं वह केवल वातावरण के द्वारा बन्द की जा सकती हैं। अगर वातावरण के द्वारा की जा सकती हैं तो, मैं समझता हूं, वित्त मंत्री जी के दिल और दिमाग में अन्तर है। आज दिल और दिमाग उनके साथ नहीं है। कानून से व्यवस्थायें नहीं की जा सकतीं हैं तो फिर इस प्रकार का कानून क्यों बन रहा है? कानून के द्वारा शराब बन्दी नहीं रोक पायेंगे, इस प्रकार के अपने विचार व्यक्त किये हैं तो कानून बनाकर आप उन बच्चों को जबरदस्ती शिकार बना रहे हैं। अगर वे पीते हैं तो आप उनको कानून के द्वारा नहीं रोक सकेंगे, ऐसा आपने स्वयं ने स्वीकार किया है। तो आज मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक पर जो मुझे मुख्य रूप से आपत्ति है वह यह है कि आप जब शराब को रोक नहीं सकते तो इस प्रकार के कानून के लाने की क्या आवश्यकता है। समाज के अन्दर शराब के बारे में दो प्रकार से सोचा जाता है: एक तो नैतिकता की दृष्टि से दूसरा आर्थिक दृष्टि से। दोनों चीजें घातक हैं। एक तो इससे हमारा नैतिक पतन होता है और इस तरह से धीरे धीरे समाज का पतन हो जाता है। वहां अपराधी मनोवृत्ति बढती जाती है उसमें डकैत या जेबकतरे या चोर पैदा होंगे। इसलिये देश के अन्दर पूर्ण शराब बन्दी होनी चाहिये। जिस वर्ग या समाज में यह शराब का चलन प्रारम्भ होगया वह समाज और वर्ग पतन की ओर जायेगा। आज हम देखते हैं जिस परिवार में शराब का प्रचलन हो गया उस परिवार का नाश हुआ है। इस लत के कारण लोग माल ही गिरवी नहीं रखते अपनी इज्जत तक गिरवी रख देते हैं। समाज के प्रवर्तकों ने हमेशा से इसका विरोध किया है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके जरिये शिक्षित वर्ग को कानून का शिकार न बनाइये। आप शराब को रोकना चाहते हैं, आपने नशाबन्दी समिति के नेताओं को धोखा दे दिया है, आप इस तरह से काफी धोखा दे चुके हैं कि हम शराब बन्दी करेंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप पूरा प्रोहिबीशन का बिल तैयार करके इस बजट सत्र में ही रखना चाहते हैं तो फिर कुछ दिनों के लिये इस कानून से बच्चों को

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

शिकार मत बनाइये जब कि आप दुबारा ही विधेयक ला रहे हैं तो इस विधेयक को वापिस लेने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री ीवत्स गाड़िया (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जो संशोधन विधेयक ला रहे हैं उस विधेयक से राजस्थान सरकार हमारे देश के अन्दर और दूसरे देशों के अन्दर यह सिद्ध करना चाहती है कि राजस्थान की जनता ही नहीं राजस्थान का युवक जिसकी आयु 18 वर्ष की है वह शराब पीता है। जिन पर कि देश का भार आने वाला है उनके लिये यह प्रचार करना कि व शराब पीने वाले हैं यह विधेयक यदि पास होगया तो सारे विश्व में यह बात हो जायेगी कि राजस्थान का 18 वर्ष का बालक भी शराब पीता है। इस संशोधन विधेयक से तो हमारे देश कि इज्जत गिरेगी।

इतना ही नहीं यह राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के लिये बहुत बुरी बात होगी कि इस प्रकार के विधेयक के लाये जाने के कारण सारे विश्व के जो लोकतन्त्री देश हैं उनके सामने हमें नीचा देखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ट्रेजरी बेन्चेज पर जो भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनकी आत्मा इसको नहीं चाहती इसलिये वे विरोध कर रहे हैं और विरोधी दल के माननीय सदस्य भी विरोध कर रहे हैं इसके बावजूद सरकार को इस बिल के बारे में इतना आतुर नहीं होना चाहिये। इससे हमारे राज्य की प्रतिष्ठा गिरेगी। इससे 18 साल के बच्चों के भविष्य पर भी बुरा असर पड़ने वाला है वह इस कारण कि विद्यार्थियों की इज्जत पुलिस के हाथ में आ जायगी। आज मजदूर कारखाने में काम करता है और अपने अधिकारों के लिये आन्दोलन करता है उसमें मिल मालिक यह कोशिश करेगा कि उसके बच्चों पर झूठा लाञ्छन लगवाकर पुलिस के जरिये उनको पकडवायेगा उस बच्चे के पकड़ाने के डर से वह मजदूर आन्दोलन से पीछे हट जायगा इस तरह से मजदूरों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पुलिस मजदूरों के बच्चों पर शराब पीने के नाम पर मुकदमा बनवायेंगे, वे जेल जाने के डर से सत्याग्रह आदि स्थगित कर देंगे इससे घबड़ा कर पुलिस के डर से मजदूर अपना आन्दोलन वापिस ले सकते हैं। बच्चों की गिरफ्तारियों को वह सहन नहीं कर सकेगा।

आज जितनी बेकारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम शराब की आमदनी बढ़ा रहे हैं जिसके आधार पर राज्य सरकार की सर्विसेज चलती है यह हमारे लिये लज्जा की बात होगी। आज तो यह सरकार के सामने सवाल है कि अगर शराब की आमदनी नहीं होगी राज्य सरकार का खर्चा नहीं चल पायेगा। इसलिये मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से शराब की आमदनी को बढ़ाने के लिये आतुर मत होइये। यह राजस्थान के लिये लज्जा की बात है आपको इसकी पवित्रता रखनी चाहिये। आज राजस्थान के अन्दर इतने अधिक टेक्सेज लगे हुए हैं फिर भी राजस्थान सरकार का खर्चा नहीं चलता। अगर वह अपने प्रशासन के खर्च को कम करके चले तो पूर्ण नशाबन्दी से जो घाटा होने वाला है उसकी आसानी से पूर्ति हो सकती है। आज जो कुछ घाटा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

हो रहा है इस शराब की अधिक प्रचलन के कारण हो रहा है। आज सरकार विधान सभा की छाप इस पर लगाना चाहती है कि 18 साल का राजस्थान का बच्चा भी शराब पीता है।

आज कानून यदि पास हो जाता है तो पुलिस का डंडा हमेशा विद्यार्थियों पर पड़ता रहेगा। उन विद्यार्थियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। आज जो बच्चे पैदा होते हैं उनके दिमाग में जब से वे दस बारह साल के हो जायेंगे तो उन बच्चों को यह दिमाग में बात आने लग जायगी कि मैं मजदूर का लड़का हूं मुझे पुलिस शराब पीने के नाम पर जेल में रख सकती है उसका आत्मबल गिर जायगा। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा यह इस प्रकार का काला कानून जो 18 साल के बच्चों के लिये लाया जा रहा है राजस्थान के इतिहास में यह दिन बहुत कलंक का दिन होगा और यह काला कानून होगा। आज जिस देश के नेताओं ने आजादी का संघर्ष किया, जेल गये, वे सर्वोदयी नेता शराब बन्दी के लिये राज्य सरकार के सामने इस विधान सभा के सामने नशाबन्दी के लिये आन्दोलन करते हैं, वे चेतावनी देते हैं अगर शराब बन्दी नहीं की गई तो हम सत्याग्रह करेंगे आन्दोलन करेंगे। ऐसे नेता लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिये कुर्बानियां कीं, जिनको देश ने नेता माना है वे नेता लोग आज चाहते हैं देश में शराब बन्दी हो। जो मूल सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। उनके इतना करने के बावजूद अगर आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये यह कानून बनाते हैं तो यह विधान सभा के लिये सबसे बड़ी लज्जा की बात होगी। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी! मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार पर यह काला दिन न सिद्ध हो, राजस्थान के ऊपर यह कलंक नहीं लगने पाये, राजस्थान के लिए कहीं विश्व में यह प्रचार शुरू न हो जाय कि हिन्दुस्तान का 18 साल का नौजवान भी स्वस्थ नहीं है, शराब पी रहा है और आज अमेरिका जो कि हिन्दुस्तान के बच्चों को और उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मिल्क पाउडर दे रहा है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

वह इसलिए दे रहा है कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो और यदि उनको यह विश्वास हो जायेगा कि हिन्दुस्तान का बच्चा शराब पीता है तो यह लज्जा की बात है।

अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से कि हिन्दुस्तान पर यह कलंक नहीं लगने पाये, राजस्थान पर यह कलंक नहीं लगने पाये इसलिए यह विधेयक जो आप ला रहे हैं इसको वापिस लें। जनता की भावनाओं का आदर करें। राजस्थान की विधान सभा की ट्रेजरी बेन्चेज और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए इस विधेयक को आप वापिस लें और नशाबन्दी की नीति को मूलभूत में स्वीकार करने की घोषणा करें। ऐसा मुझे विश्वास है।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय,

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय,

श्री फतेहसिंह : मैं दो मिनट में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

Page No. 136

श्री उपाध्यक्ष: हो सकता है आपकी बात वित्त मंत्री महोदय कह दें।

श्री फतेहसिंह: मेरी बात तो मैं ही कहूंगा।

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि कई माननीय सदस्य इस पर बहुत बोलना चाहते हैं और समय भी काफी हो रहा है इसलिए मेरा खयाल है कि सरकार का जवाब आगे के लिए स्थगित कर दिया जाये और भी मेम्बर्स बोलें तो बोलने दें।

श्री रामानंद अग्रवाल: 8 तारीख के बाद के लिए इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री मथुरादास माथुर: यह तो स्पीकर साहब डेट फिक्स करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप आगे इसको विचार के लिए रख रहे हैं तो इसमें शिक्षण संस्थाओं की परिभाषा नहीं है। ओ.टी.एस. का क्या करेंगे और दूसरे विद्यार्थी की भी परिभाषा होना जरूरी है क्योंकि आपके इस मूल विधेयक में वह नहीं है तो इसके अभाव में वह कन्फ्यूजन रहेगा।

श्री मथुरादास माथुर: मेरा खयाल है कि आज हाउस को एडजर्न कर दिया जाये और गवर्नमेन्ट रिप्लाई बाद में हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजकर 53 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 1 मार्च, 1968 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

———

परिशिष्ट (1)

(तारांकित प्रश्न संख्या 353 का उत्तर देखिये)

S. No.	Name	Date	Total Run	Period/ Holtage.	Bill No.	Amount	Remarks.
1.	Dy. Education Minister	10-6-67 to 13-6-67	155	70 Hrs.	70/P	148.60	
2.	Dy. Education Minister	17-6-67	74	14 Hrs.	47/P	56.38	(Payment received)
3.	Dy. Education Minister	19-6-67	29	8 Hrs.	47/P	23.98 80.36	vide C/R No. 65712/55 dated 5-8-67.
4.	Chief Minister Shri Mohan Lal Sukhadia	14-7-67	10	1 Hr.	Cash received.	10.75	
5.	Dy. Education Minister Shri Dheer Singh	24-8-67	8	Nil.	III/P	3.52	
6.	„ „	3-10-67	10	Nil.	III/P	4.40	
7.	Parliament Secy. Shri Brij Prakash Goyal	1-11-67 & Mile 5-11-67 K. M.	44 43	15 Hrs.	137/P	57.45	
8.	Law Minister Shri Barkatullah Khan	23-12-67	11	Nil	231/P	11.00	Payment made.

Sd/-
Chief Superintendent.

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 372 की सूची)

क्रम संख्या	मंत्री का नाम व पद	कार की अग्रिम की-राशि	अग्रिम लेने की तिथि	दिसम्बर 67 तक जो धनराशि वसूल की गई	बकाया धन-राशि	बीमा कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री बालकृष्ण कौल, भूतपूर्व वित्त मंत्री	13,785)	अगस्त, 65	13,785)	निल	"
2.	श्री निरंजन नाथ आचार्य, भूतपूर्व उप-मंत्री, वर्तमान अध्यक्ष, विधान सभा, जयपुर	20,000)	अगस्त, 65	10,998)	9,002)	जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी, कलकत्ता।
3.	श्रीमती कमला बेनीवाल, भूतपूर्व उप-मंत्री (वित्त)	15,000)	नवम्बर, 65	15,000)	निल	न्यू ग्रेट इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड।
4.	श्री हरिदेव जोशी, मंत्री, खनिज विभाग	15,000)	सितम्बर, 65	15,000)	निल	न्यू ग्रेट इन्शोरेन्स कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड।
5.	श्री बृजसुन्दर शर्मा, राजस्व मंत्री	10,000)	नवम्बर, 65	5,040)	4,960)	दी वैलोइज मेराइन इन्श्योरेन्स कम्पनी।

6.	श्रीमती प्रभा मिश्रा, उप-मंत्री	16,000)	फरवरी, 66	5,790) 92	10,209) 48	दी वैलोइज मेराइन इन्श्यौरेन्स कम्पनी, बम्बई ।
7.	श्री अमृतलाल यादव, यातायात मंत्री	15,000)	सितम्बर, 66	1,914)	13,086)	जनरल बीमा कम्पनी लि.
8.	श्री कुम्भाराम आर्य, भूतपूर्व राजस्व मंत्री	20,000)	सितम्बर, 66	1,668)	18,332)	,,
9.	श्री घासीराम यादव, भूतपूर्व उप-मंत्री राजस्व	17,000)	दिसम्बर, 66	1,419)	15,581)	दी न्यू ग्रेट इन्श्यौरेन्स कम्पनी आफ, इन्डिया ।
10.	श्री भीखा भाई, स्वायत्त शासन मंत्री	15,000)	अक्टूबर, 66	2,878)	12,122)	एल. आई. सी.
11.	श्री अमीनुद्दीन अहमद, निर्माण मंत्री	19,000)	सितम्बर, 67	2,168)	16,832)	दी न्यू ग्रेट इन्श्यौरेन्स कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड, जयपुर ।

परिशिष्ट (3)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची)

CABINET SECRETARIAT

ORDER

Jaipur, January 30, 1968.

Sub:—Duties and functions of Parliamentary Secretaries.

No. F.12(4)*Cab*./67.—The Governor has been pleased to order that the duties and functions of Parliamentary Secretaries appointed by the Chief Minister will be as follows :—

The principal function of a Parliamentary Secretary is to assist the Minister-in-charge in his Parliamentary duties. The term "Parliamentary duties" would include devotion of attention to Parliamentary/Assembly questions, assurances given on behalf of government in the House of Legislature, liasion on behalf of the Minister with the various committees of the Legislature and the like. The Parliamentary Secretary may represent his Minister in meetings with members of Legislature and the public. He may also correspond with members of the Legislature on behalf of his Minister, specially on matters affecting his political party. Correspondence on or matters with members of Parliament and the Legislative Assembly or with the public is, however, usually carried out on behalf of the Ministers by his official Private Secretary. A Parliamentary Secretary may, however, interview members of the public on his behalf. He may also represent the Minister on social occasions, but he cannot represent the Minister on occasions arising out of his office as a Minister of the State.

The Parliamentary Secretary is also expected to assist the Minister on matters connected with the political party to which he belongs.

The Parliamentary Secretary should not make statements in the Legislature on behalf of the Government or ask any questions in relation to matter affecting the department to which he is attached. He is also not expected to make any statement in the Legislature which is in any way critical of the Government.

A Parliamentary Secretary may answer questions in the Legislative Assembly on behalf of the Minister.

Constitutionally, Parliamentary Secretaries do not have any direct responsibility in relation to the executive functions of the State Government. The files of the Government Secretariat will, therefore, not be routed through the Parliamentary Secretaries to the Minister-in-charge, but specific files dealing directly with the duties and functions of a Par-

liamentary Secretary may be marked to him by the Minister-in-charge with appropriate directions regarding the nature of action to be taken, and in such cases he may render appropriate advice to the Minister-in-charge on the file.

By Order of the Governor,
K. P. U. MENON,
Chief Secretary to the Government.

परिशिष्ट (4)
(अतारांकित प्रश्न संख्या 122 की सूची)

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

Dated the 20th April, 1967.

No. F. 7(5) *A. S.* (*PHE*/66

The Chief Engineer,
Public Health Engineering Department,
Rajasthan, Jaipur.

Sub:—Sanction of New Rural Piped Water Supply Schemes in Rajasthan under the National Water Supply and Sanitation Plan.

Sir,

I am directed to convey ex post facto Financial & Administrative sanction of the Governor to the execution of the New Rural Piped Water Supply Schemes as mentioned in the enclosed statement at an estimated cost of Rs. 1,60,47,000/- (Rs.One Crore sixty lacs and forty seven thousand) only subject to the condition that 5% contribution by the Panchayats is deposited before the work is started.

The expenditure will be restricted to the Budget allotment under Head 30% Public Health-Works, I-Water Supply Schemes, I works controlled & executed by the Chief Engineer (Health) III Rural Water Supply Schemes (Plan Expenditure) as available year to year till completion of the Schemes. 50% of the expenditure is re-imburseable by the Govt. of India.

This issues with the concurrence of the Finance Department (Exp. III) vide their No. ID/1189/FD.III/67 dated 13-4-67.

Yours faithfully,
Sd/- K. N. BHARGAVA,
Additional Secretary to Government.

S. No.	Name of Village	District.	Estimated Cost Lacs.	Remarks.
1	2	3	4	5
45.	Buchawas	Churu	0.86	

शुद्धि-पत्र

(वृहस्पतिवार, दिनांक 29 फरवरी, 1968)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
3	शीर्षक	प्रनोत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	6	सालेदिया	सालोदिया
5	15	श्री लक्ष्मर्णाेह	श्री लक्ष्मणसिह
6	5	बतान	बताने
,,	अन्तिम से 2	डो ा	डोडा
9	6	श्री चुलाल	श्री चुन्नीलाल
10	6	पशपालन	पशुपालन
,,	8	श्री ामकिशन	श्री रामकिशन
12	13	श्री म ोहर्सिह मेहता	श्री मनोहर सिंह मेहता
,,	अन्तिम से 14	श्री मोहर्सिह मेहता	श्री मनोहर सिंह मेहता
13	शीर्षक	29 फरवरा	29 फरवरी
,,	अन्तिम से 9	खरदी	खरीदी
15	8	श्रीमती लक्ष ीकुमारी चण्डावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
,,	12	श्री मो नलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
,,	अन्तिम से 14	जाता	जाती
,,	अन्तिम से 7	श्री मोहनला सा ड़िया	श्री मोहन लाल सुखाड़िया
,,	अन्तिम से 4	श्री मेहनलाल मे दी	श्री मोहनलाल मोदी
16	अन्तिम से 14	श्री ोहनलाल सुखाड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
18	अन्तिम से 5	तनात	तैनात
20	12	ाका	का
23	10	चाहुँगा	चाहूंगा
24	अन्तिम से 5	पढ़ कर	पढ़कर
27	15	देवेदत्त	देवीदत्त
31	15	जिले	जिला
33	1	श्री ृथ्वी संह	श्री पृथ्वीसिंह
35	1	मृष्टाचार के मामल	भ्रष्टाचार के मामले
,,	2	श्र फतेहसिंह	श्री फतेहसिंह
36	10	श्री अ यक्ष	श्री अध्यक्ष
,,	13	श्री अ क्ष	श्री अध्यक्ष
,,	अन्तिम से 12	श्री फतेाह	श्री फतेहसिंह
,,	अन्तिम से 7	। मोहनलाल सु ा ड	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
,,	अन्तिम से 3	श्री विर्नाह रावत	श्री विजयसिंह रावत
38	1	श्री नोहनलाल सुखाड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
45	अन्तिम से 4	श्री शिवचरर्णाह	श्री शिवचरण सिंह
51	12	बतान	बताने

1	2	3	4
56	7	श्री ग्रया	श्रीअध्यक्ष
60	अन्तिम से 2	बसेज पर पर	बसेज पर
65	6	(हिन्डेन)	हिन्डोन)
,,	7	एक्ससीडेन्ट	एक्सीडेन्ट
66	अन्तिम से 11	कसेज	केसेज
67	अन्तिम से 5	एक्सीडेंड	एक्सीडेंट
68	6	श्री अमृतलाल य व	श्री अमृतलाल यादव
70	9	जिले सामुहिक	जिले की सामुहिक
72	16	अत्याधिक	अत्यधिक
,,	अन्तिम से 12	श्रणी	श्रेणी
73	अन्तिम से 4	श्री दोल राम सारण	श्री दौलतराम सारण
77	7	पा	कृपा
80	अन्तिम से 5	ह	है
,,	,,	कितन	कितने
84	9	कृपि	कृषि के
,,	10	विवरण	वितरण
85	2	सेक्रेटेरियों	सेक्रेटरियों
90	9.	स्वीकृति	स्वीकृति के
97	अन्तिम से 8	अनु स्थिति	अनुपस्थिति
106	11	ता	तो
,,	अन्तिम से 5	गा	मांगा
107	अन्तिम	सर्वणों	सवर्णों
117	अन्तिम से 9	सम्मीत	सम्मति
119	अन्तिम से 10	ध्याना आकर्षण	ध्यानाकर्षण
121	9	म	में
123	अन्तिम से 10	आवकारी	आबकारी कर
129	9	तनखा	तनख्वाह
,,	,,	खरचे	खर्चे
,,	अन्तिम से 9	बोल े	बोलते
130	अन्तिम से 16	शराब बन्दी बन्द	शराब बन्दी
,,	अन्तिम से 10	श्री मन्नारायजी	श्री मन्नारायण जी
131	अन्तिम से 10	वर्ग	वर्गों
134	शीर्षक	2 फरवरी	29 फरवरी
,,	5	चस्का	चश्का
135	अन्तिम से 16	जानत	जानते
136	अन्तिम से 8	श्री रघुनाथ िशोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
,,	अन्तिम से 5	श्री मकिशन	श्री रामकिशन
137	,	श्री गरधारला ास	श्री गिरधारी लाल व्यास
138	3	श्री माथुरा ास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
,,	6	ी म कशन	श्री रामकिशन
,,	17	ो	तो
,,	अन्तिम	भी ? आपको	भी आपको

1	2	3	4
144	11	रहे	रखें
145	5	पूर्ती	पूर्ति
,,	अन्तिम से 8	आमदनी से हम अपना	आमदनी से अपना
147	11	श्री वृद्धि च द्र जैन	श्री वृद्धिचन्द्र जैन
149	2	उन	उस
,,	अन्तिम से 5	कदम	कदम
156	8	अगवानी	अगुवायी
159	अन्तिम से 15	उनक	उनके
160	शीर्षक	968	1968
182	अन्तिम से 11	श्र रामा ं अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	अन्तिम से 6	ी विजयसिंह ाव	श्री विजयसिंह रावत
183	5	मानल	मानले
185	9	श्री घुना । वि नो	श्री रघुनाथ विश्नोई
186	अन्तिम से 13	बाने	वारे
189	1	श्री घुाथ वेश ोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
193	अन्तिम से 7	सोशिलय	सोशियल
199	अन्तिम से 6	Primry	Primary
205	अन्तिम से 5	क्लिोमीटर	किलोमीटर
208	1	का	की
209	10	श्री रामकिशन	श्री मनोहर सिंह मेहता
211	11	श्री मूलचन्द डाग	श्री मूलचन्द डागा
215	15	अक्ष्य तृतीय	अक्षय तृतीया
224	अन्तिम से 10	पक्ड़े	पकड़े
229	अन्तिम से 12	खंड 32 पर	पर खण्डश:
230 से 272 तक	शीर्षक	पर विचार	पर खण्डश: विचार
232	अन्तिम से 7	1	?
,,	अन्तिम से 3	मुनी	मुनि
233	अन्तिम से 2	क्लॉज 2	क्लाज 3
235	,, 5	श्रीमती लक्ष ी कुमारी	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी
237	10	श्री के सरीसिंह	श्री केसरी सिंह हाड़ा
238	12	समझता हुं	मैं समझता हूँ
241	अन्तिम से 10	अक्ष्यक्ष	अध्यक्ष
246	1	ह	हैं
,,	3	शाँप	शॉप
253	अन्तिम से 18	यदिद	यदि
,,	अन्तिम से 17	यर्ि	यदि
265	6	निर्मात	निर्माता
273	अन्तिम से 4	Parliament	Parliamentary